

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session



[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 40, बुधवार, 19 अप्रैल, 1978/29 चैत्र, 1900 (शक)

No. 40, Wednesday, April 19, 1978/Chaitra 29, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	4
*तारांकित प्रश्न संख्या 781, 783 से 786 और 791 से 794	*Starred Questions Nos. 781, 783 to 786 and 791 to 794	1-23
सीरिया अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री हफीज अल-असद का स्वागत	WELCOME TO HIS EXCELLENCY MR. HAFEZ AL-ASSAD PRESIDENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	4
तारांकित प्रश्न संख्या 780, 782, 787, 790 और 795 से 800	Starred Questions Nos. 780, 782, 787, 790 and 795 to 800	23-29
अतारांकित प्रश्न संख्या 7320 से 7322, 7325 से 7340, 7342 से 7456, 7458 से 7484, 7486 से 7501 और 7503 से 7519 ।	Unstarred Questions Nos. 7320 to 7322, 7325 to 7340, 7342 to 7456, 7458 to 7484, 7486 to 7501 and 7503 to 7515.	29-152
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	152-155
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	155-158
नई दिल्ली स्थित आर्मी हटमेंट्स में आग लगने का समाचार	Reported fire in the Army hutments in New Delhi.	155
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	155
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	156-157
श्री दलपत सिंह परास्ते	Shri Dalpat Singh Paraste	157
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	157
श्री वयालर रवि	Shri Vayalar Ravi	157-158
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	158

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का घोटक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAG
लोक लेखा समिति सातवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Seventh Report	159
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति पांचवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Fifth Report	159
प्राक्कलन समिति सोलहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	Estimates Committee Sixteenth Report and Minutes	159
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Second Report	159
18-4-1978 को पश्चिम रेलवे के बम्बई - सेन्ट्रल-बिहार सैक्शन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य श्री शिव नारायण	Statement re. Railway Accident on Bombay Central—Virar section of Western Railway on 18-4-78. Shri Sheo Narain	159 159-160
कार्य मंत्रणा समिति पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fifteenth Report	160-161
आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक :— पुरः स्थापित	Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill—Introduced	161
भारतीय विस्फोटक (संशोधन) विधेयक, पुरः स्थापित	Indian Explosives (Amendment) Bill Introduced	161
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under rule 377—	162-164
(1) पश्चिम बंगाल में हुस्नाबाद में दण्डकारण्य शरणार्थियों की दशा श्री समर गुहा	(i) Plight of Dandakaranya refugees at Husnabad in West Bengal Shri Samar Guha	162 162
(2) दिल्ली में मैडिकल कॉलिज के छात्रों द्वारा हड़ताल का समाचार श्री सी० के० चन्द्रप्पन	(ii) Reported strike by Medical college students in Delhi. Shri C.K. Chandrappan	162 162
(3) अस्थायी व्याख्याताओं को नौकरी से अलग करने के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्णय का समाचार श्री हरिकेश बहादुर	(iii) Reported decision of Banaras Hindu University to terminate services of temporary lecturers Shri Harikesh Bahadur	162-163 163
(4) धान का मूल्य श्री के० मायातेवर	(iv) Price of Paddy Shri K. Mayathevar	163 163
(5) उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री राम चन्द्र मलिक	(v) Need for more financial assistance to cyclone affected people of Orissa Shri Rama Chandra Mallick	1 163-164

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सामान्य बजट-अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants. 1978-79	164
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	164
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	165-192
श्री धर्मवीर वशिष्ठ	Shri Dharam Vir Vasisht	193
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	193-196
श्री राममूर्ति	Shri Ram Murti	196-197
श्री राजाराम शंकरराव माने	Shri Rajaram Shankarrao Mane	197-198
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	198-199
चौधरी मुलतान सिंह	Chaudhary Multan Singh	199-200
श्री श्यामाप्रसन्ना भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhatta-charyya	200-201
श्री इकबाल सिंह ढिल्लों	Shri Iqbal Singh Dhillon	201-202
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	202-204
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	204-206
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	206-207
श्री के० टी० कोशलराम	Shri K. T. Kosarlam	207-209
श्री लखन लाल कपूर	Shri L.L. Kapoor	209-211
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	211-212
श्री पी० के० कोडियन	Shri P.K. Kodiyan	212-214
श्री रुद्र सैन चौधरी	Shri Rudra Sen Chaudhury	214-215
श्री मोती भाई आर० चौधरी	Shri Motibhai R. Chaudhary	215-216
श्री बी० पी० कदम	Shri B.P. Kadam	216-217

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED
VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 19 अप्रैल, 1978/29 चैत्र, 1900 (शक)

Wednesday, April 19, 1978/Chaitra 29, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

POPULATION OF TRIPURA

***781. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the population of Tripura State prior to the formation of Bangladesh and the population of hill tribes and non-hill tribes out of it separately;

(b) the present population of the above State and the population of hill tribes and non-hill tribes, separately; and

(c) the number of refugees in the State on the day Bangladesh came into existence and their number at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) According to 1971 census, the population of Tripura State as on 1st April, 1971 was 1,556,342. Of them 450,554 or 28.95% belonged to the Scheduled Tribe (The break-up of population by hill tribes and non-hill tribes is not available).

(b) Information is not available since the next census is due in 1981.

(c) The number of migrant families in Tripura on 25th March, 1971, was 75,710. In addition, 13.82 lakhs refugees entered Tripura between 25th March, 1971 and December, 1971 and almost all of them have returned. The number of migrant families as on 31st December, 1977, is 75,571.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : It has been stated in the reply that the number of migrant families was 75,710 and in addition 13.82 lakhs refugees entered into Tripura upto 1971 have returned.

The Government of Tripura says that the refugees do come from the Bangladesh daily and still are coming in such a large number that it has badly affected their economic structure. Recently the Estimates Committee of the Lok Sabha had gone to Tripura to discuss the problem about the rural unemployment and it was stated by the Government of Tripura that refugees from Bangladesh are still coming there in large number and there is no arrangement to check it . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए । आप तो वक्तव्य दे रहे हैं ।

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : The Government says that at present only 75,571 refugees are residing there. But according to the Government of Tripura the number of refugees is more than that and they have no power to stop them.

The refugees are still coming in the Tripura State from Bangladesh and they stay in Tripura. I would like to know from the hon. Minister under what law or power the Central Government can stop them. What has Government to say in this matter ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Some refugees are coming from Bangladesh to Assam, Tripura and West Bengal also, although their number is very small. This is a common problem which is not limited to Tripura. The steps proposed to be taken in matter are under consideration of the Government.

SHRI SOMJIBHAI DAMOR : The refugees, who have come in Tripura from Bangladesh, are exploiting the Adivasis. What steps Government propose to take in this regard ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The refugees have come in Tripura from Bangladesh and they are continuously coming there since 1947. About 69,000 families came between 1947 and 1958 and about 6,000 families came between 1964 and 1971. Thus the total comes to 75,751 families. The persons who came after 25th March, 1971 i.e. the day on which Bangladesh came into being have returned. Therefore, the families which came between 1947 and 1971 have settled there and this state of affairs has affected their economy as the hon. member says. Keeping all this in view the Central Government helps the Government of Tripura so that their burden may be minimised.

आर० सी० दत्त समिति की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

*** 783 श्री सौगत राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या पिछली सरकार ने बंगाल फिल्म उद्योग की समस्या का पता लगाने के लिए आर० सी० दत्त समिति नियुक्त की थी ;
- (ख) उस समिति की सिफारिशें क्या हैं ;
- (ग) क्या पिछली सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया था ; और
- (घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग की समस्याओं सम्बन्धी आर० सी० दत्त समिति ने निम्न-लिखित सिफारिशों की थीं :—

- (1) हम सिफारिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सिनेमाघरों की कमी को दूर करने और अखिल भारतीय प्रयास के अंग के रूप में राज्य में निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन को सुविधा-जनक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी वाला एक व्यापक निगम स्थापित किया जाना चाहिए और उसकी फिल्मों के आयात और संभाव्यता उनके निर्यात का भी कार्य, आयातित फिल्मों के वितरण और सिनेमाघरों के सीधे ही या गैर सरकारी पार्टियों के सहयोग से निर्माण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इस प्रकार के निगम को अपने पूंजीगत संसाधनों पर ही नहीं, अपितु उन लाभों पर भी निर्भर करना चाहिए जो उसको सिनेमाघरों के निर्माण के लिए दिए जाने वाले धन से प्राप्त हों।
- (2) पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग की अन्य इच्छुक पार्टियों के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में एक रंगीन फिल्म प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना पर, एक सक्षम व्यावसायिक निकाय द्वारा तैयार की गई संभावना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- (3) कलकत्ता की सादी फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं और स्टूडियो के स्वामित्व वाली वर्तमान फर्मों के एकीकरण और इन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, समुचित अनु-रक्षण और प्रबन्ध करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में एक कम्पनी बनाने के प्रस्ताव पर एक सक्षम व्यावसायिक निकाय द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- (4) फिल्म प्रभाग द्वारा वृत्त चित्र तथा न्यूजरील बनाए जाने के कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए प्रभाग का एक शाखा कार्यालय कलकत्ता में खोला जाना चाहिए। इसी प्रकार, टेलीविजन के लिए फिल्मों के निर्माण के कार्य का भी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सुविधाएं कलकत्ता में विकसित की जानी चाहिए।

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया था, एकीकृत फिल्म उद्योग की योजना बनाने और उसका संवर्धन करने और उसको संगठित करने; फिल्मों का आयात-निर्यात; फिल्मों का वितरण/प्रदर्शन; सिनेमाघरों का निर्माण और अनुरक्षण, आदि के लिए एक बहु कार्यात्मक निगम अर्थात् राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की केन्द्रीय सरकार ने स्थापना कर दी है। तथापि, यह निगम इतना विकसित नहीं हुआ जितनी कि कल्पना की गई थी। परन्तु फिल्म वित्त निगम और भारतीय चल-चित्र निर्यात निगम उस भूमिका को सक्रिय रूप से निभा रहे हैं जिसकी इस निगम द्वारा निभाए जाने की कल्पना की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के विकास के लिए फिल्म विकास बोर्ड की स्थापना कर दी है। यह भी पता चला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में एक रंगीन फिल्म प्रयोगशाला स्थापित करने की

दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। फिल्म प्रभाग ने पूर्वी क्षेत्र के निर्माताओं के माध्यम से फिल्मों के निर्माण के लिए कलकत्ता में एक निर्माण केन्द्र स्थापित कर दिया है। फिल्म प्रभाग अपना कुछ विधायन कार्य कलकत्ता की विधायन प्रयोगशालाओं से करवा कर उनकी सहायता भी कर रहा है।

इस प्रकार, समिति द्वारा की गई सिफारिशें बहुत कुछ पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

श्री सौगत राय : माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण को मैंने ध्यान से पढ़ा है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि यह बहुत अस्पष्ट है।

श्रीमान्, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट था कि क्या पिछली सरकार ने बंगाली फिल्म उद्योग के बारे में आर० सी० दत्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया था और क्या वर्तमान सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहेगी। मंत्री महोदय ने केवल अस्पष्ट विवरण दिया है। उन्होंने कहा है “इस प्रकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें बहुत कुछ पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।” यह नहीं बताया है कि इनमें से कितनी सिफारिशें पिछली सरकार की अवधि में कार्यान्वित की गई थीं और कितनी सिफारिशें वर्तमान सरकार की अवधि में कार्यान्वित की गई हैं। सचार्ई यह है कि मंत्री महोदय के दावे के बावजूद बंगाली फिल्म उद्योग, जिसने सत्यजीत राय और मृणाल सेन जैसे दिग्गज निर्माता उत्पन्न किए हैं, पिछड़ा हुआ है और प्रति वर्ष बंगाली फिल्मों की संख्या कम हो रही है।

आर० सी० दत्त समिति की मुख्य सिफारिश वितरण के तरीकों के बारे में थी कि जब तक वितरण थोड़े प्रदर्शनों और वितरकों के हाथों में है, तब तक अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अतः इसने सिफारिश की कि इस वितरण को सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिए। और मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण में कहा गया है कि एक बहु उद्देश्यीय निगम अर्थात् राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई है। तथापि यह निगम इतना विकसित नहीं हुआ जितनी कि कल्पना की गई थी।

सीरियाई अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम

श्री हाफिज अल-असद का स्वागत

WELCOME TO HIS EXCELLENCY MR. HAFEZ AL-ASAD PRESIDENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे सीरियाई अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री हाफिज अल-असद का, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

इस समय वह अपने शिष्टमंडल के अन्य विशिष्ट सदस्यों के साथ विशिष्ट प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। उनके माध्यम से हम सीरियाई अरब गणराज्य के लोगों को अपना अभिवादन और सद्भावनाएं अर्पित करते हैं।

श्री सौगत राय : अब मैं पुनः प्रश्न पर आता हूँ । इस समय बंगाली फिल्म उद्योग मंद गति से चल रहा है और इसे प्रदर्शकों और वितरकों के शिकंजे से बचाया जा सकता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार का विचार पूर्णतया बंगाली और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों के प्रदर्शन और विवरण के लिए एक सरकारी क्षेत्र के निगम की स्थापना करने का है ताकि अच्छी फिल्में आ सकें ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यह प्रश्न इससे अवश्य सम्बन्धित था कि पिछली सरकार द्वारा क्या किया गया था और वर्तमान सरकार क्या कर रही है । विवरण अस्पष्ट नहीं है । इसमें उठाए गए कदमों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है क्योंकि यह प्रश्न दत्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में है जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से संबद्ध है । यह एक सतत प्रक्रिया है और इस बारे में कदम उठाए गए हैं । मैंने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्य का विशेष रूप से उल्लेख किया है । मैंने पहले ही कहा है कि हालांकि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना पिछली सरकार द्वारा की गई थी परन्तु इसे सक्रिय नहीं बनाया गया था । वर्ष के दौरान हमने कुछ कदम उठाए हैं । फिल्म वित्त निगम की ओर से एक शाखा कार्यालय कलकत्ता में खोला गया है क्योंकि एक मुख्य सिफारिश यह है कि फिल्मों का वितरण और रंगीन कच्चा माल वहां पर ही होना चाहिए । अक्टूबर, 1977 में कलकत्ता में आलेख (स्क्रिप्ट) समिति का गठन किया गया है । इसके अलावा बहुत से कदम उठाए गए हैं जो यद्यपि दत्त समिति की सिफारिशों से पूरी तरह से सम्बन्धित नहीं है तथापि मुझे विश्वास है कि इनसे सामान्य रूप से क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को और विशेष रूप से बंगाल फिल्म उद्योग को सहायता मिलेगी । मैं यह बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष तक रंगीन फिल्मों के उपयोग पर निर्यात दायित्व लगाए जाते थे जिसके परिणामस्वरूप बंगाल के फिल्म निर्मातओं की ओर से लगातार मांग यह की जाती रही कि निर्यात दायित्व लगाए बिना रंगीन फिल्में दी जाएं क्योंकि उनका कहना कि इससे केवल हिन्दी फिल्म उद्योग को लाभ हुआ । दिनांक 3 अप्रैल को घोषित की गई नई उद्योग नीति के परिणामस्वरूप रंगीन फिल्मों के उपयोग पर निर्यात दायित्व नहीं होगा । इस कार्यवाही से बंगाल में क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की प्रगति में सहायता मिलेगी । एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि कलकत्ता में रंगीन फिल्म प्रयोगशाला स्थापित की जाए । इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने रंगीन फिल्म प्रयोगशाला की स्थापना के लिए व्यवस्था कर दी है ।

श्री सौगत राय : फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख करने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ । मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूँ कि कलकत्ता में केवल बंगाल फिल्म उद्योग का ही केन्द्र नहीं है वरन् वहां असमिया और उड़िया फिल्में भी बनाई जाती हैं । अतः यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्र है । मंत्री महोदय ने राज्य सरकार के दायित्वों का ही उल्लेख किया है । मैं उनसे खास कर यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार आगामी वर्ष में कोई सहायता देगी जिससे कलकत्ता में स्टुडियो को पुनः जीवित किया जा सके जिनमें से दो बन्द हो गए हैं तथा शेष कठिन स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं ताकि न केवल बंगाल फिल्म उद्योग वरन् पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके । क्या सरकार का विचार स्टुडियो स्थापित करने और इन स्टुडियो में उपकरण उपलब्ध कराने का है ?

श्री एल० के० अडवाणी : जहां तक स्टूडियो और फिल्म उद्योग के बहुत से अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि वे मामले राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं। सरकार को यह समस्या ज्ञात है। भारत सरकार की अनवरत योजना में इस कार्य के लिए निर्धारित किया गया कुल परिव्यय लगभग 2.75 करोड़ रुपए दें तथा इसमें कलकत्ता में बंगला, उड़िया और मनीपुरी की अतिरिक्त फिल्मों का उत्पादन सम्मिलित है। अतः हमें यह ज्ञात है तथा राज्य सरकार के सहयोग से हम इस मामले पर अनवर्ती कार्यवाही करेंगे।

श्री विनोद भाई वी० शेठ : क्या मंत्री महोदय बंगाल सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि वह फिल्मों को विशेषकर नई क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दें जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। गुजरात में पहले नई फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी गई थी जिससे गुजरात में कुछ नए स्टूडियो स्थापित हुए जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन मिला।

श्री एल० के० अडवाणी : गत नवम्बर में हुए सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में हमने इस बात पर बहुत विचार किया कि मनोरंजन कर के कम से कम कुछ भाग का उपयोग फिल्म उद्योग की प्रगति पर खर्च करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि कुछ कदम उठाए जाएंगे। सदन इस बात से सहमत होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सिफारिश करना अथवा कोई कार्यक्रम थोपना जिससे राज्य सरकारों के राजस्व में कटौती हो उचित नहीं होगा।

श्री चित्र बसु : मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना के बारे में कहा है किन्तु दत्त समिति की एक सिफारिश यह है कि :

“पश्चिम बंगाल में सिनेमा घरों की कमी को दूर करने तथा इस राज्य में बनी फिल्मों को दिखाने के लिए इस दिशा में अखिल भारतीय प्रयत्न के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में एक व्यापक निगम की स्थापना की जाए जिसके पास पर्याप्त पूंजी हो।”

सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे निगम की स्थापना की आवश्यकता का उल्लेख दत्त समिति द्वारा किया गया था तथा वास्तव में, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उस उद्देश्य की ही पूर्ति नहीं करता जिसके लिए इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था। अतः क्या सरकार पश्चिम बंगाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे निगम की स्थापना करने की दिशा में कदम उठाएगी ?

दूसरे, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार का विचार सिनेमा उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कार्य और जीवन सम्बन्धी शर्तों के बारे में केन्द्रीय कानून बनाने का है और यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण कानून के बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं जो कामगर जनता के हितों का विनियमन करे ?

श्री एल० के० अडवाणी : दत्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एक मई, 1975 में पंजीकृत किया गया था जिसकी प्राधिकृत पूंजी तीन करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी लगभग 10 लाख रुपये थी किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, भूतपूर्व सरकार ने

इस मामले में आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि इस निगम से आवश्यक कार्य फिल्म वित्त निगम और आई० एम० पी० ई० सी० द्वारा किए जा रहे थे किन्तु वर्तमान सरकार इस समस्या पर पुनर्विचार कर रही है तथा फिल्म उद्योग से सम्बन्धित संस्थाओं को, जो इस समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध हैं, सक्षम बनाने पर विचार किया जा रहा है तथा यह सम्भावना है कि फिल्म वित्त निगम और आई० एम० पी० ई० सी० के कार्यों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यों में सम्मिलित किया जाए ।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार का विचार है कि फिल्म उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है । सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाए जाने की आवश्यकता समझती है तथा इस समय मंत्रालय में इस बारे में कुछ विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा श्रमिकों और अन्य सम्बन्धित कवित्वों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है तथा मुझे आशा है कि कानून बनाना सम्भव होगा ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि बंगला और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की बहुत अच्छी फिल्मों को दो प्रकार की कठिनाई हो रही है, एक यह कि सत्य जीत राय और मृशाल सेन जैसे प्रसिद्ध निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों को छोड़कर अन्य फिल्मों को दिखाने के लिए सिनेमा हाल ही नहीं मिल रहे हैं । ऐसी फिल्मों को महीनों ही नहीं वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । दूसरे, फिल्म वित्त निगम नए प्रसिद्ध निर्माताओं को सहायता देने के मामले में उदार नहीं है । इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी जिससे नए प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई फिल्मों को दिखाने के लिए शीघ्र सिनेमा घर मिल सकें तथा प्रतिभावान व्यक्तियों को उपयुक्त वित्तीय सहायता मिल सके ?

श्री एल० के० अडवाणी : जो अधिकारी फिल्म उद्योग की समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि सिनेमा हालों की कमी फिल्म उद्योग की प्रगति में एक मुख्य बाधा है तथा फिल्म वित्त निगम इस समय राज्य सरकारों से और राज्य फिल्म वित्त निगमों से, जिन-जिन राज्यों में वे हैं, परामर्श करके एक योजना बना रहा है तथा इस सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन

*784. **श्री जी० आई० कृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन कितना हुआ और सरकार को इन ट्रकों की कितनी आवश्यकता थी;

(ख) क्या यह सच है कि यह उत्पादन सरकार की आवश्यकताओं से कम पड़ता है और इसलिए सरकार को टाटा बन्धुओं द्वारा निर्मित ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) गत पांच वर्षों के दौरान ह्वीकल फैक्टरी जबलपुर ने शक्तिमान ट्रकों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे कर दिए हैं। रक्षा सेवाओं द्वारा इस प्रकार की गाड़ियों की कुल खरीद का लगभग 80 प्रतिशत भाग इस उत्पादन से पूरा हुआ है। शेष लगभग 20 प्रतिशत गाड़ियां सिविल व्यापारियों से खरीदी गई हैं।

अभी इस कारखाने की क्षमता इतनी नहीं हुई जिससे सारी रक्षा आवश्यकताएं पूरी हो जाएं इसलिए उसकी शेष आवश्यकता सिविल व्यवसाय से पूरी की जाती है।

श्री जी० बाई० कृष्णन : महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ब) का उत्तर नहीं दिया।

प्रो० शेर सिंह : आंकड़े बताना लोक हित में नहीं होगा।

श्री जी० बाई० कृष्णन : कहा जाता है कि इस कारखाने में पूरे उपकरण नहीं लगाए गए हैं इसी कारण कुछ माल गैर-सरकारी व्यापार से प्राप्त किया गया है। क्या सरकार की नीति गैर-सरकारी व्यापार को प्रोत्साहन देने और इस कारखाने को अधूरा रखने की है? यदि यह सच है तो शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन भारत अर्थमूवर्स को क्यों नहीं सौंपा जाता?

प्रो० शेर सिंह : पांचवीं योजना के दौरान पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए निर्धारित क्षमता को अधिष्ठापित क्षमता में नहीं बदला जा सका। मैं समझता हूं छठी योजना के अन्त तक हम उन सभी वाहनों के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या इस महत्वपूर्ण उत्पादन कार्य को जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता रहा है गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा करने की अनुमति देना लोक हित के विरुद्ध नहीं है? मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि गत पांच वर्षों के आंकड़े देना भी लोक हित के विरुद्ध होगा। किन्तु जब इस कार्य के गैर-सरकारी व्यापारियों को दिया जाएगा तो वे स्वतः जान जाएंगे कि कितने ट्रकों का उत्पादन किया गया है। सरकार की नीति क्या है? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मर्दों के उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देती रहेगी?

प्रो० शेर सिंह : यह व्यापक प्रश्न है। हमने सदन में कई बार यह बताया है कि महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाएगा। सिविल क्षेत्र के जिन कारखानों में क्षमता है हम उनसे गैर-महत्वपूर्ण वस्तुएं, सब ऐसेम्बली कोम्पोनेंट्स ले सकते हैं तथा महत्वपूर्ण किस्म के कल पुर्जों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाएगा।

श्री बयालार रवि : सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को इसमें प्रवेश क्यों करने देती है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया उस समय पर्याप्त क्षमता नहीं है तथा छठी योजना में सरकार कदम उठाएगी।

DR. RAMJI SINGH : Mr. Speaker, Sir, will the hon. Minister of Defence be pleased to state whether he is in favour of nationalisation of manufacture of trucks and truck manufacturing factories keeping in view the security of the country, if so, the time by which nationalisation is likely to be effected and if not whether it may not be against the interest of the nation ?

PROF. SHER SINGH : Regarding security I have stated that we are increasing the capacity. We hope we will be able to produce all the trucks that we may need. So far as the point of nationalisation of this industry is concerned. I think it is not necessary.

परमाणु रिएक्टर, संयंत्रों के लिए भारी जल (हैवी वाटर)

* 785. श्री दुर्गा चन्द : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे परमाणु रिएक्टर संयंत्रों के लिए, संयंत्रवार, भारी जल की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार , भारी जल के आयात पर विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) इस मद को देश में बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारी पानी की संयंत्र-वार आवश्यकता निम्नलिखित है :—

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-पहला यूनिट

हुई कमी को पूरा करने के लिए,, 20 मीटरी टन प्रतिवर्ष ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-दूसरा यूनिट

आरम्भिक चार्ज के लिए 250 मीटरी टन भारी पानी की तथा रिएक्टर का प्रचालन नियमित स्थिति में पहुंचने पर, काम में लाए जा रहे भारी पानी में हुई कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मीटरी टन भारी पानी की आवश्यकता होगी ।

मद्रास परमाणु बिजलीघर—हला यूनिट

इसमें रिएक्टर को चालू करते समय प्रारम्भिक चार्ज के रूप में 250 मीटरी टन भारी पानी की तथा रिएक्टर का प्रचालन नियमित स्थिति में पहुंचने पर, काम में लाए जा रहे भारी पानी में हुई कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 12 मीटरी टन भारी पानी की आवश्यकता होगी ।

मद्रास परमाणु बिजलीघर—दूसरा यूनिट

—यथोपरि—

नरोरा परमाणु बिजलीघर—पहला तथा दूसरा यूनिट प्रत्येक यूनिट को चालू करते समय आ-रम्भिक चार्ज के लिए 260 मीटरी टन भारी पानी की तथा गिगैक्टर का प्रचालन नियमिति स्थिति में पहुंचने पर, काम में लाए जा रहे भारी पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक यूनिट के वास्ते प्रति-वर्ष 10 मीटरी टन भारी पानी की आवश्यकता होगी ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारी पानी के आयात पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुल मिलाकर 11,20,32,397 रुपए व्यय किए गए :—

1975-76	1976-77	1977-78
शून्य	8,00,69,571 रुपए	3,19,62,826 रुपए

(ग) नांगल में काम कर रहा भारी पानी संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14 मीटरी टन भारी पानी पैदा करता है । परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक भारी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोटा, बड़ौदा, तूतीकोरिन तथा तलचर में कुल मिलाकर 300 मीटरी टन वार्षिक क्षमता के 4 भारी पानी संयंत्रों का निर्माण शुरू किया गया है ।

SHRI DURGA CHAND : We meet the requirements of heavy water and uranium for our four atomic power plants by importing these items. In view of the fact that the requirement of heavy water for our existing four plants is 1,000 tonnes while the total capacity of our four heavy water plants to be set up will be only 300 tonnes resulting in shortage of 700 tonnes of heavy water which we will have to import, may I know from hon. Prime Minister whether Government are considering to set up some more such plants so that we may produce required quantity of heavy water in our country and we have not to import it ?

SHRI MORARJI DESAI : We do not require the whole quantity of 1000 tonnes of heavy water at a time. At present Tarapur plant is working and a part of Rajasthan plant is also going on and its second part is yet to be commissioned. It will be commissioned a little later. Madras Plant will be commissioned in December, 1979 and its second part will be commissioned in 1981. One part of Naraura Plant is likely to be commissioned in December, 1982 and the other in 1983. Therefore, our requirement will not be more than 250-300 tonnes of heavy water for each year and this much we will be able to produce. Apart from this we are also considering to set up some more heavy water plants.

SHRI DURGA CHAND : In reply to part (b) of my question it has been stated that we have spent foreign exchange worth about Rs. 11 crores on the import of heavy water in the last two years and that a provision of Rs. 29 crores has been made in this year's budget for importing heavy water. I would like to know from the Prime Minister the quantity of heavy water to be imported this year for our atomic power plants.

SHRI MORARJI DESAI : If a notice is given in this regard I will certainly furnish this information.

श्री एम० एस० संजीवी राव : माननीय प्रधान मंत्री को भली भांति पता है कि परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त करने में हमें कितनी कठिनाई हो रही है

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भारी पानी के बारे में है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं उसी पर आ रहा हूँ । अब हमें विदेशों से भारी पानी प्राप्त करने में भी उसी प्रकार कठिनाई हो रही है । वह आश्वासन दे रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा बिजली घरों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे । किन्तु भारी पानी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है । हम सभी को पता है कि बड़ौदा में एक बड़ा विस्फोट हुआ है । मैं प्रधान मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएंगे कि हम पर्याप्त भारी पानी उत्पादन कर सकें तथा परमाणु बिजली घरों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं ।

श्री मोरारजी देसाई : हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु इसका दुर्घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May I know from the hon. Prime Minister the names of foreign countries from which heavy water is being imported ? As it has been stated by the Prime Minister that we will produce 300 tonnes of heavy water, may I know the time by which we will be self-reliant in this field and the time by which we will be able to start producing 300 tonnes of heavy water in India ? How soon will we be able to avoid its import ?

SHRI MORARJI DESAI : At present most of the heavy water is imported from U.S.S.R. and I believe we will achieve self-sufficiency in two years.

श्री कृष्ण कांत : क्या आपने बड़ौदा संयंत्र में विस्फोट के कारण जिस जांच का आदेश दिया था वह पूरी हो गई है तथा उस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इस बारे में मैं अंतिम रूप से राय नहीं बता सकता किन्तु अब तक जो कुछ भी हुआ है वह दुर्घटना ही थी कोई तोड़-फोड़ का मामला नहीं था ।

PROPOSAL FROM M. P. ON POWER TRANSMISSION LINES

†*786. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the power transmission lines for which the Government of Madhya Pradesh have submitted proposals for approval under the R.E.C. Schemes; and

(b) the action being taken thereon by the Centre ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) विद्युत् पारेषण लाइन के लिए मध्य प्रदेश की कोई भी स्कीम इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम में मंजूरी के लिए अनिर्णीत नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI SUBHASH AHUJA : Mr. Speaker, Sir, I had asked in my question about the power transmission lines for which the Government of Madhya Pradesh have submitted proposals for approval under the R.E.C. Schemes. I asked the names of those power transmission lines ?

श्री पी० रामचन्द्रन : मध्य प्रदेश सरकार ने चार विशिष्ट पारेषण योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें 2.52 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अन्तर्गस्त है और उक्त योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :

धार और रतलाम जिला—35 लाख रुपये, सिहौर और देवास—60 लाख रुपये, धार जिला—61 लाख रुपये और रायपुर जिले की महासयुन्द तहसील—94 लाख रुपये । यह कुल राशि 2.52 करोड़ रुपये बैठती है ।

SHRI SUBHASH AHUJA : The honourable Minister has just now stated that Madhya Pradesh Government have sent proposals for four schemes. I would like to know from the hon'ble Minister as to how long would be taken to sanction those schemes and by which time those schemes would be started ? In addition, I would like to state that the present norms prescribed for rural electrification, on which R.E.C. provides loans to State Governments for their rural electrification schemes are very hard, which could not be applied in tribal areas. In view of this I would like to urge the hon'ble Minister that the norms for rural electrification of tribal areas of Madhya Pradesh be relaxed, so that the tribal areas of Madhya Pradesh could also be benefited from this rural electrification scheme ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जिन चार योजनाओं का मैंने उल्लेख किया है, उन सभी योजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और कोई भी योजना अनिर्णीत नहीं है । जहां तक आदिवासी क्षेत्रों और हरिजनों का विशेष रियायत देने का प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों में इन सभी पिछड़े क्षेत्रों को ब्याज और सहायता राशि के बारे में छूट दी जाती है ।

SHRI RAGHAVJI : I would like to know from the hon'ble Minister as to what is the average percentage of rural electrification in Madhya Pradesh in comparison to national average percentage ? In case the average percentage of rural electrification in Madhya Pradesh is less, what steps are being taken by the Government to expedite the rural electrification.

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता । अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप दे सकते हैं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री पी० रामचन्द्रन : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए ।

कागज के मूल्य में वृद्धि

791. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उनके द्वारा मिलों को चेतावनी दिये जाने के बावजूद कागज के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार मिलों के समूच कागज को अपने नियंत्रण में लेने और उसका मूल्य उचित पर वितरण करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जनवरी, 1978 में कुछ कागज मिलों में कागज की कुछ किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की थी। बताया गया है कि अधिकांश मिलें जिन्होंने इस प्रकार के मूल्यों में वृद्धि नहीं की थी, वे भी ऐसा करने का निर्णय कर रही हैं।

(ख) इस समय, 2750/- रुपये प्रति मी० टन की रियायती दर पर संभरित केवल छपाई का सफेद कागज शिक्षा क्षेत्र और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को वितरित किया जा रहा है और कागज उद्योग के समस्त उत्पादन के अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कागज (कागज का विनियमन) आदेश 1978 के माध्यम से लिखने तथा छपाई के कागजों की साधारण किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा परिणामों को देखने के पश्चात् अग्रेतर विनियमनकारी अभ्युपायों और आयात की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? उन कागज मिलों ने, जिन्होंने पहले मूल्य नहीं बढ़ाया था, मूल्य में अब बढ़ोत्तरी करना शुरू कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री जार्ज फर्नांडीज : कागज की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। एक मात्र नियंत्रण, जो कागज मिलों के साथ हमने आपसी सदभाव से किया है, के अनुसार सफेद छपाई का कागज शैक्षणिक संस्थाओं और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को उपलब्ध किया जाता है। यह कागज 2750 रु० प्रति टन की दर से उपलब्ध किया जाता है। बाकी कागज के मामले में, मूल्य में अनिवार्यतः अनेक वर्षों से उतार चढ़ाव आता रहा है, कभी कीमतों में कमी हुई है और अभी हाल में वृद्धि हुई है। उन वर्गों को, जिन्हें 2750 रु० प्रति टन की दर पर कागज उपलब्ध किया जाता है, मूलतः शैक्षिक क्षेत्र को कागज की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए हमने कार्यवाही की है और इस वर्ष मार्च में जो नया आदेश जारी किया गया है, उसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है कि पर्याप्त मात्रा में कागज का उत्पादन किया जाए और शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध किया जाए।

जहां तक सामान्य मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है, हम कागज मिल मालिकों के साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे हैं और मुझे आशा है कि कीमतों को कम करना हमारे लिए सम्भव होगा। हमने यह सुझाव भी दिया है कि अगर आवश्यक हो, तो कुल मांग को पूरा करने के लिए हम कागज का आयात करेंगे।

श्री जी० एस० रेड्डी : उन मिलों के नाम क्या हैं और कागज की किन-किन किस्मों के बारे में मूल्य-वृद्धि हुई है?

श्री जार्ज फर्नांडीज : जैसा कि मैंने बताया कि, सफेद छपाई के कागज को छोड़कर जो शैक्षणिक क्षेत्र को उपलब्ध किया जाता है, अन्य सभी कागज की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है, इसलिए कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहता है।

SHRI KISHORE LAL : I would like to know about the paper which is made available at the rate of Rs. 2750/- per tonne. Whether Government have received the complaint to the effect that whenever there is examination season or on other occasions when students have to purchase exercise books, the mill owners despite the directions, do not supply papers and create artificial scarcity and students have to purchase the exercise books at a higher cost. Whether Government is contemplating any action against such mills; whether Government is contemplating any action for making any study for fixing the price of paper as is done in case of price-fixation of sugar and cement ?

SHRI GEORGE FERNANDES : Mr. Speaker, Sir, we have not received any such complaint. The distribution of paper is done to educational institutions for text books and other purposes through State Governments. Whenever any complaint is received from any State Government that paper is not being supplied to them, arrangements are made to supply the paper to State Government. If any complaint is received in this connection in future, we would take action.

So far as question of making on study about prices is concerned, we generally discuss the matter with mills and they are asked to charge the fair prices.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : कागज की कीमतों को कम रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए और अगर हमें अपनी शैक्षणिक योजनाओं को पूरा करना है और छात्रों को यह गारंटी देनी है कि छात्रों को पुस्तकें और कागज उचित मूल्य पर मिलें, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कागज निर्माण उद्योग का सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तार करने की मंत्री महोदय की कोई योजना है, जिससे कीमतों को एक ऐसे निम्न स्तर पर रखने की वह गारंटी दे सकेंगे, जो इस समय देश की जरूरतों के अनुरूप होगा ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : इस समय, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में, लगभग एक प्रतिशत कागज का उत्पादन किया जाता है और इसके अतिरिक्त पांच प्रतिशत का उत्पादन राज्य क्षेत्र में किया जाता है। नवगांव, कछार और नागालैण्ड परियोजनाओं सहित, जो परियोजनाएं इस समय हमारे हाथ में हैं, उनके अगले तीन वर्ष या लगभग उतनी ही अवधि में पूरे हो जाने पर, सरकारी क्षेत्र का योगदान वर्तमान 6 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो जाएगा और हम यह चाहेंगे कि इस क्षेत्र का विस्तार हो।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या आप इसका और भी आगे विस्तार करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : जी हां, जहां तक कागज का सम्बन्ध है, हम इसका विस्तार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

SMT. PREMLABAI CHAVAN : I would like to know whether you would adopt any policy for sick paper mills also and make some arrangement for their management also ?

SHRE GEORGE FERNANDES : The policy, which is adopted for other sick mills, is adopted for them also. According to present rule, thirty per cent of the paper should be produced as cheaper variety i.e. of Rs. 2750/- per tonne. But this rule is not applicable to sick mills. They have been given concession.

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का निरसन

792. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के चालू सत्र में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का निरसन किया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और अन्य राज्यों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा निवारक नजरबन्दी कानून का निरसन करने की सलाह दी है ;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सम्बन्धित राज्यों से सरकार को मिले उत्तरों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सदन की आज की कार्रवाई की सूची में मीसा के निरसन के लिए एक विधेयक पेश करना शामिल है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I would like to know the names of the State Governments which are still enforcing MISA. You are withdrawing, but State Governments are still continuing to have MISA. You had stated regarding Kashmir that certain suggestions would be given to Kashmir Government. What suggestions have been given by you and what is their reply? What are your views regarding COFEPOSA which is meant for economic offenders? Will you repeal it also or not?

SHRI CHARAN SINGH : I am not prepared to reply regarding COFEPOSA, as it does not come under the purview of this question.

So far as MISA is concerned, it would be repealed throughout the country. It would not remain in force in any State. Our commitment was to repeal it, which is being fulfilled. There are in all three States—Andhra Pradesh, U.P. and Rajasthan, some sort of detention laws in operation. Law and order is responsibility of States and they may take any action as they may deem fit. They may withdraw the preventive detention law or amend it, it comes within their jurisdiction, but MISA is a separate law. In U.P., there is detention law only for anti-social elements. I do not think that House wants it to be withdrawn. No political person could be arrested under that law. There are now Rajasthan and Andhra Pradesh only. You are aware of the situation in the country. It is their responsibility. They may repeal it or may not repeal it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about Kashmir?

SHRI CHARAN SINGH : Suggestion have been sent to Kashmir. It is also their responsibility.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Even if you have withdrawn MISA, but one cannot deny the fact that these days there is need of having certain stringent laws and rules that is done, the wave of violence cannot be checked. There are certain political elements in the country, who deliberately want to create a situation of anarchy in the country. There is labour unrest. Some Universities also are lying closed.... (Interruptions). I charge again that there are certain political elements who want to prove that administration of the country could be run only with the help of emergency. To prove this violence is indulged in deliberately. I would like to know from the hon'ble Home Minister that like U.P., a similar legislation would be enacted or I.P.C. or Cr.P.C. would be amended so that such elements could be dealt with sternly?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ; यह आपके प्रश्न के प्रतिकूल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह है : क्या आप मीसा का निरसन कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या दूसरों को भी आप निरसन करने की सलाह दे रहे हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं यह पूछ सकता हूँ कि मीसा का विकल्प क्या है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह बहुत संगत प्रश्न है। आप का निर्णय अन्तिम होगा और उसे स्वीकार करूंगा..... (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हम मीसा का निरसन कर रहे हैं..... क्या भारतीय दण्ड संहिता अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन करने के लिए सरकार किसी वैकल्पिक सुझाव पर विचार कर रही है जिससे उसे अधिक कठोर बनाया जा सके और समाज-विरोधी तत्वों से समुचित ढंग से निपटाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता।

श्री कंवरलाल गुप्त : उसका विकल्प क्या है, यह बहुत संगत पूरक प्रश्न है। अल्प मीसा का निरसन करने जा रहे हैं; उसके किस विकल्प पर विचार कर रहे हैं?..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपके प्रश्न की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है।

श्री कंवरलाल गुप्त : वे चिल्ला रहे हैं, तो उन्हें चिल्लाने दो। आप भयभीत मत होइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं न तो आप से भयभीत होता हूँ और न अन्य लोगों से। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : फिर, मैं यह पूछ सकता हूँ कि षड़यन्त्रकारियों और जासूसों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

SHRI CHARAN SINGH : Mr. Speaker, Sir, all the rights given to State Governments and Central Government under the constitution would be used when need be.

SHRI D. N. TIWARI : Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I differ with my friend, Shri Kanwar Lal Gupta. Similar argument was given during the regime of Smt. Indira Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता।

SHRI D. N. TIWARI : Any other legislation is enacted or not, but it was decided and the legislation was withdrawn. I would like to know from the hon'ble Home Minister as to how many persons are still detained under MISA in different parts of the country and how many persons have been detained under the legislation of Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir ?

SHRI CHARAN SINGH : Mr. Speaker, Sir, I think he wants to know whether there is need to have a law like preventive detention in whole of the country or not. I would like to say that it is the matter of opinion.

SHRI D. N. TIWARI : I had not asked this. I had asked as to how many persons are still in jails ?

SHRI CHARAN SINGH : Very little. There might be 51 persons in Kashmir. 5 or 7 anti-social persons have been under detention in Maharashtra. I do not remember the total number of detenus in the entire country.

समेकित परिवहन प्रणाली

*793. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन योजना और समन्वय समिति ने, जो देश में रेल, सड़क और जल परिवहन प्रणाली को समेकित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा 1959 में नियुक्त की गई थी, सरकार को 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सड़क, सड़क परिवहन और अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशों से राज्य सरकारों के अलावा केन्द्र में अनेक मंत्रालय अर्थात् नौवहन और परिवहन, रेलवे, पेट्रोलियम और रसायन और पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय सम्बन्धित हैं । नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार समिति की रिपोर्ट में दी गई अधिकांश सिफारिशें कुछ मामलों में हेरफेर के साथ पहले ही क्रियान्वित कर ली गई हैं जबकि कुछ सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : सरकार द्वारा परिवहन योजना और समन्वय समिति 1959 में गठित की गई थी और इसने अपनी सिफारिशें 1966 में कीं । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इन समितियों को गठित करती है लेकिन इन समितियों द्वारा किए गए प्रस्तावों अथवा सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाता है अथवा यहां तक कि इन पर 12 वर्षों तक विचार नहीं किया गया । माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें बहुत से मंत्रालय सम्बद्ध थे । उन्होंने पांच मंत्रालयों का नाम बताया है । जब ये सिफारिशें की गई थीं तब से बारह वर्ष की अवधि बीत चुकी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी विशेष मंत्रालय को इन प्रस्तावों अथवा सिफारिशों पर विचार करने में कितने वर्ष का समय लगेगा ? दूसरे यह प्रश्न मुख्यतया देश में रेल, सड़क और जल परिवहन प्रणाली को समेकित करने सम्बन्धी प्रस्तावों से सम्बन्धित है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि वे मुख्य बाधाएं क्या हैं जो रेल, सड़क और जल परिवहन पद्धति के समेकित करने के बारे में समिति के प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा इसकी सिफारिशों को लागू करने में सरकार के सामने उपस्थित हैं ?

श्री चांद राम : जहां तक वर्ष 1966 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है तो यह पिछली सरकार से सम्बन्धित है । जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है तो हम संहिताबद्ध

राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिए एक नई समिति की स्थापना कर रहे हैं और हमने योजना आयोग को यह समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि यह समिति पिछली सरकार द्वारा गठित की गई है और वे अब इस मामले पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है अथवा क्या वे अभी तक सरकार के विचाराधीन पड़े हुए हैं ? इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समिति द्वारा कितनी सिफारिशें की गईं, उनमें से कितनी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें नामंजूर की गई हैं ?

श्री चांद राम : जैसा मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि इस समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है । कुछ सिफारिशों को थोड़े संशोधन के साथ कार्यान्वित किया गया है । ये सिफारिशें 1966 में की गई थीं । तब से बहुत से परिवर्तन हुए हैं । यही कारण है कि हम एक नई समिति का गठन कर रहे हैं । इस समिति ने लगभग 100 से अधिक सिफारिशें की थीं । अतः इतने थोड़े समय में मैं तत्काल नहीं बता सकता कि कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है । मैंने केवल यही कहा है कि अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस समय नहीं बता सकते कि कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है । इससे पता चलता है कि उन्होंने इस प्रश्न का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है । साथ ही वह सदन को यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या इन सिफारिशों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है

श्री चांद राम : यह प्रश्न कम से कम 5-6 मंत्रालयों से सम्बन्धित है

अध्यक्ष महोदय : तब भी किसी न किसी को सूचना एकत्र करनी चाहिए ।

श्री चांद राम : जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने 100 से अधिक सिफारिशें की हैं । मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कि कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ? मैं केवल यही कह सकता हूँ कि अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर बहुत सामान्य है । कृपया सूचना एकत्र करें और इसे सभा-पटल पर रखें ।

श्री चांद राम : ये सिफारिशें रेलवे, जल परिवहन, मोटर परिवहन, परिवहन, तटीय नौ-वहन और रेल तथा समुद्र समन्वय, अन्तर्देशीय जल परिवहन आदि से सम्बन्धित हैं

अध्यक्ष महोदय : इसमें दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन किसी न किसी मंत्रालय को सूचना एकत्र करनी पड़ेगी और इसे सदन को बताना होगा । सदन यह सूचना जानने के लिए हकदार है । इसमें कठिनाइयां हो सकती हैं । तथापि आपको सूचना एकत्र करनी है और यह दी जानी है । कृपया सूचना एकत्र करें और इसे सभा-पटल पर रखें ।

श्री चांद राम : मैं सूचना एकत्र कर सकता हूं और इसे माननीय सदस्य को दे सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सभा-पटल पर रखें ।

एक माननीय सदस्य : हम आपका धन्यवाद करते हैं ।

SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN : State Transport Corporations are set up in the whole country through Road Transport, who have been given monopoly as well as full rights due to which State Transport Corporations are running in losses and each State is running into the loss. Whether Central Government propose to impose restriction on these State Transport Corporations who are running into losses and give them to the educated unemployed in the common public for their free utilisation ? What action is being taken by the Government on the losses of crores of rupees in State Transport Corporations ?

अध्यक्ष महोदय : यह उससे उत्पन्न नहीं होता ।

दादरा और नागर हवेली में पुलिस अधिकारियों की भर्ती

*794. श्री आर० आर० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली में पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ;

(ख) क्या पुलिस उप-निरीक्षकों की हाल ही में भर्ती की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी भर्ती की पद्धति क्या थी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MONDAL) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) & (c) One Reserve Sub-Inspector was appointed in October, 1977 on deputation basis.

STATEMENT

(a) The criteria for recruitment to different categories of posts of police officers in Dadra and Nagar Haveli Administration is given below :

- | | |
|---|--|
| (i) <i>Chief of Police</i> | } The recruitment rules for these posts have not yet been framed. The posts are filled up by taking persons on deputation from a State/UT. |
| (ii) <i>Assistant Chief of Police</i> | |
| (iii) <i>Police Sub-Inspector (Unarmed)</i> | |
| (iv) <i>Company Commander</i> | |

} According to the recruitment rules, 50% of these posts are required to be filled by direct recruitment, 25% by promotion from those Head Constables who have successfully completed their training at the Police Training School, Baroda and 25% by promotion from senior Head Constables. Persons in the age group of 19 to 25 years who have passed S.S.C. or equivalent examination are eligible for direct recruitment.

(v) *Reserve Sub-Inspector*

} The recruitment rules of this post have not yet been framed. The post has been filled up by taking person on deputation from a State Government.

(vi) *Head Constable (Unarmed)*
(vii) *Head Constable (Armed)*

} According to the recruitment rules, the posts are required to be filled by promotion from Unarmed/Armed Constable who have rendered at least 5 years continuous service in that capacity.

(viii) *Unarmed Constable*

} According to the recruitment rules, the posts are required to be filled by direct recruitment. Persons in the age group of 18 to 22 years who have passed sixth standard are eligible for direct recruitment.

(ix) *Armed Constable*

SHRI R. R. PATEL : I would like to know from the hon. Minister whether local PSI of Union territory of Dadra and Nagar Haveli can be transferred or not? If it is transferable, when it will be made and if it is not transferable, the reason thereof.

SHRI DHANIK LAL MONDAL : The administrator of Dadra and Nagar Haveli is also Lt. Governor of Goa, Daman and Diu. Hon. Member knows that he has been requested to agree after discussing the matter with the Government of Goa to transfer the Police Sub-Inspector of Dadra and Nagar Haveli to Goa and some other person may be posted from there to Dadra and Nagar Haveli. Besides this, the discussion on this matter has been going on with the Government of Gujarat and I am sure that this matter will be solved and that Sub-Inspector will be transferred from there. (*Interruptions*)

SHRI R. R. PATEL : Whether his transfer can be made in Union territory or not?

SHRI DHANIK LAL MONDAL : I have given the information to the hon. Member that the matter has been discussed with the Lt. Governor of Goa, Daman and Diu. He has been requested to agree on the mutual transfer i.e. one person may go from Dadra and Nagar Haveli to Goa and vice versa. Besides this I have informed the member that discussion is going on with the Government of Gujarat on this matter that they should take this officer in their State and give another officer in lieu of him. Discussion is also going on with Union territories. We are also considering on this possibility.

श्री अमृत कासर (पणजी) : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि वह गोआ, दमन और दीव सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। दादरा और नागर हवेली का केन्द्र-शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव का हिस्सा नहीं है। ये दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं। केवल प्रशासक एक है। गोवा, दमन और दीव से दादरा और नागर हवेली में कोई स्थानांतरण नहीं होते और इसी प्रकार दादरा और नागर हवेली से गोआ, दमन और दीव में कोई स्थानांतरण नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री किस प्रकार गोआ, दमन और दीव से दादरा, नागर हवेली में इन स्थानांतरणों को कराएंगे।

ये केन्द्र-शासित प्रदेश है। अधिकांशतया पुलिस इंस्पेक्टर, सुपरिटेण्डेंट आफ पुलिस आदि इन प्रदेशों से बाहर के व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं और अधिकांशतया वे उत्तरी भारत के होते हैं। वे वहां पर जाते हैं लेकिन उन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होती। मेरा प्रश्न एक विशिष्ट प्रश्न है कि ऐसे ऊंचे पदों पर केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाएगा।

SHRI DHANIK LAL MONDAL : Inspector of Dadra and Nagar Haveli cannot be transferred and for this intervention by the Lt. Governor is necessary. He has been requested to agree on this. Has the post been transferable, there would not have been any problem. This problem arose because this post is not transferable. So far the question of hon. Member that why not the local people are recruited, I have to say that upto the Sub-Inspector rank, local persons are recruited directly.

श्री मुक्तिधर सिंह मलिक : नौबहन तथा परिवहन और समन्वय समिति सरकार ने 1959 में स्थापित की थी और वर्ष 1966 में समिति ने अपनी सिफारिशें की थीं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इन समितियों की स्थापना की और इनके प्रस्तावों अथवा सिफारिशों

पर बारह वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है उनकी जांच नहीं की गई है । मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें बहुत से मंत्रालय अन्तर्गस्त थे । उन्होंने पांच मंत्रालयों के नाम बताए हैं । सिफारिशें देने के पश्चात बारह वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तावों अथवा सिफारिशों पर विचार करने के लिए कोई मंत्रालय विशेष कितना समय लेती है । दूसरे, प्रश्न मुख्य रूप से देश में रेल, सड़क तथा जल परिवहन प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वे मुख्य बाधाएं क्या हैं जो प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा रेल, सड़क तथा जल परिवहन में सामंजस्य स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यरूप देने में सरकार के सामने आ रही हैं ?

श्री चांद राम : जहां तक वर्ष 1966 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, यह पिछली सरकार से सम्बन्ध रखता है । जहां तक वर्तमान सरकार की बात है यह सरकार एक राष्ट्रीय परिवहन नीति निकालने के लिए एक समिति गठित कर रही है और हमने समिति गठित करने के लिए योजना आयोग को अधिकार दे दिया है ।

श्री मुह्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय ने बताया कि यह समिति पहली सरकार ने बनाई थी और वर्तमान सरकार मामले को नए सिरे से ले रही है । क्या इस समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव छोड़ दिए गए हैं क्या वे अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ? साथ ही, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि उस समिति द्वारा कितनी सिफारिश की गई हैं, सरकार ने उनमें से कितनी स्वीकार कर ली हैं और कितनी अस्वीकार कर दी गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा । इस बारे में जानकारी प्राप्त करके सभा पटल पर रखी जा सकती है ।

श्री चांद राम : ये सिफारिशें रेल, सड़क परिवहन, मोटर परिवहन, समुद्र तटीय नौवहन और रेल तथा समुद्र समन्वय, अन्तर्देशीय जल परिवहन आदि

अध्यक्ष महोदय : कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु किसी न किसी मंत्रालय को जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रखनी होगी । सदन को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । अभी भी आप जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दिखा सकते हैं । कृपया आप जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रखें ।

श्री चांद राम : मैं जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जानकारी सभापटल पर रखें ।

एक माननीय सदस्य : हम आपके आभारी हैं ।

SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN : State Transport Corporations have been established in the country through Road Transport and these Corporations have got full powers and this is the reason that the State Transport Corporations are going in loss and each State is incurring loss. May I know whether the Central Government propose to have all the Corporations going in loss and to handover the job to the educated unemployed ? I want to know, the action being taken by the Government regarding the loss of Crores of Rupees by these State Transport Corporations.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांद राम : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है कि समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं । कुछ में थोड़ा हेर फेर करके क्रियान्वित किया गया है ।

सिफारिशें वर्ष 1966 में की गई थीं । तब से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है । यही कारण है कि हमने एक नई समिति बनाने का निर्णय किया है । समिति ने 100 से भी अधिक सिफारिशें की थीं । अतः इतने थोड़े समय में मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि कितनी सिफारिशें क्रियान्वित हो गई हैं और कितनी नहीं हुई हैं । मैंने केवल इतना ही बताया है कि अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित हो गई हैं ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय का कहना है कि वह इस समय यह नहीं बता पाएंगे कि कितनी सिफारिशें क्रियान्वित हुई हैं । इससे पता चलता है कि उन्होंने समस्या का पूरा अध्ययन नहीं किया है । साथ ही वह सदन को यह भी नहीं बता पाए कि क्या इन सिफारिशों को बिलकुल ही छोड़ दिया गया है ।

श्री चांद राम : प्रश्न कम से कम 5-6 मंत्रालयों से सम्बन्धित है

अध्यक्ष महोदय : फिर भी किसी न किसी मंत्रालय को तो जानकारी एकत्र करनी ही होगी ।

श्री चांद राम : मैंने बताया है कि समिति ने 100 से भी अधिक सिफारिशें की थीं । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं ।

SHRI R. R. PATEL : I would like to know from the hon. Minister whether the Local P.S.I. of Union territory of Dadra and Nagar Haveli can be transferred, if so the time by which it will be effected and if not the reasons therefor ?

SHRI DHANIK LAL MONDAL : The Administrator of Dadra and Nagar Haveli is also a Lieut. Governor to Goa, Daman and Diu. The hon. Member already knows that he has been requested to persuade the Government of Goa to accommodate the police Sub-Inspector transferred from Dadra and Nagar Haveli and send somebody therefrom to Dadra and Nagar Haveli. Besides this, we have discussed the matter with the Government of Gujarat and it is expected that the problem will be solved and the Sub-Inspector will be transferred. (Interruptions)

SHRI R. R. Patel : Can he be transferred only to Union territory ?

SHRI DHANIK LAL MONDAL : I have already said that we talked with the Lieutenant Governor of Goa, Daman and Diu. He has been requested to agree for a mutual transfer, one man from Dadra & Nagar Haveli should be transferred to Goa and somebody from Goa should come to his place. I have also said that we have discussed the matter with the Government of Gujarat to accept that officer and give one for replacement. We are also discussing with other Union territories. We have this possibility also in mind.

श्री अमर कासर : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया है कि वह गोआ-दमन और दीव सरकार से बात-चीत कर रहे हैं । संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली गोआ-दमन-दाव का तो कोई भाग नहीं है । ये दो अलग-अलग प्रदेश हैं । प्रशासक केवल एक है । गोआ-दमन-दीव से दादरा-नागर हवेली को कोई तबादले नहीं होते हैं । मेरी समझ में नहीं आता

कि मंत्री महोदय गोआ दमन-दीव से दादरा और नागर हवेली में तबादले किस प्रकार कराएंगे ।

ये संघ राज्य क्षेत्र हैं । अधिकांश पुलिस इन्स्पेक्टर, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, आई० जी० पुलिस इन क्षेत्रों से बाहर के होते हैं और अधिकांशतः उत्तर भारत के । वे वहां जाते हैं परन्तु उन्हें वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होता है । मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या संघ राज्य क्षेत्र का कोई स्थानीय व्यक्ति भी इन उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है ।

SHRI DHANIK LAL MONDAL : Inspector of Dadra and Nagar Haveli cannot be transferred, and that is why the intervention of Lieutenant Governor has been sought and request has been made to make him agree with the arrangement. The problem is that the post is not transferrable. As regards the recruitment of the local people, I would like to say that the local people are directly recruited to the post of Sub-Inspector.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में दस्तकारी उद्योग में कच्चे माल की कमी

780: श्री आर० बी० स्वामीनाथन : } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री जी० एम० बतनवाला :

(क) क्या केरल राज्य में दस्तकारी उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस उद्योग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा ;

(ख) क्या रोजवुड जो कभी राज्य में सस्ते मूल्यों पर बहुतायत में मिलती थी, अब न केवल कम हो गई है अपितु गत पांच वर्षों में इसका मूल्य दस गुना बढ़ गया है ;

(ग) इससे कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस मामले में आवश्यक तथा तुरन्त सहायता देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस राज्य में दस्तकारी उद्योग को बचाने के लिए उचित दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डो) : (क) कुल मिला कर केरल राज्य में हस्त शिल्प उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है । केवल लकड़ी पर नक्काशी करने वाले और हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले उद्योगों में हाल ही कच्चे माल की कमी अनुभव की गई है ।

(ख) केरल राज्य में रोजवुड की कुल उपलब्धता और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले उद्योगों की मांग में कोई कमी नहीं हुई है । किन्तु ऐसा लगता है कि रोजवुड के निर्यात के कारण

घरेलू बाजार में इसकी कमी हो गई है और इसके फलस्वरूप गत पांच वर्षों में इसके मूल्य में करीब 5-6 गुनी वृद्धि हो गई है ।

(ग) हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री और निर्यात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है ।

(घ) केरल सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से केरल राज्य हस्तशिल्प निगम की अंश पूंजी बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ताकि शिल्पकारों को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा हस्तकला की वस्तुओं के विपणन सम्बन्धी स्थिति में सुधार किया जा सके । इसके पूर्व ही निगम ने हस्तशिल्पियों को रोजवुड और हाथी दांत की पूर्ति करने के लिए एक कच्ची सामग्री डिपो पहले ही स्थापित कर दिया है ।

(ङ) राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हथकरघा उद्योग को राज सहायता

*782. श्री एस० डी० सोम सुन्दरम : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों में हथकरघा उद्योग को दी गई राज सहायता के वर्षवार, आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान कितनी राशि की राज सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1974-75 तक हथकरघा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई भी प्रत्यक्ष राज सहायता योजना नहीं थी । राज्य की योजना में हथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट देने की प्रावधान नहित होता था । राज्य प्रावधानों के बारे में जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हो सकती है किन्तु केन्द्रीय सरकार हथकरघा कपड़े की बिक्री पर अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारिता समिति लि०, बम्बई को राजसहायता देती रही है । गत दस वर्षों में वस्त्र समिति को दी गई राज सहायता निम्नलिखित है :—

वर्ष	(लाख रुपए में)			
	राशि			
1967-68	.	.	.	4.75
1968-69	.	.	.	4.75
1969-70	.	.	.	5.77
1970-71	.	.	.	4.75
1971-72	.	.	.	6.00
1972-73	.	.	.	7.30
1973-74	.	.	.	8.34
1974-75	.	.	.	10.50
1975-76	.	.	.	24.86
1976-77	.	.	.	16.46
1977-78	.	.	.	26.71

वर्ष 1975-76 से केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा माल की बिक्री पर निम्नलिखित विशेष छूट तथा जनता धोतियों एवं साड़ियों पर राज सहायता दी है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट	जनता धोतियों एवं साड़ियों का उत्पादन
1975-76		
(वर्ष 76-77 में दी गई राशि)	224.00	157.00
1977-78		
(77-78 में दी गई राशि)	310.00	465.00

(ख) वर्ष 1978-79 में हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट तथा जनता धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर राजसहायता देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में 11 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

NATIONAL HIGHWAY NO. 28

*787. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the pitched portion of national highway No. 28 of Government of India should be 23 feet wide;

(b) if so, the details of the places in the tail-end, portion of the road beyond Kasaya in district Deoria, Uttar Pradesh which is only 12 feet wide; and

(c) the time by which this portion would be made 23 feet wide ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c). The 42 Km Kasia-Tamkuhi-Salempur (Bihar border) reach of the National Highway No. 28 in Uttar Pradesh, which has in most of the length a single-lane (3.65 m=12 feet) carriageway, is proposed, financial resources and all-India requirement permitting, to be widened to 2-lane (7 m=23 feet) in the current Five Year Plan period ending 31st March, 1983.

नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन में नियुक्तियां

*789. श्री ए० मुरुगेसन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन में तृतीय श्रेणी और इससे ऊपर की श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की जारी किए जाने की तिथि से क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त आदेशों का पालन करने के लिए क्या कार्यवाही कराने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए भारत सरकार के आदेश नैवेली लिगनाईट कारपोरेशन लिमिटेड ने प्राप्त होने के बाद यथासंभव कम से कम समय में कार्यान्वित कर दिए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अंग्रेजी अनुवादकों के वेतनमानों में असमानता

***790. श्री राजकेशर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों में नियुक्त हिन्दी-अंग्रेजी अनुवादकों के वेतनमानों में असमानता है ;

(ख) क्या वेतन-मानों में विभिन्नता अनुवादकों की भर्ती की पद्धति, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव तथा उन्हें दिए जाने वाले काम के दैनिक कोटे से सम्बद्ध नहीं है ;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/स्वायत्तशासी निकाय में अनुवादकों के वेतन-मानों का व्यौरा क्या है और उनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं तथा उन्हें दिए जाने वाले दैनिक काम के कोटे का व्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक मंत्रालय/स्वायत्तशासी निकाय के अनुवादकों के वेतन-मानों और उन्हें आवंटित काम के दैनिक कोटे में असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) सम्मिलित संवर्ग के अभाव में विभिन्न मंत्रालय आदि अनुवादक आदि के पदों का सृजन स्वयं तथा अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार और स्वनिर्धारित मापदंडों के अनुसार करते थे, इसलिए, इन पदों से संबन्धित शर्तों तथा नियमों में एकरूपता नहीं थी । इस विषमता को दूर करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय राज-भाषा सेवा के नाम से एक संवर्ग बनाया जा रहा है जिससे इन सभी पदों से सम्बन्धित शर्तों-नियमों की असमानता दूर होकर इनमें एकरूपता आ जाएगी । स्वायत्तशासी निकायों के पद इस संवर्ग में शामिल नहीं हो सकेंगे । परन्तु संवर्ग के नियमों द्वारा इस विषय में उन्हें मार्गदर्शन अवश्य मिल सकेगा ।

इस समय विभिन्न मंत्रालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों में वेतनमानों, निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं तथा दैनिक काम के कोटे की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

टेलीविजन सेटों के उत्पादन में कमी

***795. श्री माधव राव सिंधिया :** क्या इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 में टेलीविजन सेटों के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा मूल्यों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण यह कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

HANDLOOMS EXHIBITION AT NEW DELHI

*796. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing :

(a) whether it is a fact that handlooms exhibition had been organised in Pragati Maidan, New Delhi;

(b) the names of the States participating therein;

(c) the rent charged for the places allotted to the States there for the purpose; and

(d) the value of goods sold in this exhibition ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes, Sir.

(b) Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Manipur and Pondicherry. Additionally, "Handloom House" also participated in the Bazaar.

(c) Rs. 3.36,175 including Handloom House.

(d) Rs. 59.98 lakhs (provisional figure).

नागपुर में एक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाना

*797. श्री वसन्त साठे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर की जनता की और से बहुत अर्से से मांग की जा रही है कि नागपुर में एक अधिक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाये और अकोला/अमरावती में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रस्तुत किये ऐसे प्रस्तावों का व्यौरा क्या है ;

(ग) नागपुर में शक्तिशाली केन्द्र स्थापित न किए जाने और अकोला/अमरावती में प्रसारण केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में पहले ही 100 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर है और वहां पर और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए कोई मांग नहीं की गई है । तथापि, अकोला/अमरावती में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए मांगें की गई हैं ।

(ग) नागपुर केन्द्र पहले ही उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर से युक्त शक्तिशाली केन्द्र है । अकोला/अमरावती राज्य के वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(b) Government's reaction thereto; and
(c) the progress made by those Projects?

- (1) For accelerating Maneri Bhali and Garhwal-Rishikesh-Chilla H. E. Projects.—Rs. 8.75 crores (Released Rs. 8.25 crores).
- (2) For reimbursement of expenditure incurred on civil works on Obra Stages II and III in 1973-74.—Rs. 2.08 crores.

Stage II (3 × 200)						
I Unit	•	•	•	•	•	• Already commissioned
II Unit	•	•	•	•	•	• 1978-79
III Unit	•	•	•	•	•	• 1979-80

4. Garhwal-Rishikesh-Chilla				
(4 × 36) I Unit	•	•	•	1980-81
Balance Units (3)	•	•	•	1981-82

28

(ख) उप-समिति इस निर्णय पर पहुंची कि यह निर्धारित करने के लिए कि मूल आवेदन पत्र के साक्ष्यों में फेरबदल की गई है अथवा नहीं और अधिक छानबीन की जानी आवश्यक है। समिति का यह भी मत था कि यदि मूल आवेदन पत्र में यह जानकारी दी गई थी कि सम्बन्धित फैक्टरी मैटस का उत्पादन करेगी तो उस अवस्था में बोर्ड के दो अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति गम्भीर अवहेलना की है।

(ग) कयर बोर्ड के सचिव के कथनानुसार एकक को यह समझकर पंजीयित किया गया था कि वह मैटस का उत्पादन करने के लिए नहीं बल्कि केवल मैटिंग का उत्पादन करने के लिए विद्युत करघों का प्रयोग करेगा।

नेवेली परियोजना में दूसरी "माइन कट" का कार्य

*800. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली परियोजना में दूसरी "माइन कट" का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) उपरोक्त कार्य का अनुमान क्या है; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने जिस दूसरे "माइन कट" को खोलने के लिए अनुमोदन 22 फरवरी, 1978 को किया था उसका आरंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) ₹० 144.47 करोड़।

(ग) जुलाई, 1982।

RESERVATION FOR S. C. AND S. T. FOR APPOINTMENTS FOR THE POSTS OF PRODUCERS AND STAFF ARTISTS IN AIR AND DOORDARSHAN

7320. SHRI T. S. NEGI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 223 on the 8th March, 1978 and state :

(a) whether all the producers referred to in the reply given to the above mentioned question have completed a period of eight years as producers or the period of their working as Assistant producers has also been added to it;

(b) whether all the persons referred to in the above mentioned question were working as producers on 1st January, 1971;

(c) if not, the reasons why their names have been included in the reply given to the above referred question; and

(d) whether Government will give the names of the producers who have completed a period of eight years on the post of producers indicating the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a), (b) & (c). It was stated as under in reply to part (a) of Starred Question No. 223 for 8-3-1978 :

"125 in All India Radio and 3 in Doordarshan. The category of Assistant Producer and Producer in All India Radio was merged with effect from 1st April, 1971. Information in respect of AIR is thus inclusive of such Assistant Producers who have completed 8 years of service as Assistant Producers and Producers combined."

It is clear from the above that information in respect of AIR was inclusive of such Producers who have completed 8 years of service as Assistant Producer and Producers combined. It was also explained therein that the category of Assistant Producer and Producer in AIR was merged with effect from 1st April, 1971.

(d) Names of the 50 Producers—47 in AIR and 3 in Doordarshan—who have completed 8 years of service only as Producers on 1st March, 1978 is given in the Annexure. Out of these 50 Producers none belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

STATEMENT

LIST OF PRODUCERS WHO HAVE COMPLETED 8 YEARS OF SERVICE
ON 1-3-1978

<i>S. No.</i>	<i>Name of individual and Station</i>
---------------	---------------------------------------

ALL INDIA RADIO

1. Shri V. R. Renu, Hyderabad
2. Shri V. D. Madgulkar, Poona
3. Shri Rasiklal Bhojak, Ahmedabad
4. Shri Ramesh Choudhury, Madras
5. Km. Arvinda Dave, STI (P)
6. Km. Bulbul Sarkar, Calcutta
7. Shri N. V. S. Prasada Rao, Hyderabad
8. Shri V. Doreswamy Iyengar, Bangalore
9. Shri S. K. Rai Kurseong
10. Smt. Sunandini Ipe, Hyderabad
11. Shri Lalit Kumar Shastri, Ahmedabad
12. Shri B. P. Kaushik, Jullundur
13. Smt. Bindya Basini Devi, Patna
14. Shri G. K. Kaul, Delhi
15. Km. Kaushalya Mathur, Delhi
16. Shri H. S. Bedi, Jullundur
17. Shri P. V. Akilandam, Madras
18. Shri Wasant Kawali, Bangalore
19. Shri Pran Kishore Srinagar
20. Shri Pushkar Bhan, Srinagar
21. Shri B. G. Bhansali, Ahmedabad
22. Shri B. C. Ojha, NSD
23. Shri Rifat Sarosh, Delhi
24. Shri S. S. Mishra, Jullundur
25. Shri Vishnu Bhardwaj, Jammu
26. Shri S. Sharat, Delhi
27. Shri M. J. Rao, Hyderabad
28. Shri Voleti Venkateswarlu, Vijayawada
29. Shri J. L. Mattoo, Delhi

<i>S. No.</i>	<i>Name of Individual and Station</i>
30.	Shri U. T. Trivedi, Rajkot
31.	Shri Ramesh Nādkarni, Bombay
32.	Shri S. R. Gopalan Nair, Trivandrum
33.	Shri M. M. Golwalkar, Pune
34.	Shri Bhubaneswar Misra, VBS
35.	Shri Balak Ram Nagar, Delhi
36.	Smt. Susheela S. Naik, Dharwar
37.	Shri Bal Kudtarkar, Bombay
38.	Shri Mujaddid Niāzi, Lucknow
39.	Shri Anwar Khan, ESD
40.	Shri Arun Sarmah, Gauhati
41.	Shri V. V. Kulkarni, Pune
42.	Shri P. Radhakrishnan, Trichur
43.	Shri P. N. Parsuraman, Calicut
44.	Shri R. N. Awasthy, DGAIR
45.	Shri Vindo Rastogi, Allahabad
46.	Shri R. K. Maheshwari, Delhi.
47.	Shri Jasdev Singh

DOORDARSHAN

48.	Smt. Naina Devi, Producer Consultant
49.	Shri Swadesh Kumar, Producer Grade II
50.	Shri H. N. S. Endlaw

जे० सी० बी० प्रेस के कर्मचारियों की पदोन्नति

7321. श्री चतुर्भुज
श्री मही लाल } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) क्या जे० सी० बी० प्रेस के रीडिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, जिसमें शत प्रतिशत विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था है, जे० सी० बी० प्रेस में काम कर रहे रीडर ग्रेड दो और कापीहोल्डरों को इस विभाग की फोटो लिथो ब्रांच में रीडर ग्रेड एक और कापीहोल्डर के पदों पर नियुक्त/पदोन्नत करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं। जे० सी० बी० में एक लेटर प्रेस और एक फोटो-लिथो प्रेस है। इन दोनों प्रेसों में रीडिंग विभाग हैं। दोनों प्रेसों के रीडिंग विभाग में रीडर ग्रेड-I, रीडर ग्रेड-II और कापी-होल्डरों के पद हैं। लेटर प्रेस में रीडर ग्रेड-I और कापी होल्डरों

के वेतनमान फोटो-लिथो प्रेस के रीडर ग्रेड-I तथा कापी होल्डरों से कम थे। 15-4-1978 को सरकारी आदेश जारी कर दिए जाने के बाद लेटर प्रेस के इन कर्मचारियों के वेतन-मानों को फोटो-लिथो प्रेस में कर्मचारियों के स्तर पर लाकर इस असंगति को अब दूर कर दिया गया है। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्तियों को इन दोनों प्रेसों में आपस में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। फोटो-लिथो प्रेस में रीडर ग्रेड-I के पद पर अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा वाले रीडर ग्रेड-II से की जाती है जबकि लेटर प्रेस में रीडर ग्रेड-I में पदोन्नति के दो स्रोत हैं :— 33/1/3 प्रतिशत रीडर ग्रेड-II (जिनकी अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो) और 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत तकनीकी क्लर्क (उच्च ग्रेड) में से। इसके अतिरिक्त, फोटो-लिथो प्रेस में सभी पात्र अभ्यर्थियों को ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए ट्रेड टेस्ट पास करना होता है जबकि लेटर प्रेस में रीडर ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। फोटो-लिथो प्रेस और लेटर प्रेस में संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार का है कि कर्मचारियों का आपस में स्थानान्तरण व्यवहार्य नहीं है जिनमें दोनों प्रेसों की रीडिंग ब्रांच भी सम्मिलित है।

AGREEMENT WITH KHADI BHAVAN EMPLOYEES UNION

7322. SHRI RAM NARESH KUSHWAH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Chairman of the Khadi Commission entered into any agreement with the Khadi Bhavan Employees' Union on the 14th December, 1977; and

(b) the demands which have been declared/treated genuine and the time by which the same will be met?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The Employees Union has submitted a memorandum of demands to the Khadi and Village Industries Commission and also discussed them with the Chairman, Khadi and Village Industries Commission. The employees demands are under consideration of the Commission.

उद्योगीकरण में परिवर्तन

7325. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उद्योगीकरण में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिए नीति में परिवर्तनों के लिए आवश्यक प्रशासनिक और अन्य उपाय करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश परिवर्तन सरकारी क्षेत्र में किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा जो उपाय किये जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के कार्य संचालन तथा उससे सम्बद्ध नीतियों एवं पद्धतियों की जांच करने तथा तेजी से औद्योगिक वृद्धि करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए, यदि कोई हो, सिफारिश करने हेतु एक अध्ययन दल गठित किया था। इस अध्ययन दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय संबंधी एक विवरण लोक सभा पटल पर 31-3-1978 को रख दिया गया था। सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वे सरकार के निर्णयों को लागू करें।

(ख) तथा (ग) सरकारी क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति उद्योग मंत्री द्वारा लोक सभा के समक्ष 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण के पैरा 21 में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

उड़ीसा में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

7326. श्री सरत कार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में अखबारी कागज के एक कारखाने की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु कोई आवेदन-पत्र दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सलाल पन बिजली परियोजना का निर्माण

7327. श्री आर० के० महालगी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना के निर्माण संबंधी विवाद के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई द्विपक्षीय बात-चीत में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) मामले का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि विकास में विलम्ब रोका जा सके ?

ऊर्जा मंत्री श्री पा० रामचन्द्रन : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच अब समझौता हो गया है।

टायर-निर्माताओं द्वारा ट्यूबों और टायरों के मूल्य बढ़ाया जाना

7328. श्री के० ए० राजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायर निर्माताओं ने सभी प्रकार के टायरों और ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में और विभिन्न प्रकार के टायरों की कीमत क्या रही है और अब क्या है;

(घ) क्या उन्होंने टायर उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए मार्च में टायर निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) टायर-निर्माताओं ने मार्च, 1978 के अंतिम सप्ताह में विभिन्न प्रकार के आटोमोबाईल टायरों व ट्यूबों के मूल्य बढ़ाए हैं।

(ख) अनुमानतः रेयन टायरों के मूल्यों में 10 प्रतिशत, नाइलोन टायरों में 2.5 प्रतिशत और ट्यूबों के मूल्यों में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आटोमोबाईल टायरों व ट्यूबों के मूल्यों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। किन्तु सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

(ग) 1 जनवरी, 1975 से मार्च, 1978 तक की अवधि में आटोमोबाईल-टायरों व ट्यूबों के थोक-मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबंध-I) संलग्न है।

(घ) टायर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 13 मार्च, 1978 को एक बैठक हुई थी जिसमें आटोमोबाईल-टायर उद्योग के सम्मुख उपस्थित समस्याओं पर विचार किया गया था।

(ङ) टायर उद्योग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न टायर एककों को वित्तीय दृष्टि से जीव्यक्षम बनाने हेतु सहायता की मांग की है तथा स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं :—

(क) टायरों व ट्यूबों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सहायता।

(ख) निर्यात हेतु दीर्घ अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता।

(ग) उत्पादन शुल्क वापसी योजना जैसी पद्धतियों में सुधार।

2. सड़क परिवहन उद्योग का विस्तार करके उद्योग के उत्पादों प्रमुखतः ट्रक टायरों की मांग को बढ़ाने में सहायता करना।

3. फैक्ट्री से निकलने वाले टायरों/ट्यूबों के उत्पादन-शुल्क के भुगतान की वास्तविक अवधि को कम से कम 60 दिन तक करने के लिए एक आस्थगित-प्रणाली बनाई जाए। इन मामलों पर विचार किया जा रहा है :—

विवरण

वस्तु का नाम और उसकी विशिष्टताएं	एकक	1-1-1975 से 7-3-1975	8-3-1975 से 5-3-1976	6-3-1976/ 11-3-1976 से 6-8-1976
1	2	3	4	5
टायरस				
कार टायर्स				
1. फोर्ट कबरस 6. 70-15-6				
प्लार्ड ब्लेक रेटिंग	एक	272.80	266.60	266.60
2. 5. 90-15	एक	199.95	195.30	195.30
3. 5. 20-14	एक	172.05	168.95	168.95
4. 5. 60-13 सी-49	एक	189.10	186.00	186.00
गियान्ट टायर्स				
5. जयाण्ट कवर 8. 20-25-12				
प्लार्ड रेटिंग एच० डब्ल्यू 105/ 12/प्लार्ड	एक	976.50	1049.35	1049.35

1	2	3	4	5		
6. जयाण्ट कवर 9.00-20-12 प्लार्ड रेटिंग एच० डब्ल्यू 113/ एच/डब्ल्यू 105 मोटर साइकिल/स्कूटर टायर्स	एक	1122.29	1205.90	1205.90		
7. यूनीवर्सल मोटर साइकिल कवर 325-19/4 प्लार्ड	एक	92.50	97.50	97.50		
8. स्कूटर कवर 3.50-10.4 ट्रैक्टर टायर्स	एक	67.50	66.25	66.25		
9. ट्रैक्टर कवर 12-4-28 (11-28) जी० जी० 4 प्लार्ड		771.25	828.75	828.75		
10. ट्रैक्टर कवर 12-4-36 (11-36) एस० 9 16 प्लार्ड आफ दी हार्डवे टायर्स		972.50	1045.00	1045.00		
11. आफ दी हार्डवे 12.00-24/ 25 16 प्लार्ड		2648.95	2780.70	2780.70		
12. -उपरोक्त-18.00-24/25 12 प्लार्ड		6691.35	7026.15	7026.15		
7-8-76/ 14-8-76 से 14-12-77	15-12-76 से 4-2-77	5-3-77 से 31-10-77	12-11-77 से 22-12-77	23-12-77 से 10-3-78		
11-3-78/ 18-3-78						
1	6	7	8	9	10	11
						18-3-78
1.	266.60	266.60	266.60	266.60	266.60	271.33
2.	195.30	195.30	195.30	207.70	195.30	219.27
3.	168.95	168.95	168.95	181.35	168.95	171.95
4.	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	189.30
		1-1-77				
5.	1049.35	1018.35	1018.35	1018.35	1018.35	1018.35
6.	1205.90	1205.90	1205.90	1205.90	1205.90	1246.23
7.	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	98.48
8.	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.91
						11-3-78
9.	828.75	828.75	828.75	828.75	828.75	837.04
10.	1045.00	1045.00	1045.00	1045.00	1045.00	1055.45
11.	2780.70	2780.70	2780.70	2780.70	2780.70	2830.04
12.	7026.15	7026.15	7026.15	7026.15	7026.15	7150.81

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

7329. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की हिरन और कबूतरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को योजना आयोग ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) इन दो परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(घ) इन दो परियोजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार कितनी मात्रा में सहायता देगी ; और

(ङ) इन परियोजनाओं से जनता को कितना लाभ होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना आयोग गुजरात की हिरन (चरण 2) और कबूतरी मझौली सिंचाई परियोजनाओं को दि० 16-3-1978 को ही स्वीकृति दे चुका है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

(1) हिरन परियोजना—448.37 लाख रु०

(2) कबूतरी सिंचाई परियोजना—113.55 लाख रु०

(घ) केन्द्रीय सहायता संपूर्ण राज्य योजना के लिए दी जाती है, विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के लिए नहीं । राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सिंचाई विभाग/केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से तकनीकी विषयों के संबंध में परियोजनाओं की सहायता भी कर सकता है ।

(ङ) हिरन (चरण 2) सिंचाई परियोजना के नियंत्रण क्षेत्र में जूनागढ़ जिले में 9510 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र आता है और इससे खरीफ, रबी और दो-मौसमी फसलों वाले 7151 हेक्टेयर में सिंचाई की वार्षिक पूर्ति होगी ।

कबूतरी सिंचाई परियोजना के नियंत्रण क्षेत्र में पंच महल जिले में 1818 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र आता है और इससे खरीफ, रबी और दो-मौसमी फसलों वाले 1753 हेक्टेयर में सिंचाई की वार्षिक पूर्ति होगी ।

दिल्ली में पुलिस सब इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण

7338. श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री जी० एम० बनतवाला }

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद सीधे चयन करने के बाद इन नए भर्ती किए गए अधिकारियों को दिल्ली में पुलिस-प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस संगठन की स्थापना के बाद उसके लिये पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई मापदंड रखे गए थे और यदि हां, तो क्या बाद में कोई परिवर्तन किया गया था और यदि हां, तो कब; और

(ब) क्या यह सच है कि कनिष्ठ कर्मचारियों में से वरिष्ठता/परीक्षा के आधार पर सब-इन्स्पेक्टरों के रूप में पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये फिल्लौर (पंजाब) भेजा जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली पुलिस के विभिन्न पदों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मापदंड दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 में विहित है। बाद में, खोसला आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनमें संशोधन किए गए थे। उच्च अधीनस्थ अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित पुलिस नियम 1925 (2), (3) तथा (4) का संशोधन 7-6-69 को किया गया था। हाल में हैड कांस्टेबलों के पदों के लिए पदोन्नति परीक्षाओं से संबंधित पंजाब पुलिस नियम 137 में भी 6-4-78 को संशोधन किया गया था।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

रानीगंज ग्रुप आफ रिफ्रेक्टरीज को इस्पात और खान मंत्रालय को अन्तरित करना

7331. श्री रोबिन सेन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्री को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है कि रानीगंज ग्रुप आफ रिफ्रेक्टरीज को इस्पात मंत्रालय को इसके रक्षित उद्योग के रूप में अन्तरित किया जाये ;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा सहमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त उद्योग को इस्पात मंत्रालय को अन्तरित करने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा ।

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में कैमरामैनों की नियुक्ति

7332. श्री अहमद एम० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में कैमरामैन, ग्रेड-II के पद के लिए 25 अप्रैल, 1977 को साक्षात्कार किया गया था और नौ रिक्त स्थानों के लिए नियुक्ति के लिए आठ उम्मीदवारों का चयन किया गया था, परन्तु अब तक किसी भी चुने गए उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) क्या रिक्त पदों पर अब तक नैमित्तिक कैमरामैनों को लगाया जा रहा है, जबकि चुने गए उम्मीदवार अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्त न करने और रिक्त स्थानों पर नैमित्तिक कैमरामैनों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी पूर्ण व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग) और (घ) श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र के लिए कैमरामैन ग्रेड-2 के पद के लिए इन्टरव्यू 25 अप्रैल, 1977 को हुआ था और चयन समिति ने नियुक्ति के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की थी। बाद में, किए गए चयन के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त होने पर मामले की जांच की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस चयन को रद्द कर दिया जाए और नई चयन समिति द्वारा फिर से चयन किया जाए। इस बीच दूरदर्शन केन्द्र का कार्य चलाने के लिए कैमरामैनों को नैमित्तिक आधार पर लगाया जा रहा है।

भारतीय नौवहन निगम को वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक हुआ लाभ और वर्ष 1977-78 में हुआ घाटा

7333. श्री धर्म सिंह भाई पटेल } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री ज्योतिमय बसु }

(क) भारतीय परिवहन निगम को वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक प्रति वर्ष कितना शुद्ध लाभ हुआ तथा कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या इस निगम को वर्ष 1977-78 के दौरान 20 करोड़ रुपये का घाटा होने की आशंका है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस वर्ष उसे कितनी आय हुई है ;

(ग) प्रति वर्ष लाभ में कमी होने तथा लगातार हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) हानि रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क)

(रु० करोड़ों में)

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
कारोबार (सकल कमाई)	125.55	194.80	218.08	262.78
निवल लाभ	13.91	33.01	9.73	3.65

(ख) चूंकि 1977-78 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए आय और घाटे की राशि अभी ज्ञात नहीं है।

(ग) लाभ और प्रत्याशित हानि में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि विश्व भर में भाड़ा दरों में भारी मंदी आई है। इसके अलावा भारतीय नौवहन निगम को अंडमान और लक्षदीप के लिए संवर्द्धनात्मक और यात्री सेवाएं सौंपी गई हैं।

(घ) लागतों पर नियंत्रण करने और जहाजों की परिचालनात्मक कुशलता में सुधार करने के लिए सेवाओं के विस्तार के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक संभव है, प्रशासनिक प्रबंध खर्चों में कमी करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मिजोरम द्वारा एजबाल और लुंगलई जिलों के क्षेत्र को चकमा जिले में मिलाने का प्रस्ताव

7334. डा० आर० रोथुग्रम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि मिजोरम सरकार का विचार एजबाल और लुंगलई जिलों के एक बड़े क्षेत्र को जिसमें पांच गांव यथा लाल सबराल, सीसाम, हुम्न दो, पुरजिंग शामिल हैं तथा जहां मिजो लोग रहते हैं, चकमा जिले में मिलाने का है तथा जिसके कारण विवादग्रस्त क्षेत्रों के मामले में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच करने और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के लिए राज्य सरकार को शीघ्र आदेश जारी करने का है क्योंकि जमीन के मामले में किसी भी विवाद का निर्णय उनकी अपनी-अपनी ग्राम परिषदों द्वारा किया जाना होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

LETTERS RECEIVED BY MINISTER

7335. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of letters by MPs which were received by Minister during the period from 1st June, 1977 to 31st January, 1978 and the number of replies sent to them as also the number of letters which were not replied to; and

(b) the action proposed to be taken by the Government to send prompt reply to all MPs in future ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) The position is as under :

No. of letters received—2929

No. of replies sent—2261

Of the remaining 668 letters, 44 were transferred to the concerned Ministries/Departments for necessary action and 116 pertained to matters where a reply was no longer called for. 508 pending letters are in various stages of correspondence with the State Governments/examination and will be disposed of as early as possible.

(b) Adequate instructions already exist to ensure prompt action being taken on letters received from MPs and replies sent to them. However, these instructions have been reiterated with a view to see that officers keep a strict vigilance on the disposal of such letters.

एम० आई० निदेशालय में सहायक परीक्षकों की पदोन्नति

7336. श्री के० लक्ष्मी : क्या रक्षा मंत्री 29 जून, 1977 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना मुख्यालय के एम० आई० निदेशालय में काम कर रहे सहायक परीक्षकों तथा परीक्षकों के लिए स्थिरता की स्थिति को दूर करने और पदोन्नति के अधिक अवसर बनाने की दिशा में अब तक क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) उस निदेशालय में से कितने सहायक परीक्षक अथवा परीक्षक ने जिन्हें इसके परिणामस्वरूप पदोन्नत किया गया अथवा अच्छा कार्य दिया गया ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एम० आई० निदेशालय में परीक्षकों के पदों के बारे में भर्ती नियमों में अभी हाल ही में संशोधन कर दिया गया है ताकि उन्हें शतप्रतिशत उन सहायक परीक्षकों को पदोन्नति देकर भरा जा सके जो संबंधित भाषा में दक्षता रखते हों। इन नियमों में पहले ही यह प्रावधान है कि पर्यवेक्षक परीक्षकों के शतप्रतिशत पद परीक्षकों को पदोन्नति देकर भरे जाएं।

(ख) पहले परीक्षकों के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत सहायक परीक्षकों को पदोन्नत करके भरे जाते थे। 25 प्रतिशत विभागीय कोटा के अनुसार विगत दस वर्षों में 6 सहायक परीक्षकों को परीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसी अवधि में पर्यवेक्षक परीक्षकों के दो पदों को परीक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

SETTING UP OF PAPER PLANTS IN M.P.

7337. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Central Government have received any proposal from M.P. Government for setting up paper plants in that State; and

(b) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) Madhya Pradesh Government have indicated to the Government of India the desirability of setting up a paper project with a capacity of 1,20,000 tonnes to utilise the forest resources of the State. However no detailed proposal has been received, nor has an application for a letter of intent been made.

The Government of Madhya Pradesh however are having a feasibility study carried out with the assistance of the I.D.A. (an affiliate of the World Bank) for the industrial development of Baster District based on the wood processing industry.

शास्त्रों तथा गोलाबारूद की बिक्री

7338. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या रक्षा मंत्री विभिन्न फर्मों को शस्त्रों तथा गोलाबारूद की सप्लाई के बारे में 1 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच पूरी न होने के क्या कारण हैं और जांच को पूरी करने के कार्य में उपेक्षा बरतने वाले अधिकारी कौन हैं ;

(ख) जांच को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मामलों का पता लेखा कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1973 में अपने सामान्य कार्य के दौरान नहीं लगाया जा सका जबकि पहली घटना वर्ष 1970 में हुई थी; और

(घ) वर्ष 1973 में किस व्यक्ति ने इन मामलों का पता लगाया था तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को असाधारण क्षमताएं के लिए पुरस्कृत करने की वांछनीयता क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस जलंधर इस मामले में जांच-पड़ताल कर रहे हैं जिन्हें इस बारे में समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। जांच पड़ताल को शीघ्र पूरा करने के बारे में गृह मंत्रालय से भी कहा जा रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। जैसा 1-3-78 को प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर में बताया गया था कि इन मामलों का पता रक्षा लेखा नियन्त्रक के लेखा कर्मचारियों द्वारा अपनी सामान्य ड्यूटियों के दौरान लगाया गया था इसलिए किसी भी कर्मचारी को कोई इनाम दिए जाने का कोई मामला नहीं है।

पश्चिमपुरी के निवासियों से दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा के बारे में शिकायतें

7339. श्री सूरज भान : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को रोहतक रोड़ पर स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी पश्चिमपुरी नई दिल्ली के निवासियों से अपर्याप्त एवं अनियमित बस सेवा के बारे में लिखित एवं मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों ने 7 फरवरी, 1978 को निवासियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया था कि वर्तमान बस रूट को छोटे से छोटे रूट से बदल दिया जाएगा जिससे वह केन्द्रीय टर्मिनल तक जल्दी पहुंच सके अथवा ऐसा न किए जाने पर केन्द्रीय टर्मिनल से आने जाने वाली भीड़ के लिए सुबह/शाम 3/4 और बसें दी जाएंगी, जैसा कि पहले किया जाता था, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) निगम ने कालोनी के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि जो सुझाव उन्होंने दिया है उसकी जांच की जाएगी।

(ग) पश्चिमपुरी को और वहां से नियमित तथा समयानुसार बस सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिमपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच रूट की लंबाई कम करने की सम्भावनाओं की भी निगम द्वारा जांच की जा रही है।

पश्चिमी क्षेत्र में सुपरतापीय संयंत्र

7340. श्री यशवन्त बोरोले : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम क्षेत्र में राज्यों को बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए सुपर-तापीय संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना किस स्थान पर की जायेगी; और

(ग) वहां से महाराष्ट्र को कितनी मात्रा में बिजली प्राप्त होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा में केन्द्रीय सैक्टर में एक पिटहैड ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना के बारे में सरकार की स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में इस केन्द्र में 1100 मेगावाट की स्थापना की जाएगी पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र सहित संघटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत् की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इस केन्द्र को क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 1100 मेगावाट के प्रथम चरण से महाराष्ट्र को 319 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी।

पोलीस्टर धागा उद्योग

7342. श्री प्रद्युम्न बल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलीस्टर धागे का उत्पादन कितना है और पोलीस्टर फाइबर धागे और कपड़ों का उत्पादन कितने मिल कर रहे हैं और कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में इस उद्योग के विकास की क्या योजना है ;

(ग) क्या पोलीस्टर के कारखाने की स्थापना के लिए सरकार कोई लाइसेंस या अनुमति देती है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसे कितने लाइसेंस दिये गए हैं और ये लाइसेंस किन-किन को दिए गए हैं और उनमें से कितनों ने कारखाने स्थापित कर लिए हैं ;

(घ) क्या पिछड़े राज्यों में इन पोलीस्टर कारखानों की स्थापना के लिए कोई विशेष रियायत दी जा रही है; और

(द्व) क्या बिहार और उड़ीसा में इस उद्योग की स्थापना के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया है और यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन-कौन हैं और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है और यदि नहीं, तो लाइसेंस कब जारी किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वस्त्रों के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की जा रही है । आगामी पांच वर्षों में मानव द्वारा निर्मित रेशे/धागे की विकास योजना भी इसी एकीकृत नीति का एक अंग होगी ।

(ग) जी, हां । पोलिस्टर रेशे का उत्पादन करने के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई भी औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है फिर भी, विद्यमान एककों का विस्तार करने और नए एकक स्थापित करने लिए निम्न आशय-पत्र जारी किए गए हैं :—

एकक का नाम	से (मी० टनों में वार्षिक क्षमता)	तक
1. मै० कैमिकल्स एण्ड फाईब्रीस इण्डिया लिमिटेड	6,100	10,000
2. मै० कैलिको कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स एण्ड फाईब्रिज लिमिटेड	6,100	12,200
3. मै० इण्डियन औरगेनिक कैमिकल्स लि०	6,100	12,200
4. मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	900	6,000
5. मै० पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रिज डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०	—	6,000
6. मै० बोंगेगियन रिफाईनरी लि०	—	20,000

अभी तक किसी ने भी उपर्युक्त अतिरिक्त क्षमता प्राप्त नहीं की है ।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में पोलिस्टर रेशा एकक स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम के अधीन दी जाने वाली रियायतों के अलावा अन्य कोई भी विशेष रियायत नहीं दी जाती है ।

(ङ) बिहार राज्य में पोलिस्टर रेशे का उत्पादन करने हेतु एक एकक स्थापित करने के लिए केवल मैसर्स इंडियन रेयन कारपोरेशन लि० नामक एक फर्म ने ही आवेदन किया था । इस आवेदन पत्र को इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया है कि इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा अभी नीति बनाई जानी है । उड़ीसा में इसका उत्पादन करने के लिए कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

देश में निम्नलिखित 94 मिलों ने पोलिस्टर रेशे धागे और वस्त्रों का उत्पादन किया है :—

राज्य	मिलों की सं०	पोलिस्टर के साथ मिश्रित उत्पादन (हजार किलोग्राम में)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1	14
2. गजरात (क) अहमदाबाद	9	132
(ख) शेष गुजरात	12	188
3. हरियाणा	4	151
4. कर्नाटक	3	16
5. केरल	1	67
6. मध्य प्रदेश	3	385
7. महाराष्ट्र (क) बोम्बे	21	495
(ख) शेष महाराष्ट्र	5	252
8. पंजाब	4	79
9. राजस्थान	7	444
10. तामिल नाडू (क) कोयम्बटूर	8	66
(ख) शेष तामिल नाडू	8	188
11. उत्तर प्रदेश (क) कानपुर	1	25
(ख) शेष उत्तर प्रदेश	2	103
12. पश्चिमी बंगाल	4	111
13. दिल्ली	1	3

कलेंडर वर्ष 1977 में सभी प्रकार के मिश्रित धागे का उत्पादन 880 लाख किलोग्राम हुआ था। इसमें से 420 लाख किलोग्राम मिश्रित धागे का उत्पादन था जबकि पोलिस्टर को या तो सूत के साथ या विसकोज के साथ मिलाया गया था।

HINDI ADVISORY COMMITTEE

7343. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Department; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise:

CASES ENTRUSTED TO C.B.I. BY STATES

7344. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) statewise number of cases entrusted by the Governments of the various States to CBI for an enquiry during the last three years;

(b) the number of cases out of them in which charges were proved; and

(c) the number of cases in which enquiry was not completed and the reasons for suspending the enquiry as also the name of the authority under whose orders it was suspended ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the TABLE of the House.

UNSATISFACTORY WORKING OF CEMENT CORPORATION OF INDIA

7345. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the working of the Cement Corporation of India is not satisfactory and this is the cause for cement shortage which is artificial;

(b) whether like Shipping Corporation of India some social worker will be appointed as Chairman of the same Corporation in order to bring in it more efficiency; and

(c) whether the present Senior Officers of the Corporation are proposed to be replaced by some more competent officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Appointments to top posts in Public Sector Undertakings come within the purview of the Public Enterprises Selection Board and will be governed by the instructions issued by the Bureau of Public Enterprises on the subject.

बहुराष्ट्रीय फर्म द्वारा रेजर ब्लेड ब्रान्ड नाम का प्रयोग

7346. श्री सी० के० चन्द्रप्पन क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक रेजर ब्लेड बहुराष्ट्रीय फर्म को ब्रान्ड नाम का प्रयोग करते रहने की अनुमति देने का निर्णय किया है जिसकी अनुमति फरवरी में समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) किसी भी बहुराष्ट्रीय फर्म को भारत में सेफटी रेजर ब्लेड बनाने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। यदि यह संदर्भ मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जो एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है उससे अन्तर-सम्बन्धित मैसर्स हिन्दुस्तान शार्प एण्ड लिमिटेड से है तो इस सम्बन्ध में यह कथनीय है कि कम्पनी ने व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, 1953 के प्रावधान के अधीन व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रार, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय को फरवरी, 1978 के पश्चात् व्यापार चिह्न "इरास्मिक" का प्रयोग करते रहने हेतु आवेदन-पत्र दिया है। इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है तथा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

त्रिपुरा में विद्युत की कमी

7347. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में (एक) औद्योगिक और (दो) कृषि उपयोग के लिए विद्युत् की अनुमानतः प्रति वर्ष कुल कितनी मांग है और इन प्रयोजनों के लिए कितनी विद्युत् उपलब्ध है तथा इन दोनों में से प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत् की कितनी कमी है ;

(ख) क्या राज्य में विद्युत् की कमी से राज्य के औद्योगिक करण में भारी बाधा आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में विद्युत् सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या वहां एक नया तापीय या अन्य बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) त्रिपुरा में वर्ष 1978-79 के दौरान बिजली की कुल आवश्यकता करीबन 31 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है । उद्योगों और कृषि प्रयोजनों संबंधी आवश्यकता कुल आवश्यकता का क्रमशः लगभग 17 प्रतिशत और 8 प्रतिशत होने की आशा है। वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 27 मिलियन यूनिट कुल ऊर्जा उपलब्ध होने का अनुमान है। बिजली की राशनिंग के लिए विद्युत् विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कृषि उपभोग के लिए विद्युत् की सप्लाई को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। औद्योगिक प्रयोग के लिए कुछ सीमान्त कमी उस स्थिति में हो सकती है जब असम से प्राप्त होने वाली सहायता से इस मांग को पूरा कर सकना संभव न हो । यद्यपि बिजली की कमी से किसी भी राज्य के औद्योगीकरण पर प्रभाव पड़ता है, फिर भी औद्योगिक करण के लिए अन्य बातों की जैसे समुचित अवसंरचना, उद्यमी की कुशलता, धन की उपलब्धता, कच्चे माल इत्यादि की आवश्यकता होती है।

(ग) बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का या तो निष्पादन किया जा रहा है अथवा ये प्रस्तावित की गई हैं :—

(1) गुमटी जल विद्युत् परियोजना से स्थिर ऊर्जा लाभों को 38 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 44 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष करने तथा साथ ही कुछ आनुषंगिक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए गुमटी जलाशय को संचयन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव त्रिपुरा प्राधिकारियों ने भेजा था । इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(2) त्रिपुरा प्राधिकारियों ने गुमटी जल विद्युत् परियोजना में 5 मेगावाट की तीसरी यूनिट की प्रतिष्ठापना के बारे में भी एक प्रस्ताव (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भेजा है। यह तीसरी यूनिट, अवलम्ब यूनिट के रूप में प्रस्तावित है और इससे ऊर्जा का कोई योगदान नहीं मिलेगा।

(3) 1×10 मेगावाट के गैस टर्बाइन विद्युत् संयंत्र की प्रतिष्ठापना के संबंध में इससे पहले आए प्रस्ताव को तकनीकी जांच कर ली गई है तथा गैस की उपलब्धता के बारे में संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टि करवा लेने के बाद इस स्कीम को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह राज्य प्राधिकारियों को दी गई है।

(4) कुछ माइक्रो जल विद्युत् स्कीमों के लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं।

भारत का निर्यात होने वाला सामान

7348. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 8 मार्च, 1978 के आतारांकित प्रश्न सं० 2009 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के 51.5 प्रतिशत की तुलना में सड़क द्वारा पत्तनों तक जाने वाले भारत के निर्यात किए जाने वाले सामान का वर्तमान अंश कितना है;

(ख) सड़क द्वारा लम्बी दूरी तक माल परिवहन, सुविधा के लिए अब तक कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए हैं, और

(ग) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक क्रमशः सड़क द्वारा पत्तन तक जाने वाले भारत के निर्यात-सामान का कितना अंश था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि संबंधित आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये निर्दिष्ट 8150 ऐसे कुल परमिटों में से अब तक लगभग 6700 राष्ट्रीय परमिट दिए गए हैं।

कोंकण यात्री सेवा

7349. श्री बापू साहिब परलेकर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण यात्री सेवा की लाभप्रदता की विस्तृत जांच करने के लिए अगस्त, 1978 में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन दल गठित किया गया था,

(ख) इस अध्ययन दल में शामिल किए गए व्यक्तियों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) क्या इस अध्ययन दल ने कोंकण यात्री सेवा की मुगलसाइन्स द्वारा संचालित जहाजों से किन्हीं स्थानों का दौरा किया और यात्रा की; और

(घ) इस अध्ययन दल द्वारा दिए गए सभी सुझाव क्या हैं ?

नौबहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां ।

(ख) (1) श्री एस० एस० गिल,

अध्यक्ष

संयुक्त सचिव,
नौबहन और परिवहन मंत्रालय,

(2) श्री पी० वी० नायक,

सचिव,
गृह तथा परिवहन,
महाराष्ट्र सरकार ।

(3) श्री वि० वि० मोंगिया,

सचिव,
श्रम तथा उद्योग,
गोवा प्रशासन ।

(4) श्री जे० जी० सग्गी,

प्रबंध निदेशक,
मुगल लाइन्स लि० ।

(ग) अध्ययन दल बैठकें करने के लिए बम्बई गया, परन्तु समुद्री जहाजों से यात्रा नहीं कर सका क्योंकि वर्षाऋतु के कारण उस समय कोंकण यात्री सेवा नहीं चल रही थी ।

(घ) अध्ययन दल ने, भाड़ा ढांचे में युक्तिकरण, डैक श्रेणी के भाड़े में कमी, छात्रों की ग्रुप-बुकिंग के लिए रियायती भाड़ा शुरू करने, बिना भाड़े के सामान ले जाने की रियायत में वृद्धि और बिना टिकट यात्रा करने वालों की कड़ी जांच संबंधी सिफारिश की । उन्होंने यह भी सिफारिश की कि सेवा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को शुरू की जाए और सप्ताह में 6 दिन चलाई जाए जिसमें यात्राओं की संख्या 4 तक सीमित हो (जयगढ़/रत्नगिरी, मूसाकाजी/जैतपुर, विजयदुर्ग, देवगढ़ जहाजों का बीमा किया जाए और कारों और अन्य वस्तुओं को बम्बई से पणजी तथा बंधक माल को पणजी से बम्बई को ढुलाई की संभावनाओं का पता किया जाए ।

उपक्रमों में काम करने वाले श्रेणीवार व्यक्ति

7350. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रत्येक निम्नलिखित उपक्रम में श्रेणीवार (I, II, III और IV) काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

1. भारतीय कपास निगम लिमिटेड;
2. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड;
3. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड;

4. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड;
5. हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड;
6. इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ;
7. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड;
8. माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड;
9. राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ;
10. नागालैण्ड पेपर एण्ड पल्प मिल्स लिमिटेड;
11. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड;
12. नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड;
13. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड;
14. राष्ट्रीय स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड;
15. साम्भर साल्टस लिमिटेड;
16. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की अलग-अलग क्या संख्या है;

(ग) क्या भारत सरकार के रिक्त पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का इन उपक्रमों में भर्ती एवं पदोन्नति के मामलों में पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या बताने वाला विवरण ।

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	प्रथम श्रेणी			द्वितीय श्रेणी		
		ग्रुप 'क' के रूप में वर्गीकृत			ग्रुप ख के रूप में वर्गीकृत		
		कुल कर्मचारी	अ० जा० जन०	अनु० जन०	कुल कर्मचारी	अ० जा० जन०	अनु० जन०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कौटन कारपोरेशन इंडिया लि०	23	—	—	23	1	—
2.	हिन्दुस्तान कैबलस लि०	122	1	—	10	—	—
3.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	177	4	—	27	1	—
4.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म म० कारपोरेशन लि०	168	7	1	161	7	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5. हिन्दुस्तान साल्ट लि०		15	21	2	9	—	—
6. इन्सट्रुमेन्टेन्स लि०		348	21	—	67	2	—
7. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०		71	2	—	82	4	—
8. मान्डय नेशनल पेपर मिल्स लि०		15	—	—	22	—	—
9. नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लि०		73	2	—	107	6	2
10. नागालैण्ड पेपर एण्ड पल्प मिल्स लि०		53	6	—	11	5	—
11. नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	117	8	4	131	10	2	
12. नेशनल इन्सट्रुमेंट्स लि०	43	2	—	45	2	—	
13. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	24	—	—	193	—	—	
14. नेशनल स्माल इण्ड० कारपो०	151	5	—	190	4	—	
15. सांभर साल्ट्स लि०	8	1	—	7	—	—	
16. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लि०	29	—	—	44	1	—	

तृतीय श्रेणी
ग्रुप ग के रूप में वर्गीकृत

चतुर्थ श्रेणी
ग्रुप घ के रूप में वर्गीकृत

कुल कर्मचारी अ० जा० अनु० जन०			कुल कर्मचारी अ० जा० अनु० जन०		
9	10	11	12	13	14
573	23	2	74	17	1
2138	134	35	1910	469	325
340	24	—	163	51	—
1968	354	21	124	67	4
103	9	4	145	20	9
1586	146	—	459	111	—
691	117	7	135	34	3
479	20	—	618	138	—
882	69	2	608	53	8
183	78	—	121	73	—
129	23	2	26	11	1
349	32	1	1012	167	18
660	34	11	1518	315	87
1228	92	7	563	134	10
105	8	—	108	30	—
326	32	—	2639	1255	—

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस बारे में सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ मामलों में, विशेषकर उच्च-स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हैं। पता चला है कि मुख्यतः यह इस वजह से है क्योंकि दुर्भाग्यवश उच्च स्तर के पदों पर नियुक्ति की आवश्यक योग्यताएं रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करें।

असम में सड़क परिवहन की लागत के लिए राज सहायता दिया जाना

7351. श्री अहमद हुसैन : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि असम सरकार ने केन्द्र सरकार से सड़क यातायात के लिए एक अच्छी प्रणाली का विकास करने तथा सड़क परिवहन की लागत के लिए राज सहायता देने की एक योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव की एक प्रति उस संबंध में प्रस्तावित कार्य-बाही सहित सभा पटल पर रखने का है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भौगोलिक दृष्टि से राज्य की स्थिति असविधापूर्ण होने के कारण उसे हानि न हो?

नौबहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस मंत्रालय को राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसद भवन के निकट अकालियों का प्रदर्शन

7352. श्री एस० आर० दामाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 मार्च, 1978 को संसद भवन के निकट अकालियों द्वारा किए गए उस प्रदर्शन का क्या व्यौरा है, जिसमें पुलिस को जलूस पर आंसूगैस छोड़नी पड़ी थी;

(ख) उनकी मांगें क्या थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 22-3-1978 को गुड्डारा बंगला साहब पर एक सभा करने के बाद कुछ छात्रों तथा हरिजनों समेत लगभग 350/400 पंजाब के सिक्ख एक जलूस बना कर चले। पटेल चौक पर पहुंचने पर जलूस वालों ने निर्धारित मार्ग छोड़ दिया और संसद भवन की ओर जाने के प्रयास में पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। चूंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू थी, अतः पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए

अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन 182 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ख) तथा (ग): मांगों में चंडीगढ़ और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के अन्य सटे हुए पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब को हस्तांतरित करना और कुछ अन्य संबद्ध विषय शामिल थे। चूंकि ये सभी विवाद अन्तर्राज्यीय स्वरूप के हैं, अतः सरकार समझती है कि संबंधित राज्य सरकारों के बीच परस्पर सहयोग और सहमति से कोई संतोषजनक हल निकलना चाहिए।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्थान में माल का कम हो जाना

7353. श्री डी० जी० गवई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा चलाये जा रहे स्टोर्स के प्रत्येक इन्चार्ज के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तिमाही में की गई भौतिक जांच पर प्रत्येक तिमाही में कितनी राशि का माल कम गया;

(ख) उक्त कम माल के मूल्य की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) 31 मार्च, 1978 को इस कमी के लिये कुल कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) क्या माल कम हो जाने के कारण इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 2136/78]

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के वेतन से वसूली की जा रही है। वसूली की दर उनके वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) के विवरण में उल्लिखित कमी में से रु० 7,162.00 की राशि की वसूली की जानी बाकी है।

(घ) नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार अभ्यस्त दोषियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है।

ALLOCATION TO BIHAR STATE FOR WELFARE OF SCHEDULED TRIBES

7354. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the population of Scheduled Tribes in Bihar as compared to the population thereof in other States in the country; and

(b) the amount allocated to Bihar for the welfare of Scheduled Tribes as compared to the amount allocated to other States ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) A statement showing the population, according to the 1971 Census, of Scheduled Tribes in Bihar and other States having tribal Sub-Plans, and the amount of Special Central Assistance allocated in respect of the tribal Sub-Plans during 1978-79 is annexed.

STATEMENT

Name of State/U.Ts.	Population of Scheduled Tribes	Amount of Special Central Assistance allocated during 1978-79
	(Figures in lakhs)	(Rs. in lakhs)
Bihar	49.33	975.00
Andhra Pradesh	16.58	253.00
Assam	16.07	325.00
Gujarat	37.34	596.00
Himachal Pradesh	1.42	130.00
Karnataka	2.31	24.00
Kerala	2.69	18.00
Madhya Pradesh	83.87	1 826.00
Maharashtra	29.54	397.00
Manipur	3.34	177.00
Orissa	50.72	960.00
Rajasthan	31.26	327.00
Tamil Nadu	3.12	49.00
Tripura	4.51	105.00
Uttar Pradesh	1.99	17.00
West Bengal	25.33	263.00
A & N Islands	0.18	36.00
Goa, Daman & Diu	0.08	22.00
TOTAL :		6500.00
Reserve		500.00
Grand Total :		7000.00

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बिहार राज्य को नियतन

7354. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बिहार को, अन्य राज्यों को नियत की गई धनराशियों की तुलना में कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार और जनजाति उप-योजनाओं वाले अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और 1978-79 के दौरान जनजाति उप-योजनाओं के बारे में आर्बिट्रिट विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

19 अप्रैल, 1978 की लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7354 के उत्तर में संलग्न विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	1978-79 के दौरान आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि
	(आंकड़े लाख में)	(रु० लाख में)
बिहार	49.33	975.00
आन्ध्र प्रदेश	16.58	253.00
आसाम	16.07	325.00
गुजरात	37.34	596.00
हिमाचल प्रदेश	1.42	130.00
कर्नाटक	2.31	24.00
केरल	2.69	18.00
मध्य प्रदेश	83.87	1826.00
महाराष्ट्र	29.54	397.00
मणिपुर	3.34	177.00
उड़ीसा	50.72	960.00
राजस्थान	31.26	327.00
तमिलनाडु	3.12	49.00
त्रिपुरा	4.51	105.00
उत्तर प्रदेश	1.99	17.00
पश्चिम बंगाल	25.33	263.00
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.18	36.00
गोवा, दमन और दीव	0.08	22.00
जोड़ :		6500.00
रिजर्व		500.00
कुल जोड़		7000.00

मेजर और लेफ्टीनेंट कर्नल के वेतनमानों में असमानता

7355. श्री रामचरण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मेजर और लेफ्टीनेंट कर्नल के वेतनमानों के बीच 150 रु० की असमानता है;

(ख) क्या यह सच है कि एक मेजर 15वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक की सेवावधि में कोई वेतनवृद्धि पाने का हकदार नहीं है;

(ग) गत चार वर्षों से विचाराधीन संक्रमण-सूची के पुनर्विलोकन के बारे में स्थिति क्या है;

(घ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत एजेंसियों जैसे जीवन बीमा निगम और बैंकों ने जब अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि कर दी है तो सेना के अधिकारियों के वेतनमानों पर इसे लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सेना के अतिरिक्त कोई अन्य सेवा है जहां पर वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के वेतनमानों के बीच काफी अन्तर है और इसे तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये रखा गया है। मेजर और ले० कर्नल के अधिकतम वेतनमान में 150 रुपये प्रतिमास का अन्तर है।

(ख) मेजर का वेतनमान सेवा के 10वें वर्ष में 1450 रुपये प्रति मास पर शुरू होता है और सेवा के 18वें वर्ष में 1800 रुपये प्रति मास के अधिकतम पर पहुंच जाता है। जब किसी अफसर के ऊपर उसके जूनियर अफसर को पदोन्नत कर दिया जाता है और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में वह अफसर अपनी सेवानिवृत्ति तक अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन लेता रहता है।

(ग) संक्रमण सूचियों की 1977 में समीक्षा की जानी थी। इन पर विचार किया जा रहा है जब तक समीक्षा पूरी होती है तब तक संक्रमण सूचियों के क्रम में 1-1-1978 से वार्षिक वेतन वृद्धियां मंजूर कर दी गई हैं ताकि संबंधित अधिकारियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

(घ) बैंकों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों को तृतीय वेतन आयोग के विचाराणीय विषयों में सम्मिलित नहीं किया गया था। उन पर अन्य समझौते लागू होते हैं।

(ङ) यह कहना अथवा मानना ठीक नहीं है कि सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिये वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं मानी हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार ही नहीं किया गया बल्कि कुछ दृष्टियों से उनमें सुधार भी किया गया था उदाहरणार्थ कैप्टन मेजर और ले० कर्नल के वेतनमान।

वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के विरुद्ध जांच

7356. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इस समय एक या एक से अधिक वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या जिन जिन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है उनके मंत्रियों की औपचारिक रूप से और अवश्यमेव स्थिति से अवगत रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 17 मामलों के सम्बन्ध में पूछताछ/जांच कर रहा है, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के 14 वरिष्ठ सिविल कर्मचारी अन्तर्गृहीत हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध जिन आरोपों की जांच की जा रही है उनका सम्बन्ध कन्सलटेन्सी सेवाओं के लिये ठेकों के देने, ट्रकों को किराये पर लेने, बस बाडियों के निर्माण, उपस्करों की खरीद तथा उनकी स्थापना के आदि के मामले में जालसाजी अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करके, सरकार को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा फर्मों को आर्थिक अनुचित लाभ पहुंचाने, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने, व्यक्तिगत लाभ के लिये सरकारी पद का दुरुपयोग, सरकारी वाहनों तथा कार्मिकों का दुरुपयोग, टिकटों को बिक्री तथा स्मारिकाओं के लिये विज्ञापन प्राप्त करके धन इकट्ठा करने आदि से है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच आरम्भ करने से पहले अथवा जांच आरम्भ करने के शीघ्र बाद प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार, जो भी संभव हो, सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय के अध्यक्ष को विश्वास में लेता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ज्यों ही किसी मामले को हाथ में लेता है, उसकी रितिरजिस्ट्रेशन रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

SOCIAL RIGHTS AND EQUAL STATUS FOR WOMEN

7357. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are committed to fulfil their promise to give social rights and equal status to women;

(b) whether Central Government have taken any concrete steps to provide protection and assistance to the persons going in for inter-caste marriages; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken in this direction ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Government are committed to a policy of promoting equality of rights between men and women as guaranteed in the Constitution.

(b) and (c) There is no proposal under consideration of the Centre at present to give assistance to persons going in for inter-caste marriages. Existing laws provide adequate protection in such cases.

महिलाओं के लिए सामाजिक अधिकार और बराबरी का दर्जा

7357. श्री रामानन्द तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं को सामाजिक अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने के अपने वायदे को पूरा करने के लिये बचनबद्ध है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता लाने की जैसी संविधान में गारंटी दी गई है, सरकार इस नीति के प्रति कृत संकल्प है।

(ख) तथा (ग) इस समय ऐसे व्यक्तियों को जो अन्तर्जातीय विवाह करते हैं सहायता देने का कोई प्रस्ताव केन्द्र के विचाराधीन नहीं है। ऐसे मामलों में वर्तमान कानून पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं।

सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन चण्डीगढ़ द्वारा कर्मचारियों को पीड़ित किया जाना

7358. श्री भगत राम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि उन सब अभ्यावेदकों को जिन्होंने सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़ प्राधिकरण के विरुद्ध ज्ञापन दिया था सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन के निदेशक के आरोप पत्र लगाकर, सेवा समाप्त कर, स्थानान्तरित कर और अन्य भेदभाव आदि अपना कर उत्पीड़ित किया है;

(ख) क्या ज्ञापन में लगाये गये कुछ आरोप सच पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अनियमितताओं और कदाचार के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या अभ्यावेदकों का पीड़ित किया जाना समाप्त किया गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अभ्यावेदकों के सम्बन्ध में उत्पीड़ित के आरोपों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) सी० एस० आई० ओ० कैंटीन और कल्याणकारी क्लब की व्यवस्था में कनिष्ठ स्तरों पर नियुक्तियों के मामले में कुछ तकनीकी अनियमितताओं को छोड़कर कोई ठोस बात नहीं पाई गई है।

(ग) इन अनियमितताओं के लिये उपचारात्मक उपाय किये गये हैं। फिर भी, इस प्रकार का उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है।

परमाणु रिएक्टर में उपयोग की जाने वाली सामग्री

7359. श्रीमती चन्द्रावती : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु रिएक्टर में कौन-कौन सी सामग्री अथवा धातु उपयोग में लाई जाती है तथा देश में कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध है तथा जिस सामग्री का आयात किया जाता है उस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) क्या इस परमाणु रिएक्टरों की सहायता से अब तक कोई व्यावहारिक अनुसन्धान किया गया है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तारापुर में लगे रिएक्टर की किस्म के रिएक्टर में, समृद्ध यूरेनियम आक्साइड को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

कांडू किस्म के अन्य रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी पानी को मंदक के रूप में काम में लाया जाता है।

(ख) कृषि, आयुर्विज्ञान तथा उद्योगों के लिये आवश्यक रेडियो आइसोटोपों का, उत्पादन और नई सामग्रियों के विकास, रिएक्टर भौतिकी, जल रसायन-विज्ञान, विकिरण से बचाव के काम आदि से सम्बन्ध अनुसन्धान रिएक्टरों में किये जाते हैं।

मैसर्स इंडियन मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कंपनी को किराए में अवांछित छूट देना

7360. श्री सुशील कुमार धारा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडियन मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी को किराये में अवांछित छूट देने का प्रस्ताव एक सांठगांठ के अनुसार कलकत्ता पत्तन न्यास के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की अनुमति लिये बिना ही न्यासियों की बैठक में पास करा लिया गया था और आयातकर्ता, कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारी तथा सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी उस सांठगांठ में मिले हुए थे जैसा कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा उस बारे में जारी किये गये किराया छूट प्रमाणपत्रों से स्पष्ट है,

(ख) क्या यह सच है कि दो सदस्यीय समिति ने जून, 1976 में अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ 74 पैरा 6.15 में यह सिफारिश की थी कि सीमाशुल्क विभाग के प्रमाणपत्रों के आधार पर छूट देने की सारी पद्धति का पुनरीक्षण किया जाये जिससे कि आयातकों को अवांछित लाभ देकर किराये में हानि न हो, और

(ग) प्रस्ताव पर वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की अनुमति के बिना कलकत्ता पत्तन न्यास के सचिव द्वारा उसे न्यासियों की बैठक की कार्य सूची में किस प्रकार सम्मिलित किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इंडियन मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी ने नारियल के तेल पर किराया प्रभारों की छूट के लिये अभ्यावेदन किया। इस मामले में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की टिप्पणियां प्राप्त की गईं और उन्होंने कहा कि जो माल सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जाता, उस पर प्रभारों की छूट देने में उनके कार्यालय को कोई न्यायसंगत बात दिखाई नहीं देती। परन्तु, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी ने घाट किराया छूट प्रमाणपत्र में उल्लिखित अवधि और माल की प्रमाणा के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई। वर्तमान मामले में, पार्टी ने पूरी छूट के लिये अपील की थी और तदनुसार, मामला निर्णयार्थ न्यासी मण्डल के समक्ष रखा गया। ऐसी कोई सांठगांठ नहीं की गई जिसमें आपातकर्ता कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारी और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

जहां तक कलकत्ता पत्तन न्यास की जानकारी है, सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त समाहर्ता द्वारा केवल एक ही प्रमाणपत्र संख्या टी० एम०-591-1/771-क्रम सं० 486, दिनांक 23-8-77 जारी किया गया। प्रमाण पत्र 263 पैकेज के लिये था, जिन्हें माल के 1047 पैकेज में से सीमा शुल्क विभाग द्वारा रोका गया था। दो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत यह अवधि 98 दिनों की थी अर्थात् ड्यूटी निर्धारण के लिये रसायनिक परीक्षण के लिये 18 दिन और इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल औपचारिकताओं के अनुपालन के लिये 80 दिन। परन्तु, प्रमाणपत्र की पत्तन वाली प्रति और पार्टी की प्रति में कुछ अन्तर प्रतीत होता है। एक प्रति में कुछ शब्द जिनमें रसायनिक परीक्षण शामिल हैं कटे हुए हैं और दूसरी प्रति में कटे हुए नहीं हैं। परन्तु, मूल प्रति और वार्फ रैंट एक्सैम्पशन सर्टिफिकेट की प्रति के बीच कोई विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि मूल प्रति और प्रतिलिपि में दिखाई गई अवधि एक ही है और इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल औपचारिकताओं सहित अनुपालन के लिये स्वीकार्य रियायत इस बात को ध्यान में रखे बिना वही है, कि इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल औपचारिकताओं के साथ अनुपालन में रसायनिक परीक्षण शामिल है या नहीं।

(ख) जी हां, इस प्रयोजन के लिये कलकत्ता पत्तन न्यास सीमा शुल्क कलक्टर के साथ बातचीत करता रहा है जिसने स्पष्ट किया है कि बड़ी देर तक रोके जाने के मामले में पार्टी के कारण वार्फ रैंट एक्सैम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिये दिनों की संख्या गिनते समय माल की निकासी में देरी शामिल नहीं होती। न्यासियों के बोर्ड ने कस्टमस सर्टिफिकेट के आधार पर रैंट रियायत सम्बन्धी अन्य पत्तनों में कार्य पद्धति सुनिश्चित करने के बाद उनके दरमान में वर्तमान उपबन्धों की समीक्षा करने का निर्णय किया है।

(ग) बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव शामिल करने के लिये अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की स्वीकृति ली जाती है। इस मामले में, बोर्ड के सम्मुख रखने हेतु प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष ने स्वीकृति दी थी।

PROFIT AND SALE PROCEEDS OF KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI

7361. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

- (a) the total sale proceeds for the year 1977-78 in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;
- (b) the profit earned therefrom;
- (c) whether the major part of the profit earned was spent on social welfare officers; and
- (d) if so, why ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The estimated sales during the financial year 1977-78 was Rs. 2,97,98,000/-.

(b) As the balance sheet has not been prepared it is not possible to state how much profit will be earned.

(c) and (d) Do not arise.

मध्य प्रदेश में चूना पत्थर पर आधारित सीमेंट कारखाने की स्थापना

7362. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले के औद्योगिककरण के बारे में एक पत्र 8 अप्रैल को तत्कालीन मंत्री को लिखा गया था तथा इसमें रीवा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बताया गया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम ने एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस जिले के पिछड़ेपन और वहां उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, अपनी औद्योगिक नीति के अनुसरण में वहां उक्त कारखाना स्थापित करेगी; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में घोषणा कब कर दी जायेगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश के रीवा जिले के औद्योगिककरण के बारे में 8 अप्रैल, को लिखा गया ऐसा कोई पत्र तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु रियायती वित्त प्राप्ति के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले को पिछड़े हुए जिले के रूप में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। रीवा के दो ब्लॉक अर्थात् रीवा तथा रायपुर (गढ़) को भी केन्द्रीय विनियोजन राजसहायता की योजना का पात्र निर्धारित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम से राज्य के रीवा जिले में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

NO COMPENSATION FOR SETTING UP OF J. K. TYRE COMPANY IN KANKROLI, RAJASTHAN

7363. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether due compensation has not so far been paid to the persons whose land had been acquired for the purpose of setting up J. K. Tyre and Tube Factory in Kankroli, District Udaipur (Rajasthan), as a result of which there is great resentment among the people;

(b) whether there was a proposal to provide permanent or temporary employment to some of the persons whose land had been acquired, in the said factory and even that proposal has not so far been implemented; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) Information is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid in the Table of the House.

सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ के निदेशक के विरुद्ध अभ्यावेद

7364. श्री लहानू सिङ्गवाकोम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ डिविजनों के अध्यक्षों एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों और सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ (जे० सी० एस० आई० आर० की एक प्रयोगशाला है) के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटरों सहित अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिकों के आपात स्थिति से पूर्व सी० एस० आई० आर० को यह आरोप लगाते हुए एक अभ्यावेदन दिया था कि सी० एस० आई० ओ० के निदेशक की प्रवृत्ति अधिमयानकवादी है और साथ ही उसमें यह शिकायत भी की गई थी वहां काम करने योग्य परिस्थितियां नहीं हैं तथा वैज्ञानिक कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है;

(ख) उनमें से कितने आयात स्थिति के दौरान इस संगठन को छोड़कर चले जाने के क्या कारण थे और क्या उनके अभ्यावेदन अभी तक विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या उनमें से किसी ने रोष प्रकट करने के लिये देश को छोड़ दिया है और इस संगठन के कार्यकरण और कार्यों के बारे में कोई व्यापक जांच करने की मांग की है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संस्थान के सात वैज्ञानिकों ने महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ में सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में अभ्यावेदन दिया था ।

(ख) इनमें से चार वैज्ञानिकों ने अच्छे भविष्य के लिये सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ छोड़ दिया था । सी० एस० आई० आर० में कोई अभ्यावेदन विचाराधीन नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । फिर भी, सी० एस० आई० ओ०/सी० एस० आई० आर० के अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त किये बिना केवल एक वैज्ञानिक विदेश गया था । यह वैज्ञानिक पहले एक विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश गया था और कई बार निर्देशन भेजने के बावजूद, उसने नियमों के अनुसार बौण्ड नहीं भरा । तत्कालीन उपाध्यक्ष—सी० एस० आई० आर० ने काफी सोच विचार करने के बाद उस वैज्ञानिक को छः माह का नोटिस देकर सेवाओं से मुक्त करने का आदेश दिया था ।

असैनिक कर्मचारियों को सवारी भत्ता

7365. श्री बेरागी जेना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक कर्मचारियों को कारों, स्कूटरों के लिए वैयक्तिक सवारी भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है हालांकि कार्य करने के लिए उनकी आवश्यकतायें असैनिक कर्मचारियों की तुलना में काफी अधिक हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

आदेशों में उन व्यक्तियों को सवारी भत्ते दिए जाने का प्रावधान है जिन्हें अपने मुख्यालय पर या उससे थोड़ी दूरी तक ड्यूटी पर व्यापक रूप से यात्रा करनी होती है और जिनके पास अपनी मोटर कार अथवा स्कूटर होता है ।

(ख) ये आदेश शान्ति क्षेत्रों में काम करने वाले सैनिक अफसरों तथा रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन पाने वाले असैनिक अफसरों दोनों पर ही लागू होते हैं और साथ ही संक्रियात्मक क्षेत्रों में सेवा करने वाले उन कार्मिकों पर भी लागू होते हैं जिन्हें फील्ड सर्विस सम्बन्धी रियायतें नहीं मिलती हैं ।

प्रधान मंत्री द्वारा रक्षा विमान सेवाओं के वायुयानों का उपयोग

7366. श्री के० मालन्ना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा कितनी बार रक्षा विमान सेवाओं के वायुयानों का उपयोग किया गया; और

(ख) क्या इनमें से अधिकांश दौरे चुनाव से पूर्व की अवधि में किये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने गत: छ महीनों में रक्षा विमानों से 28 बार यात्रायें की हैं । इन यात्राओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

मंत्री का नाम	यात्रा का ब्यौरा	
	क्रम सं०	तारीख
श्री मोरारजी देसाई, प्रधान मंत्री	यात्रा का स्थान	
	1.	15-10-77 से 19-10-77 तक
	2.	29-10-77
	3.	29-10-77 से 31-10-77 तक
	4.	4-11-77 से 5-11-77 तक
	5.	13-11-77
	6.	19-11-77 से 21-11-77 तक
	7.	22-11-77
		अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, दांतेवाड़ा
		अहमदाबाद, दिल्ली, अमृतसर
		बम्बई
		जोरहाट, तेजपुर
		जयपुर
		रांची, जसपुर नगर, भोपाल, इन्दौर, धार,
		कस्तूरबा, ग्राम, किला मैदान, उज्जैन
		भटिंडा, आसा भुट्टार

यात्रा का ब्यौरा

मन्त्री का नाम	क्रम सं०	तारीख	यात्रा का स्थान
	8.	30-11-77	हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमानीगुडा, त्रिची, मद्रास
	9.	2-12-77 से 4-12-77 तक	ओजार, आहवा, निझेर, बारडोली, सूरत, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, अहमदाबाद
	10.	9-12-77 से 11-12-77 तक	काठमांडू और पटना ।
	11.	26-12-77 से 28-12-77 तक	बम्बई, पूना, आगरा
	12.	3-1-78 से 4-1-78 तक	अहमदाबाद, गांधीनगर, आनन्द
	13.	8-1-78 से 10-1-78 तक	बम्बई, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनन्द
	14.	13-1-78 से 15-1-78 तक	बम्बई, राजकोट, भावनगर ।
	15.	20-1-78 से 22-1-78 तक	बंगलौर
	16.	4-2-78	जयपुर
	17.	5-2-78 से 7-2-78 तक	हासिमारा, गोहाटी, मिसा, जोरहाट, छाबुआ, कलकत्ता
	18.	8-2-78 से 11-2-78 तक	बम्बई, बंगलौर, कोलार, मंगलौर, मंदा, मैसूर, बेलगांव, हुबली, दावनगेरे, टुंकुर, मद्रास
	19.	19-2-78	तिलपत्त रेंज
	20.	20-2-78	बम्बई
	21.	21-2-78 से 23-2-78 तक	हैदराबाद, नालगोंडा, अनन्तपुर, कुरनूल, सरपुर, कागज नगर, करीमनगर, बारंगल, विजयवाड़ा, काकिनाडा, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापत्तनम, नागपुर
	22.	12-3-78	बंगलौर, कोडम्बाटूर
	23.	21-3-78	ओजार, नवसारि, बम्बई
	24.	31-3-78	पलवल
	25.	1-4-78	पठानकोट, पालमपुर
	26.	2-4-78	कानपुर, करबी
	27.	8-4-78 से 9-4-78 तक	चारबत्तियां, भुवनेश्वर, परुदीप, जयपटना, कोरापुट
	38.	14-4-78 से 15-4-78 तक	अहमदाबाद

आन्ध्र प्रदेश में तटवर्ती मार्ग

7367. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक तटवर्ती मार्ग बनाने का प्रस्ताव किया है; और
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू के निदेशक द्वारा स्कोपेरोन की लाक्षणिक परीक्षा

7368. श्री बलदेव सिंह खतरोतिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू (वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के एक एकक) के निदेशक ने भारतीय औषध नियंत्रक, नई दिल्ली से स्कोपरीन (अति रुधिर तनाव विरोधी और शान्ति और शीतलता पैदा करने वाले तत्वों वाली औषध) की लाक्षणिक परीक्षा की अनुमति प्राप्त की है और सूचित किया है कि यह टैरा टोजेनिसिटी सहित किसी भी विषैले प्रभाव से मुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मिश्रण की लाक्षणिक परीक्षा अभी तक आरम्भ न करने के क्या कारण हैं :

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां।]

(ख) इस बीच, जन्तुओं पर किये गये अन्वेषणों से पता चला कि इन जन्तुओं में कुछ विपचन उत्पन्न हुए। परामर्श करने पर विशेषज्ञों ने इस स्तर पर वैज्ञानिक परीक्षण करने की राय नहीं दी और अन्य किस्म के जन्तुओं पर आगे विरूपजनक अध्ययन करने का परामर्श दिया।

अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति

7369. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संविधान में उचित संशोधन करने का है जिससे हाल ही में नियुक्त अल्प संख्यक आयोग के स्वतन्त्र और सांविधिक स्वरूप की गारन्टी दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सरकार का अल्प संख्यक आयोग को सांविधिक समर्थन प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 350 बी० में संशोधन करने का विचार है।

गत 6 महीनों में हुए अपराध

7370. श्री समर मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 6 महीनों में देश में राज्यवार, हत्या, डकैती, लूटपात, चोरी, दंगे आदि के कितने-कितने मामले हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सपटल पर रख दी जाएगी ।

VERGHESE REPORT ON A. I. R.

7371. SHRI R. L. P. VERMA
SHRI AHMED M. PATEL } Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3012 on the 15th March, 1978 and state :

(a) the justification for implementing the recommendations of the S.I.U. in the Doordarshan while the report of Verghese Committee is under consideration;

(b) the reasons for giving promotions to administrative staff (Director/Assistant Director) and making new appointments in accordance with the S.I.U. recommendations;

(c) the reasons for not giving selection grades to Doordarshan staff artistes (Senior Cameramen, Producer, etc.) and also promotions by the D.P.C.;

(d) whether posts of senior Cameramen Grade I, Senior Producers, are lying vacant in various T. V. Centres and if so, their number; and

(e) the reasons for not providing 20 per cent promotion quota for staff artistes ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The Staff Inspection Unit Report deals with the numerical strength of various categories of functionaries required at a Doordarshan Kendra. The Verghese Committee Report has not gone into this question. Therefore, no clash between two reports which deal with different areas will arise.

(b) The Director and Assistant Station Directors are responsible for managing the services from Doordarshan Kendras. It is not in the public interest to keep these posts vacant.

(c) Selection Grades have already been introduced for nine categories of staff artists posts in Doordarshan where avenues of promotion do not exist. As regards other categories, their recruitment rules are under consideration. If, on finalisation of the recruitment rules, it is found that avenues of promotion are not adequate in certain categories, the question of introduction of Selection Grades would be examined. As regards promotions by the D.P.C., these have also been given in certain categories.

(d) Yes, Sir. Two posts of Cameramen Grade I and three posts of Producer Grade I are lying vacant in Doordarshan Kendras.

(e) Within the categories of Staff Artists there is provision for promotion ranging from 25% to 100%, wherever feasible. The Staff Artists do not get promotion to civil posts.

सीमेंट अनुसंधान संस्थान, बल्लभगढ़ के वर्कशाप में बेकार पड़ी मशीनें

7372. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बल्लभगढ़ स्थित सीमेंट अनुसंधान संस्थान के वर्कशाप में एक इलैक्ट्रान माइक्रो एनेलाइजर तथा एक इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप सहित 16 लाख रुपये की 15 मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सीमेंट अनुसन्धान संस्थान के पास कुल कितनी स्थाई परिसम्पत्तियां हैं तथा उपयोग में आ रही नगद धनराशि कितनी है तथा वर्ष 1976-77 के दौरान कितनी प्रायोजित परियोजनायें पूरी की गई;

(ग) सीमेंट अनुसन्धान संस्थान ने कागज की लुगदी, फ्लाई एश, एस्बेस्टस, लुगदी हाई मैग्नेशियम लाइमस्टोन आदि के लिये क्या प्रक्रियायें अपनाई हैं और ऐसे औद्योगिक उच्छिष्ट तथा कच्ची सामग्री पर आधारित कौन से संयंत्र स्थापित किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) यह सच नहीं है कि 15 मशीनें बेकार पड़ी हैं। किन्तु मशीनों और उपकरणों के उपयोग की सीमा अनुसन्धान और विकास कार्यों पर निर्भर करती है। एक उत्पादन परक कार्यशाला से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। दी इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप अभी हाल में अप्रैल, 1978 के पहले सप्ताह में ही अधिष्ठापित और चालू किया गया है और इस प्रकार इसके बेकार पड़े रहने का, प्रश्न ही नहीं पैदा होता वस्तुतः केवल अधिष्ठापित की प्रक्रिया में ही 100 से अधिक विश्लेषण पूरे किये गये हैं।

सम्भरण कर्त्ताओं की पूरी कोशिश के बावजूद इलेक्ट्रान माइक्रो-एनालाइजर सन्तोषजनक रूप में कार्य नहीं कर सका। बाद में सम्भरणकर्त्ताओं ने और अधिक शक्तिशाली और अधिक उन्नत उपकरण अर्थात् एक इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप का सम्भरण किया और संस्थान द्वारा इलेक्ट्रान माइक्रो एन लाइजर प्राप्त करने और अधिष्ठापित करने पर व्यय की गई में से 67,000 रु० कम करके अर्थात् 3,11,433 रु० शुद्ध राशि को इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप की लागत में समायोजित किया इलेक्ट्रान-माइक्रो-एन लाइजर को इन्स्ट्रूमेंटेशन सम्बन्धी विकास कार्यों के लिये सीमेंट अनुसन्धान संस्थान में रखा गया। उपयुक्त प्रयोगशाला के साथ संस्थान से सम्पृक्त या असम्पृक्त रूप में विकासात्मक कार्यों को करने के लिये उपकरण को हाथ में लेने के लिये बातचीत चल रही है।

(ख) संस्थान की कुल अचल आस्तियां इस तिथि को 3.62 करोड़ रुपये हैं संस्थान के पास उपलब्ध नकद राशि 114 लाख रुपये है जिसमें से मूल्य ह्रास साधारण और प्रति-भूति जमा, कर्मचारियों को ग्रेज्युइटी और अन्य देयताओं के लिये करीब 96 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आरक्षित राशि जो नकद राशि और देयताओं के अन्तर के रूप में है उसमें भारतीय सरकार की अनुदान सहायता के रूप में कुछ नहीं है।

1966 से अब तक संस्थान द्वारा 75 प्रायोजित परियोजनायें पूरी की गई हैं।

(ग) सीमेंट अनुसन्धान संस्थान द्वारा सीमेंट के उत्पादन में कागज स्लज, फ्लाईऐश एस्बेस्टस स्लज और हाई मैग्नेशिया लाइमस्टोन के उपयोग करने सम्बन्धी क्षेत्रों में किये गये वास्तविक कार्यों का उल्लेख संस्थान की अधुनातम वार्षिक रिपोर्ट (जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) में किया गया है।

ये सभी परियोजनायें रोहतास इण्डस्ट्रीज, के० सी० पी० लि०, यू० पी० सीमेंट कम्पनी लि० विश्वेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लि० और केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान जैसे संगठनों से विशिष्ट उद्देश्यों और क्षेत्र के लिये और अलग से भुगतान की गई प्रायोजित परियोजनायें थी। ये प्रमुखतः अलग-2 प्रक्रियाओं की तकनीकी जीव्यता/सम्भाव्यता का मूल्यांकन/संस्थापन करने हेतु थी। सम्बन्धित प्रयोजकों से अभी तक प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि यद्यपि सीमेंट अनुसन्धान संस्थान द्वारा किये गये कुछ अध्ययन आंशिक कार्यान्वयन की चरमावस्था में पहुंच गये हैं फिर भी कुछ अन्य अभी तक उद्योगियों के निर्णय की अपेक्षाओं में विचार विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मदुरै में रेडियो स्टेशन

7373. श्री जी० भुवाराहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और किस वर्ष और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) मदुरै में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को अनवरत योजना 1978-83 में शामिल करने हेतु विचार किया जा रहा है। तथापि, इसका कार्यान्वयन वित्तीय आबंटनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में पुलिस की अपराध शाखा और कंट्रोल रूम के पास वाहनों की संख्या

7374. श्री के० राममूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पुलिस की अपराध शाखा के पास केवल आधी दर्जन वाहन हैं और कंट्रोल रूम में गश्त लगाने के लिये केवल 26 गाड़ियां हैं जिनमें से 15 से अधिक गाड़ियां बेकार हो गई हैं;

(ख) क्या गश्त के लिये अधिक गाड़ियों के लिये बार-बार अनुरोध किया गया है जिसका कोई लाभ नहीं हुआ; और

(ग) यदि हां, तो समुचित गस्त के बिना दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को सरकार द्वारा किस प्रकार सुधारने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) अपराध शाखा के पास 26 वाहन हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के लिये 84 वाहन स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 7 बेकार हो गये हैं।

(ख) कंट्रोल रूम की आधुनिकीकरण योजना के अंग के रूप में जनवरी, 1976 में 34 वाहन स्वीकृत किये गये थे। वित्तीय प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए गुण दोष के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

(ग) अपराध रोकने के लिये कंट्रोल रूम वाहनों द्वारा गश्त लगाई जा रही है तथा जिला पुलिस द्वारा पैदल तथा चलती फिरती गश्त द्वारा उसकी संपूर्ति की जाती है। दिन और रात गश्त लगाने के लिये जिला पुलिस को दिल्ली गश्त पुलिस से कुछ अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गश्त लगाने के लिये 289 मोटर साइकिलें प्रयोग की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस गश्त लगाने के लिये प्रयोग की जा रही है। हाल में घुड़सवार पुलिस की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

WORKING OF POWERLOOMS

7375. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether any guidelines have been laid down to ensure the smooth working of the powerlooms throughout the country;

(b) the names of the States where large number of powerlooms have been closed down because of non-exemption from tax and whether Government propose to give tax exemption to the States which are desirous of it;

(c) if so, the time likely to be taken in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir. However, the Cotton Textile (Control) Order, 1948 and the Textile (Production by Powerlooms) Control Order, 1956, regulates the installation and running of the powerlooms in the country.

(b) No reports have been received from any State Government so far of any large scale closure of powerlooms. The question of giving tax exemption does not arise.

(c) and (d) Do not arise.

पंजाब में एक बड़े उद्योग की स्थापना

7376. श्री बलदेव प्रकाश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है; ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) वर्तमान में पंजाब राज्य में निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :—

- (i) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के अधीन भटिंडा में एक उर्वरक परियोजना, जिसकी नाइट्रोजन बनाने की क्षमता वार्षिक 2,35,000 मीट्रिक टन होगी। परियोजना के सितम्बर, 1978 के अन्त तक चालू किये जाने की आशा है।
- (ii) नांगल उर्वरक एकक की नाइट्रोजन बनाने की वर्तमान 80,000 मीट्रिक टन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2,32,000 मीट्रिक टन तक करने का विस्तार। यह विस्तार योजना पूरी की जा चुकी है तथा परियोजना में जनवरी, 1978 से उत्पादन परीक्षण चल रहा है।
- (iii) माहिबजादा अजीत सिंह नगर में एक सेमी कन्डक्टर काम्पलैक्स स्थापित किया जा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है।
- (iv) 20 लाख घड़ी उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत देश के भिन्न-भिन्न भागों में हिन्दुस्तान मशीन टूल (हिमटू) घड़ी एसम्बल करने वाले एककों की सहायता करेगा। एच० एम० टी० से सहायता प्राप्त इस प्रकार का एक एकक पंजाब राज्य के मोहाली स्थान में स्थापित किया जायेगा।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना (1978-79) में राज्य सरकार के प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा पंजाब इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिये वित्तीय सहायता प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकार ने एक जांच प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिये भी वित्तीय सहायता करने का प्रस्ताव किया है। इस जांच प्रयोगशाला में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिये डिजाइन की सुविधा तथा प्रक्रिया नियंत्रण के लिये सूक्ष्म यंत्रों का विकास करने की ऐसी व्यवस्था होगी जिसे सामान्य उद्यमकर्ता प्रदान नहीं कर सकते। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर जांच करने के उपरान्त, वर्ष 1978-79 की अवधि के लिये बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये 825 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान करने का विचार था।

वर्ष 1977 में पंजाब राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 9 औद्योगिक लाइसेंस तथा 11 आशयपत्र जारी किये गये थे। इनमें से 6 औद्योगिक लाइसेंस तथा 5 आशयपत्र राज्य औद्योगिक विकास निगम को दिये गये थे। उद्योगों का नाम व स्थान आदि सहित आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण 'बीसवीं बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग' तथा 'मन्थली लिस्ट आफ वैटरस आफ इन्टेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग' में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

IMPROPER FUNCTIONING OF A.I.R. TRANSMITTER, INDORE

7377. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the A.I.R. transmitter at Indore has not been functioning properly for the last several months as a result none of the programmes is heard clearly;

(b) whether written and verbal complaints have been made to Government in this regard; and

(c) if so, whether Government propose to look into these complaints ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The 100 KW MW transmitter at Indore, commissioned in June, 1976 functioned normally upto January, 1977. However, from January, 1977 to June, 1977 there were intermittent spells of low power operation due to failure of a number of major and minor components. All the faults have since been rectified and the transmitter is being operated on full power since June, 1977. The quality of transmission is satisfactory.

(b) Yes, Sir.

(c) These complaints have already been looked into and remedial action taken by the Engineering staff at the station with necessary assistance from the Regional Office at Bombay and Headquarters at Delhi.

भूतपूर्व आई० एन० ए० सैनिकों के लिए स्वतंत्रता सैनानी पेंशन के मामले ।

7378. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन श्रेणी से भर्ती किये गये भूतपूर्व आई० एन० ए० सैनिकों के लिए पेंशन के मामलों की सिफारिश करने के लिए सलाहकार समिति का अभी पुनर्गठन किया जाना है;

(ख) क्या यह मामला गत लगभग एक वर्ष से विचाराधीन है;

(ग) क्या इस मामले में जल्दी करने के लिए मंत्रालय को कोई अनुस्मारक दिये गये हैं;

(घ) क्या तमिलनाडू, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के सिविलियन श्रेणी से भर्ती किये गये भूतपूर्व आई० एन० ए० सैनिकों से प्राप्त कई अभ्यावेदन सरकार के पास वर्षों से निलम्बित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार के पास अभी भी ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(च) ऐसे आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिये सरकार सलाहकार समिति का पुनर्गठन कब तक करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क), (ख) तथा (ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) तथा (ङ) 31-3-1978 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है। परन्तु कुछ मामलों को अन्तिम रूप देना संभव नहीं हुआ है क्योंकि आवेदकों ने यातना के अपने दावों के समर्थन में स्वीकार्य दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के 3,235 मामले ऐसे सबूत के अभाव के कारण फाइल कर दिये गये हैं। संबंधित व्यक्तियों को स्थिति की सूचना दे दी गई है।

(घं) इस प्रश्न की पुनरीक्षा की जा रही है कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने की योजना जारी रखी जाए, और यदि हां, तो किस रूप में। पुनरीक्षा पूरी की जाने के बाद भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिए समिति के गठन पर विचार किया जायेगा। इस बीच, लम्बित पड़े आवेदन पत्रों को यथासंभव निपटाने के लिए एक कार्यविधि बनाई गई है और इस कार्यविधि के अनुसार मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सूचना सेवा में प्रचार और जन सम्पर्क पदों को शामिल करना

7379. श्री मनोहर लाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में भारत सरकार के सब मंत्रालयों को एक परिपत्र भेजा गया था जिसमें उनसे केन्द्रीय सूचना सेवा में प्रचार और जन-सम्पर्क पदों को शामिल करने के बारे में सुझाव देने का अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य विभागों/मंत्रालयों ने केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने हेतु जिन पदों का प्रस्ताव किया था उनकी इस मंत्रालय में छानबीन की गई थी और जो पद केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाये गए थे उनके बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति मांगी गई थी जो प्राप्त हो गई है। प्रस्तावों पर इस समय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मामले में संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने और एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की स्क्रीनिंग किए जाने के बाद इन पदों को अन्तिम रूप से केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल कर लिया जायेगा।

EXCHANGE OF FIRE ON INDO-PAK BORDER

7380. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

- how many times fire was exchanged on Indo-Pak border during the last year;
- the reasons therefor;
- the number of persons killed and injured on either side as a result thereof; and
- the action taken to check the recurrence of such incidents and the results thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c) Exchange of fire between our troops and Pakistani troops, occurred along the Line of Actual Control in Jammu and Kashmir on one occasion, on 25th June, 1977. In this incident, eleven

civilians from Pakistan Occupied Kashmir crossed the Line of Control in spite of warnings by our troops. Following a brief exchange of fire between our troops and Pakistani troops, the civilians withdrew towards the Pakistan Occupied Kashmir side of the Line of Control. There were no casualties on either side in this incident.

In addition, there were incidents of firing by Pakistani troops from Pakistan Occupied Kashmir on 21 occasions. The Pakistani firing was ineffective and our troops did not return the fire.

(d) To resolve and prevent such incidents, flag meetings between local commanders are held from time to time as required.

भुगतान न करने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना

7381. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पूर्वी क्षेत्र) को पार्टियों को 50 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा क्योंकि उसने वर्ष 1974-75 और 1975-76 में धनराशि का भुगतान नहीं किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रूई निगम ने अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पूर्वी क्षेत्र) को भुगतान में विलम्ब के कारण उधार पर रूई न बेचने का निर्णय किया है; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्य-कलापों को ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक उद्योग, उड़ीसा में पट्टा पद्धति का समाप्त किया जाना

7382. श्री गणनाथ प्रधान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नमक उद्योग में पट्टा पद्धति को समाप्त करने और श्रमिक सहकारी समितियों को नमक के क्षेत्रों का आवंटन करने के बारे में गंजम साल्ट लेबरर्स यूनियन गंजम, उड़ीसा से कोई शायन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) गंजम डिस्ट्रिक्ट साल्ट मेन्यूफैक्चरर्स यूनियन गंजम ने उद्योग मंत्रालय को दिनांक 10-1-78 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। यूनियन ने इस अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-2 यह

कहा है कि गंजाम जिले में नमक उत्पादन के अंतर्गत अधिकांश भूमि निजी पूंजीधारियों के पास है। अतएव यूनियन ने यह अनुरोध किया है कि निजी पार्टियों का पट्टा समाप्त करने के फलस्वरूप उपलब्ध भूमि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को आवंटित की जाये। अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

कोयले की खपत

7383. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय ऊर्जा खपत का स्वरूप क्या है और उसमें कोयले की प्रतिशतता क्या है;

(ख) देश में कोयले की खपत का स्वरूप क्या है और उसमें गांवों के लोगों के बारे में प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कोयला उद्योग के विकास एवं कृषि अवशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में बचाने एवं वन लगाने के लिए कोयला देश में सामान्यतया और विशेषरूप से गांवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है और उक्त उद्देश्य की प्राप्ति कब तक हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 1975-76 में ऊर्जा की वाणिज्यिक खपत का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार था :—

कोयला (सीधा उपयोग—इसमें विद्युत उत्पादन के लिए किया कोयले का उपयोग शामिल नहीं है)	70.96 मिलियन मीटरी टन*
तेल उत्पाद (ऊर्जा का सीधा उपयोग इसमें आर०बी०एफ० के रूप में तथा विद्युत उत्पादन के लिए तेल उत्पादों के उपयोग शामिल नहीं है)	17.00 मिलियन मीटरी टन**
विद्युत (उत्पादन)	85.92 बिलियन यूनिट***

* विद्युत उत्पादन के लिए किए गए कोयले के उपयोग समेत 94.40 मिलियन मीटरी टन।

** विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त तेल उत्पादों को शामिल करके परन्तु गैर ऊर्जा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त तेल को छोड़कर 20.10 मिलियन मीटरी टन।

*** उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक किया गया उपयोग—66.00 बिलियन यूनिट। कोयला प्रतिस्थापन मूल्य (अर्थात् उपयोगी ऊर्जा) के रूप में प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का भाग 1975-76 में लगभग 36 प्रतिशत था।

(ख) 1975-76 के दौरान कोयले के उपभोग का स्वरूप लगभग निम्न प्रकार था :—

उपभोक्ता क्षेत्र	कोयले का लगभग उपभोग (मिलियन मीटरी टन में)	
	1975-76	1976-77
इस्पात तथा कोक संयंत्र	20.93	21.77
विद्युत उत्पादन	23.44	26.82
रेलवे	14.30	13.12
सीमेंट	4.44	4.72
साफ्ट कोक	3.64	4.29
निर्यात	0.44	0.62
ईंट पकाना	3.34	3.92
उर्वरक	0.93	0.90
अन्य उद्योग	20.48	18.76
कोयला खानों में उपभोग	2.46	3.34
जोड़	94.40	98.26

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए गए कोयले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) देश की ऊर्जा नीति में यह परिकल्पना है कि जहां कहीं व्यवहार्य और मितव्ययी हो वहां कोयला ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा।

ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र है तथा इस ऊर्जा का एक बड़ा भाग, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-वाणिज्यिक ईंधनों से प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश वाणिज्यिक ईंधन लोगों को लगभग बिना मूल्य उपलब्ध होते हैं। घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता की आयोजना करते समय, ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों और समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। देश में व्याप्त वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने की नीति को निम्न प्रकार से निर्देशित करना होगा : (1) गोबर गैस के उपयोग में तेजी से वृद्धि करना, (2) कारगर सामाजिक वन कार्यक्रम अपना कर जलाऊ लकड़ी निरन्तर उपलब्ध कराना तथा (3) साफ्ट कोक के उपयोग के लिए सुविधा जुटाना।

देश में घरेलू ईंधन के रूप में कोयले का प्रचलन करने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनका मुख्य लक्ष्य है घरेलू कोक की उपलब्धता को बढ़ाना

और ढुलाई और वितरण की सुविधाओं में सुधार लाना। देश में घरेलू उपयोग के लिए कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

—कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दो एल० टी० सी० कोक संयंत्र निर्मित किए जा रहे हैं—एक आंध्र प्रदेश में रामाकृष्णपुर में तथा दूसरा पश्चिम बंगाल में दनकुनी में।

—घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग के लिए सावांग वाशरी की वाशरी मिडलिंग्स से डिवोलाटिलाइज्ड ब्रेकिंगों का प्रतिदिन 100 मीटरी टन का निर्माण करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० एक संयंत्र स्थापित कर रही है।

—घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग के लिए पेलेट का उत्पादन करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने एक पेलेट संयंत्र स्थापित किया है।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिस्थापित की जाने वाली ऊर्जा की भारी मात्रा तथा ऐसे प्रतिस्थापन से संबंधित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन केवल धीरे-धीरे ही लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजपथों पर बड़े पुलों पर शुल्क एकत्र करना

5384. श्री अण्णा साहिब गोर्टाखड़े : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजपथों पर बड़े पुलों पर शुल्क एकत्र करते समय इस बात को ध्यान में रख रही है कि इससे यातायात अनुचित रूप से न रुकें;

(ख) क्या सरकार इस शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मशीनों के उपयोग पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है तथा उन सभी पुलों पर इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) संसद् द्वारा पारित राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1977 केन्द्रीय सरकार को 25 लाख रुपये से अधिक लागत के और 1-4-76 को या उसके बाद यातायात के लिए खोले गए राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थायी पुलों पर शुल्क लगाने का अधिकार देता है। परन्तु सरकार को शुल्क एकत्र करने में यातायात की अनावश्यक रुकावट न होने देने की आवश्यकता की पूरी जानकारी है और उद्देश्य यह है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में वसूली केन्द्र खोले जाएं। इस संबंध में उन्होंने प्रस्तावित शुल्क एकत्र करने के लिए यांत्रिक साधनों का प्रयोग करने की व्यवहार्यता की भी जांच की है और जापान जैसे कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों का अध्ययन भी किया गया है, जिनसे प्रकट

होता है कि यह वांछनीय होगा कि यांत्रिक साधनों के माध्यम से शुल्क एकत्र न किया जाए ताकि कभी-कभी यंत्रों के खराब हो जाने की हालत में यातायात को अनुचित रुकावट न हो ।

कार्यालयों में हिन्द का उपयोग

6385. श्री बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू करते समय गैर-हिन्दी क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर हिन्दी लादी नहीं जायगी; और

(ख) यदि सरकार का विचार सरकारी काम काज के लिये हिन्दी लादने का नहीं है तो क्या सरकार गृह मंत्रालय के दिनांक 19 फरवरी, 1976 और 12 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापनों को वापस लेगी जिनमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के क्लर्कों/टाइपिस्टों के लिये हिन्दी टाइप सीखना अनिवार्य किया गया है तथा ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जैसा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 से स्पष्ट है, विशेषकर इसकी धारा 3 से, किसी पर भी हिन्दी लादे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) हिन्दी की तथा हिन्दी टाइपिंग/स्टैनोग्राफी की कक्षाएं कार्यालय समय के बाहर नहीं बल्कि इसी के दौरान विभागीय प्रशिक्षण के रूप में रखी जाती हैं । अतः इन से अनुपस्थिति कार्यालय से अनुपस्थिति मानी जाती है । यह निश्चय ही अनुशासनहीनता है और इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना उचित ही है । अतः इन आदेशों को वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स का विलय

7386. श्री नटवर लाल बी० परमार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स लिमिटेड ने मिलकर एक नया निगम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे क्या लाभ होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय नौवहन निगम में मुगल लाइन्स लिमिटेड का विलय करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित विलय की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में टनभार में अधिक युक्तिसंगत विस्तार करने के लिए।

(ग) इससे निम्नलिखित लाभ होंगे :—

- (1) यात्री जहाजों का अधिक कुशल विस्तार करना;
- (2) सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना;
- (3) अधिकाधिक लाभ के साथ एकीकृत कम्पनी के लिए सामान्य एजसी की व्यवस्था करना;
- (4) खरीद में मितव्ययिता;
- (5) बीमा आपूर्ति में मितव्ययिता; तथा
- (6) ऊपरी खर्चों में कमी करना।

‘मोरेटोरियम आन रिक्लूटमेंट आफ आई० ए० एस० सजेस्टेड’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7387. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ‘हिन्दू’, मद्रास के 15 मार्च, 1978 के अंक में ‘मोरेटोरियम आन रिक्लूटमेंट आफ आई० ए० एस० एजेस्टेड’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती पर अधिस्थगन (मोरेटोरियम आन रिक्लूटमेंट टू दि आई० ए० एस०) का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी प्रशासन में सुधार के लिए, यदि कोई सुझाव आयेगा, तो उस पर सरकार विधिवत विचार करेगी।

तदर्थ हिन्दी अधिकारी

7388. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हिन्दी अधिकारियों को नियमित करने के लिये उनके मंत्रालय ने नवम्बर, 1975 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे, यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों से युक्त योजना पर अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि किन्हीं मंत्रालयों और विभागों ने जब उपरोक्त परिपत्र में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में गृह मंत्रालय से तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हिन्दी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति मांगी तो वह नहीं दी गई; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और अनुमति न देने के क्या कारण हैं और उक्त नियुक्तियों को नियमित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान, ।

हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों आदि के पदों का एक सम्मिलित संवर्ग बनाने की योजना का प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों आदि को 15 नवम्बर, 1975 के पत्र द्वारा भेजा गया था और इस विषय पर तथ्यों की जानकारी तथा उनके विचार आमंत्रित किए गए थे ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी

7389. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अधिकारियों द्वारा अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की अनुमति देने के बारे में वर्तमान नीति में क्या सरकार का विचार परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य नौकाओं (ट्रालर) की आवश्यकताओं के बारे में अनुमान

7390. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978-79 के लिए मत्स्य नौकाओं की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) 1978-79 में गहन समुद्र में काम आने वाली लगभग 80 से 100 मत्स्य नौकाओं की आवश्यकता होगी । ये आकार में 20 मीटर और इससे अधिक लम्बाई की होंगी, इनमें विभिन्न प्रकार की नौकाएं शामिल हैं, जैसे लांग लाइनर्स, पोल एण्ड लाइन वेसल्स, पर्स-सीनर्स, फिश ट्रालर्स आदि ।

AMOUNT SANCTIONED BY R.E.C. FOR U.P.

†7391. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state the amount sanctioned by Rural Electrification Corporation for the Uttar Pradesh State and the number of villages likely to be electrified during the current financial year ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : The Corporation has since its inception in 1969, sanctioned 160 Rural Electrification Schemes in Uttar Pradesh for a total loan assistance of Rs. 90.91 crores. 1650 new villages are likely to be electrified under these schemes during 1978-79.

ट्रेकिंग पार्टियों में जाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी

7392. श्री एस० एस० सोमानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से सहायता प्राप्त दिल्ली माउनटेनियेरिंग एसोसिएशन तथा अन्य एसोसिएशनों द्वारा आयोजित ट्रेकिंग पार्टियों में आने वाले सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को ड्यूटी मानने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निर्णय की घोषणा कब की जायगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) इण्डियन माउनटेनियेरिंग फाउन्डेशन द्वारा अनुमोदित पर्वतारोहण अभियानों सहित, राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय महत्व के स्पोर्टिंग अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 30 दिन तक को विशेष आकस्मिक छुट्टी की अनुमति दी जाती है। यदि दिल्ली माउनटेनियेरिंग एसोसिएशन तथा दूसरी एसोसिएशनों द्वारा ऐसी ट्रेकिंग पार्टियों का प्रबन्ध किया जाता है, जिन्हें आई० ए० एस० का अनुमोदन प्राप्त हो तो, इन में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति के पात्र होंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में यातायात व्यवस्था

7393. श्री लखन लाल कपूर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच व्यवस्थित यातायात व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच नियमित परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अधिकारियों को आवास

7394. श्री बैरागी जैना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अधिकारी परिवार के साथ रहने के कम अवसर और आवास की अत्यधिक कमी के कारण अपने कार्य के स्थान पर अपेक्षाकृत छोटे मकान स्वीकार कर लेते हैं;

(ख) क्या सरकार उन्हें उनके पद के अनुकूल निर्धारित आवास देने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो उनसे पूरा किराया क्यों वसूल किया जा रहा है; और

(घ) सेना के अधिकारियों को आवास सुविधा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आवास की पात्रता और आवंटन रैंक के अनुसार विनियमित किए जाते हैं । जिन अफसरों को सरकारी आवास या किराये पर लिए गए मकान एलाट नहीं किए गए हैं वे स्वयं मकान किराए पर ले सकते हैं और फिर किराये की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं । इसी प्रकार जो जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों के कार्मिक अपने आवास की स्वयं व्यवस्था कर लेते हैं उन्हें क्वार्टरों के बदले मुआवजा (सी० आई० एल० क्यू०) से दिया जाता है । जब सरकारी/किराए पर लिया हुआ निम्न टाइप का कोई खाली मकान आवंटन के लिए उपलब्ध होता है तो उच्च टाइप के हकदार कार्मिक उसके लिए अपना विकल्प दे सकते हैं ।

2. जहां तक किराए की वसूली का संबंध है अफसरों के सभी मामलों में वेतन का पांच प्रतिशत या आवंटित आवास के विशेष टाइप निर्धारित किराया, जो भी कम हो वसूल किया जाता है । यहां तक कि किराया उसी टाइप के आवास के अनुसार लिया जाता है । जो वास्तव में कब्जे में होता है और पात्रता से निचले आवास के लिए उसके मानक किराए के रूप में रियायत दी जाती है । ऐसे मामलों में अधिक किराया वसूल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों को बिना किराये का आवास दिया जाता है ।

3. वित्तीय साधनों की कठिनाइयों के कारण अफसरों तथा अन्य रैंकों के बारे में पारिवारिक आवास की कमी को पहले पूरा नहीं किया जा सका और अभी यह कभी लगभग 50 प्रतिशत है ।

पारिवारिक आवास के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी गई है ताकि 1978-79 से 13 वर्षों के अन्दर इस कमी को पूरा किया जा सके ।

हुगली नदी से गाद को हटाया जाना

7395. श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रेनों की कमी के कारण हुगली नदी से हल्दिया तक गाद को हटाने का काम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि बन्दरगाह की विकास संबंधी परियोजना पर कुछ समय के लिए काम रुक गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौबहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) ग्रेब निकर्षकों की कमी के कारण हल्दिया तक हुगली नदी के ऊपरी भागों में गाद सफाई का काम बंद नहीं हुआ है (संभवतः उल्लेख क्रेनों से नहीं बल्कि ग्रेब निकर्षकों से है) । अधिकांशतः ग्रेब निकर्षकों का प्रयोग जलपाश द्वार पर तथा गोदी पद्धति के अन्दर किया जाता है ।

नदी के उन्हीं भागों में गाद सफाई का काम बलारीबार को छोड़कर, जहां भारी निकर्षण किया जा रहा है, संतोषजनक है ।

हल्दिया गोदी पद्धति की विकास परियोजना में कोई रुकावट नहीं है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में परमाणु वर्कशाप की इमारत का गिर जाना

7396. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में परमाणु वर्कशाप की इमारत 19 मार्च को गिर गई थी;

(ख) हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली की परमाणु वर्कशाप इमारत की छत ही 19 मार्च, 1978 को गिर गई थी न कि सम्पूर्ण इमारत ।

(ख) किसी को चोट नहीं आई । वर्कशाप में लगाई जा रही एक प्रसीजन ड्रिलिंग मशीन को कुछ नुकसान को कुछ पहुंचा है । इस दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि केवल छत का ढांचा गिरने से

ही लगभग 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। समिति की अंतिम रिपोर्ट, जिसके अप्रैल, 1978 के अंत तक मिल जाने की आशा है, प्राप्त होने पर ही कुल नुकसान का पता चलेगा।

(ग) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति ने डिजाइन और स्थल (साइट) का निरीक्षण करने पर प्रारंभिक निष्कर्ष के रूप में यह पाया कि डिजाइन में कुछ खामियां रहीं तथा डिजाइन एवं वास्तविक निर्माण के बीच अंतर भी पाया है।

औद्योगिक विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

7397. श्री कैलाश प्रकाश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में उद्योग अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या संसद सदस्यों को प्रतिवेदन की एक प्रति सप्लाई की जायगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) (ख) तथा (ग) उद्योग मंत्री द्वारा औद्योगिक विनियमों और प्रक्रियाओं विषयक अध्ययन दल का प्रतिवेदन 31 मार्च, 1978 को लोक सभा में रखा गया था। प्रतिवेदन के अध्याय 9 में अध्ययन दल के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सार दिया गया है।

लघु एककों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन

7398. श्री नर्मदा प्रसाद राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग की तुलना में कुटीर और लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भविष्य में सागर डिवीजन में कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं अथवा देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार 14 सहकारी प्रशिक्षण कालेजों तथा एक राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से कुटीर तथा लघु उद्योगों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं में (क) औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों को अंश पूंजी सहायता के लिए निधियों, (ख) ब्याज की रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को ब्याज में राज सहायता और (ग) प्रबन्धक/सचिव के वेतन तथा भत्तों के व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में प्रबन्धकीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन एवं सहायता का यह कार्यक्रम सागर डिविजन के लिए ही उपलब्ध होगा।

आदिवासियों को राहत देने सम्बन्धी योजना

7399. श्री के० प्रधानी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों को राहत देने के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) (ख) और (ग) उपयोजनाओं के अधीन जनजाति विकास के कार्यक्रम राज्यों में चलाया जा रहा है। 1978-79 के लिए राज्य योजनाओं से 344.12 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 65.00 करोड़ रुपए अलग से रख गये हैं। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। कृषि, बागवानी, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार आदि योजनाएँ कार्यक्रमों में शामिल हैं।

विवरण

राज्य उप-योजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन चालू वित्तीय वर्ष (1978-79) के लिए निर्धारित राशि का राज्य बार अलग-अलग विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	राज्य उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	1473.00	253.00
2.	आसाम	1000.00	325.00
4.	बिहार	6525.00	975.00
4.	गुजरात	3350.14	596.00
5.	हिमाचल प्रदेश	590.35	130.00
6.	कर्नाटक	203.00	24.00
7.	केरल*	91.00	18.00
8.	मध्य प्रदेश	6354.00	1826.00
9.	महाराष्ट्र	4851.81	397.00
10.	मणिपुर	1434.00	177.00
11.	उड़ीसा	4751.60	960.00
12.	राजस्थान	1374.00	327.00

1	2	3	4
13.	तामिलनाडू	159.00	49.00
14.	त्रिपुरा	722.50	105.00
15.	उत्तर प्रदेश*	58.00	17.00
16.	पश्चिम बंगाल	1354.60	263.00
17.	अण्डमान व निकोबार द्वीप*	75.00	36.00
18.	गोवा, दमन व दीव*	45.00	22.00
जोड़ :		34412.00	6500.00
रिजर्व :		शून्य	500.00
कुल जोड़ :		34412.00	7000.00

* अस्थाई

HAWKING OF C.S.S. OFFICERS

7400. SHRI GANGA SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a regular system of hawking of CSS officers for appointment to Under Secretary/Deputy Secretary posts;

(b) if so, does it not amount to ignoring the judgment of the DPC's presided over by the UPSC/Senior Secretaries to Government; and

(c) whether the above system has not demoralised the entire service and encouraged canvassing on mass scale ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) No Sir.

(b) and (c) Posts in the Central Secretariat are not reserved for members of any particular Service. Appointments to these posts are made keeping in view the specific requirements of each post and the suitability of all available officers. Eligible C.S.S. officers are duly considered for such posts along with officers of other Central and All India Services on offer for central deputation from their respective cadres.

"DECLARATION OF PUBLIC HOLIDAYS"

7401. SHRI RAM VILAS PASWAN : }
SHRI KESHAVRAO DHONDGE } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be
pleased to state :

(a) the names of leaders whose birthdays have been declared as public holidays;

(b) the names of national leaders whose birthdays are also proposed to be declared public holidays; and

(c) whether Government propose to declare public holidays on birthdays of Dr. Ram Manohar Lohia, Dr. Ambedkar, Dr. Shyamaprasad Mukherjee and Chhatrapati Shivaji ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Only the birthday of Mahatma Gandhi has been declared as a public holiday.

(b) Attention is invited to the Lok Sabha debate of 24th February, 1978 on the Private Member (Shri Samar Guha, MP) Bill asking for a national holiday being declared on Netaji Subhash Chander Bose's birthday during the course of which an assurance was given that request would receive further consideration;

(c) No, Sir.

उत्तर प्रदेश और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

7402. श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योग परियोजना संबंधी योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कितने उद्योगों को शामिल किया गया है; और

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत गढ़वाल डिवीजन में कितने उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में से अल्मोड़ा जिले को ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस जिले में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत 245 लघु औद्योगिक एकक थे।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र की योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिले, जिनमें गढ़वाल प्रभाग (डिवीजन) के जिले भी शामिल हैं, घरेलू, कुटीर ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावस्थाबद्ध रूप में शामिल किया जायेंगे। जिला उद्योग केन्द्र योजना इन क्षेत्रों में उन सभी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए है जो कच्चे माल की उपलब्धता, कुशलता में सुधार तथा नया कौशल का प्रारम्भ, उत्पादों के लिए बाजार आदि जैसे सभी तत्वों के आधार पर संभव हैं।

PAYMENT OF SALARY TO THE EMPLOYEES OF ERSTWHILE SAMACHAR BHARATI

7403. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several months' salary of the employees under the erstwhile Samachar Bharati was in arrears when it was merged with the Samachar; and

(b) the number of such employees and amount which is in arrears ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by 'Samachar' the number of such employees was 92. The amount involved was Rs. 1,60,245.95 which has been fully settled by 'Samachar'.

उड़ीसा में लघु उद्योगों पर रोक

7402. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में किस प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना पर भारत सरकार ने रोक लगाई है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के लिये लघु उद्योगों की स्थापना पर कोई 'रोक नहीं लगाई गयी है। विद्यमान क्षमता तथा दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धि के आधार पर समस्त देश में कुछ प्रकार के उत्पादनों पर रोक लगाई गयी है। पिछड़े क्षेत्रों और उद्योगों के प्रकरण में कुछ उत्पादों को जिनका उत्पादन करने वाले एकक वहां नहीं है अपवाद माना गया है।

APPLICATIONS FOR SETTING UP OF CEMENT INDUSTRIES IN RAJASTHAN

7405. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of applications received by the Central Government for the setting up of cement industry in Rajasthan; and

(b) the number of applications rejected and the main reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) 13 applications have been received during 1977 and 1978 (so far). While in one case a letter of intent has been granted for expansion, in other cases decisions are expected to be taken shortly.

इंचेक टायर्स लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

7406. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंचेक टायर्स लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उपक्रम के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का है अथवा मोटर-गाड़ियों के टायरों की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये सरकार इस उपक्रम को ही अपने अधिकार में लेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क के उपबन्धों के अन्तर्गत मैसर्स इंचेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने से सम्बन्धित एक आदेश 13 अप्रैल, 1978 को जारी किया गया है।

USE OF MANUALS/FORMS HINDI

†7407. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of manuals and forms used in the Ministry/Department;

(b) the number, out of them, translated in Hindi and the number of those published in diglot form;

(c) the reasons for not yet translating or publishing in diglot form the remaining ones; and

(d) the time by which these would be prepared in diglot form ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

जोरहाट में प्रधान मंत्री के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में प्रतिवेदन

7408. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट में प्रधान मंत्री के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में नियुक्त की गई जांच अदालत (कोर्ट आफ एन्क्वायरी) ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पहले दुर्घटना स्थल का मौके पर निरीक्षण करने के लिए एक एयर मार्शल की नियुक्ति की गई थी और अन्तिम क्षण में यह निर्णय रद्द कर दिया गया; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जोरहाट में प्रधान मंत्री के विमान की दुर्घटना की जांच करने वाली जांच अदालत ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जांच अदालत के निष्कर्षों पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मत्स्य नौकाओं का आयात

7409. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 100 मत्स्य नौकाएं आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनके आयात पर कुल कितनी राशि खर्च होगी और इन्हें किन-किन देशों से आयात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) कृषि विभाग ने वर्ष 1977-78 में 109 फिशिंग वैसलों के आयात की मंजूरी दी। 109 नौकाओं (ट्रालरों) का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और जिन देशों से इसे आयात करने की अनुमति दी गई वे हैं:—सिंगापुर, जापान, स्पेन, हालैण्ड, अमरीका, हांगकांग, फ्रांस, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान।

“बार्डर रेड्स इन त्रिपुरा इन्क्रीज” शीर्षक का समाचार

7410. श्री मही लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मार्च, 1978 के “हिन्दुस्तान टाइम्स” में “बार्डर रेड्स इन त्रिपुरा इन्क्रीज” शीर्षक में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उठायी गयी प्रत्येक बात के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और समस्या का सामना करने के लिए क्या उपाये किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार को त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य की जानकारी है कि त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर सीमावर्ती अपराधों में वृद्धि हुई है और सीमा सुरक्षा बल इस समस्या का मुकाबला करने में अपर्याप्त पाया गया है।

(ख) त्रिपुरा बंगला देश सीमा पर सीमावर्ती अपराध में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है और सीमा सुरक्षा बल इस समस्या से पर्याप्त रूप से निपट रहा है। सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों ने सीमावर्ती अपराध को रोकने के प्रबन्धों को अधिक कारगर बनाने के आशय से हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से सीमावर्ती अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनाती की समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया है।

विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

7411. श्री एम० अरुणाचलम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों के लिए विदेश भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कोर्सों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर यथा समय रख दिया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के विदेशों में प्रशिक्षण कोर्सों में प्रतिनियुक्त करने के सम्बन्ध में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं तथा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करती है कि इस सम्बन्ध में ऐसे अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

POLICY IN RESPECT OF APPOINTMENTS IN A.I.R.

7412. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3943 on 22nd March, 1978 and state :

(a) whether experience only in administration and that also not in broadcasting, has been prescribed for appointment on higher posts, such as posts of Director-General and Deputy Director-General in Akashwani and Doordarshan and whether knowledge and pro-

iciency in literature and art have not been given any importance in this regard and if so, the reasons therefor and Governments policy in this regard; and

(b) the number of persons appointed on these posts during the last five years and also the details of their previous association in the field of information and broadcasting ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The posts of Director General and Deputy Director General in Akashvani and Doordarshan are mainly administrative posts. This, however, does not stipulate that experience in broadcasting is not taken into consideration while making appoints to such higher posts in Akashvani and Doordarshan. It is not necessary for persons manning these higher administrative posts to be proficient in a particular literature and art. The recruitment rules for the posts of Director General and Deputy Director General in Doordarshan have not yet been finalised. However, the recruitment rules for these posts in Akashvani are given in Annexure-I.

(b) The number of persons appointed to the posts of Director General and Deputy Director General in Akashvani and Doordarshan during the last five years is as under :—

Director General : 3

(Two of these persons have been working in the AIR for the last about thirty years and, thus, possess considerable experience in the field of information and broadcasting; one person was taken from the Indian Administrative Service).

Deputy Director General : 11

(All these persons have had been working in the AIR for over 20 years and, thus, possess (ed) considerable experience in the field of information and broadcasting).

Deputy Director General (Admn.) :

(All these persons were taken from the Indian Administrative Service).

[Placed in Library. See No. L-T. 2137/78]

सराय रोहिल्ला से केन्द्रीय सचिवालय के लिये बस रूट

7413. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहिल्ला, विवेकानन्दपुरी, दयानन्द कालोनी, बाग कड़े खां आदि से दिल्ली परिवहन निगम बसों के दैनिक यात्री विवेकानन्दपुरी से, जो कि उपरोक्त कालोनियों का केन्द्रीय स्थल है, केन्द्रीय सचिवालय के लिये एक नए बस रूट की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या निगम पार्षद ने इस रूट पर (अर्थात् विवेकानन्दपुरी से केन्द्रीय सचिवालय के लिये) बस सेवा प्रारंभ करने की सिफारिश भी की थी और फिर भी इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और विवेकानन्दपुरी से जहां पर बसों को खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है उक्त रूट पर बस सेवा कब से प्रारंभ की जायगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसमें आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सराय रोहिल्ला और इसके साथ लगने वाले अन्य क्षेत्रों को रूट नं० 91 और 900 पर चलने वाली बसों द्वारा केन्द्रीय सचिवालय से जोड़ा गया है। इन क्षेत्रों को रूट सं० 14 और 157 की बसों द्वारा भी कनाट सर्कस से जोड़ा गया है, जहां से केन्द्रीय सचिवालय तक जाने के लिए अनेक बसें उपलब्ध हैं।

(घ) शहर के सभी इलाकों से केन्द्रीय सचिवालय तक जाने के लिए सीधी बस सेवाओं की व्यवस्था करना निगम के लिए संभव नहीं है, खासकर उस अवस्था में जब कि अनेक स्वीकृत स्थानों पर सुविधाजनक स्थान-बदल की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में जूनियर इनवैस्टिगेटरों का नियुक्त करना

7414. **श्री राम लाल कुरील :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग में एक ही तारीख अर्थात् 4 नवम्बर, 1976 से 22 उम्मीदवारों के जूनियर इनवैस्टिगेटर के ग्रेड में नियमित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये रिक्तियां केवल 1976 में बनायी गयी थीं अथवा विभिन्न वर्षों से पिछली विभिन्न तारीखों से चली आ रही हैं; और

(ग) यदि पिछले वर्षों से चली आ रही हैं, तो अप्रैल, 1974 तथा जुलाई, 1975 में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को जूनियर इनवैस्टिगेटर के पद से सीनियर कम्प्यूटर के पद पर अवनत (रिवर्ट) करने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग में 24 तदर्थ कनिष्ठ अन्वेषकों (जूनियर इनवैस्टिगेटरों) को 4 नवम्बर, 1976 से नियमित किया गया था।

(ख) तथा (ग) यद्यपीय रिक्तियां 1976 से पूर्व के वर्षों के दौरान बनायी गयी थीं लेकिन इन व्यक्तियों को आरंभ में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ अन्वेषक नियुक्त किया गया था। वास्तव में उनमें से अनेक की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अन्वेषकों के पदों के आधार पर नहीं की गयी थी बल्कि वरिष्ठ अन्वेषकों के पदों के आधार पर की गई थी और बाद में उन व्यक्तियों को कनिष्ठ अन्वेषकों के पदों पर, जब भी उपलब्ध हुये, समायोजित किया गया था। तत्पश्चात् तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारशों के आधार पर 4-11-1976 से नियमित किया गया था।

अनुसूचित जाति के दो तदर्थ कनिष्ठ अन्वेषकों को अप्रैल, 1974 तथा जुलाई, 1975 में वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर) के पद पर प्रत्यावर्तन के निम्नलिखित कारण हैं—

(1) छ: वरिष्ठ संगणकों की, जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी था, जलाई, 1973 में कनिष्ठ अन्वेषक के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गयी

थी। अप्रैल/मई, 1974 में जब सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ अन्वेषक उपलब्ध हो गये तो अनुसूचित जाति के कर्मचारी को, कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ, जो वरिष्ठ संगणक के ग्रेड में उससे सीनियर थे, अवनत (रिवर्ट) कर दिया गया था।

- (2) इसी प्रकार छः वरिष्ठ संगणकों की, जिनमें एक अनुसूचित जाति का भी था, मार्च, 1975 में कनिष्ठ अन्वेषक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गयी थी। तत्पश्चात् जुलाई, 1975 में तदर्थ आधार पर नियुक्त एक वरिष्ठ अन्वेषक को कनिष्ठ अन्वेषक के ग्रेड में अवनत (रिवर्ट) किया गया था। तदनुसार उसके लिये अनुसूचित जाति के उल्लिखित तदर्थ कनिष्ठ अन्वेषक को जुलाई, 1975 में वरिष्ठ संगणक के पद पर अवनत (रिवर्ट) किया गया जो तदर्थ आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अन्वेषकों में सबसे जूनियर था।

चपरासियों की भर्ती पर रोक

7415. श्री दिनेश जोरदर
श्री अहमद हुसैन
श्री राम चन्द्र मलिक
श्री बंटेश्वर हेमराम
श्री सुधीर कुमार घोषाल
श्री चिमन भाई शुक्ल
श्री श्याम लाल ग्रूवे
श्री ज्योतिर्मय बसु

: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में चपरासियों के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी रोक पर पुनर्विचार करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील): (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 की उपेक्षित स्थिति

7416. श्री हरिविष्णु कामत : क्या नौबहन और परिबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर को भोपाल होते हुये ब्यावरा तथा नरसिंहगढ़ से मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अत्यधिक उपेक्षित स्थिति में है;

(ख) क्या उस राजमार्ग पर कुछ वर्ष पूर्व कार्य आरम्भ किया गया था और यकायक छोड़ दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस राजमार्ग के महत्व को देखते हुये सरकार का विचार इस राजमार्ग पर फिर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कभी बन्द नहीं किया गया है। परन्तु, पिछले वर्षों में भारी वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रगति कुछ मंद हो गई थी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लुप्त भाग के निर्माण की उच्च प्राथमिकता दी गई है और जून, 1980 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

इस राजमार्ग के भोपाल-नरसिंहगढ़-ब्याओरा भाग पर काम भी प्रगति में है और चालू योजनावधि 1978-83 के अंत तक काम पूरा हो जाने की संभावना है। परन्तु यह सब आगामी वर्षों में किए गए जाने वाले पर्याप्त वित्तीय आवंटनों पर निर्भर करेगा।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में ऊर्जा का उत्पादन

7417. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में इस समय ऊर्जा का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) राज्य में बिजली की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या राज्य में ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करने को सरकार की कोई योजना है;

और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान त्रिपुरा में कुल ऊर्जा उत्पादन 2.11 मिलियन यूनिट प्रतिमास था।

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान त्रिपुरा राज्य में ऊर्जा की कुल मांग 2.34 मिलियन यूनिट प्रतिमास थी।

(ग) तथा (घ) गुमटी जल-विद्युत् परियोजना से स्थिर ऊर्जा लाभों को 38 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 44 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष करने तथा साथ ही कुछ आनुषंगिक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए गुमटी जलाशय को संचयन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव त्रिपुरा प्राधिकारियों ने भेजा था। इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

2. त्रिपुरा प्राधिकारियों ने गुमटी जल विद्युत् परियोजना में 5 मेगावाट की तीसरी यूनिट को प्रतिष्ठापना के बारे में भी एक प्रस्ताव (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भेजा है। यह तीसरी यूनिट, अवलम्ब यूनिट के रूप में प्रस्तावित है और इससे ऊर्जा का कोई योगदान नहीं मिलेगा।

3. 1+10 मेगावाट के गैस टर्बाइन विद्युत् संयंत्र को प्रतिष्ठापना के संबंध में इससे पहले आए प्रस्ताव को तकनीकी जांच कर ली गई है तथा गैस की उपलब्धता के बारे में संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टि करवा लेने के बाद इस स्कीम को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह राज्य प्राधिकारियों को दी गई है।

4. कुछ माइक्रो जल विद्युत् स्कीमों के लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं।

ASKING BIG INDUSTRIES NOT TO MANUFACTURE GOODS WHICH ARE MANUFACTURED BY S.S.I.

7418. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of big industries which have been asked by Government to stop the production of goods being manufactured by them within a prescribed period and start production of other goods in order to encourage small and medium industries in 1977-78;

(b) the reaction expressed by those big industries thereto; and

(c) whether Government have imposed ceiling on the production capacity of some of big industries with a view to fulfil their aim referred to in part (a) above and if so, the names thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHAMAITI) : (a) to (c) Recently in a public speech at Coimbatore, Minister of Industry referred to his talks with the top management people of WIMCO and Hindustan Lever who manufacture matches and soap respectively in which he had informed them that they should over a period of three years phase out their production of these items and diversify their activities. The modalities of this are under discussion with these companies in order to ensure that there is minimum dislocation and no adverse effect on existing employment. It has been made clear that these companies have a role to play but this must be adapted within the framework of Government's new Industrial Policy.

Government have also clarified in para 19 of the Statement on Industrial Policy laid before Parliament by the Minister of Industry on 23rd December, 1977 to the effect that where large scale units, whether belonging to large houses or not, are already engaged in the manufacture of items since reserved for the small scale sector, there will be no expansion in their capacity. On the other hand, the share of these units in the total capacity for these items will be steadily reduced and that of small scale and cottage sector increased.

SECRET MEETING BY FOREIGN ANAND MARGIS IN VARANASI

7419. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Anand Margis who came from abroad, held a secret meeting in Varanasi a few days back and after the meeting they reached Calcutta where police arrested them on suspicion;

(b) if so, how these Anand Margis managed to come here from abroad and succeeded in holding a secret meeting by hoodwinking the police; and

(c) the action taken by Government against the said foreigners ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAI MANDAL) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

इंडो-स्विस ट्रेनिंग सेन्टर में इंस्ट्रक्टरों के पद के लिये चयन

7420. श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ के सम्बद्ध इंडो-स्विस ट्रेनिंग सेन्टर में से इंस्ट्रक्टरों के पदों के लिए चयन करने का तरीका क्या है ;

(ख) इंस्ट्रक्टर के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं और क्या वर्तमान सीनियर इंस्ट्रक्टरों और एसोसिएट इंस्ट्रक्टरों के पास ये अर्हताएँ हैं ।

(ग) क्या श्रेणी एक के पदों पर गैर तकनीकी विषयों को पढ़ाने के लिये इंस्ट्रक्टर नियुक्त किये गये हैं ;

(घ) क्या भाग (ग) में उल्लिखित व्यवस्था से पहले यह कार्य बहुत कम खर्च पर अधिक अर्हता प्राप्त अंशकालिक अध्यापकों द्वारा किया जाता था ; और

(ङ) पुरानी व्यवस्था को छोड़ देने और नियमित आधार पर इन पदों को भरे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पदों को अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। सी० एस० आई० आर० के उपनियमों के अन्तर्गत गठित चयन समितियों की संस्तुतियों पर नियुक्तियाँ की जाती हैं ।

(ख) तकनीकी विषयों का शिक्षण प्रदान करने के लिये इंस्ट्रक्टरों (अध्यापकों) की निर्धारित शैक्षणिक या अर्हताएं इस प्रकार हैं :—

(i) वरिष्ठ इंस्ट्रक्टरों का वेतनमान रु० 1100-50-1600 बी० ई० या संबंधित विषय में उसके समकक्ष योग्यता पांच वर्ष के अनुभव सहित । अथवा संबंधित विषय में डिप्लोमा, किसी संगठन/प्रतिष्ठित संस्थान में सात वर्ष के अनुभव सहित ।

(ii) एसोसिएट (संयुक्त) इंस्ट्रक्टरों का वेतनमान : रु० 700-40-900 बी० ई० बी०-40-1100-50-1300 बी० ई० या संबंधित विषय में समकक्ष अर्हता दो वर्ष के अनुभव सहित या संबंधित विषय में डिप्लोमा पांच वर्ष के अनुभव सहित ।

समस्त कार्यरत इंस्ट्रक्टर निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । लेकिन वर्तमान पूर्ण कालिक इंस्ट्रक्टरों की अपेक्षा अंशकालिक इंस्ट्रक्टर अधिक योग्य नहीं थे ।

(ङ) पूर्ण कालिक इंस्ट्रक्टरों की आवश्यकता केन्द्र में दोहरी पाली की व्यवस्था प्रारंभ होने के उपरांत अनुभव की गई ।

FREEDOM FIGHTERS

7421. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State : (a) the details of the records on the basis of which freedom fighters are being given pensions and whether complete records are available in this regard; and

(b) the total number of freedom fighters in the country and the total amount paid to them as pension annually ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) In the case of those freedom fighters who claim pension on grounds of having suffered imprisonment, reliance is placed on official records such as jail certificates and certificates from District Magistrates. Where jail records have been destroyed or are otherwise not available, co-prisoner certificates from sitting or ex-MPs/MLAs/MLCs are accepted if the applications had been submitted before the last date prescribed viz., 31-3-1974. In Claims of other types of sufferings such as abscondence, internment/externment, loss of job, permanent incapacitation, etc., pension is sanctioned on the basis of evidence from official records like warrants of arrest, proclamation of offender as absconder, orders of internment, dismissal etc. as the case may be.

(b) 2,47,637 applications for the grant of freedom fighters pension have been received upto 31-3-1978, and pension has been sanctioned in 1,16,428 cases. An annual expenditure of about Rs. 24 crores is being incurred on the grant of pension to freedom fighters.

आदिलाबाद और थनदूर, आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के संयंत्र

7422. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में स्थित आदिलाबाद और थनदूर में सीमेंट के संयंत्रों के निर्माण कार्य को बन्द करने के लिये आदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार निर्माण कार्य को धीमी गति से चलाना चाहती है अथवा पूरी तरह से बन्द करना चाहती हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपूर का उत्पादन

7423. श्री उग्रसेन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपूर का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इसका कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कपूर के आयात को उदार बनाने का है तथा इसका देशीय उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) देश में संगठित क्षेत्र में किया गया कपूर का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

1976

902435 कि० ग्रा०

1977

893502 कि० ग्रा०

(ख) चूँकि 6-1-78 से आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है, आयात के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रतिबन्धित आधार पर अर्थात् 6-1-78 से लाइसेंस के मूल्य के 20 प्रतिशत तक वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये कपूर का आयात करने की अनुमति दी गई थी। 1978-79 के लिये बनाई गई आयात नीति की शर्तों के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिये केवल पिछली खपत के आधार पर ही कपूर का आयात अनुमान है। आयात से देश के उत्पादन पर कोई खास प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

DEVELOPMENT OF CHHATISGARH, M. P.

7424. SHRI MADAN TIWARY : Will the Minister of PLANNING be pleased to state : (a) the steps taken by Government for the development of seven districts of Chhatisgarh region in Madhya Pradesh which are inhabited largely by adivasis and harijans and which are very backward from the economic and social point of view;

(b) whether Government propose to appoint any Committee to carry out survey for the all round rural development of these seven districts; and

(c) if so, when and if not, the manner in which Government propose to develop these backward districts ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Scheduled Castes and Scheduled Tribes form about 40.5% of the total population of the Seven Districts of Chhatisgarh. These districts either wholly or partly are covered under the tribal Sub-Plan. Besides, SFDA is operating in some blocks of three of the seven Districts. These programmes are in addition to the development programmes which are being undertaken by the State Government which is primarily responsible for the development of the region.

(b) No, Sir.

(c) The strategy for the development of areas with concentrations of tribal population has been indicated in the Draft Five Year Plan 1978—83.

तारापुर संयंत्र के लिये वैकल्पिक ईंधन

7425. श्री पी० के० कोडियन : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के वर्तमान रवैये को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग का वैज्ञानिक तारापुर संयंत्र का कार्य निरंतर जारी रखने के लिये वैकल्पिक ईंधन का खोज करने पर लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) यूरेनियम और प्लूटोनियम से युक्त मिश्रित आक्साइडों वाले ईंधन को तारापुर परमाणु बिजलीघर के प्रचालन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त करना सैद्धान्तिक रूप से व्यवहार्य समझा जाता है। तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित अध्ययन किए जा रहे हैं, क्योंकि प्लूटोनियम एक बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ है, इसलिए तारापुर परमाणु बिजलीघर के उपयुक्त ईंधन के बंडल बनाने के लिए निर्माण की विशेष तकनीकी और सुविधाओं की जरूरत होगी। इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

NUMBER OF ASSISTANT STATION DIRECTORS PROMOTED AS STATION DIRECTORS

7426. **SHRI RAM MURTI** : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Asstt. Station Directors promoted as Station Directors during the last three years;

(b) the number of Asstt. Station Directors interviewed by the D.P.C. formed during emergency in 1976 and the number out of them promoted as Station Directors;

(c) the names of Asstt. Station Directors with less than two years experience to their credit, who were promoted as Station Directors; and

(d) the reasons for promoting them as Station Directors and the special qualifications of all of them?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) . (a) During the last three years, 65 Assistant Station Directors were promoted as Station Directors in the departmental promotion quota. In addition, five Assistant Station Directors were appointed to various posts in Doordarshan in the same scale of pay as that of Station Directors (Ordinary Grade) in All India Radio.

(b), (c) & (d) Under the existing recruitment rules for the posts of Station Directors (Ordinary Grade), All India Radio, 75% of the posts in this grade are filled by promotion as under :—

- “(i) Assistant Station Directors with 5 years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.
- (ii) Failing (i) above, officers with 10 years service in the grades of Assistant Station Director and Programme Executive combined together rendered after appointment thereto on a regular basis.
- (iii) Failing (i) and (ii) above, officers with 10 years service as Programme Executive either as Ordinary Grade or as Selection Grade or both.”

In terms of (ii) above, 58 Assistant Station Directors were interviewed by the DPC in September, 1976 and a select panel of 42 was made available for promotion as Station Director (Ordinary Grade), All India Radio. 34 of these were promoted as Station Directors in the All India Radio; 4 were appointed to the posts of Officer on Special Duty in Doordarshan and one as Station Director of Base Production Unit, all in the same scale of pay as that of Station Director (Ordinary Grade), All India Radio; one declined promotion and the remaining two retired from service before the implementation of recommendations of the DPC. The following five Assistant Station Directors out of those promoted had rendered less than two years service in the grade when the orders of their promotion as Station Director (Ordinary Grade), All India Radio were issued on 31st December, 1976 :—

- (1) Shri Rajendra Prasad
- (2) Shri M. P. Iele
- (3) Shri C. R. Ramaswamy
- (4) Shri S. P. Vittal
- (5) Shri S. Raja Ram

The officers promoted had been selected in terms of the recruitment rules and on the recommendations of the DPC, presided over by a Member of the UPSC, and were not required to possess any special qualifications as such for being promoted as Station Directors in the departmental promotion quota.

मध्य प्रदेश में “माइक्रो” परियोजनाओं के अन्तर्गत लाये गये आदिवासी खंड

7427. श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में (समेकित आदिवासी क्षेत्र को उपयोजना विकास) “माइक्रो” परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने आदिवासी खण्ड लाये गये ;

(ख) क्या योजना विभाग को पूर्वी नीमाड़ (खण्डवा) मध्य प्रदेश के कलेक्टर से “माइक्रो ” योजना के अन्तर्गत “ खण्डवा की समेकित आदिवासी विकास परियोजना ” का प्रारूप मिला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमति दी गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि खण्डवा “माइक्रो ” योजना 1974-79 की अवधि के लिए तैयार की गई थी परन्तु इस अवधि के दौरान कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को छठी योजना में शामिल करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल):(क) मध्य प्रदेश के चौदह खंड ग्यारह माइक्रो परियोजनाओं में अर्थात् करहल, सैलना, खलवा, महेश्वर, बिचुवा, कुरई, कैसला, कुसुमी, चौकी, घोंदी तथा जयसिंह नगर शामिल किए गए हैं। अब इन्हें समेकित आदिवासी विकास खंडों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) से (ङ) तक खंडवा जिले में खलवा परियोजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है और हरसुद तहसील का उपमंडलीय अधिकारी पदेन परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है। परियोजना क्षेत्र में विकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं। किया गया व्यय 1974-75 में 8.46 लाख रुपए, 1975-76 में 15.07 लाख रुपए, 1976-77 में 21.11 लाख रुपए और पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक 9.63 लाख रुपए था। परियोजना, पंच वर्षीय योजना 1978-83 के अन्तर्गत जारी रखी जाएगी।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में घाटा

7428. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को चालू वर्ष के दौरान काफी घाटा हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यह घाटा मुख्यतः देश की कुछ कम्पनियों द्वारा अपने क्रयादेश रद्द किये जाने के कारण हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को अपने क्रयादेश रद्द किये तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को 1977-78 में हुई हानि की सही मात्रा तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि के लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद मालूम होगी। फिर भी, कम्पनी द्वारा तैयार किए गए अन्तिम लेखों से यह प्रकट होता है कि 1977-78 में इसे लगभग 11 करोड़ रुपये की हानि होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) रद्द/आस्थगित किए गए क्रयादेशों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	रद्द किये गए क्रयादेशों का मूल्य	आस्थगित क्रया- देशों का मूल्य	योग
1.	कोल इण्डिया लिमिटेड	—	777.00	777.00
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	173.40	580.40	753.80
3.	सिगरेनी कोलरी कम्पनी लिमिटेड	87.00	—	87.00
4.	भिलाई स्टील प्लांट लिमिटेड	773.00	—	773.00
		1033.40	1357.40	2390.80

यद्यपि कोयला कम्पनियों ने कोयले के उत्पादन लक्ष्यों में गिरावट के कारण क्रयादेश रद्द/आस्थगित किए लेकिन भिलाई स्टील प्लांट ने अपने प्लांट ले-आउट में परिवर्तनों के कारण एम० ए० एम० सी० लिमिटेड को दिए क्रयादेशों की मात्रा कम कर दी।

राजस्थान में विद्युत विकास के लिये एल्यूमिनियम के तारों की सप्लाई

7429. श्री मीठालाल पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को विद्युत विकास के लिए अपेक्षित एल्यूमिनियम के तारों की सप्लाई नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये तार राज्य को कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ; और

(ग) क्या एल्यूमिनियम के तारों की सप्लाई न होने के कारण राज्य की अधिकांश विद्युत परियोजनाओं पर काम ठप्प पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) कण्डक्टरों के सप्लाईकर्ता सुपुर्दगी के अपने वचनबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई नहीं कर रहे हैं।

(ख) सुपुर्दगी के कार्यक्रम में गड़बड़ी के प्रमुख कारणों में से एक कारण है, ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का उपलब्ध न होना। सप्लाईकर्ताओं ने इस बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं दिया है कि बाकी माल की सप्लाई वे कब तक पूरी कर देंगे।

(ग) सप्लाई में हुई देरी के कारण पारेषण परियोजनाओं की प्रगति को धक्का लगा है।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये योजनाएँ

7430. श्री के० बी० चेतरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए सरकार ने क्या-क्या विभिन्न योजनाएं तथा कल्याणकारी कार्य आरम्भ किये हैं ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों को व्याज की कम दर पर आवास ऋण देना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : आवास राज्य सरकार का विषय है इसलिए मकान बनाने के लिए राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देती हैं।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं तथा उपाय किए हैं :—

- (1) केन्द्रीय सिविल सेवाओं में ग्रुप 'सी०' में 10 प्रतिशत और ग्रुप "डी" में 20 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण ;
- (2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में तृतीय श्रेणी (ग्रुप सी०) में 17½ प्रतिशत और चतुर्था श्रेणी (ग्रुप डी) में 27½ प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण।
- (3) राज्यों के अनेक श्रेणियों के पदों में आरक्षण का भिन्न-भिन्न प्रतिशत।
- (4) संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा/आवेदन-पत्र फीस में छूट।
- (5) विभिन्न व्यवसायों और ट्रेडों में सेवामुक्ति पूर्व और सेवामुक्ति पूर्व एवं सेवामुक्ति के बाद प्रशिक्षण योजनाएं/पाठ्यक्रम।
- (6) भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम मंत्रालय) में एक सेल का गठन।
- (7) भूतपूर्व सैनिकों को तेजी से रोजगार देने के लिए कुछ राज्यों में विशेष सेलों की स्थापना।
- (8) अफसरों को सिविल जीवन में अपने रोजगार/स्वानियोजन के लिए रीओरियन्टेशन प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम।
- (9) मकानों, भूमि, ट्रैक्टरों, वाणिज्यिक वाहनों, पर्यटक टैक्सियों और रेजीमेन्टल दुकानों का आवंटन।
- (10) अपंग कार्मिकों को जय जवान स्टालों और उर्वरक एजेन्सियों का आवंटन।

- (11) लघु उद्योग तथा कृषि-उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता।
- (12) किराएदारों को किराये पर दिए गए मकानों/भूमियों के किराए की वसूली के लिए भूतपूर्व सैनिकों को कानूनी संरक्षण तथा सुरक्षा की व्यवस्था।
- (13) निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था।
- (14) उनके बच्चों/आश्रितों को शिक्षा संबंधी रियायतें।

HANDLOOM EXHIBITION IN NEW DELHI

7431. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the MINISTER OF INDUSTRY be pleased to state whether the Department of Industrial Development of his ministry proposes to organise a Handloom Exhibition in the 'M' pavilion of Pragati Maidan, New Delhi from 24th March, 1978 to 9th April, 1978?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : The Exhibition, entitled 'Handloom Spring Bazaar' was organised from 24th March, 1978 to 9th April, 1978 in the 'M' Pavilion of Pragati Maidan, New Delhi.

BROADCAST OF PROGRAMMES FOR CHILDREN

7432. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the percentage of time allowed to broadcasting news, music, discussion, speeches and humorous skits etc.;

(b) the percentage of time devoted to broadcast catering to children comprising 42 per cent of total population and who are the future generation of the country;

(c) the reasons for not giving preference to programmes relating to social and cultural revolution; and

(d) whether special opportunities, special time as also a special directorate will be set apart for children and the youth?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) During 1977, the percentage of time allowed to broadcasting News, Music and Spokenword, including plays and features, constituted 24.8%, 37.4% and 14.8% respectively.

(b) Programmes for children, both for tiny-tots and for older age group between 6-14, are broadcast from almost all AIR Stations two to three times a week in the regional languages, in Hindi and in English. Special programmes for children in rural areas are also broadcast by some stations. Although the percentage of time devoted exclusively for children programmes works out as only 1.2%, most of the programmes mentioned in (a) above are also of interest to children of various age groups.

(c) and (d) AIR gives preference to programmes with a high degree of special relevance and cultural importance.

There is no special proposal to increase time for broadcasting to children or the youth or to set up any directorate for the same.

राज्यों में निर्माताओं से वसूल किये गये नमक उपकर का अनुचित वितरण

7433. श्री विनोद भाई बी० शेठ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्यों के निर्माताओं से वसूल किये गये नमक उपकर का वितरण उचित ढंग से नहीं किया जाता और वह उन परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाता जिनके लिए वह वसूल किया जाता है ;

- (ख) वसूल किये गये नमक उपकर की कितनी धनराशि सरकार के पास पड़ी है; और
(ग) गुजरात में इस प्रकार के नमक उपकर का कब उपयोग करने का सरकार का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) से (ग): नमक उपकर से होने वाली आय को नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 4 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाता है। नमक उपकर से प्राप्त राशि को विभिन्न राज्यों के बीच बांटा नहीं जाता है अपितु विभिन्न राज्यों में नमक उद्योग केसे संबंधित श्रमिक कल्याण कार्यों तथा विकास करने हेतु इस निधि में से राशि स्वीकृत की जाती है तथा किसी विशेष राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा उस राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या एवं नमक के लिए क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए नमक उपकर से इकट्ठी की गई राशि पहले ही नमक उत्पादक राज्यों जिसमें गुजरात भी शामिल हैं, से संबंधित श्रमिक कल्याण कार्यों पर तथा विकास के लिए प्रयोग की जा रही है। 31 मार्च, 1977 तक नमक उपकर से लगभग 12.82 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग बोर्डों की सहायता से एम० वी० चन्द्रगुप्त जहाज की खोज करना

7434. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० वी० चन्द्रगुप्त नामक जहाज जनवरी, 1978 में प्रशान्त महासागर में डूब गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस जहाज का अब तक कोई पता नहीं मिला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग बोर्डों की सहायता से उक्त जहाज की खोज कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी सीखना

7435. श्री पायस टिर्की
श्री रागावलू मोहनरंगम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वे हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के हों अथवा गैर-हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के, हिन्दी सीखना और उक्त भाषा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी भविष्य में पदोन्नति उक्त भाषा में निर्धारित प्रवीणता प्राप्त करने पर निर्भर करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देने तथा न जानने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

RECRUITMENT OF CLERKS

7436. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of candidates who appeared in the Clerks' Grade Examination conducted by the Subordinate Service Commission in July, 1977;

(b) the number of candidates out of them who qualified the written examination and became eligible for the typing test;

(c) the number of candidates declared successful for appointment so far on the basis of typing test; and

(d) whether candidates qualifying the above examination are proposed to be appointed against the remaining posts of Clerks in the Government Departments where appointments have been made on daily wages and on *ad hoc* basis at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) 54071.

(b) 8394.

(c) (i) For appointment to the Central Secretariat Clerical Service, Indian Foreign Service (B), Railway Board Secretariat Clerical Service, Armed Forces Headquarters' Clerical Service etc....1335

(ii) For appointment to Subordinate Offices....884.

(d) All the 1335 qualified candidates declared successful for appointment to the Central Secretariat Clerical Service and Allied Services will be appointed against the available and anticipated vacancies in the Ministries/Departments concerned and the daily wage and *ad hoc* Clerks who are working there at present will be replaced.

As regards, the 884 candidates declared successful for appointment to Subordinate Offices, nominations are made by the Staff Selection Commission against vacancies intimated by those offices.

छठी योजना में आर्थिक उत्थान

7437. श्री गिरिधर गोमांगो

श्री प्रसन्नभाई मेहता

आर० बी० स्वामीनाथन

} : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने निर्धनों के आर्थिक उत्थान के लिए छठी योजना में क्या नीति अपनाई है ;

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय ढांचे में क्या प्रक्रिया लागू की जायेगी ; और

(ग) निर्धारित धनराशि को समय-बद्ध कार्यक्रमों में समय पर व्यय करने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्रधान उद्देश्य हैं :—बेरोजगारी और काफी कुछ अल्प रोजगार को दूर करना ; जनसंख्या के सबसे अधिक गरीब वर्गों के जीवन स्तर को पर्याप्त उन्नत करना ; और लोगों के इन आय वाले समूहों की कुछ मूल आवश्यकताओं की सरकार द्वारा व्यवस्था ।

अधिक रोजगार सर्जन के लिए प्रस्तावित नीति में कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों, ग्राम और लघु उद्योगों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्र योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । जनसंख्या के लक्षित समूह को मूल सेवाओं के सीधे अंतरण के विशिष्ट कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है । इसके अलावा, गरीबी को दूर करने और असमानताओं को कम करने के लिए इस योजना के प्रारूप में ऐसी अनेक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का प्रस्ताव किया गया है, जैसे, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों का संगठन, जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी सहायता और निवेश की व्यवस्था । इसका व्यौरा योजना दस्तावेज में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : इस योजना में योजना कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रबोधन और कार्यान्वयन के तंत्र और व्यवस्था को, विशेष रूप से खंड और ग्राम स्तर पर, बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव किए गए हैं । क्षेत्र स्तर पर योजना स्कीमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक अभिकरणों का सहयोग लिया जाएगा ।

इसका व्यौरा योजना दस्तावेज में दिया गया है ।

STEAM COAL USED IN INDUSTRIES

7438. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that steam and slaked coal used in industries in short supply and market price thereof has increased considerably;

(b) if so, the reasons for such short supply and increase in prices thereof and whether any steps are being taken to remedy the situation; and

(c) if so, the details thereof and when the situation is likely to be improved ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a), (b) & (c) Large amount of steam and slack coal is available at pitheads. The Central Government has not increased the pithead prices of coal and most of the State Government have also fixed the prices of coal for distribution in their respective States. A close coordination is maintained with the Railways to meet the requirement of consumers.

कर्नाटक में तापीय विद्युत संयंत्र

7439. श्री सी० के० जाफर शरोफ : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना के लिए अपील की है ;

(ख) क्या सरकार ने बिजली की कमी की ओर ध्यान दिया है जिसके कारण राज्य में औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधा आती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मंगलौर या होस्पेट में एक तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक राज्य में बिजली की कमी है। अतः बिजली की वर्तमान उपलब्धता इस राज्य के उद्योगों की सारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) पहली अप्रैल, 1978 से शुरू हुई पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक राज्य के लिए एक ताप विद्युत् केन्द्र का प्रावधान किया गया है। रायचूर में 210 मेगावाट की दो यूनिटों वाले एक ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

रक्षा उपक्रमों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाना

7440. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974, 1975 और 1976 के प्रत्येक वर्ष के दौरान रक्षा उपक्रमों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ख) इन उपक्रमों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विदेशी मुद्रा के संबंध में आंकड़े वित्तीय वर्षों के अनुसार रखे जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों द्वारा निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में अर्जित कुल विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

1974-75	19.64 करोड़ रुपए
1975-76	14.65 करोड़ रुपए
1976-77	29.47 करोड़ रुपए

(ख) ये उपक्रम जो विदेशी मुद्रा कमाते हैं वह सरकारी सामान्य आय होती है और उसका सरकार की सामान्य नीति के अनुसार उपयोग किया जाता है।

DEVELOPMENT OF VILLAGES

7441. SHRI RAM SAGAR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to entrust the responsibility of allround development of a village to each unit with a capital investment of more than rupees 50 lakhs on the basis of one village after every amount of capital investment of rupees 50 lakhs of such units as was done in the case of family planning programme; and

(b) if not, whether Government would consider any such proposal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) No Sir.

LICENCES FOR SETTING UP OF CEMENT INDUSTRIES AT MAIHAR, DISTRICT SATNA IN M.P.

7442. SHRI SHARAD YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of firms which applied for licences for cement factory at Maihar in Satna district (M.P.);

(b) the man-power utilisation capacity indicated in the applications of each firm; and

(c) what contribution this automatic machined factory run by Maihar Cement Company (Century Spinning and Weaving Mills) is likely to make in dealing with unemployment problem of the State and the Division?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Two applications from M/s. Oudh Sugar Mills Limited, New Delhi and M/s. Century Cement Company, Bombay, were received for setting of Cement Plants at Maihar (M.P.). The application of M/s. Oudh Sugar Mills was rejected. A licence was granted to M/s. Century Cement Company for setting up a capacity of 7.5 lakh tonnes per annum which was subsequently revised as 8 lakh tonnes per annum.

(b) The man-power utilization capacity indicated in the applications of M/s. Oudh Sugar Mills Limited and M/s. Century Cement Company, Bombay were 1784 nos. and 1426 nos. respectively.

(c) Presently 1000 to 1200 labourers, most of whom are from within the State, have been engaged by the contractors in various types of construction work connected with the project. The employment potential is expected to increase further when the project actually goes into production.

अपरिष्कृत पटसन का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाना

7443. श्री अमर रायप्रधान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपरिष्कृत पटसन का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर बंगाल और आसाम के सबसे घटिया किस्म के अपरिष्कृत पटसन के अधिकतम मूल्य क्या ह ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां।

(ख) उत्तरी बंगाल तथा आसाम के लिये क्रमशः डब्ल्यू-5 तथा टी० डी०-5 श्रेणी के सफेद तथा टोसा जूट के निर्धारित अधिकतम मूल्य नीचे दिए गए हैं:—

(रुपए प्रति क्वि०)

उत्तरी बंगाल जिला	डब्ल्यू-5	टी०डी०-5
(क) कूच बिहार, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग	181.00	187.00
(ख) पश्चिमी दीनाजपुर तथा मालदा	183.50	189.50
(ग) आसाम	175.00	181.00

अपेक्स कोऑपरेटिव सोसायटी और हथकरघा विकास निगम को सहायता के लिए पश्चिम बंगाल की योजना

7444. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ऐसी योजना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वह अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटियों और हथकरघा विकास निगम की सहायता कर सकेगी ताकि ये संस्थाएं प्राथमिक सहकारी समितियों से हथकरघे से बुने कपड़े के जमा हुए भंडार को खरीद सकें;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसके लिए कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) इस योजना की क्रियान्विति में सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

OFFICERS ON DEPUTATION IN OFFICIAL LANGUAGES DEPARTMENT

7445. SHRI ROOP NATH SINGH YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of officers working on deputation in Official Languages Department for more than five years; and

(b) whether it is proposed to revert them to their parent cadre and fill vacancies from among those Hindi officers working on posts at various levels in the Government of India whose cadre is being created ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) None.

(b) No, Sir.

केसीन का आयात

7446. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे किसानों द्वारा कुटीर उद्योग में केसीन का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में केसीन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और इस वस्तु की कमी नहीं है ;

(ग) क्या केसीन को प्रयोग करने वाले उद्योगों ने कभी इसके कम मूल्य के बारे में सरकार को सूचना दी है और यदि हां तो, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के केसीन के आयात का मामला विकास आयुक्त लघु उद्योग को भेजा था;

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने इस बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं;

(च) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारतीय डेरी निगम को केसीन के आयात की अनुमति दी गई है; अथवा दी जा रही है और

(छ) विकास आयुक्त लघु उद्योग की सलाह के विरुद्ध केसीन के आयात की अनुमति दिये जाने पर उद्योग मंत्रालय का क्या रुख अपनाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) केसीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा प्रयोग करने वाले किसी भी उद्योग ने इसकी कमी के विषय में सूचना नहीं दी है।

(घ) जी हां।

(ङ) इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि बहुसंख्यक लघु उद्योग केसीन का उत्पादन करने में कार्यरत है विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने केसीन के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने की सिफारिश की है।

(च) हां, वर्ष 1977-78 में भारतीय डेरी निगम के माध्यम से केसीन के आयात को प्रणालीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। चालू आयात व्यापार नियंत्रण नीति में विहित प्रतिबंध के अनुसार केसीन का आयात करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1978-79 में केसीन का आयात प्रतिबंधित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रगति

7447. श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रौद्योगिकीय दक्षता उपलब्ध होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रगति की गति बहुत धीमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई सुव्यवस्थित नीति न होने के कारण प्रगति की गति इतनी धीमी है; और

(ग) ये कमियां किन दिशाओं में हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं। समग्रतः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीतियों के संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हो रहा है।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान जाने के लिए यात्री सेवा ।

7448. श्री धर्मसिंहभाई पटेल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौराष्ट्र की जनता के लिये ओखा, पोरबन्दर और भावनगर पत्तनों से पाकिस्तान और अन्य अरब देशों को जाने के लिये यात्री स्टीमर सेवा आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा गया पत्र

7449. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि हरिजनों, गिरिजनों और अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों की मारपीट और तंग परेशान किए जाने की घटनाओं की संख्या को यथासम्भव कम से कम किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र में क्या लिखा है ;

(ग) विभिन्न मुख्य मंत्रियों से यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तो क्या है; और

(घ) भारत में भाई से भाई के खतरे को कारगर ढंग से रोकने और समाप्त कर देने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ग) और (घ) प्रधान मंत्री ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हरिजनों को तंग, परेशान करने, डराने धमकाने, हिंसा करने तथा भूमि के उनके प्लॉटों से उनको बेदखल करने के गैर कानूनी प्रयासों के विरुद्ध उन्हें कानूनी संरक्षण मिले । मुख्य मंत्रियों की अनुक्रिया अनुकूल रही है ।

फौजदारी अपराध, उन अपराधों समेत जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग शिकार होते हैं, फौजदारी अपराध कानून के अन्तर्गत दंडनीय हैं तथा "लोक व्यवस्था" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जो (संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत) राज्य का विषय है । तथापि, केन्द्र राज्य सरकारों के साथ निकट का सम्पर्क बनाए रखती है और ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मूलभूत तत्वों को दूर करने में शिघ्र कार्रवाई करने के लिए और अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध सभी ऐसी शिकायतों पर तथा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को गतिशील करने और उनको संरक्षण प्रदान करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त सुझाव देती है ।

PRODUCTION OF 'PALM COLA'

7450. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the 'Palm Cola' pure drink is proposed to be supplied in plenty by the Khadi and Gramodyog Commission as it has gained much popularity;

(b) if so, the monthly production thereof at present (in bottles);

(c) the extent by which it is proposed to be increased during 1978-79; and

(d) action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (d) Tamil Nadu State Palmgur Federation, functioning under Tamil Nadu State Khadi and Village Industries Board, has standardised Palm Cola beverage. The financial and operational details are being worked out by the Tamil Nadu State Palmgur Federation in consultation with the Khadi and Village Industries Commission. For catering of palm cola to public, the Federation proposes to set up two processing units one at Madras and the other at New Delhi during 1978-79. It is estimated that each Palm Cola unit will require an investment of Rs. 5 lakhs and produce two and half lakhs bottles per month. Further expansion will depend on commercial success of these two units.

हिन्दी अनुवाद सेवा के लिये अखिल भारतीय संवर्ग

7451. श्री राजकेश्वर सिंह }
 श्री रामानन्द तिवारी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
 श्री रामजीवन सिंह }

(क) क्या सरकार हिन्दी अनुवाद सेवा के लिए एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक सास मण्डल) : (क) जी नहीं, हिन्दी अनुवाद सेवा के लिए एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाने पर तो सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन केन्द्रीय सचिवालय के हिन्दी संबंधी पदों को एक सेवा के अंतर्गत लाने पर, विचार अवश्य कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उद्योग को युक्तिसंगत बनाना

7452. श्री सरत कार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रशासनिक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन इस दृष्टि से जुलाई, 1977 में किया गया था कि प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित किया जा सके। धारक तथा सहायक कम्पनियों की भूमिकाएं पुनः

निर्धारित की गई ताकि दिन प्रति दिन के काम में अधिक विकेन्द्रीकरण हो। कोयला कम्पनियों ने विभिन्न प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की पद्धति अपनाई है। इस पुनर्गठन के बाद से कोयला कम्पनियों के कार्यों की सरकार द्वारा नियत समय पर पुनरीक्षा की जा रही है। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो कोयला कम्पनियों के प्रशासनिक ढांचे में और परिवर्तन किया जाएगा।

देश के बाजार में मांग कम होना

7453. श्री रोबिन सेन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश के बाजार में मांग कम होने से औद्योगिक क्षमता का कम उपयोग हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या सरकार देश के बाजार में मांग कम होने से विदेशी बाजार और विदेशी सहायता पर बहुत आश्रित है; और

(ग) यदि हां, तो देश के बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा महुति) : (क) और (ग) कुल मिलाकर आन्तरिक बाजार में मांग कम नहीं हुई है। यद्यपि खास तौर से उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुछ उद्योगों के मामलों में मांग की कमी हो सकती है किन्तु यह सर्वव्यापी सामान्य स्थिति नहीं है।

विकासपरक परिव्यय में वार्षिक बजट और वर्ष 1978-83 के योजना परिव्यय में की गई उल्लेखनीय वृद्धि से अर्थव्यवस्था की आन्तरिक मांग में और अधिक वृद्धि होने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

DISPLAY OF PHOTO OF FORMER PRIME MINISTER

7454. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the photograph of former Prime Minister, Smt. Indira Gandhi is still being displayed in various offices and departments of Government of India as the leader of the nation;

(b) whether such photographs are being displayed in Government offices especially in Maharashtra;

(c) the policy of Government regarding display of such photographs; and

(d) the details of the instructions issued by Central Government to State Governments in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (d) : The view of the Government in this regard is that

it is not necessary to issue any instructions and the matter may best be left to the State Governments or the Heads of Departments to decide whether they should at all exhibit any portraits in the office rooms and if so, of which particular leader, so that no controversy arises out of the display of any portrait. No instructions have, therefore, been issued in this regard and the Government have no information on the photographs displayed in individual offices.

RUSTING OF SPARE PARTS IN D.T.C.

†7455. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

- (a) whether spare parts worth lakhs of rupees are getting rusted in the D.T.C.;
- (b) if so, whether Government are taking steps to make use of them; and
- (c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) D.T.C. has surplus stores of old models which are not in use now. The estimated value of such stores is about Rs. 24 lacs.

(b) & (c) : A Committee of Officers has been appointed by the Corporation to examine all such spares and make recommendations as to which of these can be put to use. Other State Road Transport Undertakings have also been approached to find out whether any of these spares are required by them. On receipt of the information, further action for disposal of the stores which cannot be used in Corporation will be taken.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

7456. श्री दुर्गा चन्द : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको हिमाचल प्रदेश में आरम्भ करने का विचार है और इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लाया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : 1969 में अपने स्थापना के काल से निगम ने हिमाचल प्रदेश को, 19.83 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता की, 43 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के पूर्ण हो जाने पर 7536 नए गांवों का विद्युतीकरण होने की परिकल्पना है।

दादरा और नागर हवेली से पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7458. श्री आर० आर० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली के संघ क्षेत्र से पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) और (ख) : नियमों के अधीन, दादरा और नागर हवेली प्रशासन के पुलिस कर्मचारियों का तबादला सामान्य रूप से क्षेत्र के बाहर नहीं किया जाता है।

LENGTH AND PRICE PRINTED BY PHOENIX MILL NO. 1

7459. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that length and price printed on cloth manufactured by Textile Phoenix Mill No. 1 Bombay are found short and increased, respectively when it is sold in the market; and

(b) whether Government are aware that with a view to evading excise duty by the mill, cloth lengths are cut into pieces and thousands of bales thereof are sold in the name of cut pieces as well as cloth lengths sold during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Government has no such information.

(b) Definitions of cut pieces like 'Chandies', 'Rags' 'Fents' and 'Seconds' have been so framed as to discourage deliberate cutting of piece lengths in order to avoid full duty. Government has no information of any large-scale malpractice of deliberate cutting of piece lengths into small pieces in order to evade full duty.

STOCK OF CLOTH MANUFACTURED BY SEVEN MILLS OF MADHYA PRADESH DURING MARCH, 1977 TO JANUARY, 1978

7460. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the quantum of stock of cloth in all the seven mills of Vastraudyog Nigam Madhya Pradesh (Textile Corporation Madhya Pradesh) manufactured during the period from March, 1977 to January, 1978, separately and the basic reasons therefor;

(b) whether it is a fact that the policy for the sale of cloth has been laid down by Madhya Pradesh Textile Corporation itself and this power has been taken away from the Sales Manager of each mill and if so, the reasons therefor; and

(c) the value of the cloth of the mills of the Corporation mill-wise, sold in 1975-76 and 1976-77 indicating the names of the parties to which this cloth was sold and the period after which payment thereof was made and the number of such parties which have not taken delivery of consignments after the purchase of the cloth and whether the sold goods were taken back and the loss suffered by the Corporation thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) : A statement is attached.

(a) Mill-wise position of stocks of cloth as on 31st January, 1978 is as under :—
(Quantity in bales)

Name of the Mill	Stock as on 31-3-77	Packed/Delivered during the period from 1-4-77 to 31-1-78		Stock as on 31-1-78
		Packed	Delivered	
Indore Malwa	5933	32835	34259	4509
Kalyanmal	4414	19276	19244	4446
Swadeshi	3887	17796	16199	5484
Hira	4831	19879	19626	5084
New Bhopal	1151	10450	10039	1562
Burhanpur	1500	22262	20590	3172
Bengal Nagpur Cotton	4387	18275	17016	5646
	26103	140773	136973	29903

The increase of 3800 bales includes 1949 bales of controlled cloth awaiting release orders giving an increase of only 1851 bales which is approximately 1.3% of the packed cloth.

(b) From January, 1977, sale of cloth by National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Ltd. is effected by a Committee consisting of General Manager, Sales Manager of the concerned mill, Manager (Marketing), Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the NTC (M.P.) Ltd.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के लिये मांगी गई अनुमति

7461. श्री सोगत राय } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री प्रद्युम्न बल }

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने दो और परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएंगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

DAILY WAGES IN UNITS OF BHEL

7462. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of those BHEL units where most of the work is got done by contractors on contract basis and some officers indulge in malpractices in collusion with the contractors; and

(b) whether it is a fact that the contractors employ workers on a daily wage of Rs. 5 and claim at the rate of Rs. 5.50 from Jhansi Unit of BHEL and if so, the action taken to check such malpractices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) BHEL engage sub-contractors mainly for machining and fabrication which is in accordance with the Government policy to encourage the growth of ancillary and small scale industries. Furthermore, the Power Projects and Service Division of BHEL looks after the erection and commissioning of BHEL's equipment, chiefly for power generation plants, spread all over the country. The main construction and erection work at site in such cases has necessarily to be done either through the State Electricity Board concerned or through contractors employing local labour, according to the terms of the contract. No specific cases have come to light where officers are stated to have indulged in the alleged malpractices.

(b) The BHEL, Jhansi, does not employ contractors for normal production. During the construction phase, some contractors had been employed but no malpractices such as have been alleged were reported. In such cases where labour contracts are awarded for construction phase, surveillance is kept to ensure that the contractor pays his labour the minimum stipulated wage. In addition, it is also stipulated that the contractor has a suitable group insurance scheme to cover any possible risk of accident.

श्री गणेश कोहली द्वारा आत्मदाह

7463. श्री रामधारी शास्त्री } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा }

(क) क्या सरकार का ध्यान 30-1-78 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ग्वालियर सुई-माइड—एम० पी० मिनिस्टर टूमिट राम शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ग्वालियर के कर्मचारी श्री गणेश कोहली की आत्महत्या के मामले पर उनके साथ बातचीत की थी और यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सच है कि श्री कोहली ने इसलिए आत्महत्या की थी कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक परामर्शदाता से सम्बद्ध कार्मिक निदेशक ने उन्हें धमकी दी थी कि वह उनके रिश्तेदार के विरुद्ध जिन्हें श्री कोहली की उपेक्षा करके वरिष्ठता और पदोन्नति दी गई थी, अभ्यावेदन न दें;

(घ) क्या यह भी सच है कि रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक श्री सुकुमारन ने भी आत्महत्या की थी, यदि हां, तो उनकी मृत्यु के बारे में जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार वैज्ञानिकों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने के लिए तैयार है जिसमें संसद सदस्य तथा इन प्रयोगशालाओं के कार्यभार न रखने वाले रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हों?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार का सम्बंध रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, ग्वालियर के भूतपूर्व कर्मचारी श्री गणेश कोहली द्वारा की गई आत्म-दाह से है उन्होंने अक्टूबर, 77 में त्याग पत्र दे दिया था। इस मामले की राज्य सरकार द्वारा एक स्वतन्त्र न्यायिक जांच करवाई गई है और इसकी रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा भी जांच की गई है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी हां, चूंकि मामले की जांच की जा रही है इसलिए जब तक जांच परिणाम मालूम नहीं हो जाते तब तक इस बारे में कोई कारवाई नहीं की जा सकती है।

(ग) यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि उन्होंने आत्महत्या इसलिए की कि वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन निदेशक कार्मिक ने धमकी दी थी कि वे अपने अतिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन न दें।

(घ) श्री टी० वी० सुकुमारन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I (थल सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार के साथ सम्बद्ध) ने जून 1977 में आत्म-हत्या मानसिक तनाव के कारण की थी। उनके मामले में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई फिर भी उन परिस्थितियों का

पता लगाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक सलाहकार इस घटना के तुरन्त बाद शोक सन्तप्त परिवार से भेंट करने स्वयं गए और अधिकारी के संबंध में उपलब्ध रिकार्डों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। ऐसा मालूम हुआ कि अधिकारी कई वर्षों से मनोवैज्ञानिक समस्याओं से प्रसित था जिसके कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न हो गई थी।

(ड) जी नहीं। वैज्ञानिकों को अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए अनेक स्टाफ चैनल खुले हैं और जब आवश्यक होता है, सभी मामलों की स्वतन्त्र रूप से जांच करवाई जाती है।

आपात स्थिति के दौरान निलम्बित किये गये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बहाली

7464. श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री जी० एम० बनतवाला }

(क) क्या यह सच है कि आपात काल के दौरान दिल्ली पुलिस के डी० आई० जी० द्वारा 21 सितम्बर, 1976 को इस आशय का सरकारी आदेश जारी किया गया था कि हैड कांस्टेबल और ऊपर के रैंक सहित कोई भी पुलिस अधिकारी यदि किसी मामले की विषय वस्तु और उसके सार के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जायेगा और मीसा के उपबन्ध को लागू किए जाने सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेशों के अधीन आपात स्थिति के दौरान ऐसे कितने पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को निलम्बित किया गया और कितने व्यक्तियों को मीसा के अधीन गिरफ्तार किया गया; और

(ग) क्या ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों को इस बीच नौकरी पर बहाल कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :: (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

DEVELOPMENT OF NEW BULLETS BY USA

7465. SHRI YADAVENDRA DUTT : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the Indian Express dated the 15th March, 1978 to the effect that U.S.A. has developed some new bullets which are called 'Kinetic Energy Penetrator';

(b) if so, whether Government of India will also manufacture these bullets for their Army because their production does not violate the rules governing Nuclear Non-proliferation rules; and

(c) if so, when and if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c) Yes, Sir.

Government attention has been drawn to the news report referred to. Whilst it would be possible to manufacture this item, there are no plans to do so at present or the reason that this is not indispensable for our armed forces.

अण्डमान में थाई राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

7466. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान सरकार ने उनके मंत्रालय को कोई रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि हाल में ही गिरफ्तार किए गए थाई राष्ट्रिक वहां पर गत दो वर्षों से रह रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस द्वीप में उन्हें बिजली एक जेनेरेटर द्वारा सप्लाई की गई थी और उन्हें समस्त सप्लाई एक भारतीय राष्ट्रिक के माध्यम से होती थी ;

(ग) इस रिपोर्ट का अन्य ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ;

(घ) उस भारतीय राष्ट्रिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे लोगों का, जो वहां बिना किसी प्राधिकार के गत दो वर्षों से रह रहे हैं, पता न लगाने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अण्डमान प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है कि थाई राष्ट्रिक वहां पर गत दो वर्षों से रह रहे हैं ।

(ख) ऐसी कोई सूचना ध्यान में नहीं आई है ।

(ग), (घ) तथा (ङ) 31 जनवरी, 1978 को तिल्लाचांग के आसपास से मछली पकड़ने वाला एक जलयान, एक सिस्टर बोट तथा एक आउटबोट पकड़ी गई थी । इन नौकाओं में 74 व्यक्ति थे जिनमें 12 औरतें तथा 28 बच्चे थे । वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए थे जिन्होंने 49 को 6 महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया । 12 वर्ष से कम आयु के शेष 25 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था । नौकायें जब्त कर ली गई थीं ।

अण्डमान प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार थाई राष्ट्रिकों ने निकोबार द्वीप समूह के एक निर्जन द्वीप तिल्लाचांग में दस अस्थायी झोंपड़ियां बना ली थीं । ये झोंपड़ियां हाल में (लगभग एक माह पहले) बनाई गई थी तथा इन को तहसीलदार के पर्यवेक्षण में अब गिरा दिया गया है ।

SHIFTING AND LOSSES IN ASHOK PAPER MILL, HALAGHAT (BIHAR) TO ASSAM

7467. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a good number of machine belonging to Ashok Paper Mill, Halaghat (Bihar) have been shifted to Assam whereas pulp comes there from Assam and there was a scheme to manufacture everything from pulp to paper in Bihar and whether land was acquired and buildings etc. constructed in that proportion;

(b) whether the said mill is incurring losses to the tune of lakhs of rupees due to non-commissioning of pulp factory and the building as well as land is lying idle; and

(c) whether Government propose to set up a pulp factory at that place and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Ashok Paper Mills was originally planned in the early 1960s as an integrated pulp and paper mill with a capacity of 18,000 tonnes per annum to be set up at Darbhanga in Bihar. The project ran into various financial difficulties and after a lapse of nearly 10 years, the State Governments of Bihar and Assam decided to take it up as a joint venture with units at Jogighapa in Assam and Rameshwarnagar in Bihar. The project was suitably revised and reorganised to set up an integrated pulp and paper mill, with a capacity of 40,000 tonnes of pulp and 27,000 tonnes of paper in Assam and a paper mill with an annual capacity of 13,500 in Bihar respectively based on pulp to be supplied by the sister unit in Assam. The Bihar unit would also have a rag pulping plant of about 5,000 tonnes per annum capacity. The installation of equipment at the two units was carried out in accordance with the requirements of this scheme.

(b) The Bihar unit of Ashok Paper Mills was commissioned in 1976 and the machinery is being stabilised and production improved gradually. The unit is presently obtaining supply of sufficient pulp to achieve production according to full capacity, but supply of power to a sufficient extent has not been continuous.

(c) The unit was originally planned to utilise bagasse and sabai grass but adequate quantity of these raw materials were not found to be available on a sustained basis. It was for this reason that the revised scheme envisaged supply of pulp from the Assam unit. However, the company are reported to be examining the prospects of undertaking an expansion scheme at Rameshwarnagar including the setting up of a pulp mill, and in this connection, the question of adequate availability of different raw materials, viz. bamboo, bagasse, sabai grass etc. is being pursued with the State Government authorities.

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

7468. श्री बसन्त साठे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या सामाजिक और कानूनी नियन्त्रण लगाये गए हैं जिससे उक्त एकक सामाजिक प्रयोजन उत्तरोत्तर पूरा कर सकें ।

(घ) क्या यह सच है कि उक्त फर्मों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियमित कार्य के लिये अनुबन्धित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) (ख) तथा (ग) भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश तथा विदेशी कंपनियों की भागीदारी के बारे में सरकार की नीति उद्योग मंत्री द्वारा 23 सितम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखी गई औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 24, 25 तथा 26 में स्पष्ट की गई है ।

(घ) तथा (ङ) बहुत से उद्योगों तथा सेवाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काम कर रही हैं । इन कम्पनियों द्वारा किए गए कार्य की सीमा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

7469. श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री जी० एम० बनतलबाला }

(क) क्या यह सच है कि देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और वह विश्व मंडी में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है ;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिकी के सामान के निर्यात को बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और संख्या क्या हैं। और इसके निदेश-पद क्या हैं ; और

(घ) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) यह सच है कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग को विश्व के बाजार में कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 1970-71 में हुए 3 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात के मुकाबले वर्ष 1977-78 में 37 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इस समिति के गठन, इसके विचारार्थ विषयों और अन्य विवरणों पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा नई परियोजनाओं के लिये मंजूर की गई राशि

7470. श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री ज्योतिर्मय बसु }

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चालू वर्ष में लगभग 33 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता पर 99 नई परियोजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का लाभ किन-किन राज्यों को पहुंचेगा ; और

(ग) इस योजना के अधीन प्रारम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशक मंडल की 15 मार्च, 1978 को हुई बैठक में कुल 3530.578 लाख रुपए की ऋण सहायता की, 19 राज्यों की 99 नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। पिछले वर्षों में स्वीकृत की

गई 7 स्कीमों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश को 49.560 लाख रुपए की अतिरिक्त ऋण सहायता भी अनुमोदित की गई थी।

(ख) इनसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, जाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को लाभ मिलेगा।

(ग) व्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[प्रयालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2138/78]

ASSISTANCE TO MAHARASHTRA FOR COTTON MONOPOLY SCHEME

7471. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the nature of assistance sought by the Government of Maharashtra for the cotton monopoly scheme in the State;

(b) the action taken by the Centre thereon;

(c) whether an all party delegation met the Prime Minister and the Commerce Minister seeking assistance for making the above scheme a success;

(d) if so, the demands made by them and action taken by Government to meet those demands; and

(e) the policy of the Centre in regard to the above scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (e). The State Government of Maharashtra requested the Government of India for issue of suitable instructions to the Reserve Bank of India for release of institutional credit of Rs. 60 crores during 1977-78 for running the scheme. The Reserve Bank of India did not agree to extend the financial assistance unless the monopoly character of the scheme is given up. Members of Parliament, Representatives of cotton growers and Members of Board of Directors of Maharashtra State Cooperative Bank had called on the Minister of Commerce last year urging for the continuance of the scheme. Some of the representatives also had met the Prime Minister in this connection. Government of Maharashtra suspended the operation of the scheme as a monopoly scheme from 17th August, 1977 till 30th June, 1978.

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू और कश्मीर के निदेशक द्वारा "वासी साइन" इंजेक्शनों रोगियों पर लाक्षणिक परीक्षण

7472. श्री बलदेव सिंह जरोतिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू और कश्मीर (वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक एकक) के निदेशक ने औषध नियंत्रक और रोगियों को सहमति बिना "वासीसाइन" (एकटोडा वासिका का एक क्षारतत्व) के इंजेक्शनों से रोगियों पर लाक्षणिक परीक्षण किए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं। फिर भी, क्षेत्रीय अनुसंधान, प्रयोग-शाला, जम्मू से उल्लेख (उद्धरण) प्राप्त होने के पश्चात् जम्मू मैडीकल कालेज द्वारा औषधालय परीक्षण क्रियान्वित किए गए थे।

(ख) चूंकि औषध का निर्माण आयुर्वेदिक आधार पर किया गया है, इसलिये नियंत्रक की सहमति आवश्यक नहीं है।

निगरानी में रखे गये पाकिस्तानियों का जामनगर से भाग निकलना

7473. श्री आर० जी० स्वामीनाथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सात पाकिस्तानी जो जामनगर शहर में गत चार महीनों से पुलिस की निगरानी में रखे गए थे 23 मार्च, 1978 को भाग गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) इन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में अपने घर तथा परिवारों में वापस जाने की बार-बार अपनी उत्सुकता व्यक्त की थी परन्तु चूंकि राजनियम माध्यम से उनके औपचारिक देश-प्रत्यावर्तन का प्रबंध करने के लिए उनके नाम पाकिस्तान सरकार को भेजे गए थे, अतः विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अन्तर्गत गुजरात राज्य प्राधिकारियों द्वारा उनकी गति-विधि जामनगर तक सीमित रखने के लिए उन्हें आदेश दिए गए थे। वे पुलिस की निगरानी में नहीं थे। उन्होंने इन निरोधात्मक आदेशों की अवज्ञा की और 17 मार्च 1978 को जामनगर से चले गए। चूंकि संबंधित पाकिस्तानियों द्वारा निरोधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया गया था तथा चूंकि उन पर निगरानी नहीं थी अतः सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गए हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

PER CAPITA GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

†7474. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV }
SHRI SURENDRA JHA SUMAN }

Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the per capita consumption of electricity in India, China, Japan, U.S.A. and Britain and the quantum of electricity in Kilowatt generated in each of these countries in a year;

(b) the State-wise quantum of electricity, in thousands of kilowatt, generated in India and the per capita consumption of electricity in each State; and

(c) the funds allocated and provided in the budget for 1977-78 and 1978-79 for generation of electricity for each State ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The per capita consumption of electricity, gross energy generation and installed generating capacity

for the year 1975 in respect of China, Japan, USA and United Kingdom and the corresponding data for India for 1975-76 are given below :—

Country	Per capita generation kWh**	Per capita consumption kWh	Gross generation million kWh	Installed capacity MW
China	153	N.A.	126,000	N.A.
Japan	4,288	3,832*	475,794	112,285
USA	9,396	8,487	2,000,916	524,270
United Kingdom	4,855	4,166	272,219	78,911
India	143	110	85,926	22,249

*for 1974

**takes into account net import-export.

(b) State-wise installed capacity, gross generation and per capita consumption of electricity in India for 1976-77 is given in Statement at Annexure I.

(c) Outlays approved by Planning Commission for generation schemes during 1977-78 and 1978-79 are given in the Statement at Annexure II.

STATEMENT I

Statement showing installed plant capacity in utilities, Gross Energy Generation and per capita consumption for the year 1976-77

State/U.T.	Installed capacity MW	Gross Generation (M.KWH)	Per capita consumption (KWH)
1	2	3	4
Andhra Pradesh	1200.43*	4938.49	78.3
Assam	166.50	586.00	32.7
Bihar	784.39	2465.35	88.7
Gujarat	1720.44	6361.33	191.9
Haryana	616.96	2913.80	174.2
Himachal Pradesh	52.48	188.98	62.0
Jammu & Kashmir	101.98	308.41	57.8
Karnataka	1144.80	5380.50	147.6
Kerala	1014.60	3150.96	92.8
Madhya Pradesh	895.42	4459.00	88.7
Maharashtra	2616.37	12712.69	199.0
Manipur	10.07	16.59	9.3
Meghalaya	68.02	178.16	40.2
Nagaland	2.02	0.30	30.8
Orissa	923.12	3094.40	105.8
Punjab	999.32	4216.23	241.0
Rajasthan	580.66	2456.42	81.0
Tamil Nadu	1764.00	4928.51	148.8
Tripura	14.88	12.77	8.2
Uttar Pradesh	2498.90	9639.70	85.9
West Bengal	1384.62	5165.13	121.4
D.V.C.	1301.50	5244.95	—
Central Government Projects	1646.00	8328.72	—
Delhi	297.00	1568.59	336.2

STATEMENT II

Approved outlays on Generation Schemes 1977-78 & 1978-79

(Rs. in crores)

Sl. No.	States	1977-78	1978-79
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	103.25	120.90
2.	Assam	33.10	37.36
3.	Bihar	28.80	41.31
4.	Gujarat	41.84	44.62
5.	Haryana	32.57	32.64
6.	Himachal Pradesh	8.15	11.99
7.	Jammu & Kashmir	8.62	7.65
8.	Karnataka	49.50	60.15
9.	Kerala	9.40	12.53
10.	Madhya Pradesh	88.00	96.78
11.	Maharashtra	164.53	171.29
12.	Manipur	0.43	1.58
13.	Meghalaya	5.60	2.75
14.	Nagaland	0.43	0.55
15.	Orissa	36.81	32.06
16.	Punjab	41.60	46.12
17.	Rajasthan	14.45	18.71
18.	Sikkim	0.19	0.18
19.	Tamil Nadu	53.21	67.28
20.	Tripura	1.45	0.55
21.	Uttar Pradesh	148.78	131.79
22.	West Bengal	73.48	72.25
TOTAL STATES		944.09	1011.04

लघु उद्योगों के लिये राशि का नियतन

7475 श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के बजटों में लघु उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई ;

(ख) इन लघु उद्योगों के क्या नाम हैं जिनके लिये जनता सरकार ने गत वर्ष के दौरान आधार-शिलायें रखीं और कहां-कहां रखी अथवा उन लघु उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके लिये आधार-शिलायें रखने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सहरसा देश में एक मुख्य पटसन उत्पादक जिला है परन्तु वहां पटसन का अथवा किसी अन्य मद का उत्पादन करने का कोई लघु उद्योग अथवा बड़ा उद्योग नहीं है और क्या सरकार का विचार पिछड़े तथा अविकसित सहरसा जिले में लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना तैयार करने का है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वर्ष 1978-79 में लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय बजट में 29.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1977-78 के लिए 20.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

(ख) गत एक वर्ष में जनता सरकार ने कोई भी लघु उद्योग स्थापित नहीं किया है किन्तु उद्यमियों ने उद्योग स्थापित किए हैं। वर्ष 1977 में आरम्भ किए गए तथा राज्य उद्योग निदेशालय के पास पंजीकृत एककों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1977 में राज्यों में आरम्भ किए गए तथा राज्य उद्योग निदेशालय के पास पंजी-यित किए गए नए एकक :—

राज्य	वर्ष 1977 में आरम्भ किए गए एकक
आंध्र प्रदेश	2169
आसाम	105
बिहार	1632
गुजरात	1331
हरियाणा	809
हिमाचल प्रदेश	265
जम्मू एण्ड कश्मीर	प्राप्त नहीं हुई
कर्नाटक	1222
केरला	982
मध्य प्रदेश	1696
महाराष्ट्र	1267
मणिपुर	59
मेघालय	14
नागालैण्ड	20
उड़ीसा	539
पंजाब	1709
राजस्थान	1242
सिक्किम	जानकारी नहीं है।
तमिलनाडु	4744
त्रिपुरा	93
उत्तर प्रदेश	2198
पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं हुई।
अरुणाचल प्रदेश	53
चंडीगढ़	70

1

2

दादरा एण्ड नागर हवेली	कुछ भी जोड़ा नहीं गया।
दिल्ली,	711
गोवा, दमन एण्ड द्वीप	135
मिजोरम	5
पांडिचेरी	145
योग	23415

(ग) पटसन सहरसा जिले की मुख्य फसलों में से एक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सहरसा जिले में 13 मुख्य उद्योग वर्गों से संबंधित लघु एकक हैं अर्थात् खाद्य उत्पाद, हौजरी, तथा सिले सिलाये वस्त्र, लकड़ी का सामान, कागज उत्पाद तथा छपाई, चमड़ा उत्पाद, रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद रसायन तथा रसायन उत्पाद, अधात्विक खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद, मशीनरी तथा पुर्जे (विद्युत मशीनों को छोड़ कर), बिजली की मशीनें तथा हिस्से पुर्जे, विविध उद्योग तथा मरम्मत एवं सर्विसिंग। लघु उद्योगों के गहन विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्रों की एक विशेष योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत देश के सभी जिले आ जायेंगे।

फिल्म डिवीजन के लिये प्रोड्यूसरों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया

7476. श्री सौगत राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक्-पृथक् जोन में फिल्म डिवीजन के अधीन वृत्त-चित्रों के लिये प्रोड्यूसरों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया क्या है।

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये गए हैं कि उसमें नए उत्साही ग्रुपों को प्रोत्साहित किया जाये; और

(ग) क्या ऐसी परियोजना के लिये उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी): (क) और (ख) सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की गठित एक पैनल समिति स्वतन्त्र प्रोड्यूसरों के पैनल सभी रीजनों के समेकित पैनल का इस दृष्टि से हर वर्ष पुनरीक्षण करती है कि उन प्रोड्यूसरों जिनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा हो या जो फिल्म प्रभाग की टेंडर सम्बन्धी पूछताछों का उत्तर न देते हों, को निकाला जा सके। पैनल समिति नए स्वतन्त्र प्रोड्यूसरों के आवेदनों पर भी विचार करती है और आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत अपनी फिल्मों के नमूनों और अन्य सम्बन्धित ब्यौरे के आधार पर उनके नाम पैनल में शामिल करने के संबंध में सरकार से सिफारिशें करती है। पैनल समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल, सामान्यतया एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है।

(ग) कोई भी स्वतन्त्र प्रोड्यूसर, चाहे वह फीचर फिल्मों का हो या डाकुमेंट्री फिल्मों का, अपनी फिल्म के लिए फिल्म वित्त निगम से आर्थिक सहायता की मांग कर सकता है। यदि फिल्म प्रभाग किसी डाकुमेंट्री फिल्म के बनाने का काम किसी स्वतन्त्र प्रोड्यूसर को सौंपता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिल्म निर्माण के विभिन्न चरणों पर उसे कतिपय अग्रिम धन-राशि दी जाती है।

बिजली का हिस्सा लेने के बारे में तमिलनाडु कर्नाटक और केरल के बीच त्रिपक्षीय समझौता

7477. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने तमिलनाडु कर्नाटक और केरल के बीच बिजली की सप्लाई में हिस्सा लेने हेतु समझौता करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या हाल में केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में बिजली की कमी को दूर करने हेतु उस राज्य को बिजली की अधिक सप्लाई करने और त्रिपक्षीय समझौता करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में अन्य राज्यों को क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि कर्नाटक को बिजली की अतिरिक्त सप्लाई को संभावनाओं का पता लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु, केरल और अपने बीच एक त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने किसी विशिष्ट त्रिपक्षीय समझौते का सुझाव नहीं दिया है तथापि उसने दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की स्थिति के साथ समय-समय पर निकट सम्पर्क बनाए रखा है। केरल, जो इस क्षेत्र में फालतु बिजली वाला राज्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की सहायता प्रदान कर रहा है। अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि में केरल ने तमिलनाडु और कर्नाटक को लगभग 1381 मिलियन यूनिट की कुल सप्लाई की। तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि वे इस समय प्रतिदिन 1 मिलियन यूनिट बिजली केरल से कर्नाटक को पहुंचा रहे हैं।

अर्धसैनिक पुलिस बलों के कर्मचारियों की संख्या

7478. श्री दुर्गाचन्द : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तथा अन्य अर्धसैनिक पुलिस बलों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, ऐसे प्रत्येक बल पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या इन बलों के कर्मचारियों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन बलों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग, कब तक कम की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ) सचिवों की एक समिति मितव्ययता करने के विचार से अर्धसैनिक बलों की संख्या का पुनरीक्षण कर रही है । सरकार ने उसकी यह अन्तरिम सिफारिश स्वीकार कर ली है कि मार्च, 1978 के अन्त तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या में से दो बटालियन कम कर दी जाए और इसके बाद तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष एक-एक बटालियन कम कर दी जाए और इसके बाद तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष दस से कम की जाए । मार्च, 1978 के अन्त तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या में से दो बटालियनें कम कर देने के निर्णय को कार्यरूप दे दिया गया है ।

विवरण

अतारांकित प्रश्न संख्या 7478

भाग (क) और (ख)

संगठन का नाम	वर्तमान संख्या	(व्यय)		
		1975-76	1976-77	1977-78 (संशोधित व्यय)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस				
बल	73,957	57,74,43,000	54,42,40,629	56,88,61,000
सीमा सुरक्षा बल	84,682	69,49,00,000	73,80,91,000	78,87,89,000
भारत तिब्बत सीमा				
पुलिस	13,820	11,86,36,000	12,21,69,092	12,34,52,000
असम राईफल्स	36,042	30,20,32,000	33,34,73,542	32,32,00,000

MANUFACTURE OF MACHINES USED IN SUGAR MILLS

7479. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where machines used in sugar mills are manufactured and the annual production capacity of the factories manufacturing such machines;

(b) whether it is a fact that the machines manufactured in the country are more costly and not durable as compared to those imported from foreign countries; and

(c) whether Government will set up such factories in the public sector ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The requisite information is furnished in the attached statement.

[Placed in Library. See No. LT. 2139/78]

(b) No, Sir. Sugar machinery manufactured in the country is competitive in terms of price, quality and durability compared with foreign manufacturers.

(c) A public sector unit, namely, Richardson & Cruddas Ltd., indicated at S. No. 9 in the attached statement, is manufacturing various items of sugar machinery.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् मद्रास काम्पलेक्स में कर्मचारियों की सेवा में बहाली

7480. श्री ए० मुरुगेंसन : क्या विज्ञान तथा औद्योगिकी में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मद्रास काम्पलेक्स में आपात स्थिति के दौरान जिन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी वे अभी तक सेवा में नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें पुनः न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सेवाओं का समाप्त किया जाना

7481. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और आई० आर० एस० के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य ने भी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की मांग की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) 1-1-1978 को भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या क्रमशः 3538, 1977 तथा 1194 है । 1-4-1978 को आई० आर० एस० (आयकर तथा भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अधिकारियों की कुल संख्या 2805 है ।

(ख) केवल पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है । केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है :

दिल्ली में बिजली तथा विद्युत का खराब हो जाना

7482. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार को गत तीन वर्षों में दिल्ली में बिजली और विद्युत खराब हो जाने अथवा उसके कम बोल्टेज पर रहने सम्बन्धी कुल कितनी शिकायतें मिली ;

(ख) क्या दिल्ली में बिजली और विद्युत बार-बार खराब हो जाती है ;

(ग) ग्रीष्म काल में राजधानी में विद्युत की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दिल्ली में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए इस वर्ष सरकार का विचार नई परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बिजली की सप्लाई किए जाने वाले क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली खराब होने के प्रतिमास औसतन 180 मामले तथा कम बोल्टेज की प्रतिमास औसतन 120 शिकायतें मिलीं ।

(ख) दिल्ली में पारेषण तथा वितरण तार-जाल में खराबियां आई थी परन्तु इनको बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता ।

(ग) दिल्ली की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति दिल्ली के विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न बिजली से पूरी की जाती है । इन केन्द्रों का प्रचालन उत्तर क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के साथ समेकित रूप में किया जाता है । दिल्ली की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता है । एक या दो ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को जबरन बन्दियों के मामलों में उत्तरी क्षेत्र की पड़ोसी प्रणालियों से भी सहायता ली जा सकती है । बदरपुर में 210 मेगावाट के एक सैट के चालू हो जाने के पश्चात् स्थिति में काफी सुधार हो जाने की आशा है ।

(घ) दिल्ली में विद्युत सप्लाई बढ़ाने के लिए हाल ही में बदरपुर में 210 मेगावाट की एक और ताप विद्युत उत्पादन यूनिट स्वीकृत की गई है तथा वर्ष 1978-79 के लिए 850 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से तथा बैरा-स्यूल जल विद्युत केन्द्रों से भी दिल्ली को कुछ बिजली मिलेगी ।

उप सचिवों के दर्जे से बड़े अनुसूचित जन जातियों के अधिकारी

7483. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप-सचिवों के दर्जे से बड़े अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सेवाओं में वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जन जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो ; और

(घ) भारत सरकार की विशेष प्रशिक्षण योजना के अधीन उनमें से कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अपेक्षित सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) 1-1-1977 को अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	अधिकारियों की संख्या
भारतीय प्रशासन सेवा	147
भारतीय पुलिस सेवा	64

(ग) वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में सुधार लाने की दृष्टि से समय-समय पर किए गए विभिन्न उपायों को संलग्न विवरण (अनुबन्ध) में स्पष्ट किया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2140/78] ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित अनुसूचित जन जातियों के ऐसे अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था । किन्तु इन केन्द्रों पर प्रशिक्षित अनुसूचित जन जातियों के जो उम्मीदवार वर्ष, 1974, 1975 और 1976 के दौरान हुई भारतीय प्रशासन सेवा आदि, परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से उत्तीर्ण हो गए थे, उनकी संख्या 63 है ।

एक ही पद पर तीन वर्ष पूरे कर लेने पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7484 श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री बी० एस० बनतवाला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही पद और एक ही स्थान पर तीन वर्ष पूरे कर लेने पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में नीति निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो निष्पक्ष प्रशासन के हित में लागू की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति कब तक लागू की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : यद्यपि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि नियम के रूप में चक्रानुक्रमिक स्थानान्तरण, विशेषकर उन अनुभागों में, जिनका सम्बन्ध जनता से रहता है, लागू किए जाने चाहिए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एम० टी० के एसेम्बलिंग यूनिट

7486. श्री माधवराव सिन्धिया
 श्री मोहन भंड्या
 डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
 श्री राधव जी :
 श्री फूलचन्द वर्मा
 श्री निर्मल चन्द्र जैन

} : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच० एम० टी०) ने पुर्जे जोड़कर घड़ियां बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 12 एकक स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में एक एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसके लिए एक स्थल प्रतिवेदन इस उपक्रम को भेजा जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या एच० एम० टी० ने नवम्बर, 1977 में वहां अपना एक दल भेजने का वादा किया था परन्तु वह दल अभी तक नहीं भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह दल संभवतः कब तक वहां भेज दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) देश के विभिन्न भागों में एच० एम० टी० की सहायता प्राप्त 14 वाच एसेम्बली एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : एच० एम० टी० का दल नवम्बर, 1977 में मध्य प्रदेश नहीं जा सका । किन्तु उसके बाद 10/11 अप्रैल, 1978 को एच० एम० टी० का कार्यकारी निदेशक भोपाल गया था और वह बेतुल भी गया था, जो राज्य सरकार ने वाच एसेम्बली एकक के अवस्थापन के लिए चुना है । यह भी निर्णय किया गया है कि एकक बेतुल में स्थापित किया जाएगा । एकक को चालू करने के लिए आगे कारवाई हो रही है ।

महाराष्ट्र के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम

7487. श्री वसन्त साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र के लिए मंजूर किए गए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है और वित्तीय तथा भौतिक दोनों ही रूप में वास्तविक उपलब्धि क्या रही ;

(ख) जहां कार्यक्रम निर्धारित समय से बहुत पीछे है वहां विशेष कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ;

(ग) महाराष्ट्र में योजनाओं के लिए 1978-79 के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1977-78 की वार्षिक योजना में 9.62 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था थी। इसका पूरा-पूरा उपयोग हुआ।

इस वर्ष के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे लिखे अनुसार थीं :—

	लक्ष्य	उपलब्धियां
विद्युतीकृत गांव	1,500	1,230
ऊर्जित पम्पसेट	35,000	39,417

(ख) महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने ग्राम विद्युतीकरण में काफी प्रगति की है।

(ग) महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1978-79 के लिए 11.66 करोड़ रुपए के परिव्यय की गई है। 1800 गांवों का विद्युतीकरण और 37,000 पम्पसेटों का ऊर्जन किए जाने के लक्ष्य की परिकल्पना है।

(घ) स्वीकृत योजनाओं को निरन्तर मानीटरिंग, बिजली बोर्ड द्वारा और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा भेजे गए क्षेत्र निरीक्षण दलों द्वारा की जाती है। विभिन्न स्कीमों की प्रगति को समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों की संख्या एवं लम्बाई

7488. श्री वसन्त साठे
श्री आर० के० महालगी } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों की कुल संख्या क्या है और उनकी लम्बाई कितनी है तथा 1977-78 में उन पर कितना व्यय किया गया और वास्तविक एवं वित्तीय दृष्टि से यह 1976-77 के कार्य निष्पादन से किस-किस रूप में तुलनीय है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के लिए कुछ और प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मंजूर किए गए विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है और 1978-79 के लिए कितनी सहायता की मांग की गई है ;

(घ) 1978-79 के लिए प्रस्तावित/मंजूर किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों पर यातायात के दबाव, भारी वर्षा तथा विशेष ऋतुओं को देखते हुए आबंटित धनराशि से अधिक धनराशि की अपेक्षा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) और (ङ) : 1976-77 के वित्तीय वर्ष में आबंटित 7.60 करोड़ रु० की राशि में से 1977-78 के वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनकी संख्या 9 है और लम्बाई 2861 कि० मी० है के सुधार के लिए 7.25 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई । आबंटन, लगभग 615 सुधार कार्यों के लिए है जिनकी अनुमानित लागत 56.63 करोड़ रु० है और जो अप्रैल, 1969 से स्वीकृत किए गए हैं । सुधार कार्यों में कालवा तथा काशोली क्रीक्स पर तथा मालेगाँव में गिरना नदी पर जलगाँव में गिरना पर, तथा कोल्हापुर में पचगगा पर नए पुल तथा थाना एवं भिवंडी, इगतपुरी, मालाँव, चौक, कामशट, बदागाँव, सतारा, करद, कोल्हापुर तथा जलगाँव पर उपमार्ग शामिल हैं । बहुत से सुधार कार्य पूरे हो गए हैं और शेष को दिसम्बर, 1980 के अन्त तक धन की उपलब्धता पर पूरे होने की संभावना है । स्वीकृत अनुमान डिजाइन तथा विशिष्टियों पर आधारित हैं । जिनमें निर्माण-स्थल की भूमि, भूभाग, वर्षा, यातायात इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है । उसके बाद आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकृत लागतों पर भी आधारित होता है ।

(ख) और (ग) : चूंकि आबंटन महाराष्ट्र में चालू विकास राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए भी पर्याप्त नहीं है अतः महाराष्ट्र में कुल 12 सड़कों को, जिनकी कुल लम्बाई 3561 कि० मी० है तथा जिनकी लागत 1972 के अनुसार निवेश लगभग 45 करोड़ रु० है महाराष्ट्र के उनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करना संभव नहीं है । जैसी स्थिति है, अप्रैल, 1978 से जम्मू और कश्मीर की बटोट-किश्तवार सड़क के 100 कि० मी०, जो मई 1977 में ली गई, को छोड़कर कोई भी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नहीं ली गई है ।

महाराष्ट्र में सड़क पुलों के बारे में प्रस्ताव

7489. श्री वसन्त साठे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सड़क पुलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिए कितनी सहायता मांगी गई/स्वीकार की गई ; और

(ग) इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) संभवतया सदस्य अन्त-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के बारे में सूचना चाहते हैं। यद्यपि हाल ही में उनसे नई योजनाओं के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि महाराष्ट्र में चौथी और पांचवीं योजनाओं में स्वीकृत कुछ कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए 25.01 लाख रुपए दिए गए, जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित पुल भी शामिल हैं :—

(1) कोबला जिले में अलीबाग-रेताडंडा-सालार मुरंड सड़क पर रेवा डागा क्रोक के ऊपर पुल ।

(2) मनहद -महाप्रल-अभेट-कुपा सड़क पर महाप्रल में सावित्री नदी पर पुल । ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने अभी तक 1978-79 के लिए अपनी मांग नहीं भेजी है।

कुडुपाह में स्टूडियो बनाना और उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाना

7490. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडुपाह में कोई स्टूडियो और उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर स्टूडियो बनाने और उसमें उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने के लिए धनराशि आवंटित करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी के कुडुपाह केन्द्र में सीमित स्टूडियो सुविधाएँ हैं और वह लगभग 3 3/4 घंटे की अवधि के दैनिक कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित कर रहा है। इसका ट्रांसमीटर 20 किलोवाट की मध्यम शक्ति का है।

(ख) कुडुपाह में स्थायी स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव अनवरत योजना 1978-79 में शामिल किया गया है। तथापि, इस योजना का कार्यावयन वित्तीय आवंटनों की उपलब्धि और साक्ष्य प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। उन केन्द्र पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा सेवाओं में ट्रेड ग्रुप

7491. श्री बैरागी जैना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में ऐसे कोई ट्रेड ग्रुप हैं जिनका वेतन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जहां तक सरकार को जानकारी है सशस्त्र सेना कार्मिकों में ऐसे कोई ट्रेड ग्रुप नहीं हैं जिनके वेतन-मान अभी तक नियत नहीं हुए हैं। परन्तु रक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियन कर्मचारियों के बारे में यह सूचना एकत्र की जा रही है।

CHANGE IN THE TIMINGS OF SINDHI PROGRAMMES

7492. **SHRI DHARMASINHBHAI PATEL :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether on 20-2-1978 a memorandum was received by Sindhi Division of Ahmedabad Radio Station and his Ministry for changing timings of Sindhi programme and if so, the nature of demands listed in the memorandum; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard and the difficulties experienced by Government in fulfilling these demands?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

The demands made were : (i) change of timings of the daily broadcast of Sindhi programme from 6-10 P.M.—6-40 P.M. to 6-30 P.M.—7-10 P.M. and (ii) the weekly Sindhi programme broadcast on every Monday from 10-00 P.M. to 10-30 P.M. should be broadcast daily.

(b) (i) It is not possible to accede to these demands in view of the fact that every evening from 6-40 P.M. to 7-10 P.M. Ahmedabad Station broadcast an industrial programme, it being an industrial centre. Further, Sindhi news broadcast from Delhi are relayed from 6-15 P.M. to 6-25 P.M., and any change in time will break the continuity.

(ii) Since the National Programmes, namely National Programmes of Music, Plays and Features and regional music etc. are broadcast from 9-30 P.M. onward and some of them go beyond 10-00 P.M., the change as requested was not considered feasible.

BRANCHES AND CAPACITY OF SINGER SEWING MACHINE COMPANY

7493. **SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3966 dated the 14th December, 1977 regarding increase in prices of 'Seemak' Sweater Knitting machine by Singer Machine Company, and state :

(a) the number of branches opened by the managers of Singer Sewing Machine Co. for manufacturing the machines and whether this company gets the machines manufactured by other companies also and sell under their brand names and if so, the number of such companies with whom they have such manufacturing contracts; and

(b) whether they have applied for an increase in their licensed capacity and if so, when such a demand was made and the quantity thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b). Messrs Singer Sewing Machine Company, Bombay has been operating in India as a Branch of the USA company and is not engaged in any manufacturing activities. The Branch is primarily engaged in the marketing of goods like sewing machines, knitting machines, household appliances, parts and fittings thereof produced by other manufacturers in the country. This Branch has been operating through retail sales outlets, ware-houses and independent authorised dealers for marketing of the products.

MANUFACTURE OF SINGER MACHINE

7494. **SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3966 on the 14-12-1977 regarding increase in prices of 'Seemak' Sweater knitting machine by Singer Machine Company and state :

(a) the number of machines manufactured by Singer Machine Company at present and the number of machines for which licences have been issued for their manufacture and the value thereof; and

(b) the value of components for which licences have been issued to the Singer Machine Company for import, the names of the countries from which components have been imported by them and the value thereof and whether the Government have received any complaint that the Company has sold the imported components outside instead of using them in their Company, if so, how many such cases have been detected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b). Messrs SIMAC Group (India) Private Limited, Bombay, are licensed manufacturers of knitting machines and Messrs Singer Sewing Machine Company procure the machines from the former for sale and distribution. The production figures for these machines reported from 1973 onwards are indicated below :—

Year	Numbers
1973	16100
1974	17805
1975	15975
1976	9145
1977	10265

Messrs SIMAC Group (India) Private Limited were getting import assistance on the basis of the manufacturing programme and in accordance with the applicable import policy. The value of essentiality certificates of imported components issued to the firm from April-March 1973 onwards is as under :—

Period	(Value—Rupees)
April-March '73	3,57,000
April-March '74	1,75,420
April-March '75	7,60,664
April-March '76	11,05,779

For April-March '77 and April-March '78, imports have been governed by the automatic licensing procedure.

Certain allegations about the misuse of certain imported components are being enquired into by the Import Trade Control authority.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं

7495. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी और/अथवा केवल हिन्दी में होती हैं, अथवा अब वे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके पास क्या व्यवस्था है ; और

(ग) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में अंग्रेजी और हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं में उम्मीदवारों को 'निबन्ध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में देने का विकल्प दिया गया है। इसी प्रकार, सहायक प्रेड, आशुलिपिक तथा सम्मिलित सीमित

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में उम्मीदवारों को कुछ विषयों में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के पैराग्राफ (क) में उल्लिखित भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने से मूल्यांकन में एकरूपता तथा समता को सुनिश्चित करने की समस्या उपस्थित होती है तथा संघ लोक सेवा आयोग इस समस्या से निपटने की कुछ प्रक्रियाएं ढूँढ निकालने का प्रयत्न करता रहा है। हालांकि इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं आदि उसकी आन्तरिक कार्य-प्रणाली का एक भाग है और इसे प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) सम्बन्धित वर्षों की परीक्षाओं में अंग्रेजी तथा/अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के माध्यम से बैठे उम्मीदवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा

विषय	निबन्ध			सामान्य ज्ञान		
परीक्षा का वर्ष	1975	1976	1977	1975	1976	1977
परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या	15492	17627	17359	15238	17392	17297
माध्यम						
अंग्रेजी	12746	14374	13624	13801	15764	15272
असमिया	06	05	09	05	03	08
बंगला	129	130	132	73	71	85
गुजराती	38	55	60	35	54	56
हिन्दी	2098	2529	2891	1046	1219	1530
कन्नड़	08	21	21	05	15	18
कश्मीरी	01	—	01	—	—	—
मलयालम	26	36	27	14	18	19
मराठी	47	61	67	33	43	52
उड़िया	33	41	28	16	26	12
पंजाबी	152	169	223	67	59	70
संस्कृत	01	01	01	01	—	—
सिन्धी (देव- नागरी)	—	01	02	02	01	02
सिन्धी (अरबी)	02	—	01	—	—	—
तमिल	115	133	161	83	83	107
तेलुगु	44	33	55	31	15	38
उर्दू	46	38	56	26	21	28

अनुभाग अधिकारी ग्रेड (केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड/भारतीय विदेश सेवा (ख) परीक्षा), 1975 और सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 1976 तथा 1977

अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा 1975

विषय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	
	अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम
(i) सरकारी कार्यालयों में प्रक्रिया तथा पद्धति	942	3
(ii) कार्यालय प्रक्रिया तथा पद्धति	93	1
(iii) संविधान आदि का सामान्य ज्ञान	1030	4
(iv) सामान्य ज्ञान	1016	3

सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

विषय	1976 परीक्षा		1977 परीक्षा	
	अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम
(i) सरकारी कार्यालयों में प्रक्रिया तथा पद्धति	1029	5	794	1
(ii) सरकारी कार्यालयों में प्रक्रिया तथा पद्धति-II	923	2	442	1
(iii) संविधान का सामान्य ज्ञान-I	1055	5	853	1
(iv) संविधान का सामान्य ज्ञान-II	915	2	470	1
(v) कार्यालय प्रक्रिया तथा पद्धति	35	—	—	—
(vi) कार्यालय प्रक्रिया तथा पद्धति-I	—	—	65	—
(vii) कार्यालय प्रक्रिया तथा पद्धति	—	—	30	—
(viii) सामान्य ज्ञान	1307	5	932	1

सहायक ग्रेड परीक्षा/आशुलिपिक की परीक्षा

सहायक ग्रेड परीक्षा

1975

आशुलिपिक परीक्षा

1975

निबन्ध

अंग्रेजी 8648

हिन्दी 4021

अंग्रेजी 2279

हिन्दी 158

अंक गणित

अंग्रेजी 10033

हिन्दी 2272

सामान्य ज्ञान

अंग्रेजी 9924

हिन्दी 1943

1976

1976

निबन्ध

अंग्रेजी 11931

हिन्दी 6469

अंग्रेजी 2010

हिन्दी 169

अंक गणित

अंग्रेजी 14257

हिन्दी 3676

सामान्य ज्ञान

अंग्रेजी 14428

हिन्दी 3144

1977

1977

निबन्ध

अंग्रेजी 10506

हिन्दी 6614

अंग्रेजी 3348

हिन्दी 308

अंक गणित

अंग्रेजी 12128

हिन्दी 4613

सामान्य ज्ञान

अंग्रेजी 12684

हिन्दी 4186

रेडियो और टेलीविजन की लाइसेंस फीस में वृद्धि

7496. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या टेलीविजन और रेडियो की लाइसेंस फीस में की गई वृद्धि से एकत्रित धनराशि उपरोक्त संचार साधनों में सुधार करने के लिए अलग रख दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : इस समय प्रसारण लाइसेंस फीस से प्राप्त राजस्व सामान्य राजस्व में जमा किया जाता है । वर्गीज समिति ने 150/- रु० से अधिक की लागत वाले टेलीविजन सेटों और रेडियो सेटों की फीसों में उपरि संशोधन करने की सिफारिश की है । इसने यह भी सिफारिश की है कि वर्धित लाइसेंस फीस प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रसारण न्यास की राजस्व आय का भाग होगी । समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

स्नातक और स्नातकोत्तर चपरासी

7497. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को केन्द्रीय सचिवालय में चपरासी और श्रेणी चार के कर्मचारियों के रूप में कितने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्य कर रहे थे और कैडर के कुल कर्मचारियों में कुल प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) क्या कम योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की तुलना में उनके पदोन्नति और अन्तर-पद-स्थानान्तरण (इंटर जोब) के अधिक अच्छे अवसर हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटील) : (क) सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस समय ऊपर (क) में उल्लिखित वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्नातक तथा स्नातकोत्तर अर्हताओं को पदोन्नति तथा अन्तर-पद-स्थानान्तरणों (इंटर जोब) के लिए ध्यान में नहीं रखा जाता है । इस मामले पर और आगे ध्यान दिया जाएगा ।

LICENCES FOR SETTING UP INDUSTRIES IN BACKWARD AREA OF TAMIL NADU

7498. SHRI G. BHUVARAHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of licences as so far issued to start industry in backward district Bharmapuri and Ramnad District in Tamil Nadu; and

(b) how many of them are now functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Ten Industrial Licences for Dharmapuri and Two Industrial Licences for Ramnad Districts of Tamil Nadu were granted during 1975-77 under the Industries (Dev. & Reg.) Act for setting up of new undertakings.

(b) The initial validity period of an industrial licence is two years. Two further extensions for a period of one year each are granted on adequate justifications. As such these licences are at various stages of implementation.

तमिलनाडु में कागज उद्योग आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

7499. श्री जी० भुवारहन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में किसी व्यक्ति ने कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस मांगा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) वर्ष 1977 में तमिलनाडु राज्य में कागज का निर्माण करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के विवरण तथा उनके विस्तृत ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन तथा वार्षिक क्षमता	स्थिति
गंगप्पा पेपर मिल्स, मद्रास ।	नया एकक दक्षिणी आरकाट जिला ।	छपाई तथा लिखाई वाले पोस्टरो का कागज, माचिस का नीला कागज, क्रीम वोव, मैप लिथो, बांड मनीला तथा क्राफ्ट 10,000 मी० टन ।	औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया ।
तमिलनाडु कार्ड बोर्ड तथा पेपर लि० मद्रास ।	पर्याप्त विस्तार जिला कोयम्बतूर।	स्पेशललिटी पेपर 3,600 मी० टन ।	आशय-पत्र मंजूर किया गया । पांच वर्षों के लिए स्पेशललिटी कागज के वार्षिक उत्पादन का 60 प्रतिशत निर्यात किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु में कागज कारखाना लगाने के लिए जनवरी-मार्च, 1978 की अवधि में किसी भी व्यक्ति से लाइसेंस के लिए कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

आकाशवाणी, मद्रास की पारेषण क्षमता में वृद्धि

7500. श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, मद्रास के 'क' केन्द्र की पारेषण शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 300 किलोवाट और 'ख' केन्द्र की पारेषण शक्ति 1 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हेतु प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी. हां। एक पड़ोसी देश में काम कर रहे उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर के हस्तक्षेप के कारण मद्रास 'क' केन्द्र की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव अनवरत योजना—1978-83 में शामिल किया गया है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय आबंटनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। मद्रास 'ख' केन्द्र की शक्ति बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करना

7501. श्री आर० के० महालगी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री राम नरेश कुशवाहा }

(क) क्या सरकार को समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने सम्बन्धी एक योजना के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र खडगवासला-पुर्ण (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

MANUFACTURE OF T-25 TRACTOR

7503. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether T-25 tractors being manufactured in collaboration with Soviet Union have provision for air-cooling which are suitable for foreign climates and not for India because it does not cool in summer and rainy seasons; and

(b) whether Government propose to manufacture T-25 tractor having provision for water cooling and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b) The Russian Model T-25 agricultural tractors are being manufactured by M/s. Harsha Tractors Ltd., Ghaziabad in collaboration with M/s. Prom-masheexport of USSR. The model is designed on the technology of forced Aircraft cooling system. It was tested at the Tractor Training and Testing Station, Budni and was found suitable for Indian conditions. There are some other makes of tractors manufactured in India which are fitted with Air-cooled engines. The question of converting such engines to water-cooled engines does not, therefore arise.

नागा और मिजो विद्रोहियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वृद्धि

7504. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री हुकम चन्द कछवाय }

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों और छिपे नागाओं ने हाल ही में अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने घटना-स्थल पर कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच करने के लिए वहां का दौरा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कुछ नागाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के कुछेक प्रयासों को छोड़कर, जो स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा बलों की ओर से समय पर की गई कार्रवाई द्वारा विफल कर दिए गए थे, सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । लगातार कड़ी निगरानी बनाए रखी जा रही है ।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के नाम में परिवर्तन

7505. श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के नाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी नाम सर्वप्रथम कविगुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो भारत के महान राष्ट्र कवि द्वारा दिए गए नाम आकाशवाणी में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । जहां तक इस मंत्रालय को पता है, "आकाशवाणी" नाम सर्वप्रथम 1935 में मैसूर के निजी केन्द्र द्वारा इस्तेमाल किया गया था । कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने "आकाशवाणी" नामक एक कविता उस समय लिखी थी जब आकाशवाणी, कलकत्ता के शाट वेव ट्रांसमीटर का 1938 में उद्घाटन किया गया था ।

नए पोत-प्रांगणों के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन

7506. श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए पोत प्रांगणों के चयन के लिए सरकार ने कुछ समय पूर्व विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विशेषज्ञ समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं और उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। परन्तु शिपयार्डों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने मई, 1973 में एक तकनीकी-आर्थिक कार्यदल का गठन किया था। दल में निम्नलिखित शामिल थे :—

ब्रिमे० ओ० पी० नरुला,
विकास सलाहकार,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।

अध्यक्ष

श्री एस० कस्थूरी
महाप्रबन्धक,
कोचीन शिपयार्ड लि०

सदस्य

श्री आर० एल० जैन,
उप वित्त अधिकारी,
वित्त मंत्रालय ।

सदस्य

श्री एम० जी० कुट्टी,
मुख्य डिजाइनर (निर्माण),
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ।

सदस्य

श्री आर० पी० चित्ता,
प्रबंधक, विकास सैल,
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ।

सदस्य-सचिव ।

कार्यदल ने शिपयार्डों के 3 माडलों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित स्थलों के उपर्युक्त होने की सिफारिश की :—

माडल	अधिकतम पोत-आकार	जिस स्थल की सिफारिश की गई
माडल I .	36,000—60,000	हजीरा (गुजरात) । कुर्लावंगानी (गोआ) पारादीप (उड़ीसा), बादुर और गांगड़ा (पश्चिम बंगाल) ।
माडल II .	. 120,000—180,000	कुर्लावंगानी (गोआ), पारादीप (उड़ीसा), गांगड़ा (पश्चिम बंगाल) ।
माडल III .	. 225,000—360,000	गांगड़ा (पश्चिम बंगाल) ।

तीन विदेशी परामर्शकों को लगाकर माडल I तथा II की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई। इन रिपोर्टों के मूल्यांकन के पश्चात् सरकार ने 2 स्थलों के लिए—अर्थात् : गुजरात में हजीरा, उड़ीसा में पारादीप माडल I शिपयार्ड (शिपयार्डों) की स्थापना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय किया है।

परम्परागत युद्ध की तकनीक में न्यूट्रान बम का प्रभाव

7507. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने परम्परागत युद्ध की तकनीक में अथवा अन्यथा न्यूट्रान बम के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) हमारी सेनाएं परम्परागत युद्ध की तकनीक पर न्यूट्रान बम के प्रभाव और उसे निष्क्रिय करने तथा उससे बचाव के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में परिचित हैं। वे इस विषय में अपने ज्ञान तथा प्रशिक्षण को लगातार अद्यतन करती रहती हैं।

जे० के० मैन्युफैक्चरर्स (कैलाश मिल्स) कानपुर का पुनः खोला जाना

7508. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जे० के० मैन्युफैक्चरर्स (कैलाश मिल्स) कानपुर को पुनः खोलने के लिए भारत सरकार से कार्यवाही शुरू करने का फिर अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ग) देश भर में ऐसे बड़े कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी है जो बन्द पड़े हुए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनका अधिग्रहण करने का नहीं है क्योंकि उसकी घोषित नीति यह है कि देश में अब और अधिक कपड़ा मिलों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो जे० के० मैन्युफैक्चरर्स (कैलाश मिल्स), कानपुर सहित देश के अन्य बन्द पड़े एककों को तुरन्त चालू करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ङ) दि जे० के० मैन्युफैक्चरर्स (कैलाश मिल्स) कानपुर 1 अक्टूबर, 1976 से बन्द है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार नवम्बर, 1977 में एक पत्र भेजा था जिसमें इस एकक को

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में लिए जाने का सुझाव दिया गया था। जब तक कि प्रकरण कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना अपरिहार्य न हो जाए तब तक सरकार की नीति वस्त्र उद्योग को और अधिक दायित्व सौंपने की नहीं है। 31 मार्च, 1978 को 30 वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं। सरकार की आशा है कि निकट भविष्य में ही इन मिलों को पुनः खोलने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

COMMISSION SET UP BY DELHI ADMINISTRATION OF EXCESSES DURING EMERGENCY

7509. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has set up an enquiry commission in regard to the excess committed during emergency;

(b) if so, the constitution and the terms of reference thereof; and

(c) the time by which it will submit its report and whether its report will be presented before the Shah Commission also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) The Delhi Administration, with the prior approval of the Government of India, have set up on 13-3-1978, an Emergency Excesses Enquiry Authority, under Section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

(b) The Chairman of the One-Member Authority is Shri R. N. Chopra. The terms of reference of the Authority are as under :—

(i) to ascertain the facts and circumstances relating to specific instances of serious nature presenting important or unique features relating to any of terms of reference of the Shah Commission of Inquiry which should be brought to the notice of Commission.

(ii) to generally enquire into all other instances as are relatable to one or other of the terms of reference of the Shah Commission of Inquiry which the Authority may deem fit to enquire into; and

(iii) to enquire into such complaints or allegations as may be referred to the Authority or to the State Government by the said Commission.

(c) The Authority shall, with reference to parts (ii) and (iii) of its terms of reference, make interim reports to the Shah Commission and submit final report with recommendations for action to be taken not later than four months from the date of its being set up.

धनबाद में समाचार न्यूज एजेंसी की सेवाएं

7510. श्री ए० के० राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार न्यूज एजेंसी, बिहार के धनबाद के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही निष्प्रभावी है।

(ख) क्या धनबाद में समाचार के संवाददाता को टेलीग्राफ न्यूज टेलिप्रिन्टर सेवा और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अनुरूप कार्य करने के लिए एक टेलीफोन भी रखने का अधिकार नहीं मिला हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) सरकार समाचार एजेंसियों के कार्यकरण में सम्पादकीय या प्रशासनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करती। समाचार एजेंसी के रूप में "समाचार" ने 14-4-78 से काम करना बन्द कर दिया है। यह समाचार एजेंसियों, जो पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, पर निर्भर करता है कि वे अपने कार्यों की योजना बनाएं और समाचारों के प्रभावी संकलन और वितरण के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने संवाददाताओं को सुविधाएं उपलब्ध करें।

रक्षा लेखे (कारखाने) का विलय

7511. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सी० जी० डी० ए०, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में जो रक्षा लेखे (कारखाने) हैं उनके रक्षा मंत्रालय/डी० जी० ओ० एफ०, कलकत्ता के साथ विलय समाकलन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विलय/समाकलन से पश्चिम बंगाल में लगभग 1200 तक रोजगार क्षमता की गुंजाइश कम हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

करुणामूलक कारणों के आधार पर नियुक्तियां

7512. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी गत तीन कलैण्डर वर्षों में करुणामूलक कारणों के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में नियुक्त किया गया था ;

(ख) करुणामूलक कारणों के आधार पर नियुक्ति के लिए 1-1-1978 को सरकार के पास कुल कितने आवेदन पत्र निलम्बित थे ; और

(ग) क्या निलम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) यह यह सूचना कार्मिक विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि समूह 'ग' तथा 'घ' ग्रेडों में करुणामूलक नियुक्तियां करने की शक्तियां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को दी गई गई हैं। केवल उन्हीं कुछ मामलों को इस विभाग में भेजा जाता है, जिनमें शैक्षिक अर्हताओं अथवा आयु में छूट देने की आवश्यकता होती है।

(ख) तथा (ग) चूंकि आवेदकों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए यह सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध होगी। जिन आवेदन पत्रों में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को शीघ्र राहत दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख और अपेक्षित कागजात उपलब्ध हों, उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है। अन्य मामलों में अन्तिम निर्णय लेने से पहले अपेक्षित सूचना एकत्र करनी होती है करुणामूलक नियुक्तियों के लिए सभी आवेदन पत्रों पर है तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

FOREIGN PRESS FORCED TO WITHDRAW FROM THE COUNTRY DURING EMERGENCY

7513. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of foreign press, radio or television organisations whose members were forced to leave the country during emergency; and

(b) the number of such organisations or new foreign institutions whose members have been allowed to work in India during the last one year ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Seven, Sir.

The correspondents of the BBC had also left India because he was asked by his principals not to sign the guidelines for self censorship issued by the Government of India after the promulgation of emergency.

(b) Twentynine including 25 new organisations.

IMPORT OF INDIAN FILMS

7514. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of the countries from which Government of India import films; and

(b) the number of films imported during the past one year, country-wise, and the details in this regard ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) In the matter of import of films the Government policy is of non-discriminatory imports on global basis (canalised through Film Finance Corporation) with emphasis on quality. As such no particular list of countries earmarked for import of films has been laid down.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

RENT PAID BY FILMS DIVISION FOR OFFICE ACCOMMODATION

7515. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Delhi office of the Films Division was accommodated in Vandana Bhavan;

(b) whether large amount of money was being paid by way of rent for housing the above office;

(c) whether the above office has now been shifted from Vandana Bhavan to some other place; and

(d) if so, the full facts in this regard ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) For the 17 flats in Vandhna building occupied by the Films Division a total monthly rent of about Rs. 40,500/- was being paid. Subsequently, two flats were surrendered as a measure of economy. The total monthly rent of the remaining 15 flats was Rs. 36,223.80.

(c) and (d) Objections were received regarding screening/storage of films by the Films Division in some of the flats on the ground that it was a fire hazard. Further, the insurance company asked for enhanced premium on that account. To avoid controversy, it was decided to shift Films Division from Vandhna building to 4 Tolstoy Marg where the office of the Registrar of Newspapers of India was located, and to put that office and Song and Drama Division in place of Films Division. Following this decision, the office of the Registrar of Newspapers of India now have 10 flats and Song and Drama Division 3 flats in Vandhna building. The Films Division still has 2 flats in that building.

जेट प्रशिक्षण विमान

7516. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना में जेट प्रशिक्षण विमान अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इसका कारण 1975 में विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिए बड़ा-चढ़ा कर बनाए गए और त्रुटिपूर्ण कार्यक्रम के कारण हैं, जो अब घटकर वास्तविक स्तर पर आ गया है;

(ग) क्या विदेशी जेट प्रशिक्षण विमान को सरकार की समुचित स्वीकृति के बिना और सरकारी तकनीकी सलाह के विरुद्ध खरीदा गया था;

(घ) क्या वर्ष 1975 में जिन अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया था, वे अधिकारी इस दल के भी सदस्य थे जो विदेश गई और जिन्होंने उन विमानों की खरीद के बारे में अन्तिम निर्णय किया; और

(ङ) यदि हां, तो सारे मामले की जांच पड़ताल करने और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, इस तरह की कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते

ताप बिजली घरों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ

7517. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली घरों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने हेतु विदेशी विशेषज्ञ आमंत्रित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में स्थापित हुए ताप विद्युत् केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण को गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार कुछ विदेशों से सहायता ले रही है। ताप विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन के वर्तमान पाठ्यक्रम में सुधार करने तथा अनुरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू करने के अतिरिक्त विद्युत् प्रणालियों के प्रचालन में प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाना भी विदेशों से प्राप्त हुए सुझावों में शामिल है।

SETTING UP OF NEW THERMAL POWER STATIONS DURING 1978-79

†7518. **SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA :** Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

- (a) whether power crisis in the country will be overcome till next seven years;
- (b) whether new thermal power stations will be set up in the country with a view to meet the power shortage;
- (c) if so, the various parts of the country where new thermal power stations will be during 1978-79; and
- (d) the total power generation capacity in kilowatt ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The main strategy of the future power programme is to accelerate power development with a view to overcome power shortage due to inadequate capacity, and achieve self-sufficiency in about seven years.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement listing the Thermal Power Stations where new units are scheduled to be commissioned during 1978-79 is enclosed.

(d) The total power generation capacity in the country at present is about 26 million kilowatt.

PAY SCALES OF TECHNICAL EMPLOYEES OF J.C.B. PHOTO LITHO PRESS AND LETTER PRESS

7519. **Shri L. L. KAPOOR }
SHRI MAHI LAL }** : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to part (b) of USQ. No. 3313 on the 13-7-1977 regarding the anomalies in the pay scales of technical employees of J.C.B. Photo Litho Press and Letter Press of this department and state;

- (a) whether any final decision has since been taken in the matter;
- (b) if so, the outcome thereof; and
- (c) if not, the reasons for the inordinate delay and further time likely to be taken in taking a decision in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b) A decision has since been taken and orders issued to the effect that pay scales of Readers Grade I and Copy Holders in the Letter Press of the JCB will be at par with the scales for the officials of these categories in the Government of India Press. Anomaly in the pay scales of such employees of JCB Photo-Litho Press and Letter Press has thus been removed now.

(c) Does not arise.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्वर) : मैंने श्री बरनाला के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का सूचना दी है। प्रश्न संख्या 744 के उत्तर में उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूँ।

श्री सौगत राय : कल आप ने कहा था कि विदेश मंत्री के वक्तव्य के बारे में आप अपनी व्यवस्था देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं रिकार्ड देखूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं मामले का अध्ययन कर रहा हूँ।

श्री सौगत राय : कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अन्यथा हमें हानि होगी। पता नहीं इस मामले में विशेषाधिकार का मामला उठाया जा सकता है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ न कुछ अवश्य होगा और आपको इसका पता चल जायेगा।

राम विलास पासवान** :

श्री बी० पी० मंडल (माधेपुरा) : मैंने 3-4-78 को दूरदर्शन के विरुद्ध संसद् में सप्ताह पर हिन्दी और अंग्रेजी में उसकी टिप्पणियों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम के अन्तर्गत।

श्री बी० पी० मंडल : अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप किया गया है अतः इस सारे मामले को सदन में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए क्योंकि आपके कार्यालय ने सभी मुद्दों पर खेद व्यक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर विचार किया है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि कोई आक्षेप नहीं किया गया है। हर किसी को हर किसी की आलोचना करने का अधिकार है। अध्यक्ष भी आलोचना के क्षेत्र से ऊपर नहीं हैं। इस पर भी मंत्री महोदय ने क्षमा याचना की है यद्यपि ऐसा करना जरूरी नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रिकार्ड करना बन्द किया जाये। विषय पर दी गई व्यवस्था के बारे में मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ। मैं नियम 379 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी हमने कल ही इस विषय पर बात-चीत की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं मेरे दिमाग से जो चर्चा हुई वह निकल गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर फिर कभी विचार कर लेंगे।

श्री वसंत साठे : (अकोला) श्रीमन् मैंने एक समाचार पत्र के प्रमुख सम्पादक के विरुद्ध एक गम्भीर मामले पर सूचना दी है। सुपरिन्टेंडेंट ने एक सम्पादक को सार्वजनिक स्थान पर चाँटा मारा है। तुम इसे प्रेस की स्वतन्त्रता कहते हो। मैंने इस विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाया था।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

SHRI KESHAV RAO DHORDGE (Daded) : What about the major rail accident ?

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर विचार किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में मैं एक आश्वासन चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय स्वयं ही वक्तव्य देने वाले हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रातः रेडियो समाचार के अनुसार श्री वाजपेयी तो बाहर गए हुए हैं ।

श्री के० लक्ष्मण (तुमकुर) : श्री वाजपेयी ने जिस गुप्त दस्तावेज का संदर्भ दिया है उसका क्या हुआ । उस पर आपकी क्या व्यवस्था है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मंत्री महोदय स्वतः ही दुर्घटना के बारे में वक्तव्य किस प्रकार दे सकते हैं । मंत्री महोदय बम्बई गए हुए हैं । अतः हम यह जानना चाहते हैं कि क्या चर्चा होगी ।

श्री बालार रवि (चिरथिकील) : क्या आपके द्वारा मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाने से हमारी चर्चा में व्यवधान नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप सभी की बात सुन ली है । अब आप अपने स्थानों पर बैठिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अपनी ओर से मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी अनुरोधों पर विचार किया जायेगा । आज मंत्री महोदय अपने आप ही एक वक्तव्य दे रहे हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन; हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन; आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश; हिन्दुस्तान ट्रेडर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम और ग्रेसन एंड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधि-सूचनाएं ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 2116/78।]
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर का 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2117/78।]
- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 230 (ड) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2118/78।]
- (4) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1978 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 217(ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा के उपक्रमों को गुजरात राज्य सरकार के अधिकार में सौंपा गया है। [ग्रंथालय में रखे गया। देखिए संख्या एल० टी० 2119/78।]
- (5) गेशन एंड केवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1977 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गेशन एंड केवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 253 (ड) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2120/78।]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1978-79 का बजट प्राक्कलन

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं दामोदर घाटी अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1978-79 के बजट प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 2121/78।]

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के लेखा परीक्षित प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1976-77 की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2122/78।]
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 - (एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2123/78।]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1976-77 के लेखा परीक्षित लेखे

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैईती) : केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1976-77 के लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2124/78।]

अध्यक्ष महोदय : श्री बयालार रवि, आप आपत्ति उठाना चाहते हैं।

श्री बयालार रवि (चिरथिकील) : हालांकि यह अधिसूचना केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए डाक्टरी लाभों के बारे में है परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि उनके लिए नियमों को बनाते समय उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए नहीं तो वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यकरण को सुधारने के लिए नए नियम बनाने हेतु कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और
एक विवरण**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3669 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2125/78।]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 अप्रैल 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 224 (ड) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०/2126/78।]

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं।

श्री के० लक्ष्मण (तुमकुर) : मैं कार्यवाही वृत्तांत में कुछ अंश सम्मिलित न किए जाने के बारे में नियम 380 और 381 के अन्तर्गत वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 761 के अन्तर्गत एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। यह कम्पनी ला बोर्ड द्वारा बनाए गए दो मामलों के बारे में था। मैंने देखा है कि यह अंश कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है। इसमें मैंने कौन सी अपमानजनक बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मेरे कक्ष में मिलिए। मैं आपके प्रश्न का समाधान कर दूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नई दिल्ली स्थित आर्मी हटमेंट्स में आग लगने का समाचार

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : श्रीमान, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषयों की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

“17 अप्रैल, 1978 को त्यामराज मार्ग, नई दिल्ली स्थित आर्मी हटमेंट्स में आग लगने के कारण महत्वपूर्ण अभिलेखों और दस्तावजों के नष्ट हो जाने का समाचार।”

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, 17 अप्रैल, 1978 को लगभग 6 बजकर 25 मिनट पर किंग जार्ज एवेन्यू के पश्चिम में 'क्यू ब्लॉक' रक्षा हट में आग लग गई। इस आग में वे दो हाल नष्ट हो गए जिनमें 1939-46 के कुछ पुराने रिकार्ड रखे हुए थे। परन्तु आग से प्रभावित साथ के कमरों से फर्नीचर और रिकार्ड को समय पर बचा लिया गया और क्षति उस हटमेंट के थोड़े से हिस्से में ही हुई।

2. सुरक्षा गार्ड कमांडर ने फायर ब्रिगेड और सम्बन्धित अफसरों को सूचित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की। रक्षा सुरक्षा कार्मिकों ने उस क्षेत्र को घेर लिया और आग बुझाने तथा प्रभावित कमरों से फर्नीचर, अल्मारियों और रिकार्ड को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। दमकलें आग लगने के बाद मिनटों में ही आवश्यक उपकरणों के साथ वहां पहुंच गई और उन्होंने आग को पहले तो सीमित कर दिया और फिर बुझाया। यहां तक कि जब आग पर नियन्त्रण किया जा रहा था उसी समय भी बिना जले तथा अधजले स्टोरो को बाहर निकाला गया और जहां तक सम्भव हो सका उसे बचाया लिया गया।

3. आग लगने की सूचना मिलते ही रक्षा राज्य मंत्री और मंत्रालय तथा सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल को दौड़ पड़े।

4. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। आग लगने के कारणों की जांच करने और क्षति का पता लगाने के लिए ब्रिगेडियर आर० एस० पठानिया की अध्यक्षता में एक जांच-अदालत स्थापित कर दी गई है।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Regarding the fire which broke out in the Defence hutments, I have heard the statement of the Defence Minister and read in the newspapers about it. According to the newspaper it was caused due to a tea stall situated there. The Defence Minister has stated that the reason of the fire has not been established and an enquiry committee has been set up to go into its causes.

This fire is not first of its kind. In 1974-75 also a fire was broke out in the defence installations. So I want to know what anti-fire measures are being taken by the Government to stop fire being broke out in such a way. The Government should solve this problem on national level. Our Government should pay full attention towards the incidents of fire break out etc.

May I know the intensity of the fire was assessed or not. How extraordinary it was? Let him also give us some first hand information about the cause of the fire. Is there any political element behind this incident since certain people are making efforts these days to create tension and also problems for the Janata Government.

अध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट से अधिक बोल चुके हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं मंत्री महोदय से बस दो तीन प्रश्न और पूछूंगा।

It is very necessary to know whether there is any political element behind it and whether it is a case of sabotage. Is the hon. Minister sure that the fire break out was just accidental.

Then there was no water tank and the Fire Brigade people have complained against not availability of water tank. Have the Government looked into this aspect also with a view to providing water tanks, for extinguishing fires.

PROF. SHER SINGH : A court of inquiry has been instituted and the actual causes would be known only after the report is received.

Fire fighting arrangements are always kept in readiness that is why the fire brigades reaches within 15 minutes and they localised and extinguished the fire. In 1975, as cited by the hon. Member, the court of inquiry had found out that it was because short circuiting. Thereafter the entire old and defective wiring was changed.

SHRI DALPAT SINGH PARASTE (Shahdol) : It is good that the fire was controlled soon but saying this much is not enough when there is a case of country's precious defence documents are put to such a danger. He has said that document belonging to the period from 1936 to 1946 were burnt. May I know whether these documents could be had from other offices when such a need would arise ?

The fire broke out in several Departments including the Communication Department; but the cause is still not known. There have been many rail accidents too and our Intelligence Department drew a blank in finding the causes. It is an example of great inefficiency of such things went on like this, the entire country would be in grip of fear. May I know how long would the enquiry take to complete and if any time limit has been fixed ? If not, would you fix a target date ? I would also like to know whether this incident would be inquired into by the C.B.I. Also please clearly say whether these documents were not important. Please don't put us off.

PROF. SHER SINGH : The documents were, no doubt of historical importance, and pertained to the War between 1936 and 1946. Some maps and many negatives too have destroyed. Not trying to minimising the loss I would like to add that we would be in a position to prepare again those negatives with the help of the existing maps. The records are available at other places.

The time limit for the completion of the inquiry has been fixed to 1st May, but since the matter belongs to defence, an inquiry by the C.B.I. has not been considered proper. A Brigadier supported by four army officers have been appointed on this task.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : The burnt material consisted of records and maps pertaining to Second World War as also certain maps and documents relating to our strategic points. Their were certain foreign maps also. And I suspect a foul play in burning them all. To me it is a case of sabotage. Then all this material was kept in such structures with wooden roofs and the sheds. There would be fire-proof buildings for keeping such important defence records. Then we know that there is always a sepoy guard to keep a strict watch. How could then be a fire there. Are you going to tighten further the security arrangements ?

As I have said that I smell a foul play and conspiracy behind this incident with a view to malgiving the efficiency and effectiveness of the present Government. May I therefore, know whether this aspect would also been looked into by the court of inquiry ?

PROF. SHER SINGH : All the aspects would be looked into and given report thereof.

As regards keeping the records and documents at a more secure place, I fully agree with the hon. Member, and we are taking steps in this behalf. We propose to keep such records in our Seva Bhavan in fire-proof almirahs. Also we are further tightening the security arrangements. As I have already said, we do have other maps etc. and we would be able to reconstruct what has been destroyed in the fire. However, we are very sad at the loss.

श्री ब्यालार रवि (चिरथिकील) : रक्षा विभाग के एक कार्यालय में आग ऐसे समय पर लगी है जबकि हिमालय की चोटी पर परमाणु उपकरण की स्थापना संबंधी विवाद चल रहा है। इस से शंका पैदा होती है। इस तरह का अग्निकांड एक वर्ष के भीतर यह दूसरा है। पिछली घटना के समय भी जांच समिति बनाई गई थी और उसने भी निष्कर्ष निकाले होंगे। परन्तु केवल निष्कर्षों से कुछ न होगा। सरकार को सावधानी रखनी चाहिए थी। अब भी मंत्री महोदय ने नहीं बताया है कि क्या सावधानियां बरती गईं प्रेस समाचारों में कहा गया है कि आग समीपवर्ती एक चाय की दुकान से लगी। हम इतने महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास ऐसी चाय की दुकानें क्यों रहने देते हैं ! इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह

जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पिछली समिति की रिपोर्ट पढ़ी थी तथा उसके अनुसार आपने सुरक्षा के उपाय किए थे। साथ ही यह भी बतायें कि क्या इस अग्निकांड का आजकल चल रहे परमाणु उपकरण संबंधी विवाद से कोई संबंध है।

प्रो० शेर सिंह : मेरे विचार से दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के समीप चाय या पान-बीड़ी की दुकानें नहीं होनी चाहियें। लोगों को सन्देह है कि यह आग बरामदे में स्थित फल व पान-बीड़ी की दुकान से शुरू हुई। इस बारे में जांच की जा रही है।

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि यह आग उस चाय की दुकान से शुरू हुई जो उन बैरकों के समीप है जहां ये दस्तावेज रखे गए थे।

प्रो० शेर सिंह : सुरक्षा कर्मचारियों ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने नेगटिव वाले कमरे के पास की पान की दुकान से धुआं उठता देखा था। अतः इस तरह का सन्देह व्यक्त किया गया है। परन्तु सही स्थिति का पता तो जांच के बाद ही लग सकेगा।

जहां तक सुरक्षा उपाय करने का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम सभी उपाय कर रहे हैं तथा सुरक्षा प्रबंधों पर पुनः विचार किया जा रहा है। यदि उनमें कोई दोष पाया गया तो हम निश्चय ही उसे ठीक करेंगे। साथ ही सुरक्षा प्रबंधों को अधिक कड़ा किया जा रहा है और ऐसे रिकार्ड को सेना भवन स्थित इस्पात की अलमारियों में रखा जा रहा है।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTING OF THE HOUSE.

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि छः सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधियों के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए। संबंधित सदस्यों के नाम ये हैं :

1. श्री के० ओबल रेड्डी
2. श्री केशव राव धोंडगे
3. श्री डी० के० बरुआ
4. श्री के० रघुरामैया
5. श्री बकिन पटिन
6. श्री कल्याण जैन

क्या सभा इन सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करना चाहेगी।

एक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEES

सातवां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर के अध्याय 1 में सम्मिलित स्थावर सम्पत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पांचवां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम-रहस्यमय परिस्थितियों में वैकवैटरों की खरीद, लाइटर और नौभारण संचालन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सोलहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ :

- (1) ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) — विद्युत पर 16वां प्रतिवेदन
- (2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दूसरा प्रतिवेदन

SHRI MRITUNJAY PRASAD (Siwan) : I beg to present the Second Report of the Committee on Government Assurances.

18-4-1978 को पश्चिमी रेलवे के बम्बई सेन्ट्रल विरार सेक्शन पर हुई

रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE RAILWAY ACCIDENT ON BOMBAY-VIRAR SECTION OF WEST-ERN RAILWAY ON 18-4-1978

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : महोदय, सदन को सूचित करते हुए मुझे अत्यधिक खेद है कि 18-4-1978 को लगभग 20.07 बजे, जब 537 डाउन चर्चगेट विरार लोकल बिजली

गाड़ी पश्चिम रेलवे के बम्बई मंडल में बम्बई सेंट्रल विरार मुख्य लाइन स्वचल दोहरी लाइन विद्युतीकृत खण्ड के नैगांव और वसई रोड स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक नं० 36-बी के फाटक सिगनल पर प्रतीक्षा कर रही थी तो 7 डाउन बम्बई अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस पीछे से आकर इसके पिछले भाग से टकरा गई जिसके फलस्वरूप लोकल गाड़ी के पिछले दो डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे में धंस गए।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 30 व्यक्ति मरे हैं और 60 घायल हुए हैं। मेरे साथ यह सदन भी इस दुर्घटना के शिकार होने वाले व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करेगा।

यह सूचना मिलते ही बम्बई सेंट्रल और बलसाड स्टेशनों से चिकित्सा सहायता यान तेजी से दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। घायलों को दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा सहायता देने के उपरान्त विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया। अन्य विभागाध्यक्षों के साथ रेलवे के महाप्रबन्धक दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

सदस्य यातायात के साथ रेल मंत्री जी भी दुर्घटनास्थल के लिए हवाईजहाज से रवाना हो गए हैं।

मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों और घायल यात्रियों को अनुग्रहराशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

अपर आयुक्त, रेलवे संरक्षा पश्चिम अंचल, बम्बई इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

संस्दीय कार्य तथा भ्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से जो 18 अप्रैल, 1978 को सभा को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।”

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से जो 18 अप्रैल 1978 को सभा को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।”

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : सर्वप्रथम तो मुझे खुशी है कि समिति ने मेरा यह सुझाव मान लिया है कि सभा की बैठक सात बजे तक हो। दूसरे, प्रतिवेदन के पैरा 3 में सिफारिश की गई है कि सभा 19, 24 तथा 25 तारीख को सायं 7 बजे तक बैठे जिसका अर्थ है कि 26 तारीख को सभा 6 बजे तक ही बैठेगी। आप मानेंगे कि 6 बजे तक के समय का कोई विशेष महत्व नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामथ : गृह मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। शाह आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय ने यह बात नोट कर ली है।

श्री हरि विष्णु कामथ : माननीय मंत्री इस मामले में जो ठीक समझे वह उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 18 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (REPEAL) BILL

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

“आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री चरण सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय विस्फोटक (संशोधन) विधेयक

INDIAN EXPLOSIVES (AMENDMENT) BILL

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय विस्फोटक (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

“भारतीय विस्फोटक (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

अध्यक्ष महोदय : अब 377 के अन्तर्गत मामले लिये जाएंगे ।

(एक) पश्चिम बंगाल में हुस्नाबाद में दण्डकारण्य शरणार्थियों की दशा

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं पश्चिम बंगाल के हुस्नाबाद में 45,000 दण्डकारण्य शरणार्थियों की दशा के बारे में मामला उठाना चाहता हूँ ।

[**श्री एम० के० शेजवलकर पीठासीन हुए**
MR. N. K. SHEJWALKAR in the Chair.]

मैंने हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुस्नाबाद क्षेत्र का दौरा किया था जहाँ सुन्दरबन में पुनर्वास के लिये 45,000 दण्डकारण्य शरणार्थी एकत्र हुए । अनेक सप्ताहों से उक्त शरणार्थियों को कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इनमें से 95 प्रतिशत शरणार्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के हैं । उनमें से 150 व्यक्ति भूख से पहले ही मर चुके हैं । वे जंगली सब्जियाँ और घास फूस खा रहे हैं और गड्ढों और तालाबों का गन्दा पानी पी रहे हैं ।

अधिकारियों ने अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं दी है । केन्द्रीय सरकार ने भी उनकी तरफ सहानुभूति का रुख नहीं अपनाया है । उनके लिये पीने के पानी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था नहीं है ।

दो दिन पूर्व आये तूफान से उनकी झोंपड़ियाँ उड़ गईं और वे खुले में बड़ी दयनीय दशा में रह गये । केवल भारत सेवा श्रम संघ नामक संगठन ही कुछ राहत कार्य कर रहा है ।

सरकार को उन्हें राहत देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हुस्नाबाद क्षेत्र कब्रिस्तान न बन जाए ।

पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्वास समस्याओं पर बिना विलम्ब विचार किया जाना चाहिये ।

राहत संगठन भी वहाँ शरणार्थियों को राहत देने के लिये नहीं पहुँच रहे हैं । प्रतिदिन उनके द्वारा आत्महत्या करने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं ।

यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए

सभापति महोदय : अब इस विषय पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे ।

(दो) दिल्ली में मैडिकल कालिज के छात्रों द्वारा हड़ताल का समाचार

श्री चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैडिकल विद्यार्थियों की हड़ताल के कारण दिल्ली में मैडिकल कालिजों की गम्भीर स्थिति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । गत दो-तीन दिन से उनमें हड़ताल चल रही है । उनकी मांगें उचित हैं और वे इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से मिले भी थे । उनकी मांग है कि उनकी छात्रवृत्ति 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दी जाए ।

वे मैडिकल कालिजों से परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली के अस्पतालों में हाऊस सर्जन की नौकरी की सुविधा की अपेक्षा करते हैं। वे होस्टलों में और अधिक सुविधाएं चाहते हैं।

मेरे विचार से कोई उनकी मांगों को अनुचित नहीं कहेगा। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री का समाजवाद में विश्वास होने के बावजूद उन्होंने विद्यार्थियों के प्रति-निधिमंडल से मिलने से इकार कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री महोदय को इस मामले पर वक्तव्य देने का निदेश दें। मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसे हल करें।

(तीन) अस्थायी व्याख्याताओं को नौकरी से अलग करने के कारण हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्णय का मामला

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : I want to make a statement regarding temporary teachers working in Banaras Hindu University. Suddenly it has been decided this year to discontinue their services from this academic year. As a result of it about four hundred teachers have to face the serious problem of unemployment. They should be employed as permanent teachers in the University to remove this trouble.

This is a very serious matter and the Education Minister should personally look into it. It is unfortunate that efforts have not been made to solve the problems of the Banaras Hindu University and the appointment of the Chancellor has not been made so far. I request the Education Minister to solve the problems of the students and the teachers so that the teaching work may go on smoothly. These 400 temporary teachers should be made permanent.

(चार) धान का मूल्य

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : गेहूं का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा अनेक बार बढ़ाया गया है। अभी कुछ सप्ताह पूर्व गेहूं का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 112.50 रुपये कर दिया गया था। धान का मूल्य लगातार मांग के बावजूद अनेक वर्षों से बढ़ाया नहीं गया है। इसके परिणामस्वरूप चावल उत्पादन करने वाले राज्यों को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है।

गेहूं के लिए मूल्य तथा उपकरणों के मामलों में भी राज सहायता दी जा रही है। इन परिस्थितियों में तमिलनाडू और धान उत्पादक अन्य राज्यों की ओर से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह धान के मूल्य बढ़ाने तथा इसके लिए राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार करे।

(पांच) उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री श्यामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : तूफान के कारण बड़ी संख्या में मकान और सम्पत्ति नष्ट हो गई है और उड़ीसा के अनेक जिलों में 500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री विशेष राहत आयुक्त और अन्य अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। उक्त क्षेत्र का दौरा करने के लिये केन्द्र से एक दल भेजा जाना चाहिए। राज्य को और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

राज्य में युद्धस्तर पर राहत कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये और तूफान से नष्ट हुई शिक्षा संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

उड़ीसा में तूफान से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री और अब सम्बद्ध अधिकारियों को उड़ीसा के लोगों के लिये वित्तीय सहायता और भोजन की शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये।

उड़ीसा सरकार स्वयं इस दैवी विपत्ति का मूकावला करने में असमर्थ है। आशा है केन्द्रीय सरकार उड़ीसा को इस संकट के समय यथासम्भव सहायता करेगी।

मैं प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उड़ीसा सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता दें और राज्य के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करें। उड़ीसा सरकार यथासम्भव प्रयास कर रही है लेकिन उसके साधन सीमित हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा को और अधिक वित्तीय सहायता की मंजूरी देनी चाहिए।

सभापति महोदय : अब सदन में

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : श्रीमन् मैंने नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना दी है। उसका क्या हुआ ?

सभापति महोदय : यह आज की सूची में नहीं है। मैं कार्यालय से पता करूंगा कि उसका क्या हुआ। इसके पश्चात् आपको सूचित कर दिया जायगा।

सामान्य बजट-अनुदानों की मांगें 1978-79

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—1978-79

सभापति महोदय : अब कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जायगी। कृषि और सिंचाई मंत्रालय का वर्ष 1978-79 का अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग सं०	शीर्षक	राशि (रुपये में)	
		राजस्व	पूंजी
1	कृषि विभाग	2,13,54,000	
2	कृषि	178,92,37,000	488,10,15,000
3	मीन उद्योग	27,71,57,000	28,47,20,000
4	पशुपालन और डयरी विकास	85,61,51,000	6,05,22,000
5	वन	28,60,95,000	3,18,75,000
6	खाद्य विभाग	391,42,70,000	31,63,83,000
7	ग्रामीण विकास विभाग	242,39,30,000	20,64,58,000
8	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	10,58,000	
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संदाय	59,99,75,000	
10	सिंचाई विभाग	20,99,67,000	7,25,78,000

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : कृषि मंत्रालय ने कृषि के लिए कोई समेकित नीति तैयार नहीं की है। हमें जो प्रतिवेदन दिया गया है वह आंकड़ों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और उसमें कोई निश्चित नीति विवरण नहीं है। कहा गया है कि 40 प्रतिशत बजट प्रावधान* कृषि के लिए किया गया है। यह पर्याप्त नहीं है। कृषि विकास पर बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये।

हम केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं चाहते अपितु सामाजिक न्याय भी चाहते हैं। यदि हम कृषि नीति में सामाजिक न्याय चाहते हैं तो फिर छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता की जानी चाहिए। इतना ही नहीं खेतिहर श्रमिकों की भी सहायता की जानी चाहिये। भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित किये जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में सभी राज्यों को एकमत होना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक कार्यान्वयन समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जा सके।

सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर 50-60 वर्षों से कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाती है। इसलिये सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर पेंशन दी जानी चाहिये।

कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भूमि का वितरण किया जाना चाहिये। हमारे पास 164 लाख एकड़ भूमि है, जिसका वितरण किया जा सकता है। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह राज्य का विषय है और इसलिये सरकार को राजस्व तथा कृषि मंत्रियों को कहना चाहिये कि वे तत्काल भूमि वितरण का कार्य आरम्भ करें।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, हृष की बात है कि गेहूं के मामले में हमें अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारी जरूरत 500 लाख टन की है और हमारा उत्पादन 900 लाख टन। अब हमें गेहूं का निर्यात करने के लिए बाजार खोजने चाहिए।

जहां तक चावल का संबंध है, हमारी आवश्यकता 1200 लाख टन की है, किन्तु औसत पर हमें केवल 700 लाख टन ही मिल पाता है। अतः हमें इसके उत्पादन पर ध्यान देना चाहिये। कठिनाई यह है कि दो-तिहाई चावल का उत्पादन वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होता है और वहां हमने पर्याप्त अनुसंधान कार्य नहीं किया है। अतः इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए।

बहुत दुख की बात है कि कृषि मूल्य बहुत अस्थिर हैं। चाहे हम उत्पादन में कितनी भी वृद्धि कर लें जब तक मूल्यों में स्थिरता नहीं होगी खेतिहर लोगों को लाभ नहीं हो सकता।

कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था तब से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। आयोग में किसानों को स्थान नहीं दिया गया है केवल नौकरशाही और

उपभोक्ताओं को ही रखा गया है। मूल्य निर्धारित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति होनी चाहिये।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, अब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। अतः सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वेक्षण शीघ्र पूरा हो ताकि जल का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके। अभी तक हम केवल उत्पादक योजनाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के संरक्षणात्मक योजनाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जल एकत्र करने के लिए तालाब आदि बनाए जाने चाहिए, नदियों में पत्थर की दीवारें बनाई जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप यदि पास के कुओं में पानी जाने लगेगा तो हम अप्रत्यक्ष रूप की सिंचाई में सफल हो जाएंगे।

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1.	1.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि तथा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
	2.	"	किसानों को अच्छे किस्म के बीज देने में असफलता।	"
	3.	"	फसलों को चूहों से बचाने में असफलता।	"
	4.	"	देश में गल्ला मण्डियों का विनियमन करने और किसानों को गोदाम और ऋण सुविधायें देने में असफलता।	"
	5.	"	कृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने के लिये कोई तन्त्र बनाने में असफलता।	"
	6.	"	किसानों को आवश्यक पशु आहार उपलब्ध करने में असफलता।	"
2.	19.	"	लेवी चीनी का मूल्य निश्चित करने में मराठी समिति का प्रतिवेदन लागू करने में असफलता।	"
	20.	"	गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल मालिकों के अत्याचार से बचाने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2.	21.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	विभिन्न फसलों के लिये किसानों की विपणन समितियां गठित करने की आवश्यकता ताकि उन्हें मण्डी में शोषण से बचाया जा सके।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं
	22.	"	कृषि अनुसन्धान के लिये अधिक धन जुटाने में असफलता।	"
	23.	"	कृषि वैज्ञानिकों को कुछ निहित स्वार्थों की आलोचना से बचाने में असफलता।	"
	24.	"	कुएं खोदने, पानी खेतों तक ले जाने के लिये सीमेंट के पाइप बिछाने और सिंचाई कार्यों तथा छिड़काव के लिये नकद सहायता देने की आवश्यकता।	"
	25.	"	राष्ट्रीय बीज निगम को समय पर बढ़िया बीज उपलब्ध कराने में असफलता।	"
	26.	"	किसानों को अपने बीज स्वयं तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने और उसके लिये उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता।	"
	27.	"	राज्य फार्मा द्वारा उद्देश्य प्राप्त करने में असफलता।	"
	28.	"	कृषि श्रमिकों को दी गई भूमि को उनके द्वारा सुधारने के लिये समुचित राशि ऋण के रूप में देने में असफलता	"
	28.	"	किसानों को उर्वरक और कीटनाशी दवाइयां कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने में असफलता।	"
	30.	"	स्थानीय जनशक्ति संसाधनों का विकास करने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2.	31.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	पौधा संरक्षण के लिये किसानों को प्रशिक्षण देने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	32.	"	खरपतवार नाशक दवाइयों के प्रयोग के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।	"
	33.	"	फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये विमान द्वारा छिड़काव की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	34.	"	फसलों का एक क्रम निश्चित करने में असफलता।	"
	35.	"	कृषि में धन का अपव्यय रोकने की आवश्यकता।	"
	36.	"	कपास, तिलहन और दालों की फसलों का क्षेत्र बढ़ाने में असफलता।	"
	37.	"	देश में जिन वस्तुओं की कमी है उन की फसलें उगाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	"
	38.	"	देश में मुख्य फसलों के लिये उपज की लागत का लेखा तैयार करने की आवश्यकता।	"
	39.	"	सभी राज्यों में सुधार भूमि जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने और इन संसाधनों का पता लगाने के लिये आधुनिक तरीके अपनाने में असफलता।	"
	40.	"	देश में सभी प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।	"
	41.	"	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी शाखाओं के सुधार की आवश्यकता	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	42.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	देश के लिये उपयुक्त कृषि औजारों और मशीनों का आविष्कार करने में असफलता।	राशि में से 100 घटा दिये जायें
	43.	"	बारानी खेती का विकास करने में असफलता।	"
	44.	"	कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये और धन जुटाने की आवश्यकता	"
	45.	"	क्षारयुक्त और खारी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये अनुसन्धान करने में असफलता।	"
	46.	"	कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विस्तार कार्य का विकास करने की आवश्यकता।	"
	47.	"	किसानों की सेवा समितियों को समुचित धन दिलाने में असफलता।	"
3.	54.	"	भारतीय मीन उद्योग की सघन विकास योजनाओं के अन्तर्गत अभिकरणों का विकास करने की आवश्यकता।	"
	55.	"	खारे पानी में मीन उद्योग का विकास करने की आवश्यकता।	"
	56.	"	मछेरों को नाइलोन के जाल और यंत्रचालित नौकायें देने की आवश्यकता।	"
	57.	"	तट के साथ-साथ मछलियां पकड़ने वाले के गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में विफलता।	"
	58.	"	मीन संरक्षण की सुविधायें देने में आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	59.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	मछेरों को ऋण देने के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रु० घटा दिये जायें
	60.	"	मीन उत्पादों को निर्धारित दर पर ख़रीदने और इस प्रकार मछेरों की सहायता करने में असफलता।	"
	61.	"	ग्रामीण क्षेत्रों में मछेरों को अपेक्षित अंकुर देने में असफलता।	"
	62.	"	पर्याप्त संख्या में मछली पकड़ने के पत्तन बनाने तथा नौकाओं को ठहराने की व्यवस्था करने में विफलता।	"
	63.	"	भारतीय तट पर समुद्री मत्स्य ससाधनों के सर्वेक्षण के लिये राशि नियत करने की आवश्यकता।	"
	64.	"	मछेरों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करने की आवश्यकता।	"
	65.	"	मीन उद्योग के लिये उपहारस्वरूप अधिक सामग्री और उपकरण देने की आवश्यकता।	"
4.	71.	"	कृषकों को अधिक मात्रा में जमाया हुआ वीर्य की सप्लाई न करने में असफलता।	"
	72.	"	भेड़ें खरीदने के लिये भेड़ पालकों को आवश्यक राशि मुहैया करके सहायता देने में असफलता।	"
	73.	"	सब कृषि विश्वविद्यालयों में डेरी विकास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
74.		श्री पी० राजगोपाल नायडू	पशुओं का बीमारियों से संरक्षण करने के लिये अधिक दवाई का उत्पादन घटा दिये जाये करने की आवश्यकता ।	100 रु०
75.	"	"	सभी वर्तमान भेड़ फार्मों के इर्द गिर्द भेड़ पालकों के ग्राम बनाने की आवश्यकता ।	"
76.	"	"	ऊन का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता, ताकि हम विदेशी मुद्रा कमाने के लिये अन्य देशों को इसका निर्यात कर सकें ।	"
77.	"	"	संकर नस्ल की बछड़ियों के लिये सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	"
78.	"	"	देश में पशुओं के लिये आवश्यक चारे का विकास करने में असफलता ।	"
79.	"	"	राज्य में पशु और कुक्कुट प्रदर्शनियों का प्रतिवर्ष आयोजन करने में असफलता ।	"
80.	"	"	डेरी विकास के लिये अधिक राशि नियत करने की आवश्यकता ।	"
81.	"	"	दिल्ली दुग्ध योजना को दक्षतापूर्वक चलाने में असफलता ।	"
82.	"	"	पिछड़े देशों में बड़े पैमाने पर पशु विकास अभियान तेज करने की आवश्यकता ।	"
5.	86.		वम उत्पाद का पूर्ण उपयोग करने में विफलता	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	87.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	वनों में वन्य प्राणियों का संरक्षण करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	88.	"	देश में चिड़ियाघरों और सार्वजनिक उद्योगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।	"
	89.	"	उजड़े वन क्षेत्रों में पुनः वनरोपण की आवश्यकता।	"
	90.	"	बंजर भूमि तथा पंचायती भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण की आवश्यकता।	"
	91.	"	वनों में पानी और भू-संरक्षण की अधिक योजनायें बनाने में विफलता।	"
	92.	"	वनों के संरक्षण में विफलता।	"
	93.	"	निजी वनों के विकास की आवश्यकता।	"
	94.	"	चक्रवात से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वनरोपण की आवश्यकता।	"
	95.	"	पांडु अथवा स्थान बदल-बदलकर खेती करने की पद्धति को रोकने में विफलता।	"
	96.	"	नदी घाटी परियोजनाओं के अपवाह क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यों में वृद्धि करने की आवश्यकता।	"
	97.	"	देश के समूचे वन संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	"
6.	102.	"	गेहूं का निर्यात करने में विफलता।	"
	103.	"	खरीदे गये अनाज को रखने के लिये पर्याप्त संख्या में गोदामों का निर्माण करने में असफलता।	"
	104.	"	चीनी का निर्यात करने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	105.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन व्यय में कमी करने में विफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	106.	"	आन्ध्र प्रदेश में वसूली मूल्य पर धान की खरीद करने में विफलता।	"
	107.	"	सब्जियों और फलों के संरक्षण के लिये अधिक शीतागारों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	108.	"	अधिक पोषक खाद्य के उत्पादन की आवश्यकता।	"
	109.	"	अनाज रखने में किसानों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता।	"
	110.	"	अनाज बचाओं अभियान को तेज करने की आवश्यकता।	"
	111.	"	वसूल किये गये अनाज पर बोनस देने में विफलता।	"
	112.	"	चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने में विफलता।	"
	113.	"	फल और सब्जी उत्पाद निगम को सशक्त बनाने की आवश्यकता।	"
7.	118.	"	ग्रामीण मंडियों का बड़े पैमाने पर विकास करने की आवश्यकता।	"
	119.	"	रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करने के लिये और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	120.	"	मंडी क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	121.	"	ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	122.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	123.	"	ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यों का विकास करने की आवश्यकता।	"
	124.	"	सभी विश्वविद्यालयों में ग्रामीण विकास कक्षों की स्थापना करने में असफलता।	"
	125.	"	ग्रामीण विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	126.	"	डी० पी० ए० पी० क्षेत्रों में भी छोटे किसानों के लिये एजेंसियाँ खोलने में असफलता।	"
	127.	"	दक्षिण भारत में "काम के बदले भोजन योजना" को बड़े पैमाने पर लागू करने में असफलता।	"
	128.	"	पूरे रोजगार के लिये क्षेत्रीय आयोजन हेतु अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	129.	"	देश में महिला मण्डलों को सुदृढ़ बनाने के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
8.	136.	"	कृषि अनुसंधान के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
9.	139.	"	हमारी परिस्थितियों के अनुरूप भू-संरक्षण में अनुसंधान को तेज करने में असफलता।	"
	140.	"	बरानी खेती सम्बन्धी अनुसंधान के लिये अधिक धन देने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10.	145.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	आधारभूत जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन में तेजी लाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें,
	146.	"	जल संसाधनों के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लागू करने की आवश्यकता।	"
	147.	"	नर्मदा जल विवाद को तय करने में असफलता।	"
6.	157.	"	सम्पूर्ण देश को चावल जोन घोषित करने के बावजूद चावल लाने-लेजाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने में असफलता।	"
1.	10.	श्री पूर्ण सिन्हा	छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों को समुचित सहायता देने की आवश्यकता।	"
4.	83.	"	संकर नस्ल की बछड़ियों के लिये छोटे किसानों और श्रमिकों को सहायता न देना।	"
	84.	"	कुक्कट, सुअर तथा भेड़ पालन के लिये छोटे किसानों और श्रमिकों को सहायता न देना।	"
5.	98.	"	वन संसाधनों का गलत सर्वेक्षण।	"
	99.	"	प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में बंजर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण के कार्य का पर्याप्त न होना।	"
	100.	"	हिमालय क्षेत्र में भूमि और जल संरक्षण की समेकित योजनायें।	"
6.	114.	"	अनाज के सौदों पर भारतीय खाद्य निगम को देय राज्य सहायता का अपर्याप्त होना।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
6.	115.	श्री पूर्ण सिन्हा	धान कुट्टन और अनाज की वसूली तथा सप्लाई का असमान आधुनिकीकरण ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	116.	"	पूर्वी भारत के लिये भारतीय खाद्य निगम का एक पृथक शाखा बनाने की आवश्यकता ।	"
7.	131.	"	छोटे और सीमान्त किसानों के लिये अनुदानों की अपर्याप्तता ।	"
	132.	"	आदिवासी विकास के लिये अनुदानों की अपर्याप्तता ।	"
	133.	"	पंचायती राज संस्थाओं के लिये अनुदानों की अपर्याप्तता ।	"
	134.	"	निर्माण एजेंसियों के धन के बदले गेहूं देना । (खाद्यान्न स्टॉक का उपयोग) ।	"
10.	149.	"	केन्द्रीय जल आयोग का प्रभावहीन कार्य-करण ।	"
	150.	"	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपायों की अपर्याप्तता ।	"
	11.	श्री शिबबन लाल सक्सेना	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	"
	12.	"	खाण्डसारी और गुड़ उद्योग का उचित विकास करने में असफलता जिसमें गन्ने की खपत सर्वाधिक होती है परन्तु जिस पर उसकी क्षमता से अधिक कर लगाया जाता है ।	"
	13.	"	चीनी और गन्ने के विकास सम्बन्धी नीति, जहां 40 वर्ष के कथित विकास के बाद भी गन्ने से मिलने वाली चीनी को मात्रा घटी है,	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			पिराई का मौसम भी कम हुआ है और प्रति एकड़ गन्ने की उपज भी घट गई है तथा चीनी कारखानों का आकार भी समुचित रूप से नहीं बढ़ा है ।	
1.	14.	श्री शिबबन लाल सक्सेना	मूलभूत परिषद को भारतीय चीनी विकास परिषद और भारतीय गन्ना विकास परिषद में बदलना जो गैर-वैज्ञानिक और हानिकर है ।	राशि में से घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
	15.	"	देश भर में गेहूं और चावल की औसत उपज पांच टन प्रति एकड़ तक बढ़ाने में असफलता जैसाकि जापान तथा अन्य विकसित देशों में बीजों की सुधरी किस्मों का विकास करके और उसके व्यापक वितरण द्वारा किया गया है ।	"
	16.	"	देश भर में छोटे रेशे की कपास के स्थान पर लम्बे रेशों की मिस्त्री कपास पैदा करने में असफलता ।	"
2.	48	"	यह आदेश जारी करने में असफलता कि किसी भी चीनी मिल को उसके क्षेत्र में सभी गन्ने की पिराई करने तक बन्द नहीं किया जायेगा और तब तक भी बन्द नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने सरकार द्वारा निश्चित गन्ने का न्यूनतम मूल्य किसानों को न दे दिया हो ।	"
	49.	"	कृषि अनुसन्धान की उपलब्धियों का उपयोग किसानों के खेतों में करने में असफलता ।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्तावक का नाम प्रस्ताव सं०	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2.	50. श्री शिव्बन लाल सक्सेना	गोरखपुर और मेरठ में बड़े पैमाने पर राशि में ले 100 कोयम्बतूर किस्म के गन्ना बीज ६० घटा दिए जायें। उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने में असफलता।	
3.	52. „	देश की नदियों और अविकसित समुद्र तटों पर मीन क्षेत्रों का विकास रूपया कर दी जाये करने में असफलता।	
	53. „	देश के मछली सम्बन्धी संसाधनों का पूरा उपयोग करके मछली निर्यात उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने में असफलता।	„
4.	67. „	पशुओं की वर्तमान घटिया नस्ल के स्थान पर घटिया नस्ल के पशुओं को बधिया करके और पर्याप्त संख्या में हरियाणा और अन्य बढ़िया नस्लों के सांडों की व्यवस्था करके हरियाणा नस्लों तथा विश्व भर की अन्य सुधरी नस्लों के पशुओं की व्यवस्था करने के लिये किसी व्यापक योजना का न बनाया जाना।	„
	68. „	देश में प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष को ताजा दूध की सप्लाई के लिये कोई व्यापक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में विफलता।	„
	69. „	बड़े पैमाने पर उपयुक्त घास की खेती करके और प्रत्येक ग्राम तथा वनों में चलने के लिये पर्याप्त क्षेत्र सुरक्षित करके पशुओं के चारे के पर्याप्त उपबन्ध के लिये कोई व्यापक योजना बनाने में विफलता।	„

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4.	70.	श्री शिबन लाल सक्सेना	देश भर में दुधारू पशुओं और उनके वंश का वध कानून द्वारा पूर्णतया रूपा कर दी जाए। बन्द करने में विफलता।	
5.	85.	"	वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून को यह जिम्मेदारी देकर कि वह देश की वन सम्पत्ति को कम से कम समय में शीघ्रातिशीघ्र दुगना करने के लिये पर्याप्त उपाय करें, पूर्णतया स्वायत्त निकाय बनाने की योजना बनाने में विफलता।	"
6.	101.	"	भारतीय खाद्य निगम को समाप्त करने और खाद्यान्नों से पूर्णतया नियंत्रण हटाने में विफलता, जबकि हमारे पास किसी भी संकट का सामना करने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का भण्डार है।	
7.	117.	"	ग्रामीण विकास के लिये एक व्यापक योजना बनाने में विफलता, जिसके क्रियान्वयन से प्रत्येक गांव में साफ पानी तथा सफाई की व्यवस्था की जा सके और बिजली मुहैया की जा सके।	"
8.	135.	"	कृषि में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेज को सहायता देकर देश में प्रत्येक डिग्री कालेज में बी० एससी० और एम० एससी० पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये योजना तैयार करने में अमफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8.	137	श्री शिबबन लाल सक्सेना	भारतीय गन्ना विकास परिषद् की गतिविधियाँ जिसकी वर्ष में केवल कुछ घंटों के लिये एक ही बैठक होती है और गन्ने के विकास के लिये जिसका योगदान नगण्य है।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें।
9.	138.	„	परिषद् को कृषि विकास के लिये व्यापक अनुसंधान परियोजनाएँ चलाने के लिये पर्याप्त धन देने में असफलता	„
10.	142.	„	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की फरुन्डा तहसील के प्रत्येक गांव में जिसके पांच लाख एकड़ के क्षेत्र में बिल्कुल सिंचाई नहीं होती और जहाँ प्रति वर्ष भयंकर सूखा पड़ता है, कम से कम दो नलकूप खोदने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए।
2.	17.	श्री दाजीबा देसाई	उत्पादकों को कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता।	„
	18.	„	कृषि वस्तुओं के उत्पादन, विपणन और व्यापार में समन्वय का अभाव	„
3.	151.	श्री अमृत कासर	गोवा, दमन तथा दीव संघ शासित प्रदेश में पुश्तैनी मछेरों तथा मछली पकड़ने वाली नौकाओं के स्वामियों के बीच झगड़े को हल करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
	152.	„	मछेरों को संरक्षण देने के लिये पांच फेदम के नियम को क्रियान्वित करने हेतु गोवा, दमन तथा दीव की सरकार को गश्ती नौकायें सप्लाई करने में असफलता।	„

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3.	153.	श्री अमृत कासर	भारत के पश्चिमी तट के पुश्तैनी राशि में से 100 मछेरों को संरक्षण देने में असफ- रु० घटा दिये जायें। लता।	
	154.	"	अलग अलग किस्म की मछलियों के लिए मछली पकड़ने के जालों के सीमांकन सम्बन्धी कानून बनाने में असफलता।	
1.	164.	श्री मनोरंजन भक्त	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करने में असफलता	"
	165.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश के रणगाट तथा डिगलीपुर तहसीलों के क्षार प्रभावित क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने में असफलता।	"
2.	166.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में सस्ती दरों पर उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की आवश्यकता।	"
	167.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग की गत दो वर्षों में धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने में असफलता।	"
	168.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में संघशासित प्रदेश में धान और चावल का वसूली मूल्य बढ़ाने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2.	169.	श्री मनोरंजन भक्त	देश भर में कीटनाशी दवाओं और उर्वरकों के मूल्य कम करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
	170.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में भू-संरक्षण योजना क्रियान्वित करने में असफलता ।	"
3.	171.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने में असफलता ।	"
	172.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मीन उद्योग निदेशालय द्वारा किये गये काम की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच करवाने की आवश्यकता ।	"
	173.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी योजना बनाने की आवश्यकता ।	"
	174.	"	विदेशों से मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात रोकने की आवश्यकता ।	"
7.	175.	"	कृषि उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिये ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर वर्कशॉप स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण तथा सहायता देने में असफलता ।	"
10.	176.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10.	177.	श्री मनोरंजन भक्त	किसानों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये उत्तरी अण्डमान में कलपोंग नदी पर बांध बनाने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
4.	178.	"	बार बार किये गये अभ्यावेदनों के बावजूद पोर्टब्लेयर में श्वेतक्रांति के अन्तर्गत दूध सप्लाई करने में असफलता।	"
	179.	"	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश में बढ़िया नस्ल वाले दूधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करने में असफलता।	"
	180.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में पर्याप्त पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने में असफलता।	"
	181.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में संकर किस्म की बछड़ियों के लिये छोटे सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को सहायता देने में असफलता।	"
5.	182.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को सस्ती दरों पर मकान बनाने की लकड़ी चैतम सरकारी आरा मिल, पोर्ट ब्लेयर से उपलब्ध करवाने में असफलता।	"
	183.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिये उन परिस्थितियों की जांच	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
----------	--------------------	------------------	---------------	---------------

करने की आवश्यकता जिन परिस्थितियों में इनको दस वर्ष बाद लकड़ी के दरों पर 33 प्रतिशत अधिक राशि देने के लिये कहा गया जिसके कारण ये कारखाने बंद हो सकते हैं।

5. 184. श्री मनोरंजन भक्त अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह राशि में से 100 संघशासित प्रदेश में आरक्षित तथा ६० घटा दिये जाएं। रक्षित वनों के लिये क्षेत्रों की निशानदेही से पूर्व गांव के जंगलों के लिये क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता।
185. " उत्तरी तथा मध्य अण्डमान के क्षेत्रों में फसलों को हिरणों तथा सूअरों के आतंक से बचाने के लिये जंगली सूअरों और हिरणों का शिकार करने की अनुमति देने हेतु वन नियमों में ढील देने की आवश्यकता। "
6. 186. " अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति चावल की मात्रा पांच किलो से बढ़ा कर 8 किलो करने में असफलता। "
187. " अण्डमान और निकोबार संघ शासित प्रदेश में लोगों के खाने के लिये गेहूं तथा चावल भेजने की आवश्यकता। "
7. 188. " अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत पोषाहार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफलता। "

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7. जारी	189.	श्री मनोरंजन भक्त अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	राशि में से 100 संघ शासित प्रदेश के लिये विकेन्द्री- ६० घटा दिये जाएं। कृत सूक्ष्म स्तर ब्लाक आयोजना पर आधारित 10 वर्ष की अवधि के भीतर सामाजिक न्याय तथा पूर्ण रोजगार के लिये समेकित ग्रामीण विकास की नीति बनाने की आवश्यकता।	
	190.	"	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश में खाद्यान्नों के स्टॉक का उपयोग करके लाभकारी रोजगार पैदा करने की योजना क्रियान्वित करने में असफलता।	"
9.	191.	"	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पोर्ट ब्लेयर के एसोसिएट परियोजना निदेशालय के कार्यकरण की जांच करने की आवश्यकता।	"
	192.	"	पोर्ट ब्लेयर में, जहां आलू नहीं उगाये जाते हैं, आलू विशेषज्ञ नियुक्त करना।	"
3.	193	श्री पी० के० देव	उड़ीसा तट के पास समुद्र में मछली उद्योग का विकास करने की वांछनीयता।	"
5.	194.	"	भूमि कटाव को रोकने के लिये काला-हांडी जिले के इन्द्रावती जल ग्रहण क्षेत्र और पहाड़ी ढलानों पर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता।	"
10.	195.	"	अपर इन्द्रावती परियोजना को निर्धारित अवधि के लिये भीतर पूरा करने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
6.	252.	श्री पी० के० देव	कालाहांडी जिले के दोषी चावल मिल मालिकों से 2.41 करोड़ रुपये रु० घटा दिये जाएं। वसूल करने में असफलता।	100
	253.	"	कालाहांडी जिले में सरकारी क्षेत्र में नवीनतम चावल मिल लगाने की तत्काल आवश्यकता।	"
10.	256	"	कालाहांड जिले के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य द्वारा उपयोग करने में असफलता।	"
	257.	"	उड़ीसा में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये मानदण्ड बनाने की वांछनीयता।	"
2.	196.	श्री के० लकप्पा	प्राकृतिक प्रकोपों के कारण खेती को होने वाले नुकसान के लिये किसानों को सहायता देने हेतु फसल बीमा शुरू करने में असफलता।	"
	197.	"	भूमिगत जल संसाधनों, विशेषकर शुष्क खेती और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कराने में असफलता।	"
	198	"	उत्पादन को बढ़ाने के लिये चावल, रागी तथा अन्य खाद्यान्नों की नई किस्में खोजने में असफलता।	"
	199	"	उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसानों को अच्छी किस्म के बीज वितरित करने में असफलता।	"
4.	200.	"	पशु बीमा शुरू करने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9.	201.	श्री के० लक्ष्मण	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य निकायों द्वारा कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अंग्रेजी अनुसंधान कार्य के प्रति सराहना का अभाव तथा व्यवहारिक खेती पद्धति पर नई विकसित प्रौद्योगिकी लागू करने के प्रति रुचि का अभाव।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं
	202.	"	प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विज्ञान के लिये किये गये योगदान का महत्व कम करने के प्रयास।	"
10.	203.	"	गंगा कावेरी नदियों को जोड़ने, जिसकी सिफारिश विशेषज्ञों द्वारा बाढ़ों का मुकाबला करने एवं सिंचाई की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये की गई है, के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कदम उठाने में असफलता।	"
	204.	"	सिंचाई के लिये दक्षिणी राज्यों की मुख्य नदियों को जोड़ने के लिये प्रारम्भिक कदम उठाने में असफलता	"
6.	206	श्री अण्णासाहिब गोटेखिंडे	लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी क्षेत्रों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने की आवश्यकता।	"
	207.	"	लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय मराठे समिति और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर अमल करने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2.	208.	श्रीमती पार्वती कृष्णन	किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
	209.	"	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने तथा किसानों को गन्ने का मूल्य दिलवाने में असफलता ।	"
	210.	"	भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित कराने, खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलवाने तथा अतिरिक्त परती भूमि को जोतने वाले को दिलवाने में असफलता ।	"
2.	211.	"	पूरे वर्ष में खेतीहर मजदूरों को रोजगार दिलवाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं
	212.	"	कृषि आधारित उद्योगों का विकास करने तथा इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता ।	"
	213.	"	किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उन्हें कम दरों पर माल बेचने पर विवश किये जाने से बचाने की आवश्यकता ।	"
	214.	"	अलाभकारी जोतों को छोड़कर भूमि राजस्व की ग्रेडिड प्रणाली लागू करने में असफलता ।	"
	215.	"	छोटे तथा मध्यम कृषकों को पर्याप्त ऋण तथा सस्ती बिजली दिलवाने की आवश्यकता ।	"
	216.	"	खेतीहर मजदूरों के लिये द्रुत आवास योजनायें शुरू करने में असफलता ।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2. जारी	217.	श्रीमती पार्वती कृष्णन	खेतीहर मजदूरों को आवास स्थान आबंटित करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिय जाएं
	218.	"	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू तथा केरल के तूफान ग्रस्त लोगों के पुनर्वास हेतु योजना आबंटन के अतिरिक्त पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	"
10.	219.	"	अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को तेजी से हल करने के लिये कार्यवाही करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
10.	220.	"	द्रुत बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू करने में असफलता।	"
	221.	"	कोयम्बटूर जिले के आवश्यक पण्डेयार-परमपुञ्जा योजना सहित सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई योजनायें शुरू करने में असफलता।	"
10.	222.	"	सूखा पीड़ित तथा मरुस्थल क्षेत्रों के लिये सिंचाई सुविधायें हेतु अखिल भारतीय सिंचाई प्रणाली शुरू करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	223.	"	गंगा कावेरी योजना को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाने में असफलता।	"
2.	224.	श्री पी० के० कोडियन	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित बीजों की किस्म सुधारने की आवश्यकता।	"
	225.	"	खाद्यान्नों, फाइबर फसलों, बागान फसलों, तिलहनों और सब्जियों के उत्पादन के लिये और अधिक यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2. जारी	226.	श्री पी० के० कोडियन	किसानों को सस्ती दरों पर कृषि राशि में से 100 रु० के लिये कृषि मशीनें और औजार घटा दिये जाएं तथा अन्य सामग्री सप्लाई करने में असफलता।	
	227.	"	भूमि, जल संसाधनों का उपयोग करने में असफलता।	"
	228.	"	फालतू भूमि के अलाटियों को सभी प्रकार की आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिये एक समुचित योजना बनाने में असफलता।	"
	229.	"	भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन की बहुत धीमी प्रगति।	"
	230.	"	विभिन्न राज्य फार्मों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को लागू करने में असफलता।	"
	231.	"	किसानों को सप्लाई किये जाने वाले आयातित उर्वरकों के मूल्य और कम करने की आवश्यकता।	"
	232.	"	गेहूं के वसूली मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर समुचित विचार करने में असफलता।	"
	233.	"	भूमि संरक्षण परियोजनायें आरम्भ करने के लिये राज्यों को और अधिक सहायता देने की आवश्यकता।	"
	234.	"	कीटों की समस्या जिससे काजू का उत्पादन कम होता है, हल करने में असफलता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
	235.	श्री पी० के० कोडियन	एक निश्चित अवधि में कच्चे काजूओं के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये देश में काजू की खेती का विकास करने हेतु एक विस्तृत योजना बनाने और उसे शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं।
3.	236.	"	उन पुश्तैनी मछेरों के हितों की रक्षा करने में असफलता जो यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं के बजाय स्वदेशी नौकाओं का प्रयोग करते हैं।	"
	237.	"	पुश्तैनी मछेरों और छोटी यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं का प्रयोग करने वालों के हितों के प्रतिकूल एकाधिकार गृहों और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के काम को अनावश्यक बढ़ावा देना।	"
	238.	"	मछलियां पकड़ने के लिये यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग करने वाले सहकारी मीन उद्योग में पुश्तैनी मछेरों को लगाने की आवश्यकता।	"
	239.	"	निर्धन मछेरों के लिये आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"
	240.	"	अन्तर्देशीय मीन उद्योग के विकास के लिये दिया जाने वाला अपर्याप्त आबंटन।	"
	241.	"	पुश्तैनी मछेरों का शोषण करने वाले बिचौलियों को मीन उद्योग से हटाने की आवश्यकता।	"

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4.	242.	श्री पी० के० कोडियन	नये क्षेत्रों में मुर्गीपालन, सुअरपालन, और भेड़ पालन हेतु छोटे/सीमान्त तथा खेतीहर मजदूरों को सहायता देने के लिये योजना लागू करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
5.	243.	"	वन संसाधनों का पूर्व-निवेश सर्वेक्षण करवाने में धीमी प्रगती।	"
	244.	"	वन श्रमिकों और विशेषकर आदिम-वासी वन श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा निर्मम शोषण करने को रोकने में असफलता तथा ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किसी योजना का अभाव।	"
	245.	"	तेन्दु पत्ता उद्योग में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता।	"
	246.	"	देश की वन सम्पदा के संरक्षण, बचाव तथा विस्तार के लिये राष्ट्रीय वन नीति बनाने की आवश्यकता।	"
6.	247.	"	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	"
	248.	"	समाज के कमजोर वर्गों के लिये सस्ते तथा नियंत्रित दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए उचित दर दुकानों का जाल बिछाने में असफलता।	"
	249.	"	खाद्य जनों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता।	"
	250.	"	खाद्यान्नों की चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी रोकने में असफलता।	"
	251.	"	गेहूं तथा चावल की वसूली के लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता।	"

SHRI DHARMA VIR VASISHT (Faridabad) : Mr. Speaker, Sir, just now Shri Naidu appreciated the water management of Haryana and he said that irrigated area in Punjab is 75 percent and in Tamil Nadu it is 71 percent, whereas in Assam it is only 5 percent. He said that all states should have uniform irrigated area. Every State has its peculiar circumstances and irrigation facilities are provided in keeping with those circumstances. Throughout the world there is only 20 percent area which has irrigational facilities.

1.7 crore hectares of land has been brought under irrigation in the Five Year Rolling Plan which was not done earlier even in a period of 25-30 years. This year a provision of 8600 crores of rupees has been made for agriculture which is 12.4 percent of total budget. A provision of 7650 crores of rupees is being made in the five year plan for irrigation which comes to 13.9 percent of total budget. The procurement price of wheat and paddy has been increased. The price of nitrogenous fertilizers has been reduced for the benefit of farmers.

Irrigational facilities have to be increased. Seventy percent of earth is covered by water, but 93 to 97 percent of water in sea is saltish and only 4 percent of water is in the form of snow. Schemes are being drawn up of the control of river water and for flood control.

Shri Naidu said that there is no national policy on agriculture. Is it not a national policy that we have made more provision for irrigation, agriculture, power, horticulture and forest. The prices of agricultural inputs are being reduced progressively. There should be farmer's representation on Agricultural Prices Commission.

The prices of gur have fallen very much this year. Gur should be exported to other countries. Co-operatives, Sub-marginal farmers and marginal farmers be provided assistance.

The support price of pulses has been increased from Rs. 95/- to Rs. 125/-. The Government have prepared a major scheme for the development of oilseeds and other cash crops. In 1977-78, an additional area of 4.3 lakh of hectares has been brought under the cultivation of sun flower and soyabean is being produced in an area of 2.5 lakhs of hectares.

This fact should be kept in mind that our caloric nutritional value is very low in comparison to Britain. A man does not get sufficient meals here. My submission is this that production and per capita consumption of foodgrains may be increased. Only surplus foodgrains can be exported.

Now I come to white revolution. Haryana is famous for animal husbandry and milk. Here the bull is of good breed. There is no objection if bull is imported but proper attention should also be given to the bulls of Haryana. In 1977-78 the milk production of Haryana was 272 lakhs tonnes in comparison to 232 lakhs tonnes in 1973-74. Haryana has made earnest efforts to improve hybrid breeding in her state. Work on agriculture and flood control is going on satisfactorily.

With the suggestion I thank you. The Ministry is showing good performance. Solution to the problem of Gur and sugarcane should be found out.

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे (अहमदनगर) : गत वर्ष के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मैं श्री बरनाला और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि देश में 1975-76 के बाद अधिकतम उत्पादन हुआ है और संभवतः इस वर्ष उत्पादन 123 मिलियन टन से भी अधिक होगा। दूसरा, देश के वियतनाम, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान इत्यादि देशों को खाद्यान्नों का निर्यात किया है और तीसरा भारत सोवियत संघ से उस गेहूँ के बारे में, जो उन्होंने हमें उधार दिया था, समझौता करने में सफल हुआ है।

देश में खाद्यान्नों का आयात 1918 में शुरु हुआ था। यह एक महान ऐतिहासिक घटना है कि अब देश खाद्यान्नों के मामले में केवल आत्म निर्भर ही नहीं हुआ है अपितु खाद्यान्नों के निर्यात करने की भी स्थिति में आ गया है।

पंजाब राज्य में इस वर्ष चावल का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है इसके लिए भी मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। लेकिन मंत्री महोदय इस बात को अवश्य मानेंगे कि कृषि उत्पादन रातों रात नहीं हो जाता। इस वर्ष जो अच्छा उत्पादन हुआ है वह देश में पिछले दशकों में किए गए कार्य का सुपरिणाम है।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में सुरक्षित भंडार रखने की बात स्वीकार कर ली है लेकिन खेद है कि सुरक्षित भंडार के बावजूद भी सरकार गरीब लोगों को कोई सहायता नहीं दे पाई है। खाद्यान्नों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर नहीं किए जा सके हैं। देश के 40 से 50 प्रतिशत लोगों को खर्च करने के लिए केवल 50 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिल पाते हैं। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गेहूं और दालों का औसतन मूल्य बढ़ा है। सरकार किसानों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल हुई है। सरकार उन्हें समुचित विपणन समर्थन देने में भी सफल नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश और गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों की दशा इस वर्ष बहुत ही खराब है। सब्जियों के उत्पादन में रोजगार की संभाव्यता बहुत अधिक होती है लेकिन दुर्भाग्यवश उनके मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने मिलकर प्याज, आलू और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रतिबन्ध को हटाया जाना चाहिए।

स्वदेशी दर्शन केवल औद्योगिक उत्पादों पर ही लागू नहीं करना चाहिए। करोड़ों रुपए की कपास और तिलहनों का आयात नहीं किया जाना चाहिए। यदि आदिवासियों को तिलहनों के उत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इस से कम 10 लाख आदिवासियों को रोजगार प्राप्त होगा और हमें दस लाख टन से भी अधिक तिलहन प्राप्त होगा। सरकार को कृषि उत्पादों का अंधाधुंध आयात नहीं करना चाहिए। मंत्री महोदय को डी० जी० टी० डी० जैसा एक संस्थान बनाना चाहिए। जिसे कृषि के बारे में अच्छी जानकारी हो और देश में कोई भी कृषि पदार्थ इस संस्थान की अनुमति के बिना आयात नहीं किया जाना चाहिए। जनता सरकार की वास्तव में भूमि सुधारों में कुछ आस्था है इसमें मुझे संदेह है, इस सम्बन्ध में मैं एक विशिष्ट उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात सरकार ने एक समिति की स्थापना की थी और समिति ने सिफारिश की थी कि भूमि की अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाए। यदि जनता सरकार की वास्तव में भूमि सुधारों में आस्था है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सिफारिश न मानी जाए भले ही इसे गुजरात सरकार क्यों न पेश करे। अन्यथा और राज्य सरकारें भी ऐसा अनुरोध करेंगी और फिर इसका कभी अन्त नहीं होगा।

यह भी लगता है कि जनता सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और विकास के विरुद्ध है। पता नहीं सरकार ने योजना आयोग को देश में ट्रैक्टरों की समस्या और कृषि के लिए ट्रैक्टर चाहिए या नहीं इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की अनुमति क्यों दे दी। पिछले वर्ष ही राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसके सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिश की है। इसके अलावा अन्य अनेक समितियों ने भी इस विषय का अध्ययन किया है। ट्रैक्टर हानिकर नहीं है। यह सन्देह कि ट्रैक्टरों के उपयोग से श्रमिक बेकार

हो जाएंगे सर्वथा गलत है क्योंकि पंजाब में जहां सब से अधिक ट्रैक्टरों का उपयोग होता है कृषि कार्यों के लिए बिहार से मजदूर आते हैं। यह सही है कि ट्रैक्टरों के उपयोग से बैलों का उपयोग कम हो जाएगा। परन्तु देश में चारे के साधन अपर्याप्त हैं और यदि उनका उपयोग बैलों के बजाए गायों के लिए किया जाए तो दूध के उत्पादन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहां बच्चों के लिए भी दूध की कमी और पोषण का अभाव है।

12 अश्व शक्ति से कम के ट्रैक्टरों पर से उत्पादन कर समाप्त करने का कोई लाभ नहीं।
12 अश्व शक्ति से कम के ट्रैक्टर कोई न खरीदता है और न उपयोग करता है।

कृषि अनुसन्धान कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब भी वैज्ञानिकों के कार्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो उसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों के एक दल की नियुक्ति की जाए।

मेरी शिकायत है कि कृषि और सिंचाई मंत्री को स्वयं वह वक्तव्य देना चाहिए था जो राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा दिया गया। कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष हैं और वक्तव्य देना उनका काम था। यह वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

लगता है सरकार ने वैज्ञानिक संस्थाओं की उपेक्षा आरम्भ कर दी है। इस क्षेत्र में यूनियन बागी नहीं होनी चाहिए। अतः सरकार की जिम्मेदारी और भी अधिक है। यदि वहां लोगों की कुछ शिकायतें हैं सरकार बहुत सतर्क रहे और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे।

रिपोर्ट में 20 करोड़ रुपए की योजनाओं और विश्व के लिए भोजन कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि जनता सरकार महाराष्ट्र की तरह देश भर में रोजगार की गारंटी योजना को लागू करने से क्यों हिचक रही है। देश से गरीबी दूर करने के लिए हमें प्रयाम करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी ही यहां गरीबी का मुख्य कारण है तथा वे प्रतिदिन 50 पैसे से भी कम कमाते हैं।

सरकार चीनी और गन्ने के सम्बन्ध में असफल रही है। गन्ने का मूल्य एकतरफा तय न करने की बजाए तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर तय करने की प्रथा अपनाई जाती रही है। यद्यपि सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर उसकी घोषणा भी की थी। परन्तु जब मूल्य तय करने की बात आई तो मंत्रिमंडल के निर्णय पर स्थिर न रह सकी। क्या सरकार को अपने कार्य के बारे में समाचार पत्रों की टिप्पणियों की जानकारी है? अनमाने ढंग से मूल्य की घोषणा कर सरकार ने बड़ी गलती की है। ऐसा कर सरकार ने सभी सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है। इसके उत्पादन में लाभ नहीं होगा। सभी निदेशनों की राय है कि देश में जहां चीनी की मात्रा अधिक बैठती हो वहां ही गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए। परन्तु अब यह प्रोत्साहन उन क्षेत्रों में दिया जा रहा है जहां भूमि पर अन्य फसलें लाभ के साथ उगाई जा सकती हैं। यह गलत नीति है।

सरकार फालतू चीनी के निर्यात की अनुमति नहीं दे रही है और परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए की चीनी गोदामों में सड़ रही है सरकार की यह नीति समझ में नहीं आती। सरकार दस

लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात कर सकती है। सरकार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भी 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु से कमा सकती है। यदि मूल्य घटते बढ़ते हैं तो सरकार इसके लिए एक रोक क्यों नहीं बनाती ?

हरियाणा, राजस्थान, बुन्देलखण्ड, मध्य प्रदेश और दक्षिण में ऐसे बहुत विस्तृत क्षेत्र हैं, जहां अक्सर सूखा पड़ता है। वर्षाकाल में नदियों में बाढ़ आ जाती है। यह फालतू पानी जमा करके सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ले जाना चाहिए और भूमिगत जल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए नहरें बनाई जानी चाहिए।

हमारे देश में भूमि का कटाव बहुत ही अधिक पैमाने पर हो रहा है। इससे अत्यन्त भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। इस समस्या का केवल अधिक वृक्ष लगाकर और वनारोपण करके ही समाधान किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरम्भ किया जाना चाहिए।

SHRI RAM MURTI (Bareilly) : I am surprised at the statement of Shri Shinde. He had been associated with the Agricultural department of the Government of India. Now he is putting all the blames for the ills on the head of Shri Barnala. 80 per cent of the population live in villages. Then why the previous Government did not make efforts to improve their lot. Instead, they set up big factories and developed big cities. The condition of share croppers have deteriorated. They are not taking interest in their work because they do not get anything in return. The target of irrigation could not be achieved. The sugarcane, which are produced in the north, have less contents in comparison to the South. The Government have not drawn up any plan for the cultivation of sugarcane. It is being cultivated in a haphazard way. I would request to the hon. Minister that a suitable plan for the agriculture may be drawn up taking into consideration the upliftment of marginal and small farmers.

Seventy five per cent of our countrymen depend on rice. But we have been able to increase the production of rice from 2 crore tonnes to 4 crore tonnes only, while the production of wheat has been raised from 65 lakh tonnes to 250 lakh tonnes. The production of gram, pulses and oilseeds has also not been increased according to our requirements. Full attention should therefore, be paid to bring the production of foodgrains, pulses etc. to the level of our requirements. Efforts should be made to remove the shortage of Fertilizers in our country.

It is good that the Government have formulated a big plan for dairy industry. But its proper and timely implementation should also be ensured. Suitable places for dairy development should be selected and people should be given adequate incentives to develop the dairy industry.

Our agricultural production is not increasing in proportion to the increase in our population. Hence full attention is required to be paid to increase further the agricultural production.

Monitoring sales centres on the pattern of those functioning in Japan should be set up in our country also. For better progress of agriculture coordination should be established between scientific Research, Scientific developments and extension services. The functioning of Block development committees is not satisfactory. They have become centres of corruption. Efforts should be made to improve their working. Persons with missionary zeal should be given encouragement and opportunity to work.

Irrigation facilities should be increased to cover larger areas of land. Rajasthan Canal should be completed at the earliest possible so that the vast potentiality of land in Rajasthan and other states can be utilised. Measures should be taken to remove silting in the canal of Kosi Projects.

The three pump sets at Haridwar, Narora and Okhla have completed their lives and therefore should be replaced.

Tehri Dam over Ganges should be constructed early. It will not only provide irrigation facilities but will also generate electricity.

It should also be ensured that the farmers be able to get remunerative price for their produce.

श्री राजाराम शंकराव माने (इचलकरांची) : कृषि की मुख्य समस्या भूमि और पशुओं द्वारा कम उत्पादन है और उसकी जरूरत है सिंचाई का विकास, भूसंरक्षण सीढ़ीदार खेत बनाना, भूमि समतल करना, बहतर बीज और उर्वरकों का वितरण तथा कुछ अन्य चीजें। कृषि राज्य का विषय है इसलिए कृषि विभागों का केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर समन्वय जरूरी है।

हमने कृषकों की मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है लेकिन हमने देश के वर्षा पर आधारित अधिकांश भागों की उपेक्षा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की अधिकांश योजनाओं का अधिकतम लाभ उन व्यक्तियों एवं वर्गों ने उठाया है जिनके पास साधन हैं। जिनके पास जीविका के साधन नहीं हैं उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा है।

भारत सरकार जब कृषि विकास हेतु निधि आवंटित करती है तो उसका मुख्य भाग कर्मचारियों में ही बंट जाता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों में पानी की बहुत कमी है। कृषि विभाग का कर्तव्य है कि लोगों को पेय जल उपलब्ध हो।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए विशेष निधि की व्यवस्था नहीं की गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 150 लाख रुपए की लागत से एक कार्यक्रम बनाया गया था। योजना की मंजूरी एक वर्ष पूर्व दे दी गई थी लेकिन कार्य के लिए खेत केवल 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। इस गति से इस योजना के पूरा होने में 10-20 वर्ष लग जाएंगे। मंत्री महोदय स्वयं ध्यान देकर कोल्हापुर जिले के लिए छोटी सिंचाई योजना हेतु अधिक से अधिक धन की व्यवस्था कराएं।

चिकोतरा कासारी, कुम्भी, वेदगंगा आदि मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूरी दे रखी है, केवल सांकेतिक व्यवस्था ही की गई है। इनके लिए भारी धनराशि की जरूरत है।

देश के वर्षा पर आधारित भागों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। यह कार्य किया जाए। सरकार की वर्तमान कृषि योजनाओं से तो अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

भूमि सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। देश भर में चकबंदी अधिनियम लागू नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित विभाग ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि आवश्यकता हो तो प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि के विकास के लिए जोतों सीढ़ीदार खेत बनाए जाने हैं, शत प्रतिशत सहायता दी जाए।

इन क्षेत्रों में शुष्क खेती के लिए कृषि विभाग किसानों को अधिक उपज देने वाले संकर बीज, इतने मंहगे बेचता है कि निर्धन लोग उसे खरीद नहीं सकते। इन्हें बीज सस्ती दर पर अथवा निःशुल्क दिए जाने चाहिए।

डी० पी० ए० पी०, एस० एफ० डी० ए०, मत्स्य पालन और वन योजनाएं, जो देश के कुछ भागों तक ही सीमित हैं, देश के अधिकांश भागों में लागू की जाए।

कृषि मंत्रालय की सभी शाखाओं में पूरा समन्वय और एक दल के रूप में काम करने की भावना होनी चाहिए। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा दुगुनी कर दी जानी चाहिए। इसे 50 लाख रुपए रखा जाए।

बड़ी या माध्यमिक आकार की सिंचाई योजनाओं के स्थान पर छोटी योजनाओं पर अधिक बल दिया जाए क्योंकि वे शीघ्र पूरी हो जाती हैं। योजनाओं की धीमी प्रगति या सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।

कृषि उत्पाद, विशेषकर गन्ने के लिए प्रोत्साहन मूल्य दिया जाना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : बहु प्रयोजनीय इन्द्रावती परियोजना के पूरा होने पर कालाहांडी जिले के 5.5 लाख एकड़ सूखा प्रभावित भूमि में सिंचाई हो सकेगी और इससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यदि इसे 1969 में आरम्भ किया गया होता तो इस योजना पर 89 करोड़ रुपए व्यय होते। अब 232 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। अतः सरकार को इसे निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। इसे वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना है, परन्तु जिस प्रकार से काम हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में बहुत अधिक गम्भीर नहीं है। सचिवालय स्तर पर फील्ड कर्मचारियों के लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। इस बारे में कारगर कदम उठाए जाने चाहिए।

विश्व बैंक इस परियोजना में रुचि रखता है और वे इसका खर्च वहन करना चाहते हैं। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि वे विश्व बैंक की पेशकश स्वीकार करेंगे।

इन्द्रावती योजना की कृषि योग्य फालतू भूमि में लगभग 17,000 आदिवासी लोगों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को, कालाहांडी के श्रमिकों को, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जबकि यह परियोजना उनके लिए अपने जिले में आरम्भ की जाती है।

इस परियोजना द्वारा उत्पन्न रोजगार के अवसर केवल स्थानीय लोगों के लिए ही रखे जाने चाहिए, विशेषकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोगों के बारे में ऐसा किया जाना चाहिए। परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए परियोजना परामर्शदात्री निकाय, जिसमें सम्बन्धित मंत्री, जन प्रतिनिधि और मुख्य इंजीनियर हों, नियुक्त किया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि पुनर्वास, वनारोपण, श्रम कल्याण आदि जैसे कार्यक्रम समय के अनुसार आरम्भ किए जाएं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उड़ीसा राज्य को दी गई अधिकांश केन्द्रीय सहायता का उचित उपयोग नहीं किया गया है। कालाहांडी जिले में अधूरी पीपल वाला लघु सिंचाई परियोजना के फट जाने से बाढ़ आ गई जिसके फलस्वरूप धान तथा गन्ने की खड़ी फसलों और सरकारी सम्पत्ति को भारी क्षति हुई। परन्तु उड़ीसा सरकार कालाहांडी जिले के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए की राशि खर्च नहीं कर पाई और उसे वापस कर दिया। इसी कारण कार्य समय पर आरम्भ नहीं किया जा सका। अतः पीपलवाला लघु सिंचाई परियोजना के फटने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

जहां तक केवल कालाहांडी जिले में भारतीय खाद्य निगम और उड़ीसा सरकार के प्रति कुछ व्यक्तियों और चावल मिल मालिकों को और क्रय एजेंटों की 2.41 करोड़ रुपए की बकाया राशि का सम्बन्ध है, इसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसकी ओर उन गरीब किसानों पर जिन पर 100 रुपए से 200 रुपए तक की तकावी ऋण और सहकारी राशि बकाया है, दबाव दिया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई चावल मिल बन्द न हो। यद्यपि फसल भरपूर हुई है, तो भी किसानों को, भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सरकारी बकाया राशि अदा करनी है। अतः उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की तुलना में बहुत कम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने पड़े। अतः सरकार को या तो भारतीय खाद्य निगम या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एक आधुनिक चावल मिल स्थापित करनी चाहिए।

यहां पर सिंचाई की भारी क्षमता है क्योंकि गंगा की सभी छोटी नदियां बर्फ से ढकी हुई हिमालय पर्वत से आती हैं। यदि हम इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो सम्पूर्ण उत्तर भारत में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं और इसके साथ साथ न केवल इस देश को अधिक मात्रा में विद्युत उपलब्ध कर सकते हैं अपितु समूचे दक्षिण एशिया को भी कर सकते हैं। समुद्र में मछली पकड़ने की हमारी भारी क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि उड़ीसा तट पर मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाया जा रहा है। पूर्वी तट का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए और उन उद्यमियों को सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जो मछली नौका लगाना चाहते हैं और वैज्ञानिक आधार पर समुद्र में मछली पकड़ना चाहते हैं।

CHAUDHARY MULTAN SINGH (Jalesar) : Mr. Chairman, Sir. It is a matter of happiness that the Government, for the first time in thirty year, have entrusted the Ministry of Agriculture and irrigation to farmers. Both of the Minister are farmers and have got large experience in the field.

It is a well known fact that India is an agriculture oriented country but the former Government knowingly and purposely ignored rural population and the agriculturist. It is also a fact that only three per cent of our annual budgetary provision is spent on 80 per cent rural population in India.

Prices of all the commodities manufactured in the country are fixed by the producers and for this purpose producers take into account all the elements like cost of production, profit, rent of the buildings etc. But such elements are not taken into account while fixing the prices of agricultural produce. Is it not a grave injustice to the farmers? Janata Government had declared in its manifesto that the prices of agricultural produce would

be fixed while taking into account the cost of production. I would like to know from the hon. Minister the reasons for not fulfilling that promise now by the Government. It is a matter of great concern that the Finance Minister has said, in a reply of my question, that Government is unable to give cost-price of agricultural produce to the farmers.

It so happens that now and then crops are destroyed by natural calamities like hail storm, water logging etc. but no relief is given to the farmers by the Government. Former Government never realised the difficulties of the farmers during the last 30 years. But now on coming of Janata Party in power farmers and landless labour in the rural areas were hopeful that the present Government will do justice to them. But the Finance Minister has ended all aspiration of the rural population by stating that Government cannot give cost price to farmers for their produce.

I would like to draw the attention of the House to the following facts regarding increase in price of certain commodities. Price of Ambassador car 6—7 years ago was Rs. 22 thousand, but its present price is Rs. 32 thousands. But the price of a tractor 6—7 years ago was Rs. 14 thousand and the present price of a tractor is Rs. 45 thousands. These figures show that the interests of the farmers have always been ignored.

Now, I would like to make certain suggestions. Firstly, in all the departments and institutions pertaining to agriculture Government should employ only the candidates belonging to agricultural community because that they will honestly watch the interest of the farmers.

My next suggestion is that the department of Cooperative, Irrigation, Agriculture and financing should be under one Minister in each State so that all these departments could maintain coordination. At the same time the Ministry of Agriculture should be given to an agriculturist and not to a person who does not know even the difference between an ear of wheat corn and that of Bajara (millet).

I also suggest that there should be an organisation set up at district level department level and Lok Sabha level to fix the prices of agricultural products. The decision of this organisation regarding price fixation should be accepted by the Government.

I also draw the attention of the House to a case of serious irregularity in respect of supply of electricity. Since 1959, during the period of 25 years 'Hindaleo' Aluminium Factory in U.P. had been supplied electricity at the rate of two paise per unit while the cost of production of electricity was three paise per unit during that period.

[उपाध्यक्ष महोदय पीटासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

Under the latest agreement finalised in June 1975 electricity to the said undertaking is being supplied at the rate of 11 paise per unit while the cost production is 18 paise per unit—resulting in loss of above Rs. 50 crore to the State Electricity Board. I suggest that the present Government should give more attention to the needs of the farmers and the rural population than the big industrialists in respect of supply of electricity. With these words I support the demands of the Agriculture Ministry.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेयिरया) : हमारे देश में 60 प्रतिशत कृषि भूमि केवल 10 प्रतिशत परिवारों के पास है जो स्वयं खेती नहीं करते। राज समिति ने भी यह निष्कर्ष निकाला है। ऐसी स्थिति में जबकि देश की आर्थिक शक्ति कुछ ही लोगों के साथ में है देश का विकास करना सम्भव नहीं है।

कांग्रेस पार्टी के शासन काल में करोड़ों रुपए खर्च किए गए किन्तु फिर भी किसानों का भार खेतीहर मजदूरों का शोषण किया जाता रहा। भूमि सुधार के लिए टास्क फोर्स नामक पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सरकार भूमि सुधार सम्बन्धी कानून को जागू नहीं करना चाहती।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सम्पत्ति को मौलिक अधिकार नहीं माने जाने की घोषणा की थी। यदि सरकार वास्तव में ऐसा चाहती है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को जिनके पास कोई भूमि नहीं है भूमि क्यों नहीं देती। जापान में यह कदम उठाया गया है तथा वहाँ इस प्रकार के शोषण को समाप्त कर दिया गया है। यदि इस देश में भी भूमिहीनों को भूमि दे दी जाए तो देश की अर्थ-व्यवस्था भी सुधर जाएगी तथा अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्याएँ भी हल हो जाएंगी तथा उन्हें जमींदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा उनका शोषण भी नहीं किया जा सकेगा।

यदि जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करती है तो देश की जनता उसका आदर करेगी तथा वर्तमान सरकार ऐसे कार्य भी कर सकेगी जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। भूमिहीनों को भूमि मिलने पर देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी तथा अर्थ-व्यवस्था भी सुधरेगी। यह समस्या केवल निर्यात के माध्यम से नहीं हल हो सकती क्योंकि भारत जैसा देश विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता।

SHRI IQBAL SINGH DHILLON (Jullundur) : Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Agriculture. It is a matter of great satisfaction that this time agriculture-oriented budget has been submitted and more funds have been earmarked for agriculture with which there will be considerable increase in the fields of agriculture research, rural development, irrigation and food production.

An additional provision of Rs. 150 crores has been made in this budget for the new schemes to be under taken in the agricultural field. It will help in solving the problem of unemployment. But the performance of the Government regarding the field of irrigation cannot be said satisfactory because out of 170 million hectare of agricultural land irrigation facilities have not been provide for even 50 million hectare of land.

I would like to suggest that Government should pay attention towards, the use of sub-soil water. Survey of underground irrigation power should be completed as soon as possible. Arrangements should also be made to ensure maximum use of underground water by constructing Pakka water channels, shallow tubewells drains etc. where there are irrigation projects so that should be no water logging.

So far as the question of distribution of land is concerned I personally feel that lowering the limit of agricultural holdings will not solve the problem. We cannot compare Indian agriculture with that of Japan because there availability of fertilizers to the farmers is very high. These farmers use 359 kg. of fertilizers per hectare while in India we can use fertilizer at the most at the rate of 18 kg. per hectare. It has also been observed that instead of phosphate and potash farmers prefer to use nitrogen fertilizer to have increased production ignoring the fact that it will reduce the element of zink of the soil.

I would like to suggest that Government should take steps to provide agricultral input at cheap rates so that the cost of production is reduced. It is matter of concern that the Government have reduced the price of Sugar only to check the price index in order to avoid dearness allowance. It has seriously affected the interests of the farmers.

So far as the production of pulses is concerned the cultivation of pulses became highly unremunerative in the absence of supply of phosphate, insecticides etc. to the farmer as a result of which farmers discontinued the cultivation of pulses. I suggest that subsidy should be given for cultivation of pulses. Similarly, there is need to give subsidy for the cultivation of cotton because of the fact that cultivation cost of cotton is not less than Rs. two thousands per acre which last year Government fixed Rs. 225 per quintal as floor price of cotton. I hope the hon. Minister will take suitable steps to safeguard the interest of the farmers.

I am opposed to the view that forests are not employment intensive. I agree with the hon. Minister that forests are necessary to regularise the climate. I would like to suggest

that the land holdings of those persons who have land measuring between one and two acres, should be brought under forest, after consolidating such holdings. It will certainly increase the earnings of such small farmers.

Regarding dairy development I would like to suggest that Government should undertake breeding programme in state farms and supply cross breed cows to the farmers to increase quantity as well as quality of milk in the country. Government should also find out the methods of producing proteins in refined forms from milk eggs and fish.

I want to draw the attention of the Government to the recommendations made by Raj Committee, regarding structure of agriculture income-tax. I suggest that tax from the landlords should be recovered in the form of simple land revenue to be fixed in progression system.

I would also like to suggest that in view of our social situation Indian Succession Act should be amended in so far as it provides share in land holdings to the daughters. This provision seriously affect the relations between brother and sister. Apart from it, it is not practicable for a married daughter dividing which her in laws at a long distance to manage her share of the land devolved on her under the provisions of the Act through her father. Government should also take steps to complete consolidation of land in view of the fact that with this measure agricultural production has increased considerably in Punjab. I also suggest that afforestation programme should be undertaken on both side of railway lines and roads in all the states. The work of consolidation of land should also be completed in all the State.

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवेली) : महोदय, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में कम विकास हुआ है। गत तीस वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव होता रहा है। कृषि उत्पादन वास्तव में वर्षा पर निर्भर करता रहा है सरकार की नीति या योजनाओं पर नहीं।

पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए 36.96 प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 20.3 प्रतिशत, तीसरी में 20.5 प्रतिशत, चौथी में 23.3 प्रतिशत और पांचवीं में 20.6 प्रतिशत। बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रत्येक योजना में धनराशि घटाई जाती रही।

इस असन्तोषजनक स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या हमारे किसान विकसित उपकरण नहीं लेना चाहते ? वे तो कठोर परिश्रम तथा कानून का पालन करने वाले हैं। वे तो हर तरह से सहयोग करना चाहते हैं परन्तु वर्तमान परिस्थितियों उनको नए तरीके अपनाने में सहायक नहीं हो रही है। कुछ लोग यह आलोचना करते रहते हैं कि हमारे किसान अभी भी केवल पुराने उपकरणों का ही उपयोग करना चाहते हैं तथा रसायन के खादों का तथा नए उपकरणों का उपयोग करने में हिचकिचाते हैं परन्तु इस स्थिति के लिए केवल सरकार ही उत्तरदायी है क्योंकि इन नये कृषि उपकरणों तथा रसायनिक खादों के दाम इतने ऊँचे हैं कि वे बस यह लालसा मन में ही लेकर रह जाते हैं।

वर्ष 1967 में मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर का मूल्य 21,563 रुपए था जबकि अब इसका मूल्य 45,583 रुपए है। इसी प्रकार 5 हार्स पावर के बिजली के मोटर का मूल्य 1967 में जहाँ 784 रुपए था अब 1622 रुपए है तथा किलोस्कर इंजन का मूल्य तब 2740 रुपए था तो अब 3580 रुपए है।

इसी तरह उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मूल्यों में कमी, उपदान तथा रियायत के बावजूद भी रसायनिक उर्वरक किसानों की पहुंच के बाहर है। वरना हमारे किसान अब यह

भली प्रकार समझ चुके हैं कि रसायनिक खादों तथा नए उपकरणों के उपयोग से पैदावार में खूब वृद्धि हो सकती है। यही कारण है कि हमारे उत्पादन में कमी होती जा रही है। यद्यपि मंत्री महोदय यह दावा कर सकते हैं कि उर्वरकों की खपत 26 लाख टन से बढ़कर 34 लाख टन हो गई है परन्तु इतनी बड़ी जनसंख्या और विशाल भू-क्षेत्र की तुलना में यह वृद्धि क्या अर्थ रखती है। शेष उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि की यदि यही स्थिति रही तो हमारे सारे प्रयास निरर्थक हो कर रह जाएंगे।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सुविधाएं देने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है,। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था परन्तु अदायगी वस्तुतः केवल 1200 करोड़ रुपए की हुई थी। इसी तरह वर्तमान प्राक्कलन भी 3000 करोड़ रुपए के हैं परन्तु वास्तव में सुविधाएं केवल 1700 करोड़ रुपए के लिए ही उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं किसानों से असाधारण दरों पर ब्याज-दर वसूल करते हैं। देश में 1,23,203 ऋण संस्थाओं के 360 लाख सदस्य हैं जब कि केवल 38 प्रतिशत सदस्य ही इन ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 90 लाख सदस्य ऋण का भुगतान नहीं करते। शेष लोग इसलिए इन ऋणों का उपयोग नहीं करते क्योंकि वे इतना अधिक ब्याज अदा नहीं कर सकते। राज्य सरकारी बैंक रिजर्व बैंक से 7.5 प्रतिशत पर पैसा लेकर किसानों को 12.5 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं। इस प्रकार यही संस्थाएं किसानों का महाजन की तरह शोषण कर रही हैं। अब महंगे उपकरण तथा खाद और ब्याज की ऊंची दर तथा इसके साथ के उत्पादों की मण्डी में कम मूल्य मिलना किसानों को नए उपकरण तथा नई प्रक्रियाओं से दूर रखता है। इस सरकार अथवा इसके पहले की सरकार पर किसी ने भी किसानों की इस समस्या को नहीं समझा।

सरकार की धान के वसूली-मूल्य सम्बन्धी नीति आपत्तिजनक तथा निन्दनीय है मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार तथा कृषि मूख्य आयोग गेहूं व्यापारियों के प्रभाव में हैं।

वर्ष 1974-75 में धान तथा गेहूं के समर्थन मूल्य क्रमशः 74 रुपए तथा 95 रुपए थे अर्थात् दोनों में 21 रुपए का अंतर था। अब उनका समर्थन मूल्य क्रमशः 77 रुपए, 112.50 रुपए है अर्थात् 35 रुपए का अंतर है। स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में धान के समर्थन में तो केवल 3 रुपए की वृद्धि हुई जबकि गेहूं के मूल्य में 17.50 रुपए की वृद्धि हो गई। आखिर धान उत्पादकों ने ऐसा क्या पाप किए हैं? उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या सरकार के पास इस भेदभाव का कोई औचित्य है? मैं गेहूं के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ नहीं हूं उसका स्वागत है। परन्तु सरकार को धान के समर्थन मूल्यों में भी इसी अनुपात से वृद्धि की जानी चाहिए। यदि आप धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा उस पर हुआ खर्च के हिसाब से धान की उत्पादन लागत का हिसाब लगाएं तो पाएंगे कि धान के उत्पादन को उपरोक्त मूल्य कितना कुप्रभावित करते हैं।

गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 1368 किलो ग्राम है और इसके समर्थ मूल्य के हिसाब से इसका मूल्य 1,539.00 होता है। दूसरी ओर धान की प्रति हेक्टेयर उपज 1861 परन्तु इस समर्थन मूल्य की दर से इसकी आय 1,436.50 होती है। उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद भी धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन की तुलना में 103 रुपए कम पाता है यह पक्षपात पूर्ण नीति के कारण ही तो है।

इसके अतिरिक्त सरकार धान के लिए अपेक्षित कार्य की राज सहायता नहीं दे रही है जबकि गेहूं के लिए कुल राज सहायता की राशि का इस समय 75 प्रतिशत भाग दिया जा रहा है और धान के लिए एक प्रतिशत भी नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय गेहूं तथा धान के लिए दी जाने वाली राज सहायता के आंकड़े पेश करें।

खाद्यान्नों के मूल्य केन्द्र सरकार निर्धारित करती है जबकि मजदूर स्थिति यह है कि दक्षिण में किसान लोग राज्य सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां केन्द्र ने धान का प्रति क्विंटल मूल्य 77 रुपए निश्चित किया है जबकि हम दक्षिण में 95 रुपए दे रहे हैं। केन्द्र की नीति के कारण राज्य सरकारों को अतिरिक्त खर्चा पड़ रहा है। यदि केन्द्र सरकार धान तथा गेहूं को राज सहायता देने में पक्षपात की नीति का अनुसरण न करे तो धान का उत्पादन करने वालों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाएगा तथा राज्य सरकार को इस अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी।

परन्तु हम चाहे जो तर्क तथा औचित्य प्रस्तुत करें यह सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह धान उत्पादकों को भी यथासंभव सीमा तक राज सहायता दें अन्यथा उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब समय आ गया है कि गेहूं उत्पादकों का प्रभाव खत्म होना चाहिए। सरकार अपनी त्रुटियों को दूर करे तथा भेदभाव की नीति को बदले। यह मेरी चेतावनी है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : हमारे देश में कृषि योग्य कुल भूमि 1600 लाख हेक्टेयर हमारी 80 प्रतिशत जन संख्या ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। यदि हम अपनी इस भूमि के सिंचन के लिए पानी की व्यवस्था कर दें तो कम से कम हम 1500 लाख टन से 2000 लाख टन तक का उत्पादन कर सकते हैं हमारे यहां औसतन 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है हमें इस जल का संचय करके उपयोग में लाना चाहिए। परन्तु इस समय तो हम अपनी नदियों के जल का भी पूरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तथा नर्मदा जैसी कई नदियों का बहुत-सा जल व्यर्थ चला जाता है। पानी व्यर्थ बदलने का अर्थ है खाद्यान्नों का नाले में बह जाना।

विदेशों से हम कपास तथा तिलहन आदि का आयात करते हैं तथा इस प्रकार हम अपने देश के किसानों को लाभ से वंचित करके विदेशी किसानों तथा उद्योगों को राजसहायता दे रहे हैं। जब हम अपने देश में ही इन वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं तथा बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर सकते हैं तो फिर भी हम यह आयात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कृषि उत्पादों का आयात तुरन्त बन्द कर दे। दूसरी ओर हमें प्रति वर्ष इन के निर्यात करने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है।

इस कार्य में दूसरी बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे पास बीज बोने से पूर्व किसानों को पूरी तरह तैयार करने की व्यवस्था नहीं है। होना यह चाहिए कि इससे पहले कि किसान अपनी भूमि में बीज डाल दे उसे अधिक उपज वाले, बीज उर्वरक कीटनाशक दवाएं आदि कृषि के लिए उपयोगी सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाए कि उसकी फसल उगाने की प्रणाली क्या हो अर्थात् उसे कृषि सम्बन्धी समग्र आधुनिक जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें कृषि उत्पाद मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड तथा वस्तु ऋतु योजना का गठन करना चाहिए। इस समय हमारे पास ऐसा कोई निकाय नहीं है जिसके परिणामस्वरूप छोटे रेसे के कपास तथा गुड़ के मूल्यों में एक दम भारी गिरावट आई है।

हमारे देश में बहुत-सी प्राकृतिक विपदाएं जैसे तूफान, बाढ़, सूखा आदि आते हैं। ऐसी स्थिति को निपटने के लिए विकसित देशों में प्रकृति विपत्तियों से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए निधि की स्थापना कर रखी है। हमारे देश में तो ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें किसानों को अधिक उपज वाले बीज समय से पहले उपलब्ध कराने चाहिए। पिछले वर्ष मूंगफली का बीज दिया गया तो इसके बहुत ही उत्साह वल्लक परिणाम निकले। परन्तु गुजरात में ऐसा नहीं किया गया तो उत्पादन आशा से कहीं कम रह गया।

इसके अतिरिक्त हमें किसानों को यथेष्ट प्रशिक्षण भी देना चाहिए। देश में 21 कृषि विश्वविद्यालय हैं जब कि इनकी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए।

छोटी जोतों और बड़ी जोतों की भी एक समस्या है। छोटी जोतों के लिए मशीनीकरण की राह में बाधाएं रहेंगी। इसके लिए हमें अनुसंधान करके कोई राह निकालनी चाहिए। ताकि छोटी जोतों पर भी मशीनों द्वारा अधिक उपज की कृषि की जा सके।

हम अनुसंधान कार्य पर बहुत कम राशि खर्च कर रहे हैं। इस समय हम केवल 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं जबकि आवश्यकता कम से कम 1500 करोड़ रुपया खर्च करने की है।

बहु-फसल प्रणाली के द्वारा एक महीने में 5 से 6 फसलें तक उगाई जा सकती हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि गांव-गांव में नर्सरियां हों। इन नर्सरियों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि छोटे-छोटे भू-खण्डों पर भिन्न-भिन्न फसलें उगाई जा सकें। इससे 170 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए हमें साइलो गोदामों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारी भण्डारण क्षमता 200 लाख टन से बढ़ कर 350 लाख टन तक हो जावे। इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था की जाए कि 450 लाख घरों में 450 लाख गायें हों अर्थात् प्रत्येक परिवार में एक गाय हो। यदि ऐसा हो जाए तो हमें रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

वनों की सुरक्षा का काम स्थानीय लोगों को सौंपा जाना चाहिए ताकि वे वनों का विकास कर सकें। इस समय तो हमारे वनों का विकास कार्य बहुत दूर से होता है।

समुद्री खाद्यों को भी हमारा देश भरपूर है उसका भी अधिकतम लाभ उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : There are five big departments in the Ministry of Food and Agriculture viz. Food, Agriculture, Irrigation, Research and Rural Development and also Forest. Each of those departments has to work properly since the failure or lettering on the part of even one of those would adversely affect the very lot of the farmer.

It has been argued that the prices of the foodgrains should be increased. Let the prices be increased but prior to that we will have to see whether the interest of those poor people who do not get their two times meals would also be protected. Increasing the price of the foodgrains would not serve any purpose since many people in our country have no purchasing power. Then why should there be an increase? It is all because the production is less and the demand is more. If you increase the production, the producer would get more and the purchaser will have to pay less thus both will be happy. May I know what steps are being taken to increase production?

Shri Nanaji Deshmukh M.P. visited a foreign countries and in his report about Tokyo he has cited an instance wherein an old couple produces 18 tons of rice and 24 tons of tomatoes in just 1½ acres of land and thus earning an income of US \$ 23,400 per year after deducting all costs on inputs, labours etc. In addition they also get rice to eat for the entire family. In Seoul also, Shri Deshmukh found a couple with 2 children having an income of US \$ 60,000 per year plus all amenities like refrigerator, television set, cooking gas etc. just on the strength of 1½ acres of land.

Now, if we happen to produce even the half of it, then there will be no demand for any increase in the price of foodgrains by the producers. Leave aside Japan, if we could produce as much as Korea produces the problems of our producers and consumers both could have been solved.

The reports shows that we have become self-sufficient in foodgrains. If so, what was the need of importing 5.55 lakh tons of foodgrains? You could have suspended the earlier contracts, if any. Similarly why pulses were exported when there is an acute shortage and the prices thereof are so high herein our own country? Your report is very "green" in appearance but is quite disappointing in as much as factual position is concerned. Our progress is nil if compared to that of other countries.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए]
[SHRI M. SATYANARAYAN RAO in the Chair]

Modern Bakeries plant at Ranchi in Bihar is producing third class stuff and no body purchases them. Also there was an incident there wherein one the worker's hand was broken while working. The authorities terminated his services without giving him any compensation or any alternative job. The authorities did not pay for his treatment also in the hospital. He should have been helped in all respects at least on humanitarian grounds.

These aspects have resulted in not only many agencies selling this Bakery's stuffs but also that the labour relations have also gone to worse.

Agriculture in our country depends much on the climate. All instances go waste in case the climate goes against. So, there should be some provisions prior measures to compensate those whose investments go waste.

You claim that your Director General of Research Institutions is the most able scientists. But what are his achievements so far? As many as three scientists have committed suicide in his tenure. You did not care for the recommendations of the Gajendra Gadkar Commission set up in this behalf. This commission had said the claim that sharbats Sonora has high lysine content is no substantiates and that the lysins content of sharbat sonora could not be as high as that of milk. And it had asked the Government to get the sample tested in a laboratory. But nothing has so far been done even after three years. Thus those people created the country and got the award.

On the other hand most of hard working scientist are feeling totally dismayed and disappointed. The Ganjandra Gadkar Commission have very clearly reported this fact in their report at page 10. The budding and promising scientist are never encouraged but are, on the other hand, pressed down. The Commission says :—

“The Head of the Division does not give facilities for work and favours go to those who work for him. There is no academic atmosphere as there is no fine discussion and research project and results obtained. Senior scientists insert their names in the research paper, even though they do not do the actual work. —we see that most of those complaints are genuine and they should be remedied.”

This Commission was a very important commission. Why should not the Government implement its recommendation.

One more alarming finding was that “person not qualified in a particular discipline are appointed in that discipline.” If such is the state of affairs in the scientific institutions, what shall be our fate?

Gandak Project is claimed to be the best scheme in the whole of India. This project has been hanging fire for the last 15 years. Why it is not being completed expeditiously? The estimated expenditure on this project has increased from original Rs. 64 crores to now Rs. 250 crores. The seepage in the dam on the river is so much that thousands of acres of land nearly gets submerged in the water.

Comparison of paddy with wheat by one the hon. Member was not justified since paddy takes only 90-95 days to get ready for harvesting whereas wheat needs 135-140 days for the same. Thus there is no discrimination in this respect by the Government. However, we will object to the prices of both paddy and wheat brought to an equal level.

Finally I would request you to look after your research work properly only thereafter we can progress in this field.

*श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेन्नूर) : माननीय सदस्य श्री अरुणाचलम ने अपने भाषण में कहा है कि केन्द्रीय सरकार को धान उत्पादकों के प्रति पक्षपातहीन रवैया अपनाना चाहिए, परन्तु यहां सरकारी पक्ष के सदस्य धान उत्पादकों की समस्याओं के प्रति अपनी निजी धारणाएं बनाए बैठे हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति क्षेत्रीय रवैया अपनाना गलत बात है। कोई भी केन्द्रीय मंत्री किसी भी प्रदेश का हो उसके लिए सारा देश ही उसका अपना प्रदेश होता है? इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जनता पार्टी को इस दिशा में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा वरना देश बर्बाद होकर रह जाएगा।

तमिलनाडु में जो किसानों का आन्दोलन हुआ तथा हिंसा की घटनाएं हुईं इनके लिए केन्द्रीय सरकार ही वस्तुतः उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार ने ही कृषि क्षेत्र के लिए ऐसी नीतियां अपनाईं जिसके कारण तो देश का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है।

उत्तर भारत में हजारों गांव बाढ़ों से तबाह हो जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति रहती है और वर्षों से प्रकृति के प्रकोपों को देखते आ रहे हैं

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री रामास्वामी नायर ने कोई 40 वर्ष पूर्व देश को इस भ्रम दोहरी नियत से बचाने के लिए गंगा तथा कावेरी नदियों को परस्पर मिलाने का सुझाव दिया था। इस प्रकार 20 वर्ष पूर्व श्री के० एल० राव ने भी राष्ट्र के हित में इस योजना की क्रियान्वित को आवश्यकता पर जोर दिया था। और अब इस सम्बन्ध में दस्तूर समिति का प्रतिवेदन सरकार के पास है। विश्व बैंक इसके लिए यथावश्यक सहायता देने को तैयार है और इस योजना से भरपूर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सूखे तथा बाढ़ की समस्याओं को हल करने के साथ-साथ यह योजना राष्ट्रीय एकात्मकता को भी बढ़ाएगी। अतः मंत्री महोदय इस योजना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा तुरन्त ही इसके लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य शुरू करें।

तमिल नाडु में 1780 घन फिट पानी व्यर्थ बह जाता है। सिंचाई आयोग ने इस जल को सिंचाई कार्यों के उपयोग में लाने के लिए एक तकनीकी दल के गठन की सिफारिश की थी। कर्टेल ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी। परन्तु इस दल का तो अभी तक गठन नहीं हुआ जबकि आश्वासन यह दिया गया था कि यह दल छः मास में अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा। आखिर इस कार्य में देरी क्यों? मंत्री महोदय इस पर अपनी टिप्पणी दें।

सिंचाई आयोग ने देश के सूखा-उन्मुख जिलों की पहचान कर ली है। तमिल नाडु के तिरुनेलवेली तथा रामानाथपुरम जिलों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। प्रधान मंत्री महोदय ने जो एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज तथा इसके उपयोग का कार्य शुरू हो चुका है परन्तु हमने इन क्षेत्रों में कोई काम होते नहीं देखा है। तमिल नाडु में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए भूमिगत जल संसाधनों की खोज तथा उपयोग की परम आवश्यकता है।

मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत कन्याकुमारी एक विधान सभायी चुनाव क्षेत्र है। योजना आयोग ने स्वयं इसे एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। परन्तु फिर भी इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। यह भाग समुद्री सम्पदा से परिपूर्ण है योजना आयोग ने चिनभुतम मत्स्य पत्तन के विकास की मंजूरी भी दे दी है। लगता है मंत्रियों को उनके मंत्रालय पूरी जानकारी नहीं देते हैं। तभी श्री भानु प्रताप सिंह ने कह दिया था कि उन्हें नहीं मालूम कि हर क्षेत्र के जापान, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया को करोड़ों रुपए के मूल्य की प्रॉन मछलियों का निर्यात किया जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि चिनभुतम मत्स्य पत्तन परियोजना को अविलंब क्रियान्वित किया जाए साथ ही कृषि मंत्रालय को देश में मत्स्य पालन के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

गृह मंत्री, जोकि एकमात्र किसान-नेता होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि कृषि व सिंचाई के लिए बजट में 70 प्रतिशत का नियतन है जबकि श्री बरनाला का कहना है कि यह नियतन 40 प्रतिशत है। न जाने दोनों में से कौन ठीक कहता है। मगर सिंचाई योजनाओं के लिए 30 प्रतिशत का नियतन करना क्या मुश्किल है? नागुनेरी तालुक अकाल और सूखे का घोर शिकार रहता है। श्री करुणानिधि ने इस क्षेत्र के लिए तीन सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया

था परन्तु वर्तमान सरकार कहती है कि इनकी क्रियान्वित के लिए धन उपलब्ध नहीं है। केन्द्र सरकार को इस कार्य में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गन्ना-उत्पादकों को अपने गन्ने का देश भर में सब से कम मूल्य मिलता है। उत्तर भारत कि गन्ना लाभों ने दक्षिण भारत के किसानों को अपने गन्ने के सारे दाम नहीं लेने दिए हैं। यदि भेदभाव की यही नीति रही तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। इस दिशा में सरकार को कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तराई में रहने वाले किसानों को अपने पशुओं को वनों में चराने के लिए हजारों रुपए देने के लिये बाध्य किया जाता है। वे अपने पशु चराने के लिए अन्यत्र कहां जाएं। अतः अधिनियम में कुछ ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि कृषक लोग अपने पशु वहां चरा सकें। इसमें ऐसे एक मील की पट्टी को वन क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और वहां पशुओं को चराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अम्बासमुद्रम तथा कन्याकुमारी वनों में लगभग 5000 एकड़ भूमि पर कोई पेड़ या पौधा नहीं है। इस क्षेत्र का विकास करके वहां श्री लंका से आए शरणार्थियों को बसाया जाना चाहिए। ये व्यक्ति अधिकांशतः बागान-श्रमिक हैं अतः यहां इलायची की कृषि करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जो कि हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी।

मेरे क्षेत्र में मछुओं के बीच बंधुवा मजूरी विद्यमान है। केटेमेरन तथा नायलन के जालों के मालिक बिचौलिए हैं और वे मच्छुओं का शोषण करते हैं। सरकार मच्छुओं को ये चीजें उपलब्ध करा कर उनको इन मानव-शाकों से बचाएं तथा वहां बंधुवा मजूरी को समाप्त करें। इस क्षेत्र में प्रॉन मछली के लिए एक प्रॉसेसिंग प्लांट की परम आवश्यकता है ताकि इसका निर्यात बढ़ाया जा सके। साथ ही इसका निर्यात व्यापार कोचीन पत्तन के माध्यम से न होकर तूतीकोरिन पत्तन से होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। परन्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में इसमें सफलता नहीं मिल सकती, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव वित्तीय तथा भौतिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR (Purnia) : Agriculture is the very backbone of our nation and is the sole answer to poverty, unemployment and want in our country.

The Janata Party in its election manifesto had promised to honestly implement the land reforms and resume the legal flaws arising in the way of distributing land to the poor landless particularly the Harijans and the tribesman. Though Zamindari system was abolished 30 years ago, yet our people could not get social justice.

Even today seven crores and 50 lakh families depend upon agriculture. Of these, seventy percent or people own only the one-third of the entire land and the rest of the two-third is owned by a handful of landlords, who constitute only 7 lakh families. The small farmer became further smaller, and being unable to earn his livelihood fully, a large number of them had to dispose of their land and thus became landless agricultural labour. In North Bihar alone there are more than 90 per cent families are leading lives below poverty line.

The Government should adopt some sound policy in this respect. May I know what has the Janata Government done in this respect in their duration of one year? Until land reform are implemented on war footing, no success could be achieved in overcoming the existing disappointment, resentment and also law and order problems. Every now and then there are police firings or lathi-charges. A handful of landlords and capitalists are occupying the entire land, and they are very influential also. The situation is growing explosive and if we do not bring about total revolution, as has been asked for by Shri Jai Prakash Narain, there is very likelihood of a bloody revolution spreading in the country.

I, therefore, appeal to you to solve this problem early and in an effective manner.

It has been claimed that 71 thousand families have been given sites for houses. But how many of them could construct their houses; and how many of them got the right to property? The report of the Anugrahnarayan Institute of Social Studies says that "even after getting ownership right in north-west Bihar it was found that 86.38 percent of the poor peasant households continued to work at their farmer overlords' place on the same oppressive and terms and conditions of work. Thus this grant of legal right was not sufficient to free them from the informal bondage. Such is the extent of ruthless domination of rural rich over the poor peasants".

Therefore, the Government should look into this and should allot free house-sites to homeless families either by purchasing land or out of the land found surplus as a result of land ceilings. Loans should also be given for constructing houses over these house sites. This should be first step towards social justice.

Rs. 500 crores have been provided for dairy development but I don't think these people would get anything out of it because they will find no guarantors. This money, again, will go to the land lords. Therefore provision should be made to grant at least half of this amount to the landless without asking on guarantors.

Then there is no coordination between the prices of industrial products and agricultural products. Let there be a committee to look into it. Also there should be a machinery to assess the cost of industrial products and then to know the profits being earned by the industrialists by fixing the prices of these products arbitrarily. A committee or a commission should be set up to look into this question so that the exploitation of poor rural consumers could be prevented.

It is supulated that 16 lakh acres of land would be brought under irrigation through Kosi project; but it is observed that with its help only 4½ lakh acres of land has been brought under irrigation and about 3½ lakh acres have gone under water-logging due to defective planning. This should be looked into and necessary remedial measures should be taken. The desilting plant is also not working properly and as a result thereof a vast area of land is becoming unfit for cultivation. I, therefore, appeal for necessary steps in this behalf at the earliest possible. Then, steps should also be taken to construct Kothar Dam early by concluding an agreement with the Government of Nepal in this regard. Construction of western canal will no doubt benefit both India and Nepal but the primary problem of silting. De-silting will only save us from floods but also it will help in generating 3000 to 4000 megawatt of power thereby solving the power crisis in North India.

Every year an amount upto Rs. 10 crores is provided on desilting but only a very small amount is actually spent and the rest of the money goes into the pockets of corrupt officers and contractors. In fact corruption is rampant among the officers and engaged in work at Vikram Dam. The hon. Minister should take effective measures to stop this and solve the basic problems of the area.

In addition to the big and small projects, Government should also install tubewells on a large scale through the Tubewells Organisations of the states so that the small farmers could also get irrigation facilities at cheap rates.

At present only 18 percent water of the rivers Ganges and Ghagra etc. is being utilised in Bihar and the rest of it is falling down in the Bay of Bengal. Adequate measures should be taken to store this water of a large scale so that water could be utilised

for irrigation etc. Efforts should be made to bring Ganges water to South Bihar by constructing a canal. This would provide water to Hazaribagh, Gaya, Patna and Santhal Pargana. It would not only help in reducing unemployment but also would lessen dependence on rains. Minor irrigation schemes also can provide to lot many people in Bihar where it is said that as many as 20 lakh people are completely jobless.

Then there should be a drainage system to stop water logging. Also let us give a call to the university students to join hands in this work.

SHRI NATHURAM MIRDHA (Nagaur) : In a reply to an unstarred question it was stated that the Agriculture Commission had given in all 2400 recommendations out of which 1200 were accepted and about 7-8 were dropped since those were not considered relevant whereas the rest were being examined by the Government. Now, since the Ministry is responsible for all sorts of producers, excepting producers in mines, and thus covers a very very vast area of production, the commission too was expected to prepare a big report. Thus it gave its report in as many as 38 volumes.

I do understand that it will not be possible for the Government to give details about the recommendation accepted rejected and those under examination; but certainly I would request the hon. Minister to prepare a comprehensive note thereon and arrange for a discussion in the House. It is a very important and if necessary the House can be extended to two days.

The population of the country is constantly increasing and the hon. Minister of Health and Family Welfare is not feeling at all concerned with it and has left everything on the mercy of God. It is now feared that the population will exceed 65 crore mark in 1985 and would multiply to 102 or 103 crores by the end of this century. Therefore, it is very imperative on the part of the Government to take effective measures to control the population growth otherwise country will be in peril as a result of imbalances around.

Then there is a desert development scheme. Last year an amount of Rs. 6 crores was provided for desert development but upto 15th January, only Rs. 2,49,000 had been spent. This year a provision of Rs. 20 crores has been made but no information has been given as to how money would be utilized and what schemes would be formulated. We had asked for Rs. 1100 crores to develop the hot desert area in order to improve the condition of the people there.

The ultimate source of water in that area will be Rajasthan canal whose first phase could be completed in 20 years. The second phase, it has been stated, will be completed by 1984 for which some money has been borrowed from Iran. In order to benefit the people of desert area lift irrigation schemes should be taken up. No proper survey of second phase has been made in regard to the area to be irrigated and also the amount of water required. Then there should proper arrangements for supply of power for taking out ground water otherwise how would you operate the tubewells? Therefore there is a need to work by getting guidance from the recommendations made by the commission in this respect. I am not satisfied with progress made so far in the implementation of desert development scheme. The time schedule suggested by the Commission should be kept in vain. The hon. Minister should take an early decision on all aspect of the second phase of the project and provide for more funds if necessary.

In connection with Rajasthan canal I want to point out that Rajasthan and Haryana got water from Punjab. It was thought that there should be a joint control of the headworks but Punjab wants to keep full control. There has always been complaints that the State were not getting their due shares of water. I, therefore, suggest that there should be a joint control of these three states on the headworks. I don't find any difficulty in arranging for that. The matter can be resolved by having mutual discussion among these States.

As regards irrigation most of our rain water goes waste and unutilised during the rainy season. We should endeavour to arrange for at least 50 percent use of this rain water. For that we shall have to procure more resources and also formulate this bound programmes. The Government will have to implement irrigation schemes in phased manner keeping in view the long term benefits.

Then there are no proper arrangements in marketing of agricultures produce. Both the producer and the consumer are in difficulty while the middlemen are happy and making their lot. The Agriculture Commission had given a detailed report on marketing system. It has recommended the setting up of a marketing centre for every population of 10-12 thousands. These marketing centres will purchase agricultural produce from the producers and supply to consumers. The Govt. had made a provision of Rs. 7 crores for marketing arrangements. This is very meagre for setting up marketing centres as proposed by the Commission.

The Government should build up buffer stock of cotton by keeping 30 per cent stock for that purpose. Only thereafter it would be possible to stabilize price of cotton. The Government should set up corporations in other commodities too and build up buffer stocks thereof. Therefore, safeguarding the interests of the producers and consumers the Government should take over the marketing of these commodities so as to eliminate the middlemen.

The price of wheat has been increased by Rs. 2.50 per quintal but this increase is quite inadequate keeping in view the increase in the prices of agricultural inputs and machinery. Also the farmers are not getting proper price of sugar-cane, cotton, oilseeds and several other commodities. It is, therefore, very necessary to have a proper marketing system for agricultural commodities. If we are not able to fetch proper price to the farmers for their produce it will result in the production going down. Fluctuations in prices of agricultural commodities would cause instability in the production too.

As regards mechanisation in the field of tubewells, tractors and harvesting machines, this will not create unemployment. It would rather create employment thereby making scope for getting proper price for the produce. Today the tractor is selling at Rs. 45,000 and with all its implements at Rs. 62 to 63 thousand. Their prices should be lowered so as to make it within the reach of even a small farmer. If one farmer cannot purchase, let a few farmers unit and purchase it.

Then there should 20 or 22 H.P. tractors since tractors with lesser H.P. do not work so efficiently. There may service societies to make the tractors available to the poor farmers. There may common tubewells also. This is a big country and these items of work belong to the States. But certainly the centre can give them direction and also funds. I mean to say that there should a new approach to centre-state relations. We have given detailed suggestion in our report on this issue. You yourself admit that only monetary provisions won't deliver goods. There is a need of coordination between centre and states with a serious thinking on the subject.

Let the Government explain their thinking in this respect and let us discuss that in the House. If the population continues to increase and the production did not increase even your Janata Government would not stay.

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : जनता सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति ग्रामीण निर्धनों; कृषि श्रमिकों छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा देश के अन्य दुखित किसानों के हितों के सर्वथा विरुद्ध है। इसकी नीति धनवान किसानों तथा जमींदारों को खुश करने और उन्हें ही लाभ पहुंचाने की है। 85 प्रतिशत खेत चार हेक्टेयर से कम क्षेत्र के हैं और कुल भूमि का 39.4 प्रतिशत है जबकि शेष 60.6 प्रतिशत भू-क्षेत्र पन्द्रह प्रतिशत बड़ी ज़ोनों के अन्तर्गत है। कुल ऋणों का दो तिहाई भाग इन्हीं 15 प्रतिशत को मिलता है और सरकार द्वारा बांटे जाने वाले अन्य उपादान जैसे बीज, उर्वरक आदि का दो-तिहाई भाग भी इनके हाथ लगता है।

जनता सरकार जोर शोर से दावा करती है कि वह कृषि को प्राथमिकता दे रही है। उसका कहना है कि पिछली सरकार कृषि की सर्वथा उपेक्षा की परन्तु मुझे तो दोनों सरकारों के द्वारा इस विषय के लिए किए गए आवंटन के कोई अधिक अंतर नज़र नहीं आता है। इस

सरकार की भांति पिछली सरकार के बजट का भी 40 प्रतिशत भाग कृषि के लिए रखा गया था ।

मुझे तो कहीं नज़र आता कि जनता सरकार भूमि सुधारों, भूमि का अधिकतम सीमा तथा अतिरिक्त भूमिको कृषि श्रमिकों एवम् निर्धन मजदूरों में बांटने के कार्यक्रमों को त्रियान्वित करने में कोई प्राथमिकता दे रही है । दूसरी जनता सरकार की नीति भूमिपतियों तथा अमीर किसानों, जिनके पास कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग है, के हितों को ही प्राथमिकता दे रही है । दूसरा कार्य जनता सरकार भूमिपतियों को भूमि के कब्जों की पास-बुके जारी करने जा रही है ताकि वे मुजायरो तथा बटाईदारों को बेदखल कर सके क्योंकि उनके नाम तो कहीं दर्ज नहीं हैं ।

जनता सरकार की भूमि सुधारों में कोई रुचि नहीं है तथा उसने यह कार्य तो त्याग ही दिया है । मैं नती महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में कितनी अतिरिक्त भूमि का वितरण किया ? वह पिछली सरकार के आंकड़े जोड़ कर न बताएं । वह केवल अपने कार्यकाल के ही आंकड़े दें त कि यह पता लगे कि जनता सरकार ने क्या कुछ किया है । जनता सरकार की जमींदार समर्थ नीति का कारण यह है कि स्वयं गृह मंत्री श्री चरण सिंह जमींदारों तथा धनवान किसानों के समर्थक हैं । उन्होंने स्वयं लिखा है कि हरिजनों तथा भूमिहीनों की अथवा सीमान्त किसानों की समस्या फालतू भूमि के वितरण तथा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से नहीं हल होगी । उनका कहना है कि कृषि श्रमिकों तथा छोटे किसानों सहित सभी शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोज़गारों को कुटीर तथा छोटे उद्योगों में तथा अन्य गैर-कृषि उद्योगों में लगाए जाने चाहिए ।

अब भारत की कुल जन शक्ति में 20 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं तथा 22 प्रतिशत किसान और ये दोनों भारत की कुल जन संख्या के 50 प्रतिशत हैं इनकी संख्या 35 करोड़ है । यदि चौ० चरण सिंह की इच्छानुसार इन लोगों को कुटीर तथा छोटे उद्योगों की ओर आकर्षित किया गया तो उनके द्वार किया गया उत्पादन कहां बेचा जाएगा ? क्योंकि सारा उपभोक्ता बाज़ार तो एकाधिकारियों के हाथों में है । अतः इस तरह की कल्पना तो मात्र शेखचिल्ली की कल्पना है । इसका अभिप्राय देश के गरीब किसानों तथा श्रमिकों को बहकाने के इलावा कुछ भी नहीं है ।

जहां तक जनता सरकार की मूल्य नीति का सम्बन्ध है उसका झुकाव भी व्यापारियों, मुनाफा-खोरों तथा काला बाजारियों के पक्ष में है । गेहूं की वसूली मूल्य 112 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि किसानों को अपना गेहूं विवश होकर 80 से 90 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है । इकोनोमिक टाइम्स के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में तो 2 बिन्दू की वृद्धि हुई जबकि कच्ची सामग्री का मूल्य 13 बिन्दू गिर गया है हालांकि निर्माताओं ने अपनी वस्तुओं के मूल्यों में 2 बिन्दुओं से अधिक की वृद्धि कर दी है । इस प्रकार स्पष्ट है कि किसानों के उत्पादों के मूल्यों में गिरावट हुई है तथा निर्माताओं की मदों से मूल्यों में वृद्धि हुई है । कृषि उत्पादों तथा तैयार वस्तुओं के मूल्यों में कोई समानता होनी चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम में आपात स्थिति के दौरान 100 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है उनकी सेवा शर्तों में एकतरफा

फेरबदल कर दी गई थी जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 (क) का सर्वथा उल्लंघन थी। इसी लिए इन्होंने 'नियमानुसार काम करो' का आन्दोलन करने का निर्णय करना पड़ा। सरकार उनकी उचित मांगों को पूरा करे।

SHRI RUDRA SEN CHAUDHARY (Kaiserganj) : I rise to support the Demands for Grants but also I want to draw the attention of the House to the miserable condition of the farmers who are every year badly affected by natural calamities. No adequate programmes were implemented during the last 30 years to improve the economic condition of these people who have been suffering from floods and drought every year.

Floods are regular features in India. They cannot be stopped fully, but certainly they can be controlled. Statistics show that every year 2½ crore hectares of land submerges in flood-waters and there is an average loss to the tune of 247 crores rupees. Last year the loss was estimated to Rs. 1118 crores. By now only 85 lakh hectare of land has been protected from floods which is only 47 percent of the total land submerging every year. Effective measures are therefore imperative in this regard. The centre as well as State Governments spent huge funds on floods relief measures but without encouraging results. If these funds are converted into flood control funds it might be possible to check the floods more effectively. In this context the hon. Minister should look at the flood control programmes in a pragmatic manner. In order to check floods, we should find out some permanent measures. Big reservoirs should be built up to store flood waters and the system of drainage be planned at a national level. Water accumulated in the pools, lakes, tanks etc. also causes floods since it neither goes away nor does it dry up so soon. Arrangements should also be made to drain such water out.

There are three major rivers in my area. Entire eastern U.P. continues to be backward because of flood problems. In this context we have heard of Ghagra, Karnali and Rapti projects. The Government should immediately take up these projects and relieve the people of this devastation. These projects will not only help in controlling the floods but would also be source of power which could be use for development work.

The experts have recommended afforestation programmes. Afforestation also helps in controlling floods. Besides that proper arrangements should also be made for irrigation of land there. Shallow Tubewells should installed in the river-basin areas.

It is stated in the report that 5 crore hectameter water available underground and by now only 1.3 crore hectameter water has been taken out. There is no danger in taking out the rest of water too since the rains would compensate that.

The previous Government made provisions for agricultural implements only for big farms but not for small and marginal farmers. Arrangements should be made for making these implements to the small and marginal farmers also. Their manufacture should be taken up at a large scale.

It is often said that the Indian farmer is not either aware of or interested in newly developed seeds and technology. But the experience during the last 10 years has defied this wrong motion. On getting good seeds they increased production several folds and we are now self-sufficient in wheat and paddy. But no research has been made in respect of oil seeds and pulses which are very base of our daily utility and price level. Therefore, special research should be undertaken in these fields.

In the work of educating the farmers in effective manner, a model farm should be set up in every village and exhibitions should be organised in the villages to give them information about the latest agricultural technology. The demonstration schemes should also be implemented to impart practical know-how to the farmers so that they could increase their production.

As regards use of fertilizers special emphasis has been laid on the use of nitrogen fertilizer and the farmers are not being supplied with phosphates and potash in adequate quantities. We have no effective machinery for imparting training in the use of marginal nutrients which are very essential to bring about an increase in agricultural production. Every village should be provided with a special electronic machinery so that the farmers could utilise the balanced fertilizers.

Finally, I would like to point out that our agriculture has never been viewed from industrial angle, neither has there been any planning in accordance therewith. The Government officers who go to the farmers to educate them disseminate information only in theory and the information gathered by them only through groups or seminars. Therefore, special importance should be given to agriculture in order to bring it under uniform pattern of administration and expert personnel should be deployed to impart necessary training to them at village level and on practical basis.

I hope my suggestions would be given due considerations.

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY (Banaskantha) : I congratulate the hon. Minister for making more provision in budget this year for agriculture; but only this would not deliver goods. The money provided should be utilised properly and there should be machinery to keep a watch on its proper and effective utilisation. It is a very unfortunate state of affairs that our producers i.e. our farmer is himself deprived of what he produces. The Government should therefore enable him to get what he spends on his production. Agriculture can no more be afforded as a deficit endeavour. Seventy percent of our people are agriculturists or depend upon agriculture. They should be given items of daily use at concessional rates. But the fact is the other way round. The prices of agricultural implements and inputs are increasing every day.

How will then the farmer be encouraged to put in heart and save together in agriculture ?

Irrigation is the main factor in agriculture and that only can help in increasing the production since the land is not going to multiply. Therefore more provision should be made in the budget for irrigation.

Narmad Project is a multi-purpose project. It will give power and help in increasing our production. Its waters will irrigate dry areas of Gujarat. We hope that the dispute will be resolved very soon by the Tribunal. Thereafter it should be executed at the earliest possible.

Floods and drought are the two big problems in our country. In my constituency there are less rains but more floods. Some provisions should be made to control floods there. I request the centre to grant more grant to Gujarat in this purpose.

More than half of the farmers in my constituency Banaskantha are having less than 2 hectares of land each and the rest of them are landless agricultural labour. But no

scheme on small for marginal farmers has been implemented in any of its tehsils. Such schemes should be implemented there.

D.P.A. scheme is a must in Banaskantha district to bring it at par with other districts. A proposal made in this respect be approved.

Ministry of Agriculture should advise the Ministry of Commerce as to when the agricultural commodities should be imported or exported so that agriculturists could get a remunerative price for his agriculture produce.

The Government should give a thought to increasing production of insecticides and should also ensure the availability thereof to the farmers in unadulterated form.

It is good that the Ministry has done enough for the dairy development. A household can well manage to earn its livelihood by keeping one or two milchy cattles. But the absence of good roads in rural areas is an impediment in the development of this industry. Milk gets sour or spoiled before reaching the cooperative dairies who there cannot turn it into milk powder also. Therefore the purpose of constructing rural link roads should be implemented immediately to give an boost the dairy industry.

With these words I support the Demands for Grants.

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : मैंने राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रतिवेदन को जल्दी में पढ़ा है परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह एक उत्कृष्ट तथा सुप्रमाणित दस्तावेज है। सरकार इस प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों को त्रिगुणित करने के हर प्रयास करे।

आजादी के बाद से हमारे यहां खाद्यान्नों की भारी कमी रही है और उनके लिए हम इधर-उधर भागते रहे हैं और हमें ये खाद्यान्न देने वाले देश हमारी विदेश नीति को अपने हित में मोड़ने के लिए हम पर दबाव डालते रहे हैं।

अब तो भगवान का शुक्र है कि हमारे कृषि-वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत तथा हमारे भारतीय नेताओं की समझबूझ के फलस्वरूप हमारी समस्या पिछले तीन-चार बरस से हल हो गई है और अब हमारी स्थिति मजबूत है। अब हम धान तथा गेहूं की उपज के मामले में काफी सुरक्षित स्थिति में हैं।

अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें भूमि सुधार लागू करने चाहिए। कर्नाटक राज्य में हमने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। परन्तु दुर्भाग्य से जनता सरकार ने राज्य सरकार के विरुद्ध एक अभियान चला दिया और राष्ट्रपति के शासन के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा बनाया गठित भूमि पंचाट समाप्त कर दिया। अब वही जनता पार्टी वाले यहां भूमि सुधारों की दुहाई दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन का भूमि सुधारों में कितना विश्वास है। अब उनकी काफी पोल खुल गई है।

जनता पार्टी के शासनाधीन उत्तरी राज्यों में हम देखते हैं कि हत्यारों का बोलबाला है। जिस दिन जनता सरकार बनी जमींदारों ने खुले-आम मनमानी करने लगे हैं। यही मुख्य कारण है कि वहां गरीब किसानों, हरिजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है।

जहां तक उत्पादन और अनुसंधान का सम्बन्ध है, किसानों को अच्छी किसम के बीज दिए जाने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए । बीजों के मामले में काफी धोखाधड़ी हो रही है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें । सभा कल प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 20 अप्रैल 1978/30 चैत्र, 1900 (शक) को ग्यारह-बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday April, 20, 1978/Chaitra 30, 1900 (Saka).

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त
लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

© 1978 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE
AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
FARIDABAD
